Bachelor of Arts (DDE)

Semester –II

Paper Code – BA2006-II

POLITICAL THEORY – II
राजनीतिक सिद्धान्त –II

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

(A State University established under Haryana Act No. XXV of 1975)
NAAC 'A+' Grade Accredited University

Copyright © 2002, 2020; Maharshi Dayanand University, ROHTAK

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the copyright holder.

Maharshi Dayanand University
ROHTAK – 124 001

Price : Rs. 325/-

Publisher: Maharshi Dayanand University Press

Publication Year: 2021

Semester – II

Syllabi – Book Maping Table

राजनीतिक सिद्धान्त–II

इकाई संग्रह	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
इकाई – 1		8–82
	राजय तथा राज्य का विकास राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धान्त – दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, पैतृक सिद्धान्त एवं मातृक सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धान्त : सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त राज्य के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रभुसत्ता	
इकाई – 2	लोकतन्त्र व कल्याणकारी राज्य का स्वरूप	83–133
	लोकतन्त्र विकास व कल्याणकारी राज्य सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त	
इकाई – 3	लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न	134–176
	राज्य तथा राज्य का विकास राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धान्त – दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, पैतृक सिद्धान्त एवं मातृक सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धान्त : सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त राज्य के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रभुसत्ता लोकतन्त्र विकास व कल्याणकारी राज्य सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त	

Semester – II

विषय सूची

इकाई संग्रह	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
इकाई – 1	राज्य की अवधारणा	8–82
1.0	इकाई का परिचय	8
1.1	इकाई के उद्देश्य	8
1.2	राज्य तथा राज्य का विकास	9–22
1.2.1	परिचय	9
1.2.2	उद्देश्य	9
1.2.3	राज्य की परिभाषा	9
1.2.4	राज्य के तत्व	11
1.2.5	राज्य का विकास	16
1.2.6	राज्य का भावी विकास व विशेषताएँ	20
1.2.7	निष्कर्ष	21
1.2.8	मुख्य शब्दावली	21
1.2.9	अभ्यास हेतू प्रश्नू	21
1.2.10	संदर्भ सूची	22
1.3	राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धान्त : दैवीय, शक्ति, पैतृक व मातृक सिद्धान्त	23–34
1.3.1	परिचय	23
1.3.2	उद्देश्य	23
1.3.3	दैवीय उत्पत्ति का सिद्धान्त	23
1.3.4	शक्ति सिद्धान्त	26
1.3.5	पैतृत व मातृक सिद्धान्त	29
1.3.6	निष्कर्ष	33
1.3.7	मुख्य शब्दावली	33
1.3.8	अभ्यास हेतू प्रश्नू	33
1.3.9	संदर्भ सूची	34
1.4	राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धान्तः सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी	35–52
1.4.1	परिचय	35
1.4.2	उद्देश्य	35
1.4.3	सामाजिक समझौते का सिद्धान्त	35
1.4.4	सामाजिक समझौते का विकास	35
1.4.5	हॉब्स का विचार	36
1.4.6	हॉब्स का समझौता	36

1.4.7	आलोचना	37
1.4.8	महत्व	38
1.4.9	समझौते के कारण	39
1.4.10	रूसो का सामाजिक समझौता	40
1.4.11	विशेषताएँ	40
1.4.12	आलोचना	41
1.4.13	महत्व	42
1.4.14	सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना	42
1.4.15	ऐतिहासिक आधार पर आलोचना	42
1.4.16	दार्शनिक आधार पर आलोचना	43
1.4.17	कानूनी संबंधी दृष्टिकोण	44
1.4.18	विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धान्त	45
1.4.19	मार्क्सवादी सिद्धान्त	48
1.4.20	निष्कर्ष	51
1.4.21	मुख्य शब्दावली	51
1.4.22	अभ्यास हेतू प्रश्नू	51
1.4.23	संदर्भ सूची	51
1.5	राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण	53—64
1.5.1	परिचय	53
1.5.2	उद्देश्य	53
1.5.3	राज्य संबंधी मार्क्सवादी धारणा	53
1.5.4	मार्क्सवादी धारणा की आलोचना	55
1.5.5	उदारवादी दृष्टिकोण	56
1.5.6	उदारवादी दृष्टिकोण के प्रकार	57
1.5.7	उदारवाद का अर्थ	57
1.5.8	राज्य संबंधी उदारवादी दृष्टिकोण	57
1.5.9	गांधी जी का आदर्श राज्य	61
1.5.10	निष्कर्ष	62
1.5.11	मुख्य शब्दावली	63
1.5.12	अभ्यास हेतू प्रश्नू	63
1.5.13	संदर्भ सूची	63
1.6	प्रभुसत्ता	65—82
1.6.1	परिचय	65
1.6.2	उद्देश्य	65
1.6.3	प्रभुसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा	65
1.6.4	प्रभुसत्ता के लक्षण/विशेषताएँ	66
1.6.5	प्रभुसत्ता की सीमाएँ	68

1.6.6	प्रभुसत्ता के रूप	69
1.6.7	जॉन आस्टिन का एकलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धान्त	71
1.6.8	एकलवादी प्रभुसत्ता की विशेषताएँ	72
1.6.9	आलोचना	72
1.6.10	प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धान्त	74
1.6.11	बहुलवाद की विशेषताएँ	76
1.6.12	निष्कर्ष	81
1.6.13	मुख्य शब्दावली	81
1.6.14	अभ्यास हेतू प्रश्नू	81
1.6.15	संदर्भ सूची	81
इकाई – 2	लोकतन्त्र व कल्याणकारी राज्य का स्वरूप	83–133
2.0	इकाई का परिचय	83
2.1	इकाई के उद्देश्य	83
2.2	लोकतन्त्र	84
2.2.1	परिचय	84
2.2.2	उद्देश्य	84
2.2.3	लोकतंत्र का अर्थ	84
2.2.4	लोकतंत्र के गुण	85
2.2.5	लोकतंत्र के दोष	87
2.2.6	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र	89
2.2.7	प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं	89
2.2.8	प्रजातंत्र के मार्ग में बाधाएं	90
2.2.9	लोकतंत्र का प्रतिष्ठित अथवा उदारवादी सिद्धांत	95
2.2.10	उदार लोकतंत्र के गुण	96
2.2.11	उदार लोकतंत्र के दोष	97
2.2.12	उदार लोकतंत्र की सफलता	98
2.2.13	लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत	99
2.2.14	बहुलवादी लोकतंत्र की विशेषताएं	99
2.2.15	लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत	101
2.2.16	विशिष्टवर्गवादी सिद्धांत का विकास	101
2.2.17	विशिष्ट वर्ग की विशेषताए	103
2.2.18	विशिष्ट वर्ग सिद्धांत की आलोचना	103
2.2.19	लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत	104
2.2.20	मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना	105
2.2.21	निष्कर्ष	106
2.2.22	मुख्य शब्दावली	106
2.2.23	अभ्यास हेतु प्रश्न	106

2.2.24	संदर्भ सूची	107
2.3	विकास व कल्याणकारी राज्य	108–121
2.3.1	परिचय	108
2.3.2	उद्देश्य	108
2.3.3	विकास क्या है?	108
2.3.4	विकास की परिभाषा	108
2.3.5	विकास के लक्ष्य	110
2.3.6	कल्याणकारी राज्य	112
2.3.7	राज्य के लोककल्याणकारी कार्य	113
2.3.8	कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त की आलोचना	115
2.3.9	विकास के संबंध में समाजवादी विचारधाराएँ	116
2.3.10	विकासवादी अथवा लोकतान्त्रिक समाजवाद	117
2.3.11	विकास का गांधीवाद मॉडल	117
2.3.12	गांधी जी के मॉडल की आलोचनात्मक मूल्यांकन	120
2.3.13	निष्कर्ष	120
2.3.14	मुख्य शब्दावली	120
2.3.15	अभ्यास हेतू प्रश्न	120
2.3.16	संदर्भ ग्रन्थ सूची	121
2.4	सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त	122–133
2.3.1	परिचय	122
2.3.2	उद्देश्य	122
2.3.3	सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा	122
2.3.4	सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ	124
2.3.5	सामाजिक परिवर्तन के कारक	125
2.3.6	सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएँ	127
2.3.7	सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त	128
2.3.8	निष्कर्ष	133
2.3.9	मुख्य शब्दावली	133
2.3.10	अभ्यास हेतू प्रश्न	133
2.3.11	संदर्भ सूची	133
3.0	लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न	134–176

इकाई –1

राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण

1.0 इकाई का परिचय

राजनीतिक–विज्ञान का अध्ययन करने के तरीकों में से एक है राज्य का, उसके सभी विविध विषय रूपों में अध्ययन करना, परन्तु राज्य शब्द को अवसर अंधाधुंध रूप से किसी सामान्य प्रवृत्ति अथवा किसी आदमी के स्वास्थ्य की, उसके मानस की अथवा उसकी आर्थिक स्थिति की 'अवस्था' जैसी किसी जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। राजनीतिक–विज्ञान में भी इसको विभिन्न अल्पान्तरों के साथ प्रयोग किया जाता रहा है। सरकार, संस्था अथवा उसकी अवयव इकाइयों के एक पर्याय रूप में। अतः राज्य क्या है, यह प्रगति में सहायता करता है अथवा उसे रोकता है, कितने अधिकार राज्य के पास होने चाहिए और मानवीय कार्यकलाप के किन क्षेत्रों में, यह अन्य विद्यमान संस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है और राज्य की प्रकृति के विषय में सही–सही व्याख्या क्या है? प्राचीन एथेंस के समय से ही ये प्रश्न राजनीति दार्शनिकों का मुख्य विषय रहा है और राजनीति–सिद्धांत से संबंधित आधारभूत कारणों की खोज निकालने के सचेत प्रयास प्राचीन यूनानियों के साथ, पश्चिमी दुनिया में शुरू हुए। इस प्रकार, इस अवधारणा को इस शास्त्र–विद्या के मूल विषय के रूप में समझना जरूरी हो जाता है।

राज्य की अनेक दृष्टिकोणों से कल्पना की गई है। हर सिद्धांत राज्य को अपनी ही शास्त्र–विद्या के शब्दों में समझाता और परिभाषित करता है। हर एक ने राज्य की उत्पत्ति, प्रकृत्ति, क्षेत्र, कार्यों व उद्देश्यों के संबंध में अपना ही सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत प्रायः रूप और अर्थ में एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। इस इकाई में राज्य की प्रकृति के विषय में हम विभिन्न सिद्धांतों से विषयों को समझने का प्रयास करेंगें।

जब हम संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण करते हैं, हमें राजनीति के अर्थ, राजनीति के साथ सामाजिक विज्ञानों के संबंध एवं राज्य के अर्थ के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए।

उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति के विवाद निपटाने, एकता कायम करने हेतू एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है, समाएज की आम भलाई के लिए और शांतिपूर्ण। राज्य सभी कार्य किसी प्राधिकार अथवा अवपीड़क शक्ति की मदद से करता है, जिसे संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता की अवधारणा ही आधुनिक राजनीतिक–विज्ञान का आधार है।

1.1 इकाई के उद्देश्य

1. राज्य शब्द के प्रयोगों में इतना ज्यादा विविधता है कि इसको समझने के लिए राज्य के मूल लक्षणों एवं सिद्धांतों को जानना।
2. राज्य के उद्भव के बारे में जानना।
3. आंतरिक प्रभुसता व बाहय प्रभुसता को समझना।
4. राज्य तथा अन्य संस्थाओं के भेद को जनना।
5. राज्य के ऐतिहासिक विकास के विभिन्न चरणों को समझना।

1.2 राज्य तथा राज्य का विकास (State and Development of State)

1.2.1 परिचय

समाज में रहते हुए अपने जीवन को शांतिमय एवं सुखद बनाना व्यक्ति का उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं आवश्यक है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए एक सर्वोच्च शक्ति का होना आवश्यक है, और इस सर्वोच्च शक्ति का नाम ही 'राज्य है। प्रसिद्ध विद्वान् (Barker) ने ठीक ही कहा है कि, "मानव चेतना के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए अधिकार, अधिकारों के आनन्द उठाने के लिए राज्य आवश्यक है।" ("Human consciousness postulate liberty, liberty involves right and rights demand the state")। आज का राज्य केवल व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा ही नहीं करता अपितु अरस्तु (Aristotle) के कथनानुसार "राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और जीवन को और भी बढ़िया बनाने के लिए स्थिर है।" ("State comes into existence for life and continues for the sake of good life.") राज्य के बिना एक सभ्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

साधारण बोलचाल में 'राज्य' शब्द को 'प्रांत' (Province), 'राष्ट्र' (Nation), 'समाज' (Society), 'सरकार' (Government), 'देश' (Country) आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह राज्य शब्द को संघ की इकाइयों– जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान आदि और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयार्क, कैलिफोर्निया आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। परंतु यह गलत है क्योंकि राजनीति शास्त्र में इस शब्द के विशेष अर्थ होते हैं। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्यावेली (Machiavelli) ने अपनी पुस्तक 'दि प्रिंस' (The Prince) में किया है। स्टेट (State) शब्द लैटिन भाषा के स्टेट्स (Status) शब्द से निकला है। जिसका अर्थ एक व्यक्ति का 'सामाजिक स्तर'।

1.2.2 उद्देश्य

1. राज्य शब्द के अर्थ व उद्भव को समझ सके और उसके मूल लक्षण जान सकें।
2. राज्य का उसके विभिन्न पर्यायों से भेद कर सके।
3. राज्य की प्रकृति के विषय में इसके विकास की प्रक्रिया को समझ सके।

1.2.3 राज्य की परिभाषा (Definition of State)

मैकाइवर (Maclver) ने लिखा है कि "यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है"। राज्य की परिभाषा के संबंध में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण यह है कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में विचारकों ने अलग–अलग विचार व्यक्त किये हैं। गार्नर (Garner) के अनुसार "राज्य की उतनी ही परिभाषाएं हैं; जितने इस विषय में लेख हैं।" लेकिन फिर भी राज्य के अर्थ के संबंध में एकरूपता नहीं है। राज्य की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं:–

1. **अरस्तु (Aristotle) के अनुसार** – "राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है, जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।" ("The State is a union of families and villages, having for its end-perfect and self-sufficient life.")
2. **सिसरो (Cicero) के अनुसार** – "राज्य उस समुदाय को कहते हैं, जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब

मुनष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर लाभ मिलकर उपयोग करना है।" ("The State is numerous society united by a common sense of right and natural participation in advantages.")

3. **ब्लंशली (Bluntschli) के अनुसार** – "राजनैतिक दृष्टिकोण से निश्चित भूमि पर संगठित आबादी राज्य है।" ("The State is a political organized people over a definite territory.")

4. **वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) के अनुसार** – "एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कानून में संगठित जनता को राज्य कहते हैं"। ("The State is a people organized for law within a definite territory.")

5. **लास्की (Laski) के अनुसार** – "राज्य एक प्रादेशिक समाज है, जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है।" ("The state is a territorial society divided into Government and the subjects, claiming within its allotted physical area, supremacy on all other institutions.")

6. **हॉलैण्ड (Halland) के अनुसार** – "राज्य मनुष्यों के ऐसे समूह का नाम है, जो एक निश्चित प्रदेश में रहता है, और जिसमें बहुसंख्या अथवा एक निश्चित वर्ग की इच्छा, उनकी शक्ति के बल से उन लोगों पर लादी जाती है, जो उसका विरोध करते हैं।" ("A numerous assemblage of human beings, generally occupying a certain territory among whom the will of majority, or of an ascertainable class of persons, is by the strength of such a majority, or class made to prevail against any of their number who oppose it.")**मैकाइवर (Maciver) के अनुसार** – "राज्य एक ऐसा समुदाय है जो एक सत्तावान सरकार द्वारा घोषित कानूनों के अनुसार एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले जनसमुदाय में सामाजिक व्यवस्था की बाह्य अवस्थाओं को बनाए रखता है।" ("The State is an association which is acting through law as promulgated by Government endowed to this end with the coercive power, maintains with a community territorially demarcated the universal external conditions of social order.")

7. **गिलक्राइस्ट (Gillchrist) के अनुसार** – "राजनीति–शास्त्र में राज्य उसे कहते हैं, जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आन्तरिक तथा बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती हैं" ("The State in a concept of Political Science, exits where a number of people living on a definite territory are united under a Government which in internal matters is the organ for expressing their sovereignity and in external matters is independent of other Governments.")

8. **ओपनहेम (Oppenheim) के अनुसार** – "जब किसी देश में रहने वाले लोग अपनी सम्प्रभुता सम्पन्न सरकार के अधीन रहते हैं तब वहां राज्य कायम होता है।" ("The State exists when number of people are settled in a country under its own sovereign Government.")

9. **फिलीमोर (Filimore) के अनुसार** – "राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है, जो स्थाई रूप से एक निश्चित प्रदेश में रहता है, जो सामान्य कानून, रीतिरिवाज तथा परम्परा से एक राजनीतिक संगठन से बंधा हो, तथा जो एक संगठित शासन द्वारा उस प्रदेश के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर स्वतंत्र सम्प्रभुता द्वारा नियंत्रण करता हो, और जिसे संसार के राष्ट्रों के साथ युद्ध और सन्धि करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो।" ("A state for all purposes of international law is a people permanently occupying

a fixed territory, bound together by common laws, habits and customs into one body politics, exercising through the medium of an organized Government, independent, having sovereignity and control over all persons and things within its boundaries, capable of waging war and having peace and of entering into all international relations with the communities of the globe.")

10. **गार्नर (Garner) के अनुसार** – "राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है, जो कि एक निश्चित भू–भाग पर स्थायी रूप से बसा हो, बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो, जिसके आदेशों का पालन अधिकतर जनता स्वाभाविक रूप से करती हो।" ("State is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organized Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")

फिलिमोर (Filimore), गिलक्राइस्ट (Gillchrist) तथा गार्नर (Garner) द्वारा दी गई उपर्युक्त परिभाषाएं ही सबसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इनमें राज्य के चारों तत्वों–जनसंख्या, निश्चित भू–भाग (Fixed Territory), सरकार तथा प्रभुसत्ता (Sovereignity) का स्पष्ट उल्लेख है। इन परिभाषाओं में आन्तरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार की प्रभुसत्ता का उल्लेख है। अतः वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिलिमोर (Filimore), गिलक्राइस्ट (Gillchrist) तथा गार्नर (Garner) द्वारा दी गई परिभाषाएं मान्य हैं।

1.2.4 राज्य के तत्व (Elements of State)

राज्य के तत्वों के बारे में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। राज्य के आवश्यक चार तत्व हैं। इन चार तत्वों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता हैः–

1. **जनसंख्या (Population)** : सभी विद्वान् जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद है। प्लेटो (Plato) ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' (Republic) में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए बताया है, कि एक आदर्श राज्य (Ideal State) में 5040 नागरिक होने चाहिए। इसी प्रकार रूसों (Rousseau) के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या 10 हजार होनी चाहिए। व्यवहार में (In practice) जहां भारत, चीन, अमेरिका और सोवियत रूस जैसे करोड़ों जनसंख्या वाले राज्य हैं। वहीं दूसरी और सान मेरिनों तथा मोनाको जैसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या केवल कुछ हजार ही है। वस्तुतः जनसंख्या का कम या अधिक होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। गार्नर ने सत्य कहा है कि "जनसंख्या राज्य के संगठन को कायम रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखंड और राज्य के साधन पर्याप्त हों"। ("The population must be sufficient in number to maintain a State organization and that it ought not to be greater than the territorial area and resources of the State which are capable of supporting.")

2. **निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग (Fixed Territory or Area)** : राज्य का दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग है। जब तक जनसमुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। अतः बिना निश्चित भूमि के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस संबंध में गार्नर के ये शब्द उचित प्रतीत होते हैं कि "ऐसे लोग राज्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे स्थाई रूप से किसी निश्चित भूखंड पर बस नहीं जाते"। (They People do not become a State until.... they

have established themselves permanently on a definite portion of territory.) एक अन्य विद्वान ब्लन्शली ने भी निश्चित प्रदेश के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है "एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित लोग ही राज्य हैं।" (The state is a politically organized people of a definite territory.)

राज्य के पास प्रदेश अथवा क्षेत्र भू–भाग कितना होना चाहिए, इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अलग–अलग मत व्यक्त किये हैं। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु दोनों छोटे आकार वाले राज्यों के पक्ष में थे। इसी प्रकार डी.टाकविले तथा रूसो ने राज्यों के छोटे आकार का समर्थन किया है। रूसो ने लिखा है कि "जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य के कद की सीमाएं रखी हैं उसी प्रकार अच्छी तरह शासित राज्य की सीमाएं भी होनी चाहिए। (Just as nature has set limits to the stature of a normal man, so it has equally set limits to the size of a well-governed state) पुरातन समय में इन विद्वानों के विचार सही थे। आज के युग में प्रदेश अथवा भू–भाग की सीमा निश्चित करना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि संसार में कुछ राज्यों जैसे सान मेरिनों और मोनाको आदि राज्य है। जिनका क्षेत्रफल लगभग 40 तथा 50 वर्गमील है तथा दूसरी और भारत अमेरिका तथा चीन आदि भी राज्य हैं। जिनका प्रदेश लाखों वर्गमील है।

यह भी याद रखना होगा कि प्रदेश अथवा भू–भाग का अभिप्राय केवल स्थल से ही नहीं है। अपितु इसके अन्तर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन आ जाते हैं जो किसी देश के स्थल, जल तथा वायु से प्राप्त हों। दूसरे शब्दों में किसी राज्य में विद्यमान नदियां, सरोवर, झीलें, पर्वत और खनिज पदार्थ समुद्री तट से 12 मील तक का समुद्र तथा वायुमण्डल, भू–भाग के अंतर्गत आते हैं। भू–भाग अथवा प्रदेश के अंतर्गत पायी जाने वाली इन वस्तुओं की स्थिति का राज्य की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से घिरे हुए राज्य नौ–शक्ति की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ग्रेट–ब्रिटेन तथा जापान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार विस्तृत भूमि वाले राज्यों की वायु शक्ति श्रेष्ठतर होती है। जैसे अमेरिका तथा रूस की वायु शक्ति अधिक स्थल के कारण इतनी बढ़ी हुई है।

यह कहना अनुचित न होगा कि समस्त भू–भाग अथवा प्रदेश में भौगोलिक समीपता तथा निरन्तरता होनी चाहिए। भौगोलिक दूरी जनता में मन–मुटाव पैदा करती है जो राज्य के विभाजन के कारण बन सकती है। जैसे सन् 1971 में पाकिस्तान का विभाजन तथा बांग्ला देश के उदय का कारण भौगोलिक दूरी था। भौगोलिक समीपता से कुशल प्रशासन चलाने में सहायता मिलती है।

3. **सरकार अथवा शासनतंत्र (Government)** : तीसरा आवश्यक तत्व शासन तन्त्र अथवा सरकार है। किसी निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग पर बसा हुआ मनुष्यों का समुदाय तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता, जब तक राजनीतिक दृष्टि से संगठित न हों, सरकार ही एक ऐसा संगठन है। सरकार एक संस्था है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट तथा कार्यान्वित की जाती है। गार्नर ने माना है कि "सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात् सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है।" (Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted.)

सरकार का कोई एक निश्चित रूप नहीं है जो सभी राज्यों को मान्य हो। आजकल सरकार कई प्रकार की हो सकती है जैसे कि :–

1. **प्रजातंत्र (Democracy)** : भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में सरकार का रूप प्रजातंत्र है।

2. **तानाशाही (Dictatorship)** : क्यूबा (Cuba), उतरी कोरिया, चीन, पोलैंड इत्यादि देशों में कम्युनिस्ट सरकारी पार्टी की तानाशाही है।

3. **राजतंत्र (Monarchy)** : कुवैत, सऊदी अरब, नेपाल आदि देशों में राजतन्त्रीय सरकार है।

4. **संसदीय (Parliamentary)** : इंग्लैंड, जापान तथा भारत आदि देशों में संसदीय सरकारें हैं।

5. **अध्यक्षात्मक (Presidential)** : अमेरिका तथा फ्रांस आदि देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है।

6. **सैनिक शासन का अधिनायकतंत्र (Military Dictatorship)** : ईराक, लीबिया तथा पाकिस्तान आदि देशों में सैनिक शासन पाया जाता है।

इसी प्रकार कई देशों में संघात्मक सरकारें हैं जैसे भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंण्ड आदि देशों में, जबकि अन्य कई देशों में एकात्मक सरकारें हैं। जैसे इंग्लैड तथा जापान आदि देशों में एकात्मक सरकारें पाई जाती हैं।

जिस प्रकार राज्य के प्रदेश अथवा भू–भाग तथा जनसंख्या के कम या अधिक होने से अंतर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सरकार के स्वरूप में परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार को मुख्यतः तीन प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं :–

1. कानून–निर्माण (Law Making)
2. कानून लागू करना (Law Application) तथा
3. न्याय करना (Judicial)

इन तीन प्रमुख कार्यों को सरकार के निम्नलिखित तीन अंगों द्वारा किया जाता है :–

1. विधानमण्डल (Legislature) – कानून का निर्माण करती है।
2. कार्यपालिका (Executive) – कानून लागू करती है, तथा
3. न्यायपालिका (Judiciary) – न्याय प्रदान करती है।

प्राचीन काल में सरकार बाहरी आक्रमण से रक्षा और आन्तरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करती थी, अर्थात् पुलिस कार्य, इसलिए इसे पुलिस राज्य भी कहा जाता था। लेकिन आज लोक–कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिए जाने के कारण राज्य का कार्य–क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। परंतु अब भी सरकार को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके तथा देश की बाहरी आक्रमणों अथवा युद्धों से रक्षा कर सके। लीकॉक के अनुसार "आवश्यकता केवल इस बात की है कि उच्च शक्ति के प्रति दृढ़ आज्ञाकारिता होनी चाहिए। यह शर्त चाहे अत्याचारी व तानाशाही सरकार पूरी करें, चाहे लोक–इच्छा पर आधारित सरकार राज्य के लिए इस शर्त का पूरा होना ही पर्याप्त है।" (The mere existence of settled obedience to superior force in all, that is required, any form of despotism and tyranny which fulfils these conditions establish political State as much as the Government whose authority rests on general acquisance.) इस प्रकार सरकार राजतंत्र, कुलीनतंत्र, तानाशाही अथवा प्रजातंत्र अर्थात् किसी भी प्रकार की हो सकती है, यद्यपि प्रजातंत्र सरकार अन्य सरकारों की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ समझी जाती है।

4. **प्रभुसत्ता (Sovereignty)** – यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है और प्रदेश राज्य का भौतिक तत्व है और प्रदेश राज्य का संगठनात्मक तत्व है तो प्रभुसत्ता राज्य का 'प्राण' (Life) है। गैटल (Getel) के शब्दों में, "प्रभुसत्ता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है।" (It is the possession of Sovereignty that the State is distinguished from all other forms of human associations.) एक निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग पर रहने वाले तथा सरकार सम्पन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, जब तक कि इनके अधिकार में प्रभुसत्ता न हो। उदाहरण, सन् 1947 से पूर्व भारत की अपनी जनता थी, उसकी एक निश्चित भूमि और सरकार भी थी परंतु फिर भी वह सही अर्थों में राज्य नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ, प्रभुसत्ता प्राप्त होने पर ही उसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

'प्रभुसत्ता' को अंग्रेजी भाषा में Sovereignty कहते हैं जो कि लेटिन भाषा के शब्द 'सुप्रेनस' से निकला है। जिसका अर्थ है– 'सर्वोच्च' इस प्रकार प्रभुसत्ता का अर्थ हुआ राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राज्य की प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि राज्य आन्तरिक रूप में उच्चतम है अर्थात् अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सकें। इन आज्ञाओं का पालन करवा सके तथा बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो अर्थात् दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सके। किन्तु यदि कोई राज्य स्वेच्छा से अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार कर लेता है तो उससे उसकी प्रभुसत्ता किसी भी प्रकार सीमित नहीं होती। जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमण्डल के सदस्य, विभिन्न राज्य अपनी इच्छा के अनुसार बने हुए हैं। और जब चाहे इन्हें छोड़ भी सकते हैं। यह राज्य की प्रभुसत्ता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते।

संक्षेप में राज्य के निर्माण के लिए कम से कम चार आवश्यक तत्व – जनसंख्या, निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग, सरकार अथवा संगठन तथा प्रभुसत्ता हैं। प्रभुसत्ता दो प्रकार की है।

1. आंतरिक प्रभुसत्ता
2. बाहरी प्रभुसत्ता

राज्य के कुछ और तत्व (Other Elements of State)

कुछ विद्वानों जिनमें बगैस (Burgess) तथा विलोबी (Willoughby) आदि महत्वपूर्ण है, ने राज्य के ऊपरलिखित आवश्यक चार तत्वों के अतिरिक्त कुछ और भी निम्न तत्वों पर बल दिया हैः–

1. **निरन्तरता (Continuity)** – सरकार का स्वरूप अथवा प्रकार चाहे बदलता रहे लेकिन इस परिवर्तन का राज्य के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य है राज्य निरंतर बना रहता है।

2. **सर्वव्यापकता (All Comprehensive)** – इसका तात्पर्य राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु और आने वाले प्रत्येक क्षेत्र पर राज्य की सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता होती है।

3. **स्थायित्व (Permanence)** – इसका तात्पर्य है कि लोग जब एक बार अपने आप को राज्य के रूप में संगठित कर लेते हैं। तो वे किसी न किसी रूप में राज्य में ही रहते हैं। यदि किसी कारण जैसे युद्ध या सन्धि आदि के कारण कई बार अनेक राज्य समाप्त हो जाते हैं, अथवा अन्य राज्यों में शामिल कर लिए जाते हैं, ऐसा करने पर प्रभुसत्ता एक राज्य से दूसरे राज्य के पास चली जाती है। उदाहरण 1971 में भारत – पाकिस्तान युद्ध के कारण, पाकिस्तान से कटकर बंगलादेश बन गया। इससे प्रभुसत्ता बंगलादेश के पास आ गई और जनता बंगलादेश राज्य की जनता कहलाने लगी।

4. **एकता (Unity)** – राज्य की जनता में एकता होनी चाहिए। राज्य की किसी भी भाग पर दूसरे किसी राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी एक क्षेत्र पर दो राज्यों की प्रभुसत्ता नहीं होनी चाहिए।

5. **समानता (Equality)** – सभी राज्य चाहे वे छोटे अथवा बड़े आकार के हो, कम अथवा अधिक आबादी वाले हों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law) के अनुसार उन्हें राज्य ही माना जायेगा। दूसरे शब्दों में कोई राज्य चाहे विकसित (Developed) है अथवा अविकसित (Undeveloped) कमजोर अथवा शक्तिशाली, राज्य ही माना जायेगा।

6. **मान्यता (Recognition)** – वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता (International Recognition) को भी राज्य का एक तत्व माना जाता है। जब तक किसी राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती, उसे राज्य नहीं माना जा सकता। परंतु कई बार कुछ राज्य किसी एक अमुक राज्य को मान्यता प्रदान करते हैं, परंतु शेष दूसरे राज्य उसे मान्यता प्रदान नहीं करते ऐसी स्थिति में भी राज्य, राज्य ही होता है। दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता एक राजनीतिक पहलू होती है। जिसका राज्य के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि उपरलिखित तत्वों को राज्य के तत्व कहना उचित नहीं है। अधिक से अधिक इन्हें एक राज्य के गुण अथवा विशेषताऐं अथवा लक्षण ही कहा जा सकता है।

राज्य के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन–सा है? (Which Element is most important of all the elements of a state?)

एक प्रश्न यह उठता है कि राज्य के चारों अनिवार्य तत्वों – जनसंख्या, निश्चित प्रदेश अथवा भू–भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता आदि तत्वों में कौन–सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य के चारों तत्व ही अपनी–अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और किसी एक तत्व के अभाव में राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी राज्य के अनिवार्य तीन तत्व अर्थात् जनसंख्या, निश्चित प्रदेश तथा सरकार दूसरे समुदायों में भी मिल जाते हैं। परंतु राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता केवल राज्यों में ही संभव है। प्रभुसत्ता ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग तथा सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसलिए कुछ लेखक प्रभुसत्ता को अन्य तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

गैटल (Gettel) के शब्दों में, "राज्य न ही जनसंख्या है, न ही भूमि अथवा निश्चित प्रदेश या भू–भाग, न ही सरकार बल्कि इन सब के अतिरिक्त राज्य के पास वह इकाई होनी चाहिए जो इसे एक अलग व स्वतंत्र राजनीतिक सता बनाती है।" ("The State is not the people, not the land, nor the Government, but all of them and in addition the State must possess that unity which makes it a district and independent political entity.")

राज्य के निर्माण के लिए चारों तत्वों का होना आवश्यक है। गैटल ने सत्य कहा है कि "इनमें से किसी भी तत्व की कमी राज्य को नष्ट कर देती है। सभी का संयुक्त रूप में होना बहुत जरूरी है। ("The absence of any one of these elements destroys the state, all must exist in combination.")।

क्या निम्नलिखित राज्य हैं? (Are the following States?)

1. जम्मू व कश्मीर
2. संयुक्त राष्ट्र
3. बंगला देश
4. हरियाणा
5. भारत

1. जम्मू व कश्मीर तथा हरियाणा, पंजाब और न्यूयार्क को राज्यों के नाम से पुकारा जाता है। यहां तक कि भारत के संविधान में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर को राज्य कहा गया है। इसी प्रकार अमेरीका के संविधान के अनुसार न्यूयार्क, कैलिफोर्निया आदि को भी राज्य कहा गया है। परन्तु राजनीति शास्त्र के अनुसार यह ठीक नहीं है। सत्य यह है कि इन सबके पास अपना निश्चित प्रदेश, सरकार तथा जनसंख्या तो होती है, परंतु यह राज्य नहीं हैं क्योंकि इन सबके पास प्रभुसत्ता नहीं है।
2. संयुक्त राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया जिसके लगभग 190 राज्य सदस्य हैं। इसे राज्य मानना एक भूल है। यह स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों का संघ है परंतु राज्य नहीं। इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है और न ही इसके पास प्रभुसत्ता है।
3. बंगलादेश एक राज्य है क्योंकि इसमें राज्य के चारों आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।
4. भारत एक राज्य है क्योंकि इसमें राज्य के चारों आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।

प्रश्न (Questions)

1. राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके अनिवार्य तत्वों का वर्णन कीजिए। (Define state and discuss its essential elements.)
2. राज्य के अर्थ तथा तत्वों की व्याख्या करो। राज्य के तत्वों में से कौन–सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? (Explain the meaning and elements of the state. Which elements of the State is most important and why?)

1.2.5 राज्य का विकास (Development of the State)

वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है। जिसके अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं। राज्य का उदय मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में अत्यंत बिखरे रूप में हुआ और सभ्यता के विकास के साथ–साथ इसके रूप में और सभ्यता के विकास के साथ–साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा। आदिकाल से लेकर आज तक राज्य को अपने वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय राज्य को प्राप्त करने में अनेक अवस्थाओं और रूपों से होकर गुजरना पड़ा है। यह कहना बहुत कठिन है कि राज्य की ये अवस्थाएं कौन–कौन सी थी, क्योंकि इस संबंध में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में बहुत मतभेद है। फिर भी विश्व के सभी राज्यों के विकास के विश्लेषण के आधार पर राज्य के विकास की कुछ अवस्थाएं निश्चित की गयी है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित है :–

कबीला राज्य (The Tribal State)

कुटुम्ब या परिवार सबसे पहली सामाजिक इकाई, और कबीला सबसे पहली राजनीतिक इकाई थी। कबीले में ही हम सबसे पहले सरकार अथवा राज्य के लक्षण पाते हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि कुछ व्यक्ति आज्ञा देते हैं, और शेष उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित भी किया जाता था। उनके रीति–रिवाज ही कानून समझे जाते थे। इन कबीलों में आपस में लगातार युद्ध होते रहते थे और जब किसी शक्तिशाली कबीले का सरदार आस–पास के कमजोर कबीलों को जीत लेता था, तो वह राजा बन बैठता था। और जीते हुए कबीले में रहने वाले लोग उसकी प्रजास बन जाते थे। इस प्रकार विश्व के अलग–अलग क्षेत्रों में छोटे–छोटे अनेक राज्य स्थापित हो गये।

पूर्वी साम्राज्य (The Oriental Empire)

धीरे–धीरे कबीले उन स्थानों पर बसने लगे जहां वे सरलता से गुजर–बसर कर सके। तेजी के साथ बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता ने युद्धों को जनम दिया और ये युद्ध भी इन राज्यों की स्थापना के कारण बने। युद्धों के परिणाम स्वरूप दासों की संख्या बढ़ी, वाणिज्य तथा व्यापार विकसित हुआ, बढ़ते हुए धन, समाज की रक्षा की भावना, आये दिन के युद्ध और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा ने उच्च अधिकारियों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर राज्य की उत्पत्ति हुई। धीरे–धीरे राज्यों का विकास हुआ तथा कुछ राज्यों ने अन्य राज्यों को अपने में मिलाकर साम्राज्य का रूप ले लिया। इस प्रकार सुमेरियन, असीरियन, भारत का साम्राज्य, ओर चीन के साम्राज्य विकसित हुए। सोल्टाऊ (Soltau) ने तो इन राज्यों के संबंध में यहां तक कहा है कि "राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से इन साम्राज्यों का महत्व बहुत कम है। उनमें बहुत कम ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का उदय हुआ, जो अध्ययन के योग्य हों तथा उन सब की विशेषताएं यह थी कि आन्तरिक दृष्टि से अस्वस्थ एवं पंगु थे।" (From the point of view of student of politics, those empire offer however little interest. Few of them evolved any significant institution that would help study and they were all characterized by an internal inertia amounting to something like paralysis.) गैटिल के शब्दों में, "इन महान साम्राज्यों ने संस्कृति की आधारशिला रखने में संकुचित एवं स्थानीय आधार पर तोड़ने में तथा मनुष्य जाति को व्यापक राजसत्ता से परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।" (These great empires performed valuable services in establishing the beginnings of culture, in breaking down the narrow local basis of tribal organization and in familiarizing mankind with wide spread authority.)

यूनानी नगर राज्य (The Greek City States)

राज्य के विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था यूनान में मिलती है। यूनानियों का धर्म तथा जीवन के संबंध में दृष्टिकोण प्राकृतिक था और इस कारण उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। यूनानियों ने अपने स्वावलम्बी और स्वशासित नगर राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक संगठनों को विकसित किया। इन सभी समाजों में विकास के तत्व निहित थे और कवेल स्पार्टा ही बराबर रूढ़ीवादी बना रहा। अन्य नगर राज्यों में राजनीतिक विकास का क्रम राजतंत्र से कुलींन तंत्र, कुलीनतंत्र से निरंकुशतंत्र और बाद में प्रजातंत्र था। यूनानी नागरिक अपने राजय के प्रति बहुत वफादार होते थे और नगर के सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता था। नागरिकता एक कर्त्तव्य तथा क व्यवसाय के रूप में थी। यूनान ने नगर राज्य में त्रुटियां भी थी। यह प्रमुख त्रुटियां थी :–

1. ये नगर राज्य दास प्रथा पर आधारित थे, जो अपने आप में अनेक बुराईयों की मूल थी।
2. स्थानीय प्रेम से पूर्ण इन नगर राज्यों में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूप से अभाव था। इसी कारण उनमें कभी भी ऐसे समाज कि राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया जो उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधे।

वैदिककालीन गणराज्य (Vedic Republics)

जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे, उन्हीं दिनों भारत में भी छोटे–छोटे गणराज्य पाये जाते थे। जिन्हें वैदिककालीन गणराज्य कहा जाता था। वैदिककालीन गणराज्यों के संबंध में यद्यपि नगर राज्यों के समान विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि इन गणराज्यों की शासनप्रणाली सर्वत्र एक–सी नहीं थी। ये गणराज्य दो प्रकार के थे।

1. प्रथम प्रकार के गणराज्यों में सब नागरिक राज्य की शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से भाग लेते थे।

2. दूसरे प्रकार के गणराज्य वे थे जिनमें प्रमुख परिवारों के मुखिया सामूहिक रूप से राजार्य का संचालन करते थे।

रोमन साम्राज्य (The Roman Empire)

यूनान के राज्यों की भांति रोम के राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ भी एक नगर राज्य के रू में हुआ था। प्रारम्भ मे ंइन नगर राज्यों का कोई विशेष महत्व नहीं था, पर अपनी केन्द्रित स्थिति और देश की एकमात्र जहाजरानी के योग्य महत्वपूर्ण ननदी पर स्थित होने के कारण यह नगर राजय बहुत शीघ्र ही एक प्रधान राज्य बन गया। पहले उसने इटली के नगर राज्यों को अपने में मिलाया और फिर धीरे–धीरे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैण्ड, जर्मनी जादि यूरोपीय देशों में ही अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसने ग्रीक, मिस्र और एशिया माइनर, आदि दूर स्थित प्रदेशों को भी जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया।

साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक प्रभावपूर्ण केन्द्रीय शासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गयी। जीते हुए भू–भाग 'प्रदेशों' में बांट दिये गये और हर 'प्रदेश' में एक रोमन अधिकारी, जिसे प्रोकॉन्सल (Proconsul) कहते थे, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किये गये। स्वयं रोम में गणतंत्र का स्थान तानाशाही सैनिक शासन ने ले लिया और साम्राज्य सर्वशक्तिमान बन गया। संसार को सबसे पहले सुव्यवस्थित और सुशासित राज्य देने का गौरव स्थायी रूप से रोम को प्राप्त है। रोम का शासन पश्चिम में 5000 वर्ष तक और पूर्व में 1500 वर्ष तक कायम रहा। रोम साम्राज्य के ढांचे के आधार पर ही कैथोलिक धर्म संघ में अपना संगठन स्थापित किया और रोम की व्यवस्था देखकर ही पूरे मध्य युग में एक विश्वव्यापी साम्राज्य की भावना लोगों के मस्तिष्क में घूमती रही। रोमन विधि, उसके उपनिवेश और नगर पालिकाओं की शासन व्यवस्था, आधुनिक युग को रोमन साम्राज्य से वसीयत में मिली है। प्रभुसत्ता और नागरिकता के आदर्श और विभिन्न जातियों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की पद्धतियां रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण देने हैं।

रोमक साम्राज्य की कमिया (Weakness of the Roman Empire)

इतना होते हुए भी रोमन साम्राज्य में कुछ आधारभूत कमियां थी जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है :–

1. सबसे प्रमुख दोष यह था कि रोमन साम्राज्य की शक्ति अव्यवस्थित थी। रोम की सेना शक्तिशाली होने के साथ–साथ अनियंत्रित थी।
2. इस अव्यवस्थित शक्ति का परिणाम यह हुआ कि रोम का जनतंत्र तानाशाही में बदल गया।
3. अन्य दोषों में दास प्रथा प्रमुख थी, जो साम्राज्य के इतने उन्नत होने पर भी उसमें प्रचलित थी। गैटेल ने ठीक लिखा है कि "यूनान ने बिना एकता के प्रजातंत्रवाद का विकास किया था, रोम में बिना प्रजातंत्र के एकता की प्राप्ति की।
4. रोमन साम्राज्य के पतन के अन्य कारण थे शासन की कठोरता।
5. उच्च वर्गों का नैतिक पतन, तथा महामारियां आदि।
6. कमजोर आर्थिक आधार।

7. धार्मिक अव्यवस्था और बर्बर जातियों के हमले।

सामन्तवादी राज्य (The Feudal State)

राज्य के विकास क्रम में सार्वभौमिक साम्राज्य के बाद सामन्तवादी राज्य आते हैं। कुछ ऐसा दौर चला कि जिस किसी के पास थोड़ी बहुत सम्पति थी, उसी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और वह सामान्त बन बैठा। इस प्रक्रिया के द्वारा सामान्तवादी राज्य अस्तित्व में आये। सामान्तवादी राज्यो का संगठन एक श्रृंखला के समान होता था, जिसका सबसे ऊंची कड़ी राजा तथा सबसे नीची कड़ी दास होते थे। जब कोई विजेता सरदार किसी प्रदेश पर अधिकार जमाता था, तो वह उस प्रदेश को अपने साथियों में बांट देता था। वह स्वयं राजा तथा प्रदेश के उन भागों को प्राप्त करने वाले उसके साथी सामान्त हो जाते थे। ये सामन्त लोग अपनी–अपनी जागीर के पूर्ण स्वामी होते हुए भी राजा के अधिकार में होते थे और आवश्यकता के समय राजा को सैनिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। इस प्रकार सामन्तवादी राज्य की स्थिति एक 'पिरामिड' के समान थी जिसमें सबसे ऊपर राजा उसके नीचे सामन्त, उसके नीचे जागीरदार और सबसे नीचे दास होते थे। सामन्तवाद का इतिहास सभी देशों में शोषण प्रधान रहा है। इसके अलावा ये राज्य बहुत अधिक निर्बल थे।" एडम (Adam) ने तो यहां तक लिखा है कि सामन्तवादी प्रथा एक भद्दे ढंग से संगठित व्यवस्था थी। इन्हीं दोषों के कारण सामन्तवाद का पतन हो गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई।

धर्म साम्राज्य (Holy Empire)

सामन्तिक स्वरूप के बाद राज्य ने एक और नवीन स्वरूप धारण किया, जिसे हम धर्म साम्राज्य कह सकते हैं और जिसके उदाहरण स्वरूप रोम के धार्मिक साम्राज्य को ले सकते हैं। सामन्तिक–राज्यों के समय मे ंभी विविध राजाओं में परस्पर संघर्ष चलता रहा और प्रत्येक राजा अन्यों से अधिक शक्तिशाली होने के लिए प्रयत्नशील रहा। विभिन्न सामन्तों एवं राजाओं के इस संघर्ष में सबसे अधिक सफलता शार्लमेन नामक राजा को मिली और उसने फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी तथा आस्ट्रिया आदि के अतिरिक्त इटली के रोम नगर पर भी अधिकार जमा लिया। यह नौंवी शताब्दी के प्रांरभ में हुआ।

यद्यपि रोम का राजनैतिक सार्वभौम साम्राज्य समाप्त हो चुका था, तथापि उसके स्थान पर उसके धार्मिक साम्राज्य का उदय हो गया था। इसाई चर्च जिसके अनुयायी रोम के संपूर्ण निवासी बन चुके थे, राजनैतिक रूप से छिन्न–भिन्न हो जाने पर भी रोम साम्राज्य को धार्मिक एकता में बांधे रखा। ईसाईयों का सबसे प्रमुख मठ रोम में था और उसके अध्यक्ष पोप को सब ईसाई अपना धर्म गुरू मानते थे। अतः आठ सौ ईसवी में रोम के पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन का पवित्र रोम सम्राट के रूप में राज्यभिषेक किया तथा इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई।

आधुनिक काल (Modren Era)

राष्ट्रीय राज्य (Nation State)

राज्य ने जब अपने माध्यमिक काल को पार कर आधुनिक युग में पदार्पण किया तो उसमें एक और नवीन प्रकार के राजय का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। सामन्तिक राज्यों तथा रोम के धार्मिक राज्य की स्थापना होते हुए भी राजाओं के पारस्परिक संघर्ष बन्द न हो सके और सभी राज्य अपने–अपने को दूसरे से शक्तिशाली बनाने की चेष्ठा में रत रहे। इसी प्रकार के वातावरण में कुछ ऐसे शक्तिशाली राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने छोटे–छोटे सामन्तों को पूरी तरह काबू में करके एकतंत्र शासन स्थापित किये। सत्रहवीं शताब्दी तक लगभग सम्पूर्ण यूरोप में ऐसी स्थिति आ गई कि सामन्त–पद्धति के स्थान पर एकतंत्रात्मक पद्धति का अस्तित्व हो गया और फ्रांस, इंग्लैड,

रूस तथा स्पेन आदि प्रायः सभी देशों में शक्तिशाली राजाओं ने अपने–अपने सामन्तों को अपने काबू में करके, अपनी सत्ता को पूर्णतया स्थापित कर लिया। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में हेनरी आठवां, फ्रांस में लुई चौदहवां, स्पेन में फिलिप द्वितीय तथा रूस में पीटर जैसे शक्तिशाली राजाओं के राज्य स्थापित हो गये। एक शासन में रहने के कारण लोगों के एक से हित हो गए, उनमें एक से स्वार्थ हो गये, एक–सा जीवन बन गया और कहीं–कहीं एक–सी भाषा भी हो गई। परिणाम यह हुआ कि उनमें उस एकता की भावना का विकास हुआ, जिसके आधार पर राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा शासित सब प्रदेश एक जैसे थे, उनकी एक संस्कृति थी, और वे अपना देश समझते थे। परिणाम यह हुआ कि धीरे–धीरे फ्रांस एक राष्ट्र बनने लगा और उसके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा।

राष्ट्रीय–राज्य सामन्तिक राज्यों से तो भिन्न थे क्योंकि इनके निर्माण में एक नवीन भावना कार्य कर रही थी और वह थी कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परम्परा तथा संस्कृति आदि की एकता के कारण जिस क्षेत्र के निवासियों में परस्पर एकानुभूति पाई जाती है, उनका एक पृथक राज्य होना चाहिए।

प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय राज्य (Democratic Nation State)

राज्य के विकास क्रम का वर्तमान स्वरूप प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रीय राज्य है, जिसका उदय राजतंत्रात्मक राष्ट्रीय राज्य से हुआ है। राजतंत्रात्मक राष्ट्रीय राज्यों का स्वरूप निरंकुश शासन तंत्र का था। उनमें शासन संबंधी यह सिद्धान्त प्रचलित था कि 'राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि' है, अतः उसका शब्द कानून है तथा इच्छा न्याय है और उसका विरोध करने का अर्थ ईश्वर का विरोध करना है। अठाहरवीं शताब्दी में यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजा के दैवी स्वरूप और उसके दैवीय अधिकार के सिद्धांत का विरोध किया और मनुष्य के महत्व पर जोर देते हुए, लोकतंत्रात्वाद का समर्थन किया। अब यह विचार संपूर्ण राजनैतिक विचारधारा का सार बन गया है कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से जो लोग एक हैं, उनका पृथक राज्य होना चाहिए और उनमें शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता, नागरिकता के अधिकार और राष्ट्रीय एकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

1.2.6 राज्य का भावी विकास व विशेषताएं (Future Development of the State)

राज्य के विकास के पश्चात् यह देखना भी आवश्यक है कि उसका भविष्य क्या हो सकता है? भूतकाल का परिणाम वर्तमानकाल होता है और वर्तमानकाल में भविष्य के बीज नीहित रहते हैं, यह सभी जानते हैं। राज्य के सम्पूर्ण विकास पर यदि हम एक दृष्टि डाले तो हम देखते हैं कि उसका विकास मुख्यतः तीन दिशाओं में हुआ तथा हो रहा है– प्रथम आकार की दिशा में, राज्य के भावी विकास में आकार का नहीं, अपितु राज्य की शासन–प्रणाली एवं कार्य–क्षेत्र का महत्व होगा। अठाहरवीं शताब्दी में लोकतंत्रवाद का जो स्वरूप हमारे समक्ष आया था वह अब बदल चुका है और निरंतर बदल रहा है। उस समय का लोकतंत्रवाद केवल राजनैतिक लोकतंत्रवाद था किन्तु उसका रूप अब बदल गया है। और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्रवाद भी उसमें सम्मिलित हो गया है। राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय एवं सह अस्तित्व के सिद्धातों पर राज्य का भारी विकास होगा। यदि यह संभव न हो सका तो वह विकास नहीं विनाश होगा। राष्ट्रीय राज्यों के स्थान पर एक विश्व संघ की स्थापना की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय के महान् समर्थक हैराल्ह लॉस्की का विचार है कि "अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्यों की प्रभुसत्ता धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है, अब राष्ट्रीय राज्यों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। आज के व्यक्ति को साम्राज्यवादी धारणा की नहीं वरन् संघवाद की आवश्यकता है।"

ऊपर दिए गए राज्य के विकास के उल्लेख से यह नितान्त स्पष्ट है कि राज्य के विकास की कुछ विशेषताएं

रही हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. **राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर (Development of the State from Simplicity to Complexity)** – राज्य का प्रारंभिक संगठन बहुत अधिक सरल था लेकिन मानव जीवन के विकास के साथ–साथ राज्य का संगठन जटिल होता गया और राज्य के कार्य बदलते चले गये।

2. **राज्यों के क्षेत्र और जनसंख्या में वृद्धि (Increase in area and Population of States)** – प्रारम्भ में राज्य का क्षेत्र छोटा था और राज्यों की जनसंख्या कम थी, परन्तु समय के साथ–साथ राज्यों की जनसंख्या और उनका क्षेत्र बढ़ते चले गये। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य लाखों वर्गमील क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनमें से कुछ की जनसंख्या तो करोड़ों में है। जैसे – भारत जिसकी जनसंख्या 105 करोड़ के लगभग है।

3. **राजनीतिक चेतना का विकास (Development of the Political Consciousness)** – राज्य के विकास के साथ–साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना का भ्ज्ञी विकास होता गया। लोग धीरे–धीरे समझ गए कि राज्य के बिना कोई भी कार्य ठीक प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। राजनीतिक चेतना के इस विकास ने प्रतिनिधि प्रजातंत्र और संघात्मक राज्य जैसे राज्य और शासन के नवीन रूपों को ढूंढ निकाला और आज की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

4. **राज्य का धर्म से अलग होना (Separation of State with Religion)** – राज्य के विकास के प्रारम्भिक स्तरों पर राज्य और धर्म एक–दूसरे से संयुक्त थे और साधारणतया शासकों व धर्माधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में राज्य और धर्म एक–दूसरे से अलग हो गए हैं। आज 'धर्म निरपेक्ष राज्य' के विचार को मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार राज्य के द्वारा व्यक्तियों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

5. **प्रभुसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संबंध (Compromise between Soverrignity and Liberty)** – राज्य के विकास के प्रारम्भिक स्तरों पर सामान्यतया निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थी, जिनमें राज्य की शक्ति के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान प्राप्त नहीं था। परंतु राज्य के विकास के साथ–साथ यह समझा गया कि पांच प्रवृतियों के अलावा कुछ और भी प्रवृतियां देखी जा सकती है।

6. **विश्वसंघ की स्थापना (Establishment of World Federation)** – आज समस्त विश्व के सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय राज्य सम्पूर्ण मानवता के हितों की दृष्टि से ठीक नहीं है और जिस प्रकार छोटे–छोटे राज्यों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की। उसी प्रकार विश्व में शांति स्थापित करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक विश्व संघ की स्थापना की जा सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए।

1.2.7 निष्कर्ष

1.2.8 मुख्य शब्दावली

1.2.9 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. राज्य के ऐतिहासिक विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

   (Discuss briefly the historical evolution of State.)

2. आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करें।

(Explain the historical development of the Modern Nation States.)

1.2.10 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.3 राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धान्त – दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, पैतृक सिद्धान्त, मातृक सिद्धान्त (Major Theories of the Origin of State – Divine Theory, Force Theory, Patriarchal and Matriarchal Theories)

1.3.1 परिचय

राज्य की परिभाषा तथा उसके तत्वों के अध्ययन के बाद यह प्रश्न उठता है, कि राज्य का जन्म कब और कैसे हुआ? प्रारम्भ से ही मनुष्य की जिज्ञासा व प्रवृति इस विषय को जानने की रही है कि राज्य की उत्पति कब और कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सहायता से मिलना कठिन है। गार्नर (Garner) का कथन है, कि "वे परिस्थितियां जिनमें आदिम मनुष्यों ने सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा, और ये किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए, ऐसे तथ्य हैं, जो पूर्णतः नहीं तो अधिकांशतः अस्पष्टता के कोहरे से ढके हैं।" (The Circumstances under which primitive men first saw the light of political consciousness and came to associate themselves together under some form of political organization are facts veiled largely, if not wholly, in the mists of obscurity.)। यही कारण है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में उचित ज्ञान हम इतिहास से नहीं जान सकते। हमें इस विषय को जानने के लिए कल्पना (Imagination or Speculation) का सहारा लेना पड़ता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में "उन परिस्थितियों के बारे में जो राजनीतिक चेतना के उदय को घेरे हुए हैं, इतिहास हमें कुछ नहीं बताता। जहां इतिहास असफल हो जाता है, वहां हम कल्पना का सहारा लेते हैं।" (Of the circumstances surrounding the dawn of consciousness we know little or nothing from history. Where history fails, we resort to speculation.)

1.3.2 उद्देश्य

इस प्रकार कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :–

1. दैवी सिद्धान्त (Divine Theory)
2. शक्ति सिद्धान्त (Force Theory)
3. पैतृक सिद्धान्त (Patriarchal Theory)
4. मातृक सिद्धान्त (Matriarchal Theory)

अब हम सभी सिद्धान्तों का बारी–बारी से अध्ययन करेंगे :–

1. राज्य की उत्पत्ति व राजनीतिक परम्पराओं की आवश्यक विशेषताओं को समझ पाऐंगें।
2. राज्य के सिद्धातों की व्याख्या कर पायेंगें।
3. राज्य की उपलब्धियों और विफलताओं का मूल्याकंन कर पायेंगे।
4. आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का आकलन कर पायेंगें।

1.3.3 दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त सबसे प्राचीन है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य

ईश्वर द्वारा स्थापित माना जाता है। ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है, या किसी प्रतिनिधि को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है, जो ईश्वर की ओर से शासन करता है। राजा, ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी (ईश्वर) के प्रति उतरदायी है और प्रत्येक परिस्थिति में राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का कर्त्तव्य है।

दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का विकास (Development of Divine Theory)

इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थन धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है। यहूदी धर्म के अनुसार राजा ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तथा वही ईश्वर राजा को गद्दी से हटा सकता है। ब्लंशली ने कहा है, "राजा ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवी सरकार का प्रकाशन है।" (The State is immediate work of God, the powers that be, are obtained by God. Whosever resisteth the power, resisteth the Ordinance of God, and that they resist, shall receive themselves damnation.)।

दैवी सिद्धान्त का प्रमुख समर्थक इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम था। उस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लॉ ऑ फ्री मोनार्की' में इस सिद्धान्त का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार राजा अपनी शक्ति और अधिकार ईश्वर से प्राप्त करता है और इसलिए वह अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह कानून से ऊपर है। अपने सभी कार्यों और विशेषकर शासन संबंधी कार्यों के लिए वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। उसका अपनी जनता पर पूर्ण अधिकार है। प्रजा को किसी भी स्थिति में विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। जेम्स प्रथम ने स्वयं ही कहा है, कि "राजाओं को देवता कहना उचित है, क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। जिस प्रकार 'ईश्वर क्या कर सकता है', इस पर विचार करना अनास्तिकता व अधर्म है। उसी प्रकार 'राजा क्या कर सकता है', इस पर विवाद अथवा यह कहना कि राजा यह अथवा वह कार्य नहीं कर सकता, प्रजा के लिए धृष्टता तथा अवज्ञापूर्ण है। राजा भूमि पर ईश्वर की जीती जागती प्रतिमा है।" (Kings are justly called Gods, as they exercise a manner of resemblance of divine power on earth. As it is a theism and blasphemy to dispute what God can do, as it is presumptious and high contempt in a subject to dispute what a king can do or to say that a king can not do this or that. Kings are breathing images of God upon earth.)।

जहां दैवी सिद्धान्त को यूरोप में समर्थन मिला वहां भारत, अरब, चीन, जापान और मिश्र आदि देशों में भी इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई। महाभारत में राज्य के दैवी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि "राज्य का निर्माण वरूण, इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं के अंश लेकर किया गया – राजा देवता है, इन्द्र है, शुक्र है, और बृहस्पति है। सबको रास्ता दिखाने वाला है सबका पूजनीय है।" अतः स्पष्ट है कि भारत में दैवी सिद्धान्त को ही प्राथमिकता दी गई। ईस्लाम धर्म राज्य को ईश्वरीय संस्था मानता है। जापान में तो राजा को सूर्य पूत्र समझा जाता है संक्षेप में, राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धान्त की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. **राजसत्ता ईश्वरीय देन है (Power of the king is derived from God)** – इस सिद्धान्त के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। (Kings are breathing images of God upon earth.)।

2. **उत्तरदायी नहीं (No Responsibility)** – सम्राट लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। (No responsibility of kings towards people.)। राजा को ईश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए वह अपने कार्यों के लिए लोगों की अपेक्षा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।

3. **कानून से ऊपर (Above Law)** – सम्राट कानून से ऊपर है (Kings are above Law)। सम्राट स्वयं कानून का स्त्रोत है तथा कानून सम्राट की ही देन है। सम्राट कानून के अधीन न होकर उससे ऊपर है।

4. **वंशानुगत (Hereditary)** – राजतंत्र वंशानुगत है। (Kingship is Hereditary)। सम्राट का निर्वाच्न जनता द्वारा नहीं होता अपितु वह पैतृक है। अन्य शब्दों में, पिता की मृत्यु के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है।

5. **निरंकुश अधिकार (Absolute Rights)** – सम्राट के अधिकार निरंकुश है। (Absolute Rights of Kings exist)। वह प्रजा के ऊपर, जीवन तथा मृत्यु का अधिकार रखता है। सम्राट मृत्यु–दंड तक दे सकता है।

6. **पाप (Sin)** – सम्राट के आदेशों का उल्लंघन पाप है। (Violation of King's order is sin)। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है। फलतः जनता को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। राजज्ञा का विरोध तथा उल्लंघन करना महापाप है।

दैवी सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है जिनमें से मुख्याधार निम्नलिखित हैं :–

1. **मानवीय संस्था (Human Institution)** – राज्य दैवी संस्था न होकर मानवीय संस्था है (State is a human institution not a divine institution)। आधुनिक लेखक राज्य को दैवी संस्था नहीं मानते। वास्तव में राज्य एक मानवीय संस्था है, जो मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं तथा आवश्यकताओं पर आधारित है। अरस्तु का कहना है कि राज्य जीवन रक्षा के लिए बना और जीवन को सुखी बनाने के लिए विद्यमान है। राज्य के कानून मनुष्य ही बनाते हैं। और मनुष्यों के लिए ही उन्हें लागू किया जाता है। राज्य का विकास हुआ है। गिलक्राइस्ट ने ठीक ही लिखा है कि "यह धारणा की ईश्वर इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है, अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा विरूद्ध है।" (To say that God selects this or that man as a ruler is contrary to experience and common sense.)

2. **अनऐतिहासिक अथवा अतार्किक (Unhistorical or illogical)** – यह सिद्धान्त अनऐतिहासिक अथवा अतार्किक है (It is Unhistorical or illogical)। राज्य को दैवी संस्था नहीं माना जा सकता क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि उसकी नियुक्ति ईश्वर ने की है। इतिहास में अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने प्रजा पर अमानवीय अत्याचार किये। एक निर्दयी राजा होने का अर्थ यह है कि या तो ईश्वर सर्वज्ञानी नहीं है, अथवा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञानी ईश्वर निर्दयी राजा का चुनाव नहीं कर सकता।

3. **अवैज्ञानिक (Unscientific)** – डार्विन (Darwin) ने विकासवादी सिद्धान्त के आधार पर यह सिद्ध किया है कि विश्व में कोई भी वस्तु ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं, वरन् ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम है। इस दृष्टि से दैवी सिद्धान्त पूर्णरूप से अवैज्ञानिक हो जाता है। फिगिस (Figgs) के शब्दों में "यह सिद्धान्त केवल विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। तर्क के आधार पर नहीं।"

4. **आधुनिकराज्यों पर लागू नहीं (Not applicable in the Modern Times)** – यह सिद्धान्त आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होता (It is not applicable in the Modern Times)। आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतंत्र पाया जाता है, जहां प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ईश्वर के प्रतिनिधि न होकर जनता के प्रतिनिधि होते हैं। गिलक्राइट के अनुसार, "आधुनिक राष्ट्रपति के लिए, जो जनता द्वारा चुना जाता है यह दावा करना कठिन होता है कि उसे अपने अधिकार ईश्वर से मिले हैं।"

5. **लोकतंत्र के विरूद्ध (Against Democracy)** – यह सिद्धान्त लोकतंत्र के विरूद्ध (It is against Democracy)।

लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। परंतु दैवी सिद्धान्त सभी नागरिकों को समान नहीं मानता और न ही उन्हें समान पद देने के पक्ष में है।

6. **खतरनाक (Dangerous)** – दैवी सिद्धांत खतरनाक सिद्धांत है (Divine Theory is dangerous)। दैवी सिद्धांत राजाओं को निरंकुश शक्तियां देता है। इसके अनुसार राजा की आज्ञा ही कानून है, और मनुष्यों का कर्त्तव्य इनर्त्तव्य इन कानूनों का पालन करना है। राजा के विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजा कितना भी अत्याचारी क्यों न हो उसे हटाया नहीं जा सकता।

7. **नास्तिकों के लिए महत्वहीन (Not Acceptable to Atheists)** – बहुत से लोग नास्तिक होते हैं जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, ऐसे नास्तिक लोगों के लिए यह सिद्धांत महत्वहीन है।

8. **राज्य साध्य नहीं है (State is not an end)** – दैवी सिद्धांत राज्य को साध्य तथा मनुष्यों को साधन मानता है। परंतु यह गलत है। राज्य साध्य नहीं अपितु मनुष्यों की भलाई के लिए एक साधन है।

9. **धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक नहीं (This Theory is theoratic, not Political)** – दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्यतः एक धार्मिक सिद्धांत है, जिसका संबंध धर्म से है। यह राज्य की उत्पति की सही व्याख्या नहीं करता। धर्म में अंध–विश्वास चल सकता है, राजनीति में नहीं। राजनीति में विवेक की आवश्यकता होती है।

रिचर्ड हूकर (Richard Hooker) ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है कि "धर्म का संबंध मनुष्य के विश्वास से होता है। राजनीतिक बातों के संबंध में मनुष्य को अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए, विश्वास पर नहीं।"

संक्षेप में दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पति की संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करने में पूरी तरह से असफल रहा है।

दैवी सिद्धांत का महत्व (Importance of Divine Theory)

यद्यपि दैवी सिद्धांत अस्वीकार किया जा चुका है और वर्तमान समय के राजनीतिक विचारों में इसे कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। लेकिन मानवीय इतिहास के प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को धर्म से जोड़कर देखता था, तब यह सिद्धांत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। उस समय इस सिद्धांत ने अराजकता को रोकने और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामान्य जनता में कानून और शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और लोगों को राजभक्ती एवं आज्ञापालन का पाठ पढ़ाया। गैटल ने सत्य लिखा है कि "जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे, उस समय इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया।"

1.3.4 शक्ति सिद्धांत (Force Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं वरन् एक मानवीय संस्था है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है, और इसकी उत्पति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा दुर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृति से हुई है। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था, वह अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य कमजोर व्यक्तियों को हराकर अपने अधीन कर लेता था। इस प्रकार अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर वह कबीले का नेता बन जाता था, और ज बवह अपने कबीलों की सहायता से अन्य दुर्बल या कमजोर कबीलों को अपने अधीन करना प्रारंभ करता था। विजय तथा अधीनता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता था, जब विजयी कबीले के पास अपना एक निश्चित प्रदेश हो जाता था। यहीं से राज्य की उत्पति हुई। लीकॉक के मतानुसार, "ऐतिहासिक दृष्टि से इसका यह

अभिप्राय है कि सरकार आक्रमण का फल है। राज्य का श्रीगणेश मनुष्य द्वारा मनुष्यों को पकड़ने तथा दास बनाने में और बकीलों पर शक्तिशाली कबीले की विजय से हुआ।" इसी बात को लक्ष्य करते हुए वाल्टेयर ने लिखा है कि "प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था।" (The first King was a fortunate warrior.)। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, जब किसी मानव ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपना शासन लादा होगा। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान जेंकस ने इस तथ्य का समर्थन इन शब्दों में किया है कि "ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं कि आधुनिक राजनैतिक समाजों का मूल सफल युद्ध में हैं।" (Historically speaking, there is not the slightest difficulty in proving that all political community of the modern type wone their existence to successful warfare.) इसी प्रकार एक अन्य विद्वान विडरो विल्सन का कथन है कि अपने अंतिम विश्लेषण में सरकार एक संगठित बल है"। (Government in its analysis is an organized force.) राजनीति–शास्त के प्रसिद्ध विद्वान् लीर्काक का कथन है कि "ऐतिहासिक दृष्टि से इसका यह तात्पर्य है कि सरकार मानव आक्रमण का परिणाम है। राज्य का प्रारम्भ मनुष्य द्वारा मनुष्यों को पकड़ने तथा दास बनाने और कबीलों पर शक्तिशाली कबीलों की विजय से हुआ" (Historically it means that Government is the outcome of human aggression, that the beginnings of the state are to be sought in the capture and enslavement of man by man, in the conquest and subjugation of feebler tribes.)।

शक्ति सिद्धांत का विकास (Development of Force Theory) शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें अत्यंक प्राचीन काल से मिलती है। यूनान के सोफिस्ट (Sophist) विचारकों का मत था कि "बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्त्रोत है, असमानता प्रकृति का नियम है, दुर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है।" प्लेटो ने कहा है कि "न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"

वर्तमान समय में भी अनेक राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अराजकतावादी राज्य को शक्ति का प्रतीक मानकर ही राज्य को समाप्त करने का तर्क देते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित होने के कारण एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी और व्यक्तिवादी ही नहीं वरन् साम्यवादी विचारकों का भी यही मत है कि राज्य एक शक्ति मूल्क संस्था है। साम्यवाद के कट्टर समर्थक लेनिन ने कहा है कि "राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता के बहुमत पर शासन करते हैं।" (The state is the instrument of the exploitation in the hands of capitalists who rule over the majority of the population.)। जर्मन जनरल वान बर्नहार्ड (General Van Bernhards) का मत था कि "शक्ति ही सर्वोतम सत्य है और इस बात का निर्णय कि सत्य क्या है? यह युद्ध के द्वारा होगा। युद्ध सच्चे निर्णय देता है, क्योंकि इसमें निर्णय वास्तविकता पर आधारित होते हैं।" (Might is the supreme right and the dispute as to what is right, is decided by the arbitration of war. War gives a biological just decision, since its decisions rest on the very nature of things.)। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति की प्रशंसा की है और शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार उचित बताया है। वर्तमान समय में शक्ति सिद्धांत के समर्थकों में ओपनहीमर का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ओपनहीमर के अनुसार, "राज्य एक वर्गीय संगठन है, जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है।" चीन के मोओत्त्से तुंग (Mao-Tse-Tung) कहते हैं कि "शक्ति बंदूक की नली से निकलती है।" (Power comes out of the barrel of the gun.)।

शक्ति सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Force Theory)

आधुनिक युग में शक्ति सिद्धांत को सही नहीं माना जाता। लीकॉक (Leacock), सीले (Seeley) और अन्य अनेक

विद्वानों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना निम्नलिखित आधार पर की हैः–

1. **केवल शक्ति नहीं (Not Force Alone)** – विद्वानों के अनुसार राज्य केवल शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें रक्त–संबंध, धर्म, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक चेतना आदि ने भी शक्ति से कम महत्वपूर्ण भाग नहीं लिया है। लीकॉक (Leacock) का मत है कि "शक्ति–सिद्धांत की भूल यह है कि वह राज्य के विकास शक्ति को ही एक–मात्र तत्व मान लेता है।" सीले का मत है कि "राज्य का जन्म शक्ति के द्वारा नहीं हुआ, यद्यपि उसके विकास में शक्ति ने भाग लिया है।" (The emergence of the State was not due to force, although in the process of expansion, force has undoubtedly played a part.)

2. **नैतिक संस्था (Moral Institution)** – आधुनिक समय में राज्य को नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। बोदिन का कहना सही है कि "शक्ति डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है। राज्य का नहीं।" (Superior force may make a band of robbers but not of State.) गिलक्राइस्ट ने लिखा है, "शक्ति राज्य की कसौटी है, उसका सार नहीं। अगर शक्ति राज्य का सार बन जाए तो राज्य का अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक शक्ति बनी रहें। राज्य का स्थायी आधार नैतिक बल है।" (Coercive power is a criterion of the State, but not its essence. If it becomes the essence of the State, it can last so long as might can last. Indi-criminate use of force has been the fore-runner of all revolutions. Moral source is the permanent foundation of the state.)

3. **जिसकी लाठी उसकी भैंस (Might is Right)** – शक्ति सिद्धान्त के आधार पर यदि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धान्त लागू हो जाएगा तो केवल ताकतवर लोगों को जीवित रहने का अधिकार (Survival of the fittest) होगा, निर्दल या कमजोर लोगों को नहीं। आधुनिक युग में यह सिद्धांत लोगों को मंजूर नहीं।

4. **जनता की इच्छा (Will of the People)** – यह ठीक है कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस की जरूरत होती है लेकिन न तो शक्ति राज्य का आधार है और न ही वह राज्य को दृढ़ता दे सकती है। लोग राज्य की आज्ञा का पालन दंड के भय से कहीं अधिक अपने स्वभाव और विवेक–बुद्धि के आधार पर करते हैं। इस संबंध में टी०एच० ग्रीन का यह कहना पूरी तरह सही है, कि "राज्य का आधार शक्ति नहीं, मानवीय इच्छा है।" (Will, not force is the basis of State.)

5. **मानव चेतना (Human Conciousness)** – गिलक्राइस्ट तथा टी०एच० ग्रीन आदि विद्वानों का मत है कि सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थओं का जन्म मानव चेतना के कारण हुआ है न कि बल के कारण। गिलक्राइस्ट के अनुसार "राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझ लेने के कारण हुई है।" (The state Government and indeed all institutions are the result of man's conscious creations which have arisen from his appreciation of a normal end.)। इस तथ्य का समर्थन करते हुए ग्रीन ने कहा है कि "मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं, और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। (Human consciousness postulates liberty, liberty involves rights, rights demand the state.)

6. **अप्रजातंत्रीय सिद्धांत (Undemocratic Theory)** – वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्था का आधार लोक इच्छा होती है। लेकिन यह सिद्धांत पाशविक बल को सब कुछ मानकर चलता है तथा हिंसा व दमन को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत तानाशाही तथा अत्याचारी शासन का समर्थन करता है। इसलिए प्रजातंत्र विरोधी अथवा अप्रजातंत्रीय है।

7. **अंतर्राष्ट्रीयवाद के प्रतिकूल (Against Internationalism)** – शक्ति सिद्धांत के समर्थकों – जैसे हीगल, नीत्शे आदि ने केवल तानाशाही तथा राज्य की निरंकुशता का समर्थन ही नहीं किया, अपितु युद्धों की प्रशंसा का भी है। अतः यह सिद्धांत विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, युद्ध व हिंसा का समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति, कानून व व्यवस्था का शत्रु है। दो विश्व–युद्धों द्वारा मानव–जाति का कम विनाश नहीं हुआ, और यदि तीसरा विश्व–युद्ध हुआ तब मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जायेगा। विश्व–शांति बनाये रखने के महत्व को मानते हुए हम टी॰एच॰ ग्रीन के इस कथन से सहमत हैं कि "राज्य का निर्माण बल–प्रयोग अथवा शक्ति द्वारा न होकर उस बल या शक्ति के द्वारा होता है, जो लिखित अथवा अलिखित कानून के अनुसार आंतरिक और बाहरी हमलों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है।" (It is not coercive power as such, but coercive power exercised according to Law, written or unwritten for the maintenance of the existing rights of the citizens for external and internal invasions that make a State.)

निष्कर्ष (Conclusion)

शक्ति सिद्धांत की इस आलोचना के बावजूद इस बात को स्वीकार करना होगा कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में 'शक्ति' अवश्य सहायक तत्व रही है। सीले (Seeley) और लीकॉक (Leacock) आदि विद्वानों ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक राज्य के अस्तित्व के लिए 'शक्ति' आवश्यक है। किसी भी राज्य में असामाजिक तत्वों को राज्य की शक्ति के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता है। हम ब्लंशली के कथन से सहमत है कि "बिना शक्ति के न कोई राज्य उत्पन्न होता है और न ही स्थायी रह सकता है।" (Without Force a State can neither come into being nor continue, force is required within, as well as without.)। लेकिन फिर भी राज्य शक्ति का परिणाम न होकर, मानवीय चेतना का परिणाम है। गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है कि "राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है, और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।" (The State, Government and indeed all institutions are the result of man's conscious creations which have arisen form his appreciation of a moral end.)।

1.3.5 पैतृक तथा मातृक सिद्धांत (Patriarchal and Matriarchal Theories)

पैतृक सिद्धांत (Patriarchal Theory) – यह सर्वमान्य तथ्य है कि राज्य इतिहास की उपज है। वह मानवकृत अथवा ईश्वरकृत नहीं है, वरन् धीमे–धीमे निंरतर एवं क्रमिक विकास का परिणाम है। परिवार के विस्तार के क्रम से राज्य अस्तित्व में आया है, तथा परिवार में पिता का बच्चे पर नियंत्रण करना ही राज्य की उत्पत्ति का रूप है, इसी तत्थ पर पैतृक सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में समाज व्यक्तियों का समूह न होकर परिवारों का समूह था और प्राचीन समाज की इकाई परिवार था। इस प्रकार के प्रारम्भिक परिवारों में पिता की प्रधानता होती थी। प्रारम्भ में परिवार था, जिसकी वृद्धि से जाति अस्तित्व में आई, जाति से समुदाय, और समुदाय से समाज का निर्माण हुआ औरर कालांतर में इसी समाज ने राज्य का रूप ले लिया। अरस्तु कथन था कि "पहले परिवार बनता है, जब कई परिवार जुड़ते हैं और इस सम्मिलन का उद्देश्य नित्य की आवश्यकताओं से अधिक होता हैं, तो ग्राम की उत्पत्ति होती है, जब कई ग्राम मिलकर एक बड़े और लगभग या पूर्णतः आत्म–निर्भर समाज में संयुक्त हो जाते हैं, तब राज्य का उदय होता है।" (The family arises first…..when several families are united, and the association aims at something more than the supply of daily needs, then comes into existence the village…….when several villages are united in a single community, perfect and large enough to be nearly or quite self sufficing, the State comes into existence.)। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार से ग्राम, और ग्राम से

राज्य की उत्पत्ति हुई है। लीकॉक ने विकास क्रम का वर्णन करते हुए कहा है कि "पहले गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, फिँर समान नस्ल के व्यक्तियों की जाति, और अन्त में एक राष्ट्र, सामाजिक कड़ी का निर्माण इसी आधार पर हुआ है।" (First a household, then a Patriarchal family, than a tribe of persons of some decent, and finally a nation – so runs the social erected on the basis.)।

इंग्लैंड के एक विद्वान हेनरी मेन ने अपनी पुस्तकों (Ancient Law) और (Early History of Institutions) में प्राचीन रोम, यहूददी और भारतीय परिवार प्रथा के गहरे अध्ययन के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि राज्य की उत्पत्ति पैतृक परिवारों से हुई है। सर हैनरी मेन ने लिखा है, कि "परिवार ऐसा प्रारम्भिक समुदाय होता है जो सबसे बड़े पुरूष की सामान्य अधीनता से जुड़ा होता है। परिवारों के योग से कुल या गोत्र बनता है, कुलों के मेल से कबीला या जाति बनती हैं, और जातियों के योग से राज्य का निर्माण होता है।" (The elementary group is the family connected by common subjection to the highest male ascendant. The aggregation of the families forms the house. The aggregation of houses makes the tribe. The aggregation of tribes constitute the commonwealth.)

सर हेनरी मेन की दोनों रचनाओं ने इस शताब्दी के शुरू में अनेक विद्वानों को प्रभावित किया था। वुडरो विल्सन ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए लिखा था कि "परिवार राजनीतिक समाज की प्रारम्भिक या आदिम इकाई थी और उसी से आगे चलकर सरकार का विकास हुआ है।" (The family was the primary unit of political society, the seeded of all larger growths of Government.)। एक अन्य विद्वान ड्यूगिट का कहना है, "पिता परिवार का प्राकृतिक मुखिया होता है। वह अपने छोटे परिवार के सदस्यों पर राज करता है। प्राचीन नगर–राज्य छोटे–छोटे परिवारों से बनी एक राजनीतिक इकाई होती थी। जिसमें सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति वयोवृद्ध पिता के हाथ में होती थी।" (Father is the natural chief, the Governor of the little state of which the members of the family are governed the ancient city was merely a union of families in which political power belonged to the father.)।

सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने आगे लिखा है कि "प्राचीन काल में समाज परिवारों में सबसे बड़ा पुरूष परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा ऊंचा समझा जाता था, और उसकी अपने परिवार के सदस्यों पर निंरकुश सत्ता होती थी। वह अपने परिवार के सदस्यों को आज्ञा भंग करने पर सख्त से सख्त दंड दे सकता था, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल था।" (The eldest male parent the eldest ascendant was absolutely supreme in his household and his dominion extended to life and death and was as unqualified despite over his children and their house as over his slaves.)।

मुख्य विशेषताएं (Main Features)

पैतृक परिवार (Patriarchal) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

परिवारों का विस्तृत रूप (Larger Form of Patriarchal Family)

अरस्तु के मतानुसार परिवार राज्य का बड़ा आकार है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए हेनरी मेन (Henry Maine) ने कहा है कि "प्रारम्भिक इकाई एक ऐसा परिवार है, जो सबसे बड़े पुरूष पूर्वज के सामान्य शासन से बंधा हुआ है। कई परिवारों को मिलाकर वंश या कुटुम्ब बनता है, वंशों या कुटुम्बों को मिलाकर एक कबीला या जाति बनती है, कबीलों को मिलाकर राज्य बनता है।"

स्थायी विवाह (Permanent Marriage)

इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार प्रारंभ से ही स्थायी विवाह की प्रथा प्रचलित थी तथा मनुष्य परिवारों में रहते थे।

असीमित शक्तियां (Absolute Powers)

पैतृक परिवारों में कुटुम्ब का मुखिया पिता ही परिवार का प्रधान होता था। परिवार के सदस्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता था।

वंशानुगत (Hereditary)

पैतृक सिद्धांत वंशानुगत है तथा पिता के नाम पर परिवार चलते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् सबसे बड़े पुत्र को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते थे।

आलोचना (Criticism)

इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है :–

1. **अनऐतिहासिक (Unhistorical)** – मैकलेनन, मार्गन तथा जैंक्स आदि विद्वानों का कहना है कि पैतृक सिद्धांत का समर्थन इतिहास नहीं करता, क्योंकि उस काल में एक स्त्री कई पुरूषों से सम्पर्क स्थापित करती थी। इस प्रकार माता का पता होना निश्चित था, परंतु पिता का पता होना अनिश्चित था। पैतृकता निश्चित न होने के कारण वंशावली माता द्वारा मानी जाती थी।

2. **विकास की प्रक्रिया जटिल (States's Evolution is Complex)** – गिलक्राइस्ट का कहना है कि राज्य के विकास की प्रक्रिया सरल न होकर बहुत अधिक जटिल है। उसके शब्दों में "पैतृक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सबसे अधिक सरल व्याख्या है किंतु इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यह सरलता ही है।" (The Patriarchal theory is one of the simplest explanations of the origin of the state, but one of its chief weaknesses is this very simplicity.)। एक अन्य विद्वान सर जे॰जी॰ फ्रेजर का कहना है, "जों कोई व्यक्ति संस्थाओं के इतिहास की खोज करता है उसके अपने दिल में उस विषय की जटिलता को सदा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे मुनष्य के समाज की रचना हुई है, और उसे वैज्ञानिक खोज के इस खतरे से होशियार रहना चाहिए कि विज्ञान में घटनाओं के असंख्य रूपों को अकारण की सरल बनाने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण उसमें केवल कुछ कारणों की और ध्यान देते हैं, और शेष को छोड़ देते हैं।" (He who investigates the history of institutions should constantly bear in mind extreme complexity of causes which have build up the fabric of human society, and should be on his guard against a subtle danger incidental to all sciences the tendency of simplify usually the infinite vaietyy of the phenomenon of fixing our attention on a few of them to the exclusion of the next.)।

3. **मातृ प्रधान (Matriarchal)** – मैकलीनन (MeLennon) और मॉर्गन (Morgan) आदि विद्वानों का विश्वास है कि आदिम युग में विवाह नाम संस्था नहीं थी, और एक स्त्री का संबंध अनेक पुरूषों (Polyandry) से होता था। अतः परिवारों का विकास मातृक आधार पर हुआ है, पैतृक आधार पर नहीं।

4. **बहुपतित्त्व की प्रथा (The System of Polyandry)** – जैंक्स का कहना है कि जब आदिम युग में स्थाई विवाह संबंध नहीं होते थे तब समाज में बहुपतित्त्व की प्रथा रही होगी। अतः रक्त–संबंध और वंश पिता से निर्धारित नहीं किये जा सकते थे। उस हालत में उसकी जानकारी माता से ही की जाती थी तथा वंश माता से ही चला करते थे।

5. **रक्त–संबंध राज्य की उत्पत्ति का एक मात्र तत्व नहीं (Kinship is not the only factor of the origin of the State)** – आधुनिक विद्वानों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में रक्त संबंध तथा तत्व तो है परंतु वह एक मात्र तत्व नहीं है। इसलिए सर हेनरी मेन का बताया हुआ पैतृक सिद्धांत सही नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह ठीक है कि पैतृक सिद्धांत में अनेक दोष हैं ओर इसीलिए इसे राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत नहीं माना जाता। फिर भी पैतृक सिद्धांत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें राज्य की उत्पत्ति में रक्त–संबंध के योगदान के महत्व को स्पष्ट किया गया है।

मातृक सिद्धांत (Matriarchal Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार, समाज की सबसे प्राचीन इकाई प्राचीन इकाई पैतृक परिवार न होकर मातृक परिवार थी। मनुष्य का सबसे पहला संगठन टोली अथवा झुण्ड (Pack) था जो बंदर, आदि जीवों में आज भी पाया जाता है। स्त्री तथा पुरूष विवाह द्वारा किसी स्थाई बंधन से नहीं बंधे थें। प्रारंभिक समाज में एक स्त्री के कई पति होने की रीति (Polyandry) प्रचलित थी। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली संतान को केवल माता का ही ज्ञान होता था, पिता का नहीं। संतान, सम्पत्ति और परिवार की शक्ति पर माता का अधिकार होता था और उत्तराधिकार माता से ही जाना जाता था।

मुख्य विशेषताएं (Main Features)

इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. **अस्थायी विवाह प्रथा (Temporary Marriage System)** – इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार प्राचीन काल में विवाह प्रथा अस्थाई थी, और स्त्री–पुरूष संबंध थोड़े समय के लिए होते थे। संतान का पालन–पोषण माता के परिवार द्वारा किया जाता था, क्योंकि पिता के संबंध में जानकारी नहीं होती थी।

2. **मातृ सत्ता (Maternal Authority)** – मातृ प्रधान परिवारों की मुखिया स्त्री होती थी तथा परिवार की सम्पत्ति भी माता के नाम से ही होती थी। मुखिया स्त्री के आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता था।

3. **स्त्री–परिवार का आधार (Woman the Basis of Family)** – प्राचीन समय में विवाह संबंध अस्थाई होने के कारण संतान केवल माता को जानती थी, पिता को नहीं। फलस्वरूप परिवार माता के नाम से जाने जाते थे और वंश भी माता के नाम पर चलते थे, उत्तराधिकार संबंधी नियम भी मातृ सत्तात्मक थे।

आलोचना (Criticism)

इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित है :–

1. **अनऐतिहासिक (Unhistorical)** :– पैतृक सिद्धांत की ही तरह ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध करना कठिन है कि आदिम युग में मातृक परिवार रहे होंगे। इस संबंध में लीकॉक (Leacok) का कथन अधिक सही मालूम होता है कि "प्राचीनतम परिवार या समुदाय के किसी भी निश्चित स्वरूप पर बल नहीं दिया जा सकता। कहीं पर परिवार मातृ प्रधान और कहीं पर पितृ प्रधान रहे होंगे। इनमें से किसी एक का स्थान दूसरा ले सकता था।"

2. **परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य का नहीं (Theory of the origin of family, not of the State)** – यह सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, अपितु परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत है।

3. **राज्य व परिवार में भेद (Difference between State and Family)** – गार्नर (Garner) के कथनानुसार "सारा संगठन उद्देश्य और प्रयोजन के आधारों पर परिवार और राज्य दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अतः यह मानना तर्क संगत नहीं है कि एक के विकास से दूसरे का जन्म हुआ होगा या दोनों का आपस में संबंध रहा होगा।" (The family and the state are totally different in essence, organization, function and purpose, and there is little reason to suppose that one should have developed out of the other or that there should have been any connection between them.)।

4. **परिवार राज्य के जन्म का एक मात्र तत्व नहीं है (Family is not the element of the origin of the State)** – राज्य की उत्पत्ति में अनेक तत्वों ने योगदान दिया है। इन तत्वों में सामाजिक प्रवृति, धर्म, शक्ति, आर्थिक हित तथा राजनीति चेतना उल्लेखनीय है। फलतः परिवार राज्य के जन्म का एक मात्र तत्व नहीं है।

1.3.6 निष्कर्ष (Conclution)

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि पैतृक सिद्धांत की ही तरह राज्य की उत्पत्ति औरर विकास के बारे में मातृक सिद्धांत को तर्क संगत नहीं माना जा सकता। फिर भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में रक्त – संबंध की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। हम मैकाइवर के शब्दों में कह सकते हैं कि "रक्त संबंध समाज की सृष्टि करता है। और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है।" (Kinship create society and society at length creates the State.)

1.3.7 मुख्य शब्दावली

1. दैवीय
2. शक्ति
3. अंतर्राष्ट्रीयवाद
4. मातृक
5. मानवीय संस्था

1.3.8 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. राज्य के दैवी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
   (Critically examine the Divine Theory of the Origin of State.)
2. राज्य की उत्पत्ति के बारे में शक्ति का सिद्धांत कहां तक तर्कसंगत है?
   (How far is the Theory of Force justified for the Origin of State?)
3. "राज्य न ईश्वर द्वारा निर्मित है, न ही वह शारीरिक बल का परिणाम है।" इस उक्ति की व्याख्या तथा आलोचना करो।
   (The State is neither the handwork of God, nor the result of superior Physical force. Explain and critically examine this statement.)

4. यह कहना कहां तक उचित है कि 'राज्य का जन्म शक्ति के द्वारा हुआ?'

(How far is it true that the 'Origin of state lies in force'?)

5. राज्य की उत्पत्ति के पैतृक तथा मातृक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (Critically examine the Patriarchal and Matriarchal Theories regarding the Origin of the State.)

6. "शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है।" ग्रीन। विवेचना करें।

(Will not force, is the basis of Origin of State. Green. Examine this statement.)

1.3.9 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.4 राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धांत

1.4.1 परिचय

राज्य की अनेक दृष्टिकोणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। राज्य की उत्पति एवं प्रकृति संबंधी उदारवादी सिद्धांत को जानने के बाद हमें व्यक्तियों के अधिकारों व स्वतंत्रता पर आधारित लोगों की सहमति संबंधी मान्यता से लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास हुआ। इसमें हम सामाजिक समझौते के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक व रूसो के कार्यों का विवेचन करना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या की गई है।

1.4.2 उद्देश्य

1. राज्य की उत्पति में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझना।
2. सामाजिक समझौते के महत्व व आलोचनाओं के बारे में जानना।
3. सामाजिक समझौते संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का अवलोकन करना।
4. राज्य की उत्पति के बारे विचारकों के सिद्धांतों का विश्लेषण करना।

1.4.3 सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (The Theory of Social Contract)

राज्य की उत्पति के संबंध में सामाजिक समझौता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्रभाव था। इस सिद्धांत के अनुसार राजय दैवी न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। इस सिद्धांत के समर्थक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं :—

1. प्राकृतिक अवस्था का काल (State of Nature)
2. नागरिक जीवन के प्रारम्भ के बाद का काल (Contract)

इस सिद्धांत के सभी समर्थक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसे कोई अन्य संस्था नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते हैं कि किन्ही कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते हैं कि किन्ही कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने के लिए विवश हुए और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार लीकॉक के शब्दों में, "राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसे आदान—प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किये।" (The State is the result of a bargain dictated by the indicidual's own interest on exchange of obligations in return for privileges.)

1.4.4 सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास (Development of Social Contract Theory)

महाभारत में 'शांति पूर्व' में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब पहले राज्य न था, तो उसके स्थान पर अराजकता

थी। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और 'मनु' को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने 'अर्थशास्त्र' में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया। यूनान के सबसे पहलले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का समर्थन किया। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और एक समझौते का परिणाम है। रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि 'जनता राजसत्ता का अंतिम स्त्रोत है'। 16वीं और 17वीं सदी में यह विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हूकर ने सर्वप्रथम समझौते की तर्क पूर्ण व्याख्या की किन्तु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक विवेचन हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें 'समझौतावादी विचारक' कहा जाता है।

इस सिद्धांत का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है :–

प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)

इस सिद्धांत के मुख्य तीनों ही समर्थक हॉब्स, लॉक और रूसो इस बात पर सहमत हैं कि मानवीय इतिहास में एक समय ऐसा था जब कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी न कोई राजा था, न सरकार, न कानून, न न्यायाल्य कुछ विचारकों के अनुसार यह व्यवस्था या तो पूर्व राजनीतिक थी या पूर्व सामाजिक थी, परंतु दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, वह केवल प्रकृति के नियमों को ही मानता था। प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन का स्वरूप क्या था? इस बारे में इस सिद्धांत के समर्थकों में काफी मतभेद हैं।

1.4.5 हॉब्स के विचार

इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में एक विद्वान हॉब्स थे, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। उनके समय में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। इस विवाद के संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। अपने इस विचार 'शक्तिशाली तथा निरंकुश राजतंत्र' का प्रतिपादन करने के लिए 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'लेवायथन' में समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। हॉब्स के अनुसार "प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन अंधकारमय था, लोगों की बहुत दुर्दशा थी और उनमें सदैव कलह रहती थी। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होने के कारण सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे" आगे हॉब्स कहतें हैं कि "प्राकृतिक अवस्था में सभी एक दूसरे से लड़ते थे। इस अवस्था में उचित व अनुचित का कोई स्थान नहीं था। धोखा और शक्ति ही मनुष्य के गुण समझे जाते थे और मनुष्य का सारा जीवन सदा खतरे में था।" (The state of Nature is a state of war, a war of all against all, a state in which nothing could be unjust, force and fraud were the two cardinal virtues?)। आगे चलकर हॉब्स ने कहा है कि "मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक, अल्प होता था।" (The life of man was solitary, poor, nasty, brutish and short.)। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जान माल तथा सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं थी।

1.4.6 हॉब्स का समझौता

यह संभव नहीं था कि उपरोक्त अराजक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था सदा चलती रहे, मनुष्यों ने उस अवस्था के दुखी जीवन से छुटकारा पाने के लिए आपस में समझौता अथवा इकरार करके अराजक दशा का अंत कर दिया। हॉब्स के अनुसार सब मनुष्यों ने एक दूसरे के साथ यह समझौता किया कि, "अपना शासन कर सकने का अधिकार और शक्ति में इस एक (अमुक) मनुष्य को या इन मनुष्यों की एक सभा को समर्पित करता हूं, बशर्ते कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी तरह (एक मनुष्य या मनुष्यों की सभा को) समर्पित कर दो।" (I authorize and give up my right of governing myself to this man or to the Assembly of men on this condition, that thou give up thy

right to him and authorize in like manner.)। इस समझौते को स्वीकार करके सब व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक विशेष 'मनुष्य' अथवा 'मनुष्यों की सभा' को समर्पित कर दिया। उस मनुष्य को राज सत्ता प्राप्त हुई और समझौता करने वाले लोग उसकी प्रजा हुए। समझौते में राजसत्ता किसी दल के रूप में सम्मिलित न हुई। हॉब्स के सामाजिक समझौते की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. **सामाजिक एवं राजनीतक (Social and Political)** : यह समझौता एक ही साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का है। सामाजिक, इसलिए, कि इसके द्वारा मानव ने अपनी व्यक्तिगत प्रवृति त्यागकर सामाजिक बंधन स्वीकार किया, तथा राजनैतिक–इसलिए कि उसके परिणाम स्वरूप राजसत्ता की स्थापना हुई।

2. **राजसत्ता की शक्तियां–असीमित (Unlimited Powers)** : समझौते में किसी पक्ष के रूप में सम्मिलित न होने के कारण, राजसत्ता की शक्ति असीमित एवं उनके अधिकार निरंकुश हैं।

3. **अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं (Withdrawl allowed)** : समझौता सब व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया है, लेकिन उन्हें समझौते करने के बाद उससे अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

4. **विद्रोह करने का अधिकार नहीं (Revolt not permitted)** : समझौते के अनुसार प्रजा को राजसत्ता के विरूद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है।

5. **न्याय करने का अधिकार (Judicial Powers)** : न्याय करने का अधिकार भी राजसत्ता को यह अधिकार है कि वह सब झगड़ों को सुने और उन पर निर्णय दें, क्योंकि यदि लोगों को अपने झगड़े स्वयं अपने सामर्थ्य के अनुसार निपटाने के लिए छोड़ दिया गया, तो फिर वही युद्धावस्था आ जाएगी, जिसका अंत करने के लिए समझौते द्वारा राजसत्ता की स्थापना की गई है।

6. **सम्प्रभुता (Sovereignity)** : समझौते के परिणाम स्वरूप केवल एक 'सम्प्रभु' की स्थापना हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, अथवा 'कोई व्यक्तियों की सभा'। समझौते के परिणामस्वरूप जिस सम्प्रभु की स्थापना हुई, उसकी सम्प्रभुता अविभाज्य थी, क्योंकि हाब्स के शब्दों "अपने में विभाजित राजसत्ता कभी चल नहीं सकती।" दूसरे शब्दों में 'प्रभुसत्ता' अविभाज्य है।

समझौते के परिणामस्वरूप एक ऐसी राजसत्ता की स्थापना होती है, जिसकी शक्ति पूर्णतः असीमित तथा जिसके अधिकार पूर्णतः निरंकुश है। जहां तक व्यक्ति का संबंध है, वह उस राजसत्ता का दास हो जाता है। हाब्स ने इस समझौते से उत्पन्न राजशक्ति की निरंकुशता का समर्थन करते हुए भी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता का समर्थन किया। हाब्स के शब्दों में "व्यक्ति को राजसत्ता का उल्लंघन करने का अधिकार है, यदि वह उसे अपने को मारने, घायल करने, अथवा पंगु बनाने की आज्ञा दे, अथवा अपने को आघात पंहुचाने वालों का विरोध न करने की आज्ञा दे, अथवा भोजन, औषधि अथवा ऐसी वस्तुओं के प्रयोग के लिए मनाही करे, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता।" (Every man has a right to disobey, if he commands him to kill, wound or mayhem himself, or not to resist those that assault him, or to abstain from the use of food, medicine or any other thing, without which he cannot live.)।

1.4.7 आलोचना (Criticism)

हाब्स के इन विचारों की कटु आलोचना की गई। यह आलोचना प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर की गयी है:–

1. **मानव स्वभाव का वर्णन–एकाकी (Wrong description of man)** : हाब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण स्वार्थी, अंहकारी और आत्माभिमानी कि रूप में किया है, लेकिन मानव स्वभाव की यह व्याख्या पूर्णतः एकाकी है, मानव स्वार्थी प्राणी होने के साथ–साथ सामाजिक प्राणी भी है और उसमें दया, सहानुभूति एवं प्रेम का भाव पाया जाता है।

2. **अतार्कि (Illogical)** : यदि यह मान भी लिया जाए कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और झगड़ालू था, तो प्रश्न यह उठता है, कि उस प्रकार के असामाजिक व्यक्तियों में समझौता करने की इच्छा व सामाजिक भावना का उद्‌य कैसे हो गया? वॉहन (Vaughan) ने ठीक ही कहा है कि "जिस प्रकार एक हब्शी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार एक रक्त का प्यासा व्यक्ति, जिसका वर्णन हाब्स ने अपने ग्रंथ के आरंभ में किया है, शांतिप्रिय श्रमिक नहीं बन सकता।"

3. **भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं (Fear is not the basis of State)** : हाब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसी–भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना की गयी, जो नितान्त अनुचित और असंभव है। वास्तव में राज्य या समाज भय तथा स्वार्थ पर नहीं वरन् सद्‌भावना, सहयोग और सामाजिक हित की भावना पर आधारित है।

4. **निरंकुश शासन की स्थापना (Despotic Rule)** : हाब्स के द्वारा जिस स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना की गई है, वह अत्यंक भयंकर है। उसने शासन की शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया है, और ऐसे निरंकुश शासन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकते।

5. **राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं (No difference between State and Government)** : हाब्स के सिद्धांत का एक दोष यह भी है कि उसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया।

1.4.8 महत्व (Importance)

हाब्स (Hobbes) ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य देवी नहीं वरन् मानवीय संस्था है। इसके अतिरिक्त, हाब्स की विचारधारा ने प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया है।

जॉन लॉक के विचार (Views of John Locke) : जॉन लॉक इंग्लैण्ड का ही एक अन्य दार्शनिक था जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन (1690) में प्रकाशित पुस्तक "Two Treaties on Government" में किया है। लॉक ने अपनी पुस्तक में सीमित या वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक ने अपने समझौता सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है :–

1. **मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)** : लॉक के अनुसार मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना स्वाभाविक था, और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावनाएं विद्यमान थीं। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी, वरन् यह तो प्रेम, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। लॉक के अनुसाएर यह नियम प्रचलित था कि "तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो" (Do unto others, as you wish to be done by others) प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के थे।

1.4.9 समझौते के कारण (Circumstances Leading to Contract)

इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कुछ समय बाद व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाऐं हुई, और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लॉक के अनुसार ये असुविधाएं निम्नलिखित थी :–

1. प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।
2. इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी।
3. इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शाक्ति नहीं थी।

समझौता (Contract)

हाब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया था। परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौतें किए गए जिनका वर्णन इस प्रकार है :–

1. पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की रक्षा है।
2. पहले समझौते के बाद शासक (Ruler) और शासित (Ruled) के मध्य एक दूसरा समझौता सम्पन्न हुआ, जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया।

लॉक इस विचार का समर्थन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है।

आलोचना (Criticism)

लॉक (Locke) के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है –

1. **अवास्तविक (Unrealistic)** : लॉक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण हाब्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। प्रारम्भिक जनसमुदाय कभी भी इतना सामाजिक, शांत और नैतिक नहीं रहा, जितना की लॉक के द्वारा समझाया गया है। यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसी ही आदर्श थी, तो फिर राज्य के निर्माण की आवश्यकता ही क्या थी?
2. **निंरतर क्रांति की आशंका (Possibility of frequent revolts)** : लॉक ने कहा कि यदि सरकार जनहित के विरूद्ध कार्य करे, तो जनता के द्वारा विद्रोह करते हुए सरकार को हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लॉक का दर्शन जनता के लिए 'विद्रोह का लाइसेन्स' बन (Licence for revolt) जाता है।
3. **कानूनी राजसत्ता को महत्त्व नहीं (Legal sovereignity ignored)** : लॉक की एक गम्भीर कमी यह है कि उसने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्त्व नहीं दिया। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने ठीक ही लिखा है, "हाब्स ने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लॉक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है, पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है।"

1.4.10 रूसो का सामाजिक समझौता

रूसों ने अपने सामाजिक समझौता का प्रतिपादन (1762) में प्रकाशित पुस्तक "The social contract" में किया है। हॉब्स और लॉक के समान रूसों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया रूसो के द्वारा अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार की गई :–

1. **मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)** : रूसों अपनी पुस्तक 'सामाजिक समझौता में लिखता है कि "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।" (Man is born free, but everywhere he is in chains.)। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि का अभाव था।

2. **समझौते के कारण (Circumstances leading to contract)** : रूसों, लॉक की तरह मानता है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण, भूमि पर स्थायी आधिकार, और इसके परिणाम–स्वरूप सम्पति तथा 'तेरे–मेरे' की भावना का विकास हुआ, तो प्राकृतिक शांतिमय जीवन नष्ट हो गया, और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। सम्पत्ति जो समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए रूसों लिखता है कि "वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्म दाता था, जिसने एक बड़े से भू–भाग को घेर कर कहा कि 'यह मेरी भूमि है', और जिसे अपने इस कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गये। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध, संघर्ष के इस वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया।

3. **समझौता (Contract)** : उपरलिखित असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए, और उनके द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन् सम्पूर्ण समाज को रूसों के शब्दों में, समझौते के अंतर्गत, 'प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है।" (Each of us puts his person and all his power to common use under the supreme direction of the 'General Will'; and as a body we receive each member as an indivisible part of the whole?)

1.4.11 विशेषताएं (Characteristics)

रूसो के सामाजिक समझौता के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है :–

1. **सम्पूर्ण अधिकार समाज को समर्पित (Rights transferred to whole society)** : रूसो ने कहा है कि "चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, सबके लिए परिस्थितियां समान हैं, अतः कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए कष्टप्रद नहीं बनना चाहता" (Because each individual giving himself wholly, the circumstances are equal for all… because the circumstances being equal for all, no one has any interest in rendering them burdensome for others?)

2. **एकता (Unity)** : रूसों कहता है कि "प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए, किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं करता।" (Each one is giving himself upto all, gives himself upto no one.)। अतः समाज की सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है।

3. **महत्वपूर्ण परिवर्तन (Important Changes)** : रूसों के शब्दों में "जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है, वह प्राकृतिक स्वतंत्रता, और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार, जो कुछ वह पाता है, वह सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी सभी वस्तुओं पर स्वामित्य" (What man loses by the Social Contract is his natural Liberty and an unlimited right to whatever he can get, and hold on to. What he gains is civil liberty and the ownership of all that he possesses.)। समझौते के परिणाम–स्वरूप उत्पन्न समाज से मनुष्य को वह नैतिक स्वतंत्रता भी मिल जाती है, जो व्यक्ति को स्वयं उसका वास्तविक स्वामी बना देती है।

4. **'सामान्य इच्छा' (General Will)** : 'व्यक्तिगत इच्छा' के स्थान पर सामान्य इच्छा आ जाती है। यह सामान्य इच्छा सदैव न्याययुक्त होती है और जनहित इसका लक्ष्य होता है। रूसों ने कहा है कि "सामान्य इच्छा और सब की इच्छा में बहुधा अंतर होता है। प्रथम, सर्वहित पर लक्ष्य करती है, द्वितीय, व्यक्तिगत हितों पर। यदि व्यक्तिगत हितों को निकाल ले, (जो एक दूसरे से टकराते हैं) तो मतभेदों का योग शेष रहता है। वह सामान्य इच्छा होती है।" (There is often a considerable difference between the General Will and the Will fo all the former, aims at the general interest, the latter aims at private interest and is only a sum of particular Wills. But is we take away from these 'Wills' the various particular interest (which conflict with each other) what: remains as the sum of the differences is the 'General Will'.)

इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसों के सामाजिक समझौते के अनुसार एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, प्रभु, शक्ति, जनता, नागरिक, तथा प्रजा सब कुछ कहता है। रूसों की राजसत्ता वस्तुतः समाज कि सत्ता है, और किसी व्यक्ति विशेष, अथवा व्यक्ति समूह विशेष में निहित न होकर एक ऐसे सम्पूर्ण समाज में ही निहित है, जिसका आधार समाज की 'सामान्य इच्छा' है। दूसरे शब्दों में, उसके समझौते द्वारा उस लोकतंत्र अथवा जनतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें सम्प्रभुता सम्पूर्ण जनता में निहित होती है और जिसमें यदि सरकार सामान्य इच्दा के विरूद्ध शासन करती है, तो जनता को अधिकार है कि वह उसे अलग कर दे।

1.4.12 आलोचना (Criticism)

रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है :–

1. **अस्पष्ट एवं जटिल (Unclear and Complex)** : रूसो का सिद्धांत नितांत अस्पष्ट, जटिल एवं साधारण व्यक्ति की समझ से परे है। रूसों ने व्यक्ति को प्रजा और नागरिक दोनों का रूप प्रदान किया है। इसी प्रकार रूसो की विचार धारा के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाता है, तो उसे यह दण्ड उसकी अपनी ही इच्छा से मिलता है। ये बातें साधारण व्यक्ति की समझ से परे हैं।

2. **राजसत्ता निरंकुश व स्वेच्छाचारी (Autocratic and Dictatorial)** : रूसो के समझौते में व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को सौंप देता है। इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार उसके अपने रह ही नहीं जाते, तथा 'सामान्य इच्छा' सर्व शक्तिशाली हो जाती है। इस प्रकार निरंकुश व स्वेच्छाचारी राजसत्ता को जन्म मिलता है।

3. **निराधार और काल्पनिक (Baseless and Imaginative)** : रूसो द्वारा प्रकृति की अवस्था (State of Nature) निराधार और काल्पनिक है। ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य इतना शांतिपूर्ण, सुखी आदर्श जीवन व्यतीत करते थे।
4. **विरोधाभास (Contradictory)** : रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, परंतु दूसरी और वह कहता है, कि समाज समझौते का परिणाम है, यह विरोधाभास है।

1.4.13 महत्त्व (Importance)

उक्त आलोचनाओं के होते हुए भी रूसो ने अपने विचारों के रूप में राजनीति दर्शन को अमूल्य भेंट प्रदान की है। 'सामान्य इच्छा', 'लोकतंत्र' तथा 'जनता की अनुमति' पर आधारित शासन आदि महत्वपूर्ण विचारों की उसने प्रतिपादित किया। निरंकुशवाद के विरूद्ध उसने 'स्वतंत्रता', 'समानता' तथा 'भ्रातृत्व' पर जोर दिया। फ्रांस और अमेरिका के संविधानों पर उसकी इन शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। डनिंग (Dunning) के शब्दों में "रूसो की मृत्यु के पश्चात् हलचल के युग की दार्शनिक व्यवस्थाओं तथा शासन संगठनों, दोनों में, सभी और उसकी आत्मा तथा विश्वास दृष्टिगोचर होते हैं। चाहे उनका रूप कितना ही अदृश्य तथा परिवर्तित हो।" जे॰एम॰ कोहन (J.M. Cohen) के मतानुसार "दो शताब्दियों तथा योरूपीय विचारधारा पर रूसो का जितना प्रभाव पड़ा है, उतना अन्य किसी व्यक्ति का नहीं।" (No one had as much influence, as he (Rousseau) on the two centuries.)।

1.4.14 सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Social Contract Theory)

17वीं और 18वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। हूकर, मिल्टन, ग्रोशयस, वुल्फ, काण्ट, ब्लैकस्टोन, स्पिनोजा आदि विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। परंतु 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। अंग्रेज दार्शनिक हूम ने घोषित किया कि, "शासक और शासितों के संबंध के आधार के रूप में समझौता असंगत है, तथा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है।" सर हेनरी मेन ने कहा है कि, "समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है?" ब्लंटशली ने इस सिद्धांत को 'अत्यधिक भयंकर', ग्रीन ने 'कपोल कल्पना' और वूल्ज ने 'सरासर झूठा' बताया। बैंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वॉहन, एडमण्ड बर्क आदि विद्वानों के द्वारा भी इस सिद्धांत की कटुआलोचना की गई है। वॉहन के अनुसार "सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का ही उचित साधन है, और ना ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है।" (The Contract theory gives neither a satisfactory clue to history, nor a sound political philosophy.) इस सिद्धांत की आलोचना ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक आधारों पर की जाती है :–

1.4.15 ऐतिहासिक आधार पर आलोचना (Criticism on Historical Basis)

1. **समझौता अनऐतिहासिक (Unhistorical)** : ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौता सिद्धांत एक मन गडन्त सिद्धांत है, क्योंकि इतिहास में इस बात का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की हों। समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक अपने पक्ष में 11 नवम्बर 1620 के 'मेफ्लावर पैक्ट' (May flower Pact) का उदाहरण देते हैं। जिस में 'मेफ्लावर' नामक जहाज पर बैठे हुए इग्लैंड से अमेरिका जाने वाले अंग्रेजों ने समझौता किया था कि "हम लोग शांति और सुख का जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज की रचना करेंगे।" किन्तु इस उदाहरण से समझौता सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती क्योंकि समझौता सिद्धांत में वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लोगों और 'मेफ्लावर पैक्ट' से

संबंधित लोगों की राजनीतिक चेतना में बहुत अधिक अंतर हैं। गार्नर ठीक लिखते हैं कि "इतिहास में कोई ऐसा प्रामाणिक उदाहरण नहीं मिलता, जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें पहले से राज्य का पता नहीं था, आपसी समझौते से राज्य की स्थापना की हो।" गिलक्राइस्ट भी इसी दृष्टिकोण को मानते हैं।

2. **प्राकृतिक अवस्था की धारणा–गलत (Wrong assumption of State of Nature)** : सामाजिक समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास को प्राकृतिक अवस्था ओर सामाजिक अवस्था इस प्रकार के दो कालों में बांटता है। इतिहास में कहीं भी हमें ऐसी अवस्था का सबूत नहीं मिलता।

3. **युद्धों तथा विजयों (Wars and Invasions)** : हूम, वोल्टेयर, लीकॉक आदि विद्वानों के अनुसार साम्राज्यों का निर्माण युद्धों एवं विजयों द्वारा हुआ। जब एक कमजोर कबीले पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के कारण शक्तिशाली कबीले ने नियंत्रण जमाया, तो राजसत्ता का जन्म हुआ। लीकॉक के मतानुसार "कबीले के राज्य तथा राज्य से साम्राज्य का विकास धीरे–धीरे इसी कारण हुआ।" (The process of growth from tribe to kingdom and from kingdom to empire is but continuation of the same process.)।

4. **मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है (Man is a Social Animal)** : अरस्तु के मतानुसार "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है," वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रारम्भ से ही समाज में रहता रहा है ऐसा कोई समय नहीं था, जब मनुष्य बिना समाज के रहता तथा एंकाकी जीवन व्यतीत करता हो।

1.4.16 दार्शनिक आधार पर आलोचना (Criticism on Philosophical basis)

जहां तक दार्शनिक दृष्टिकोण का संबंध है, समझौते का सिद्धांत ठीक नहीं कहा जा सकता। दार्शनिकों के मतानुसार इस सिद्धांत द्वारा व्यक्ति स्वेच्छा से राज्य को अपनी स्वतंत्रता सौंप देता है और उसके आदेशों का पालन करने का इकरार करता है, तथा उसके बदले में राज्य उसकी रक्षा करता है, तथा उसकी स्वतंत्रता बनाए रखता है। कान्ट ने समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया और कहा है कि "समझौते को ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उस रूप में यह असंभव है। परंतु यह एक युक्ति युक्त विचार है, जिसका क्रियात्मक उपयोग यह है कि व्यवस्थापिका अपने कानूनों की व्यवस्था इस प्रकार करें, मानों वे एक सामाजिक समझौते का परिणाम हों।" (The Contract is not to be assumed as a historical fact, or as such, it is not possible, but it is a rational idea which has its practical utility in that; the legislator may so order his laws, as if they were the outcome of a social contract.)। दार्शनिक दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचना की गई है :–

1. **राज्य की सदस्यता ऐच्छिक–गलत (Membership of state is voluntary-wrong)** : इस सिद्धांत के अनुसार समझौता स्वेच्छा से किया जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को समझौते में सम्मिलित होकर राज्य में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का पूर्ण अधिकार है। जबकि राज्य की सदस्यता तथा उसके आदेशों का मानना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बर्क के शब्दों में, "राज्य को मिर्च मसाले, कॉफी, कपड़ा तथा तम्बाकू आदि के व्यापार के लिए की गई सांझेदारियों के समान नहीं समझना चाहिए, जो सांझेदार लोगों की इच्छानुसार समाप्त की जा सकती है।" (The state ought not to be considered as nothing than a partnership agreement in a trade of pester or coffee, calico or tobacco and to be dissolved by the fancy of the parties.)

2. **युक्तिसंगत नहीं (Illogical or Irratinal)** : समझौते के सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्ति की राज्य–भक्ति, तथा राज्य का व्यक्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व, उसके द्वारा प्रतिपादित समझौते का परिणाम है, युक्तिसंगत

प्रतीत नहीं होता। परिवार के व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संतान माता–पिता की आज्ञा का पालन करती है, अथवा माता–पिता संतान की रक्षा करते हैं, किन्तु इसका कारण यह नहीं होता कि उनका इस संबंध में कोई समझौता होता है, अपितु यह सब कुछ स्वाभाविक होता है।

3. **राज्य मनुष्य की कृति (State a man - made)** : इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मनुष्य की कृति है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य कृत्रिम संस्था है, लेकिन यह वास्तविकता के प्रतिकूल है। राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, अपितु राज्य मनुष्यों की प्रकृति का परिणाम है।

4. **प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights)** : सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की कई है, जिसमें मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होने की बात कही गई है। किन्तुं यह असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों अथवा उसकी स्वतंत्रता की व्यवस्था किसी सुव्यवस्थित समाज में ही संभव हो सकती है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं।

1.4.17 कानून संबंधी दृष्टिकोण (Criticism on Legal Basis)

बुरा कानून (Bad law)

कोई भी समझौता, जिन निश्चित लोगों के मध्य होता है, उन्हीं पर लागू होता है। अतः किसी अज्ञात समय अज्ञात व्यक्तियों के बीच हुआ कोई समझौता, उनके बाद के लोगों पर लागू हो, और यहां तक कि अब के लोगों पर भी लागू हो, यह कानूनी दृष्टि से गलत है। बैन्थम के अनुसार "मेरे लिए आज्ञापालन जरूरी है, इसलिए नहीं, कि मेरे पितामाह ने तृतीय जार्ज के पितामाह से कोई समझौता किया था, वरन् इसलिए कि विद्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है।" इस प्रकार का तर्क अपनाते हुए आशीर्वादम् ने कहा है कि "यदि पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाये, तो उनके बच्चों के दांत क्यों उतरे।"

प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं (Contract not possible in state of Nature)

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये की आदिम मनुष्य अपनी सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह समझौता कर सके, तो प्राकृतिक अवस्था में किये गए किसी भी समझौते का 'कानूनी दृष्टि' से कोई महत्व नहीं है। क्योंकि किसी समझौते को वैध रूप प्राप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति का बल हो। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में राज्य का अस्तित्व न होने के कारण सामाजिक समझौते के पीछे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। ग्रीन के शब्दों में, "समझौता सिद्धांत में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से कोई समझौता कानून नहीं है, अतः उससे प्राप्त सब अधिकार भी झूठे हो जाते हैं।" (The real flow in the theory of contract is not that it is unhistorical but that it implies the possibility of rights and obligations independent of society.)

महत्त्व (Importance)

इस सिद्धांत का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि :–

1. **कानून का शासन (Rule of Law)** : यह सहमति एवं असहमति को राज्य का आधार मानता है, शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा को नहीं।

2. **आधुनिक प्रजातंत्र (Modern Democracy)** : इस सिद्धांत ने आधुनिक प्रजातंत्र को जन्म दिया।

3. **मानवीय संस्था (Man-Made Institution)** : राज्य दैवी नहीं वरन् मानवीय संस्था है।

4. **प्रभुसत्ता (Sovereignty)** : हाब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन के कानून प्रभुत्व के सिद्धांत (Theory of legal Sovereignty) का प्रतिपादन हुआ, तो लॉक के विचारों से राजनैतिक प्रभुसत्ता (Political Sovereignty) संबंधी प्रतिपादन को प्रेरणा मिली तथा रूसों की 'सामान्य इच्छा' द्वारा लोक प्रभुसत्ता (Popular Sovereignty) संबंधी विचारों को अपूर्व बल मिला।

1.4.18 विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत (Evolutionary or Historical Theory)

गार्नर ने सत्य ही कहा है कि "राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न वह उच्चकोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, वरन् एक प्राकृतिक संस्था है जिसका ऐतिहासिक आधार पर विकास हुआ है।" (The State is neither the handwork or God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, or a mere expansion of the family. The State is not merely an artificial mechanical creation but an institution of natural growth Historical evolution.)

राज्य विकास का परिणाम है, और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गयी है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लम्बे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते–करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। बर्गेस ने उचित कहा कि "यह पूर्णतः अपूर्ण, प्रारंभ से असभ्य, किंतु उन्नति की और अग्रसर अवस्थाओं से होकर मानव जाति के पूर्ण तथा सार्वभौम संगठन की और मानव–समाज का क्रमिक तथा निरंतर विकास है।" (The proposition that the State is a product of history, means that it is a gradual and continous development of human society, out of a grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards perfect and universal organization of mankind.)। जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है, ठीक उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति इतिहास से परे असभ्य समाज से हुई है। यह बताना कि कब और किस प्रकार राज्य अस्तित्व में आया, अत्याधिक कठिन है, इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर तथा कैलर (Sumner and Keller) ने अपनी पुस्तक 'The Science of Society' में कहा है कि "यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखायी दिया, उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक हुआ था, युवक कब एक प्रौढ़ बना।" (It is impossible to say at what point the State first appears, as it is difficult to determine when morals become laws, or at what hour the, child becomes youth or the youth a man.)

भाषा और राजनैतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास भी धीरे–धीरे हुआ है। इस विकास क्रम के अंतर्गत समय–समय पर राज्य के विकास को विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया। फिर भी उन प्रमुख प्रभावों को जिन्होंने राज्य के विकास में सहायता दी, कहना कठिन है। राज्य के विकास में सहायक कुछ तत्व प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं :–

1. **सामाजिक प्रवृत्ति (Social Instinct)** : राज्य विकास में संभवत : सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्यों की सामाजिक प्रवृति है। अरस्तु ने मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा है कि, "यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है।" (Man is a social

animal, and he who does not live in a society, is either a beast or a God.)। सामाजिक प्रकृति वाले ये मनुष्य जब साथ–साथ रहे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अनेक कठिनाइयां सामने आयी और इन समस्याओं के सहज स्वाभाविक हल के रूप में स्वतः ही राज्य का उदय हो गया। अरस्तु ने कहा कि "राज्य की उत्पत्ति मानवीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई और यह जीवन को सुखी बनाने के लिए मौजूद हैं।" (State came into existence for the sake of life buut now it continues to exist for the sake of good life.)

2. **रक्त–संबंध (Kinship)** : यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त–संबंध पर आधारित था और रक्त संबंध एकता या प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। अंग्रेजी कहावत 'खून पानी से गाढ़ा होता है' (Blood is thicher than water) इसी तथ्य पर आधारित है। सर हेनरी मेन ने लिखा है कि "समाज के प्राचीनतम् इतिहास की आधुनिकतम खोजें इस निष्कर्ष की और संकेत करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारम्भिक बंधन–रक्त संबंध ही था।" (The most recent researches into the primitive history of society point to the conclusion that the earliest tie which knitted man together in communities was kinship.)। आगे चलकर जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुम्ब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने तब समाज का जन्म हुआ। इस संबधं में मैकाइवर का कथन है कि "रक्त–संबंध समाज को जन्म देता है, और कालान्तर में समाज राज्य को।" (Kinship creates society and society at length creates the state.) प्राचीन काल में सम्भवता रक्त संबंध माता से जाना जाता था और बहुपति प्रथा व अस्थायी वैवाहिक संबंध प्रचलित थे। किंतु आगे चलकर कृषि के आविष्कार के कारण व्यक्तियों ने एक विशेष स्थान पर स्थाई रूप से रहना प्रारंभ किया। इस प्रकार पहलले कुटुम्ब, फिर समाज तथा बाद में राज्य अस्तित्व में आया।

3. **धर्म (Religion)** : धर्म सदैव ही महत्वपूर्ण तत्व रहा है, धर्म ने राजनैतिक चेतना के जागरण में योगदान दिया है, अतः राज्य की उत्पत्ति में भी धर्म सहायक रहा है। समाज की एकता बनाए रखने में धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गैटिल ने तो यहां तक कहा है कि "रक्त–संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता और उसके कर्त्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी।" (Kinship and religion were, therefore two aspects of the same thing, and the unity and obligation of the group were given religious sanction.) जंगली अवस्था में जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने की चेष्ठा में पशु–बलि यहां तक कि नर–बलि भी देता था। उसके लिए प्रकृति की प्रत्येक शक्ति देवता हो गई। मनुष्य जीवन पूर्णतः धर्म से प्रभावित बन गया। धर्म ने कुटुम्बों को एकता के सूत्र में बांधा। गिलक्राइस्ट के शब्दों में "कुटुम्ब का संघ उतना ही धार्मिक था, जितना वह स्वाभाविक था।" (The family was as much a religious as a natural association.)। धीरे–धीरे समय व्यतीत हो जाने पर धर्म की शक्ति तांत्रिकों तथा जादूगरों के हाथों में चली गई। लोग यह विश्वास करने लगे कि जादूगर अपने जादू के कारण उनके पास असीम शक्ति रखते हैं और प्रकृति को वश में कर सकते हैं। ये जादूगर ही अपने गोत्र के राजा बनने लगे और सम्पूर्ण शक्ति इनके हाथों में आ गई। गिलक्राइट ने तो यहां तक कहा कि "जादूगर से राजा बनने का चरण आसान है।" (From chief magician, the step to chief or king is simple.)।

4. **शक्ति (Force)** : शक्ति मनुष्यों को एकता के सुत्र में बांधती रही है। राज्य के प्रारम्भिक विकास में शक्ति ने भी श्रेष्ठ योगदान दिया है। वोल्टेयर की इस बात में सत्यता के अंश दिखाई देते हैं कि "प्रथम सम्राट एक

भाग्यशाली योद्धा था।" (The first king was a fortunate warrior.)। जैंक्स के मतानुसार युद्धों ने राज्य को जन्म दिया। जैंक्स के अपने शब्दों में, "इतिहास के आधार पर यह बात अत्यंत सरलता के साथ सिद्ध की जा सकती है, कि आधुनिक राजनीतिक संगठनों का प्रादुर्भाव युद्ध द्वारा हुआ है।" (Historically speaking there is not the slightest difficulty in proving that Political communities of the modern type owe their existence to successful warfare.)।

युद्ध या संघर्ष विजेता और विजित में संबंध स्थापित करता है। शक्तिशाली विजयी होकर जीते हुए लोगों तथा प्रदेशों पर अधिकार कर लेते हैं और निर्बल अपनी हार मानकर समर्पण कर देते हैं। इस प्रक्रिया में एक विजयी कबीला अपने विरोधियों को दबा लेता है, तथा उसका शासनाधिकार स्थापित होने के कारण उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया जाता है, और इस प्रकार राज्य का विकास होता है।

5. **आर्थिक गतिविधियां (Economic Activities)** : राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख हाथ रहा है। गैटल ने लिखा है कि, "आदिम व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों ने राज्य की उत्पत्ति के कई पक्षों से योगदान दिया। धन और धन्धे के भेदभाव ने सामाजिक श्रेणियां या जातियां पैदा की। आर्थिक लूट के लिए एक श्रेणी की दूसरी श्रेणी पर प्रभुसत्ता सरकार के विकसित होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण था। दौलत की वृद्धि और निजी सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें नियमित करने संबंधित झगड़ों का निर्णय करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी।त्त अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें नियमित करने संबंधित झगड़ों का निर्णय करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी।"

प्लेटो, मैंक्यावली, हाब्स, लॉक एडम स्मिथ और माण्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि "राज्य आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है।" आदिम काल से अब तक मनुष्य चार आर्थिक अवस्थाओं में होकर गुजरा है :–

1. **आखेट (Hunting Stage)** – में मनुष्य के जीवन का एक मात्र साधन शिकार था और इसी कारण मनुष्य का जीवन अस्थिर था।

2. **पशुपालन अवस्था (Herdsmen Stage)** – में मनुष्य पशु पाल कर अपना गुजारा करते थे। इस अवस्था में भी उनका जीवन भ्रमण शील था।

3. **कृषि अवस्था (Husbandment Stage)** – में जीवन का आधार कृषि हो जाने पर मनुष्य निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे। इससे निजी सम्पत्ति का उद्‌य हुआ, समाज में वर्ग पैदा हो गये और संघर्ष बढ़े, ऐसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई।

4. **औद्योगिक अवस्था (Industrial Stage)** – में आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया।

राजनीति चेतना (Political Consciousness)

टी॰एच॰ ग्रीन (T.H. Green) तथा गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण में राजनीतिक चेतना की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना के अभाव में किसी भी राजनीति संगठन की स्थापना नहीं हो सकती। टी॰एच॰ ग्रीन (T.H. Green) के मतानुसार "मानवीय चेतना स्वतंत्रता की धारणा को बनाती है, स्वतंत्रता की धारणा अधिकारों की, और अधिकार राज्य की मांग करते हैं।" (Human consciousness postulates liberty, liberty involves rights and

the rights demand a State.)। इस तथ्य का समर्थन करते हुए गिलक्राइस्ट का कथन है, कि "राज्य–निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें वंश–संबंध और धर्म भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक चेतना है, और यह सबसे मुख्य तत्व है।" (Underlying kinship and religion is political consciousness, the supreme element.)

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य की उत्पति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सबसे ठीक है, जिसके अनुसार राज्य किसी एक तत्व के द्वारा नहीं वरन् बहुत से तत्वों जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त–संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना – सभी तत्वों के द्वारा सामूहिक रूप से राज्य का विकास हुआ है। रक्त–संबंध पर आधारित परिवार, राज्य का सबसे प्राचीन रूप था, धर्म ने इन परिवारों को एकता प्रदान की और आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्तियों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया, इसके साथ ही शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की इस प्रकार राज्य का जनम हुआ और उसने विकास करते–करते अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। गैटेल के शब्दों में "राज्य का दूसरी सामाजिक संस्थाओं की तरह कई स्त्रोतों और परिस्थितियों से विकास हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से इसका अस्तित्व बन गया। आरम्भ की सामाजिक संस्थाओं और राज्यों में कोई विशेष अंतर नहीं किया जा सकता जो धीरे–धीरे एक दूसरे में सम्मिलित हो गई।" गार्नर ने सत्य ही कहा है, कि "राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, ना और परिवार का ही विस्तृत रूप है, राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, वरन् एक प्राकृतिक संस्था है, जिसका ऐतिहासिक आधार पर विकास हुआ है।"

1.4.19 मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxist Theory)

राज्य की उत्पति के विषय में विभिन्न सिद्धांतों मार्क्सवादी सिद्धांत में सबसे अधिक क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसने न केवल राजनीति विचारधारा को नई दिशा दी है बल्कि विश्व राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मार्क्स ने राज्य के संबंध में अपने विचार अपनी पुस्तक 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' में दिए हैं।

मार्क्स (Marx) के अनुसार, राज्य कभी कल्याणकारी संस्था नहीं रहा और न कभी ऐसा हो सकता है। यह सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्गों के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। एंजिल्स के अनुसार, "राज्य एक संगठित अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, राज्य की उत्पति ही इन अत्याचारी पूंजीपतियों व श्रमिकों के शोषण के उद्देश्य से की है।" (The State nothing more than an organised oppression. The State comes into being when governing class finds its need for the protection of an organised coercive power to maintain existing property relationship.)

राज्य की उत्पति (Origin of State)

मार्क्सवादी विचारक राज्य को न तो ईश्वरीय संस्था मानते हैं और न ही किसी समझौते का परिणाम। उनके विचारानुसार राज्य की उदय सामाजिक विकास के फल–स्वरूप हुआ है। ये समाज के दो वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम है। एंजिल्स (Engels) के शब्दों में "राज्य किसी प्रकार की समाज पर बाहर से लादी गई शक्ति नहीं है। इसी प्रकार राज्य राजनीतिक विचार की वास्तविकता या 'बुद्धि की पूर्ति और वास्तविकता' भी नहीं है, जैसा कि हीगल का दावा हैं, राज्य विकास की एक खास मंजिल पर समाज की एक उपज है।" (The State it, therefore, by no means power forced on society on them just as little as it is reality of the ethical idea, the image and reality of reason, as Hegal maintains, rather it is a product of society at a certain stage of development.)।

राज्य की उत्पत्ति की मार्क्सवादी धारणा को समझने के लिए मार्क्स के निम्नलिखित ऐतिहासिक कालों को समझना अति आवश्यक है :–

1. **प्रारम्भिक समाज (Primitive Society)** : एंजिलस के अनुसार मानव इतिहास में ऐसा समय रहा है जब राज्य नहीं था। प्रारम्भिक समाज में लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थी, इस लिए उत्पादन के तरीके भी बहुत सरल थे। लोग फल–फूल खाकर या पशुओं का शिकार करके अपना निर्वाह करते थे। प्रारम्भिक समाज वर्गहीन था। इस युग के मार्क्सवादियों ने 'आदिम साम्यवाद' (Primitive Communism) के नाम से पुकारा है। एंजिल्स के शब्दों में "राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था। ऐसे समाज भी रहे हैं जो इसके बिना थे उनमें राज्य तथा राज्यसत्ता की कोई धारणा नहीं थी।" (The State then has not existed from all eternity. There have been socities that did without it, that had no conception of the State and State's power.)

2. **दासों पर स्वामित्व वाला समाज (Slave Owning Society)** : एंजिल्स के मतानुसार समय बीतने के साथ–साथ उत्पादन प्रणाली में अंतर आने लगा। कुछ कबीलों ने भेड़–बकरी, गाय, जैसे पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें पालना शुरू कर दिया। इससे समाज में दो प्रकार के वर्ग हो गए – एक वे जिन्होंने पशुपालन शुरू किया और दूसरे, वे जिन्होंने उत्पादन की पहली अवस्था को बनाए रखा। एंजिल्स ने इसे श्रम का पहला महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन माना है। (The first great social division of labour)। पशु पालन करने वाले कबीलों ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन आरम्भ कर दिया। पशुपालन के पश्चात् धीरे–धीरे मनुष्य खेती करने लगा। इससे कबीले स्थायी रूप से रहने लगे। एक कबीला दूसरे कबीले को युद्ध में हराकर उसके सदस्यों को गुलाम बना लेता था, और उनसे खेती का काम करवाता था। इससे गुलाम प्रथा का आरम्भ हुआ। गुलाम–प्रथा ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया – मालिक वर्ग तथा दास। इस संबंध ने लेनिन ने कहा है, कि "मौलिक बात यह है कि गुलामों को इंसान नहीं माना जाता था–उन्हें नागरिक गिनना तो दूर रहा, मानव भी नहीं समझा जाता था।" यहीं से शोषण की शुरूआत हुई और इसी से राज्य संस्था का उदय हुआ। गुलामों पर अधिकार रखने के लिए मालिक हिंसा और दमन का सहारा लेने लगे। मालिकों में बड़ा मालिक शासक बन बैठा। राज्य का आकार बहुत छोटा होता था। ये राज्य बहुत कमजोर थे और उनका उद्देश्य गुलामों का दमन करना तथा शोषण करना था।

3. **सामन्ती राज्य (Feudal State) :** राज्य का तेजी से विकास सामन्ती युग में हुआ। धन के उत्पादन में भूमि का महत्व बढ़ जाने के कारण सामन्ती युग का आरम्भ हुआ। भूमि का मालिक राजा समझा जाता था। राजाओं ने अपने साथियों में भूमि को बांट दिया, जिन्हें जागीरदार या सामन्त कहा जाता था। जागीरदार या सामन्त स्वयं खेती नहीं करते थे, वे किसानों को अपनी भूमि दे देते थे, जो श्रमिक दासों के जरिए उस पर खेती – बाड़ी करते थे। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित हो गया – एक ओर भूमिपति और व्यापारी थे जिनके हाथ में सत्ता थी, जबकि दूसरी ओर किसान तथा दास थे, जिनका शोषण किया जाता था।

4. **पूंजीवादी राज्य (Capitalist State) :** मशीनों के आविष्कार से बड़े–बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी। हाथ से काम करने वाले कारीगरों के लिए गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाना उनकी मजबूरी हो गयी। उद्योगपतियों को इस तरह सस्ते मजदूर मिलने लगे। उद्योगपतियों ने कारखाने खोलकर श्रमिकों का शोषण किया और वे दिन–प्रतिदिन अधिक धनवान बनते चले गये। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बंट गया – पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। लोकतंत्र बिल्कुल सीमित था, क्योंकि अधिकांश भाग में श्रमिक वर्ग आर्थिक अभाव के कारण शोषित था, तथा राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं पर पूंजीपति वर्ग का

नियंत्रण था। इस पूंजीवादी शोषण के विरूद्ध मजदूर वर्ग क्रांति करेगा और पूंजीवादी राज्य को नष्ट कर देगा।

5. **संक्रमण कालीन राज्य तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही (Transitional state and dictatorship of the Proletariat)** : पूंजीवादी राज्य को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही की स्थापना करेगा तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा। समाजवादी समाज में सभी वर्ग समाप्त हो जायेंगे। जिस प्रकार एक फूल अपने पूर्ण विकास के बाद स्वयंमेव मुरझा जाता है उसी प्रकार अंतः में राज्य–रूपी फूल की पंखुड़ियां भी कुम्हलाकर या म्लान होकर गिर जाएंगी और यह संस्था पृथ्वी से लुप्त हो जायेगी। राज्य के लोप होने के पश्चात् आदर्शवादी समाजवादी समाज की स्थापना होगी। इसमें मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा। "प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकतानुसार मिलेगा।" (Everyone will work according to his capacity and will get according his needs.)

एंजिल्स ने इस संबंध में लिखा है, "अंत में जब राज्य समूचे समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है, तो अपने को फालतू बना देता है, उस समय समाज के किसी अंश को पराधीन बनाकर रखने वाला कोई वर्ग नहीं होता, इसलिए इस समय दमन करने योग्य कोई तत्व न होने के कारण राज्य की दमनकारी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अतः राज्य का अंत नहीं किया जाता, बल्कि इसकी व्यवस्था स्वयं विलुप्त होकर समाप्त हो जाती है। एंजिल्स ने 'परिवार' व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा राज्य का उदगम में कहा है कि वह युग आने वाला है, जब राज्य संग्रहालयों में रखी जाने योग्य वस्तुएं चरखे या कांसे के कुलहाड़ी की भांति अतीत काल की वस्तु बन जाएगा।"

मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा की आलोचना (Criticism of concept of State of Marxism)

1. **दो वर्गों का सिद्धांत–गलत (The theory of two classes is wrong)** : इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग हैं, जबकि वास्तव में वर्तमान समाज में तीन मुख्य वर्ग हैं – पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग, इसलिए द्विवर्गीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2. **राज्य का आधार बल नहीं है (Force is not the basis of State)** : मार्क्स के अनुसार राज्य बल पर आधारित है, यह एक गलत धारणा है, क्योंकि बल राजनीतिक संस्था का स्थाई आधार नहीं हो सकता। इसलिए राज्य टी॰एच॰ ग्रीन के अनुसार "इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है।" (Will not the force, is the basis of the state.)

3. **आर्थिक तत्वों पर अत्याधिक बल (Too much emphasis on economic factors)** : कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में आर्थिक तत्वों पर अधिकाधिक बल दिया है तथा अन्य तत्वों की अवहेलना की है। मार्क्स की यह धारणा गैर ऐतिहासिक है।

4. **राज्य वर्ग, संघर्ष का परिणाम नहीं है (State is not a result of class struggle)** : मार्क्सवादी सिद्धांत की यह धारणा कि राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है – गलत है, क्योंकि राज्य एक विकसित संस्था है, निर्मित नहीं (State is a growth not a make)

5. **राज्य रहित समाज–एक कल्पना (Stateless society is an imagination)** : मार्क्स की यह धारणा कि पूंजीवादी राज्य के समाप्त होने के पश्चात् मजदूर वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी, वर्गरहित समाज की

स्थापना होगी, वर्गों के समाप्त होने पर राज्य भी समाप्त हो जाएगा, यह एक कल्पना मात्र है, क्योंकि रूस, चीन, तथा विश्व के अन्य साम्यवादी राज्यों में मजदूर वर्ग की तानाशाही सुदृढ़ होती जा रही है। इन देशों में, न तो वर्ग रहित समाज की स्थापना हुई, और न ही राज्य समाप्त हुआ।

1.4.20 निष्कर्ष (Conclusion)

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी साम्यवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। गैटल के मतानुसार "प्रारम्भिक व्यक्तियों" की आर्थिक गतिविधियों ने राज्य की उत्पत्ति में कई पक्षों ने हिस्सा डाला है। धन और देशों के भेद–भाव ने सामाजिक श्रेणियां या जातियां पैदा की। आर्थिक शोषण के लिए एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर प्रभुसत्ता, सरकार के विकसित होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण था। दौलत की वृद्धि और सम्पत्ति का विचार विकसित होने के कारण सम्पत्ति के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें नियमित करने संबंधी और संबंधित झगड़ों का निर्णय करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ी।"

1.4.21 मुख्य शब्दावली

1.4.22 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. हाब्स, लॉक व रूसों के विचारों के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करो।

   (Critically examine the Social Contract Theory with special reference to the views of Hobbes, Locke and Rousseau.)

2. "राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बुरा इतिहास, बुरा दर्शन और बुरा कानून कहा गया है।" विवेचना कीजिए।

   (The Social Contract Theory about the origin of the State has been described as bad history, bad philosophy and bad law. Discuss)

3. रूसों की 'सामान्य इच्छा' की अवधारणा की व्याख्या व आलोचना कीजिए।

   (State and critcise Rousseau's Concept of General Will.)

4. "राज्य बनाया नहीं गया, अपितु विकास हुआ है।" व्याख्या करो।

   (The State is a growth and not a make. Explain)

5. राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से कौन–सा सिद्धांत आपको सर्वाधिक मान्य है? अपने विचारों के पक्ष में तर्क दें।

   (Which of the various theories of the origin of the State is most acceptable to you? Give reasons to support your views.)

1.4.23 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.

- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.5 राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण

1.5.1 परिचय

गार्नर (Garner) के अनुसार ''राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्यों के विषय में प्रत्येक विचारधारा कुछ विशेष सिद्धान्तों की समर्थक है, और ये सिद्धान्त रूप एवं तथ्य की दृष्टि से बहुधा भिन्न हैं।'' (Each is partisam of particular theories regarding the origin, nature, sphere, function and ends of the state and their various theories often differ, one from another in form and substance.) प्रत्येक विचारक ने अपने–अपने दृष्टिकोण के अनुसार राज्य पर विचार किया है और उसे उन लक्ष्यों से युक्त माना है जो उसकी विचार प्रणाली के अनुसार होते हैं। उदाहरणार्थ, समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तत्य के रूप में मानते हैं; इतिहासकार इसको ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं; नैतिक दार्शनिक इसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संस्था मानते हैं; मनोवैज्ञानिक इसको एक ऐसा संगठन मानते हैं जो अपनी इच्छा भौतिक कानूनों के अनुसार प्रकट करता है; राजनीति शास्त्री इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं, जो शांति और व्यवस्था हेतु बनी है; और विधि शास्त्री इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो कानूनों की उत्पत्ति और कानूनों के अधिकारों की रक्षा हेतु बनी है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

1.5.2 उद्देश्य

- राज्य से संबंधित मार्क्सवादी धारणा को जानना।
- उदारवादी दृष्टिकोण की राज्य के विकास में भूमिका को समझना।
- राज्य के बारे में गाँधी जी के आर्दश राज्य की परिकल्पना को जानना।
- मार्क्सवादी व उदारवादी धारणा का तुलनात्मक अध्ययन करके राज्य के बारे में जानना।

1.5.3 राज्य सम्बन्धी मार्क्सवादी धारणा / राज्य के स्वरूप सम्बन्धी मार्क्सवादी धारणा

(Marxian Views of the State / Marxian View of the nature of State)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) द्वारा विश्व को एक महत्वपूर्ण विचारधारा दी गई जिसे (Communism), वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की महान कृतियों में कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (Communist Manifestio) और दास कैपिटल (Das Capital) विशेष रूप से वर्णनीय है। फ्रैड्रिक एंजिल्स (Fredirick Engnles) नाम का एक और जर्मन नागरिक कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का घनिष्ट मित्र था। कार्ल मार्क्स की रचनाओं को पूरा करने में एंजिल्स (Engles) की बहुत अधिक देन थी। एंजिल्स की कुछ अपनी रचनाएँ थी। ''परिवार निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति (Origin of the Family, Private Porperty, and state) कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के शिष्यों में लेनिन (Lenin) की भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ जिन में से प्रमुख 'राज्य और क्रान्ति' (State and Revolution) विशेष रूप में वर्णनीय है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx), एंजिल्स (Engles) और लेनिन (Lenin) ने राज्य संबंधी जो विचार अपनी कृतियों में व्यक्त किए हैं। उनको, सामूहिक रूप में ''राज्य की मार्क्सवादी धारणा'' (Marxian Nation of the State) कहा जाता है। राज्य सम्बन्धी मार्क्यवादी धारा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

राज्य वर्ग–संघर्ष की उत्पत्ति है (State-result of Class Struggle)

मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग–संघर्ष की उत्पत्ति है। आदिम साम्यवादी समाज में राज्य नहीं था। क्योंकि उस समय समाज में वर्ग नहीं थे। परन्तु जैसे ही समाज में साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हुई और व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय के साथ–साथ समाज दो वर्गों में बंट गया और राज्य की भी स्थापना हो गई। अतः विभिन्न वर्गों के संघर्ष के कारण राज्य का जन्म हुआ। लेनिन (Lenin) के शब्दों में ''कहाँ, कब और किस हद तक राज्य का जन्म होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कब, कहाँ और किस हद तक राज्य विशेष के विरोध में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता और इसके व्यक्तिक्रम से राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग सम्बन्धी विरोध में भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है।'' (Where, when and to what extent, the state arises depends directly on when, where and to what extent the class antagonisms of a given society can not be objectively reconciled, and coversely, the existence of the State proves that class antagonism are irreconcilabl.)

शोषक पक्ष का समर्थक (Protector of Exploiting Class)

मार्क्स (Marx) के अनुसार, ''राज्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह तो उसका समर्थक रहा है, जिसका उत्पादन के साधनों पर प्रभुत्व होता है। राज्य की सत्ता का प्रयोग शीर्षक वर्ग अपने हितों के लिए करता है, और राज्य श्रमिकों का शोषण करने में पूंजीपतियों का समर्थन करना है।'' एंजिल्स (Engels) ने कहा है ''राज्य एक शोषण के यन्त्र से अधिक कुछ नहीं है, जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के विरूद्ध प्रयोग किया जाता है।'' (State is nothing but an instrrument of exploitation which is being used by one class against another.)

सावर्जनिक कल्याण का विरोधी (Welfare state is means to save capitalist system)

राज्य जनता के हित का विरोधी है। राज्य पुलिस, सेना व कानून की व्यवस्था को जनता के हित में बताकर पूंजीपतियों की रक्षा करता है। राज्य यातायात, संचार की व्यवस्था की उन्नति भी वास्तव में पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर ही करता है। जन–कल्याण का नाम लेकर राज्य के पूंजीपतियों का पोषण करता है।

राज्य केवल कष्टदायक (State-An exploiting Institution)

मार्क्य (Marx) के अनुसार, राज्य सदैव कष्टदायक रहा और रहेगा। राज्य तो गरीबों, श्रमिकों तथा अन्य असहाय लोगों को कष्ट देने का एकमात्र साधन है। मार्क्स (Marx) ने स्वयं लिखा है ''राज्य का बल एक ऐसी चक्की है। जो शोषित वर्ग को पीस डालती है।''

सर्वहारा–वर्ग का अधिनायकत्व तथा राज्यविहिन काल की कल्पना (Dictatorship of Proletariat and Withering of State)

मार्क्स (Marx) का विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूंजीवाद का नाश हो जाएगा। श्रमिक वर्ग संगठित होकर एक दिन क्रान्ति द्वारा पूंजीपतियों से सत्ता छीन लेंगे और श्रमिक वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी। मार्क्स (Marx) ने अपने ग्रन्थ (Critique of the Grotha Programme) में लिखा है कि, ''पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक–दूसरे में परिवर्तन होने का क्रान्तिकारी काल रहा। इसी के अनुरूप एक राजनीतिक संक्रान्ति काल (Interim Period) भी होता है जो केवल क्रान्तिकारी श्रमजीवी की तानाशाही हो सकता है।'' सेबाइन (Sabine) ने लिखा है ''वर्गहीन समाज में भी अधिक महत्वपूर्ण काल आधिनायकवाद का था। मार्क्स तथा एंजिल्स (Marx and Engles) के अनुसार सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के तुरन्त बाद यह स्थापित होता है। इस अवस्था में यह

कल्पना की जाती है कि सर्वहारा वर्ग शक्ति छीन लेता है और एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जो अपनी ओर से बल का प्रयोग करता है। जब पूंजीवाद का पूर्ण विनाश हो जाएगा और राज्य समस्त समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाएगा तब राज्य आवश्यक हो जाएगा। एंजिल्स (Engles) ने इस सम्बन्ध में लिखा है, ''अन्त में जब राज्य समूचे समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है तो अपने को फालतू बना देता है। इसलिए राज्य का अन्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी व्यवस्था स्व्यंमेव विलुप्त होकर समाप्त हो जाती है।'' मार्क्स ने परिवार, वैयक्तिक सम्पत्ति तथा राज्य का उदगम् में कहा है कि ''वह युग आने वाला है जब संग्रहालय में रखी जाने योग्य प्राचीन वस्तुओं – चरखे या कांसे के कुल्हाड़े की भाँति अतीत काल की वस्तु बन जाएगें।'' जिस प्रकार फूल अपने पूर्ण विकास के बाद स्वयंमेव मुरझा जाता है, उसी प्रकार अन्त में राज्यरूपी फूल की पंखुड़ियाँ भी कुम्हला कर या म्लान होकर गिर जाएगी और यह संस्था पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी।

1.5.4 मार्क्सवादी धारणा की आलोचना

(Criticism of Marxian Views)

राज्य संबंधी मार्क्सवादी धारणा की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है :–

अनैतिहासिक (Unhistorical)

यह ऐतिहासिक सत्य है कि राज्य का जन्म इतिहास की किसी तिथि को नहीं हुआ है, अपितु समय की गति के साथ–साथ विकास हुआ है। राज्य की उत्पत्ति इतिहास के किसी विशेष काल में नहीं हुई थी, वरन् इसका धीरे–धीरे विकास हुआ है। मार्क्सवादी विचारधारा का यह विचाा सही नहीं है कि आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली श्रेणी ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए राज्य रूपी राजनीतिक संस्था का विकास किया।

विभाजन दो परस्पर विरोधी आर्थिक वर्गों में सम्भव नहीं है। (Division into two Mutual Hostile classes-not possible)

मार्क्सवादी धारणा का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता, कि राज्य की उत्पत्ति समाज के दो परस्पर विरोधी आर्थिक वर्गों में विभाजित किये जाने के कारण हुई थी। परस्पर आर्थिक वर्गों के अस्तित्व से कोई भी समाज बच नहीं सकता है। परन्तु समाज का यह वर्ग–विभाजन राज्य की उत्पत्ति का एक ही कारण नहीं हो सकता।

श्रेणी विभाजन को कठोर रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता है। (Class Division cannot be rigidly fixed)

मार्क्सवादी धारणा ने समाज में श्रेणी विभाजन को कठोर रूप से निश्चित किया है, जोकि व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। किसी भी समाज में केवल दो ही श्रेणियाँ नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ लोगों की मध्य श्रेणी (Middle class) है वहाँ निम्न स्तर की मध्य श्रेणी (Lower class) और उच्च स्तर की मध्य श्रेणी भी पाई जाती है।

राज्य वर्ग संगठन नहीं है (State is not a class organisation)

ऐंजल्स और लेनिन दोनों ही इस विचार के हैं कि राज्य समाज के वर्ग विरोध को नियंत्रित करने के लिए अस्तित्व में आया था। ऐंजल्स (Engles) का कथन है कि ''राज्य की उत्पत्ति वर्ग विरोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण हुई थी परन्तु साधारणतया राज्य सर्वाधिक सशक्त और आर्थिक पक्ष से मुख्य वर्ग का राज्य है। यह वर्ग राज्य के साधन द्वारा राजनीतिक पक्ष से भी मुख्य वर्ग बन गया है। इस तरह इसमें दलित वर्ग को दबाए रखने के लिए और उनका शोषण करने के लिए एक नया साधन प्राप्त कर लिया है।'' ("The state arose from the nee to hold clas antagonism in check-it is, as a rule, the State of the most powerful economically dominant class

which/through the medium of the State becomes also the politically dominant class and that acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class.") ऐंजल्स (Engles) का यह विचार ठीक नहीं, कि राज्य आर्थिक पक्ष से सशक्त वर्ग का शोषक साधन है।

विश्व व्यापक सिद्धान्त नहीं (It cannot be a universal theory)

इस विशाल विश्व के विभिन्न भागों में विकसित हुई। राज्य की उत्पत्ति के विषय में एक ही सिद्धान्त स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता। यह एक स्थापित सत्यता है कि राज्य एक दीर्घ विकासक्रम की प्रक्रिया का परिणाम है। ऐंजल्स (Engles) और लेनिन (Lenin) के विकासवादी सिद्धान्त को विश्वव्यापक नहीं माना जा सकता।

एक विशेष दृष्टिकोण वाला सिद्धान्त (A theory with a specific approach)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपनी समस्त विचारधारा को एक ही दृष्टिकोण से देखा है। वह दृष्टिकोण आर्थिक तथ्य पर आधारित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। मार्क्स (Marx) ने इतिहास का इस दृष्टिकोण से ही सर्वेक्षण किया है, उसमें लगभग प्रत्येक महान् ऐतिहासिक घटना या शक्ति को अन्तिम रूप में उत्पादन की विधि के साथ सम्बंधित किया है। ऐंजल्स (Engles) और लेनिन (Lenin) भी मार्क्सवाद के भौतिकवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।

सम्पत्तिशाली वर्ग के हितों का सुरक्षित यन्त्र नहीं (State/cannot be the protective mechanism of the interest of propertied class only)

यह ठीक है कि आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली वर्ग के लोगों का राज्य के कार्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, और राजनीतिक शक्ति सम्पत्तिशाली और पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही होती है पर इसके बावजूद राज्य को केवल पूंजीपति वर्ग के हितों पर सुरक्षित यन्त्र नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसा होता तो आधुनिक लोकतन्त्रीय युग में लोकशक्ति ने राज्य की संस्था को बिल्कुल ही समाप्त कर देना था।

राज्य विलुप्त नहीं हुआ है (State has not withered away)

मार्क्सवादी धारणा का यह मत था कि श्रमिकों का अधिनायकतन्त्र पूँजीपतियों का नाश करके समाज को श्रेणी रहित बना देगा। ऐसे रेणी रहित समाज मे ंराज्य धीरे–धीरे विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रेणियों को अस्तित्व न होने के कारण राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, परन्तु वास्तव में यह सभी कुछ नहीं हुआ। सोवियत रूस, चीन और अन्य समाजवादी देशों में भी राज्य विलुप्त नहीं हुआ है।

निष्कर्ष (Conclusion)

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि राज्य सम्बंधी मार्क्सवादी धारणा इतिहास के सत्यों और व्यावहारिक तथ्यों के पूर्ण अनुकूल नहीं है, परन्तु इस धारणा की इस सच्चाई को रद्द नहीं किया जा सकता कि आर्थिक तत्वों ने राज्य की उत्पत्ति, अस्तित्व और कार्यकुशलता सम्बंधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी सत्य है कि आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली लोग ही राजनीतिक पक्ष से भी शक्तिशाली होते हैं। संक्षेप में, मार्क्सवादी धारणा ने केवल आर्थिक पक्ष को बहुत अधिक महता दी है और राज्य सम्बंधी दूसरे तथ्यों को आंखों से ओझल करके राज्य के सम्बन्ध में अधूरी तस्वीर प्रस्तुत की है।

1.5.5 उदारवादी दृष्टिकोण (Liberalism View)

उदारवाद (Liberalism) एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। इस विधारधारा का प्रारम्भ 16वीं – 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस विचारधारा को विकसित करने में एडम स्मिथ (Adam Smith) और रिकार्डो (Ricardo) आदि

अर्थशास्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस विचारधारा को विकसित करने में हाब्स (Hobbes), लास्की (Laski), बार्कर (Barker) मैकाईवर (Maciver) आदि विद्वानों ने भी उदारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

1.5.6 उदारवादी दृष्टिकोण के रूप

उदारवाद के प्रमुख दो रूप हैं :–

1. शास्त्री उदारवादी (Classical Liberalism)

उसका एक रूप शास्त्रीय उदारवादी (Classical) है। जिसका मुख्य समर्थक एडम स्मिथ, (Adm Smith) जान लॉक (John Locke) आदि विद्वान थे।

2. समकालीन उदारवादी (Contemporary Liberalism)

इसका दूसरा तथा अन्तिम रूप समकालीन उदारवादी (Contemporary Liberalism) है। जिसकें समर्थकों मे टी. एच. ग्रीन (T.H. Green) लॉस्की (Laski) मैकाईवर (Maciver) आदि समर्थकों के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं।

1.5.7 उदारवाद का अर्थ
(Meaning of Liberalism)

एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty) और उसकी मानमर्यादा की रक्षा करे। उदारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि ''व्यक्ति को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।'' लॉस्की के अनुसार ''इसमें कोई सन्देह नहीं कि उदारवाद का सीधा सम्बंध स्वतंत्रता से है।'' ("Liberalism is no doubt, directly related to freedom") अभिप्राय यह है कि सरकार अथवा समाज व्यकित पर अनुचित दबाव न डाले। व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने ढंग से अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सके। एडवर्ड स्मिथ (Edward Smith) लिखता है कि, ''उदारवाद एक तरह से 'अनुदारवाद' और उग्रवाद के बीच का मार्ग है।'' (Liberalism stands midway between conservatism and radicalism") उदारवादी ''व्यक्ति के स्वतन्त्र और भरपूर विकास'' (freest and fullesrt development) में विश्वास रखते हैं और उन कानूनी प्रथाओं व विश्वासो का खात्मा चाहते हैं जो मानवीय विकास में बाधक है। हॉबहाऊस (Hobbhouse) अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'उदारवाद' (liberalism) में लिखता है कि, ''उदारवाद की मान्यता यह है कि व्यकित एक 'यंत्र' न होकर सजीव आत्मा (Living spiritual energy) है। एक सजीव व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतन्त्रता का वातारण चाहिए।'' अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कोई 'जड़ पदार्थ' या 'कल पुर्जा' नहीं है जिसे जहाँ चाहा, वहां फिट कर दिया। वह भले बुरे के बीच अन्तर कर सकता है। इसलिए राज्य अथवा समाज जबरदस्ती उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता।

1.5.8 राज्य सम्बंधी उदारवादी दृष्टिकोण
(Liberal View about Stake)

उदारवादी के राज्य सम्बंधी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता हैः–

मानवीय स्वतन्त्रता का पोषण (Supporter of human freedom)

उदारवाद का मूल सिद्धान्त है कि मनुष्य जनम से ही स्वतन्त्र है और स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध

अधिकार है। स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन पर किसी स्वेच्छाकारी सत्ता का नियन्त्रण न हो और उसे अपने विवके के अनुसार आचरण, ''उदारवाद का स्वतन्त्रवाद हो लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''उदारवाद का स्वतन्त्रता से सीधा सम्बंध है क्योंकि इसका जनम समाज के किसी वर्ग के द्वारा अथवा धर्म पर आधारित विशेषाधिकारों का विरोध करने के लिए हुआ है।''

मानवीय विवके में आस्था (Faith n Human Logic)

उदारवाद का मूल सिद्धान्त मानवीय बुद्धि और विवके में आस्था है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में जान लॉक और टॉमस पेन जैसे उदारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को किसी भी ऐसे सिद्धान्त, कानून या परम्परा को नहीं मानना चाहिए जिसकी उपयोगिता बुद्धि से सिद्ध न होती हो। टामस पेन ने रूढ़िवादी परम्पराओं को चुनौती देते हुए कहा कि ''मेरा अपना म नही मेर चर्च है।''

राज्य एक मानव–निर्मित संस्था (State is a man-made institution)

उदारवादियों के विचारानुसार राज्य प्राकृतिक संस्था न होकर एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपने हित के लिए की है। आधुनिक उदारवादी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं।

राज्य एक अनिवार्य संस्था है (State is a necessary Institution)

उदारवादी राज्य के एक आवश्यक संस्था मानते हैं। प्रारम्भिक उदारवादियों हाब्स (Hobbes), एडम स्मिथ (Adm Smith) हरबर्ट स्पैन्सर (Herbert Spencer) ने राज्य को 'एक आवश्यक बुराई' बताया है। राज्य 'बुराई' इसलिए है क्योंकि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करते हैं। परन्तु राज्य 'आवश्यक' भी है क्योंकि इसके बिना शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती।

इतिहास तथा परम्परा का विरोध (Opposition to History and tradition)

मध्य युग में अन्धविश्वास और रूढ़िवादी परम्पराओं का बोलबाला था। उदारवाद अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरूद्ध विद्रोह था। उदारवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हीं संस्थाओं, सिद्धान्तों तथा कानूनों इत्यादि को स्वीकार किया जाए, जो विवके संगत हो उदारवाद के प्रभाव के कारण ही इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में क्रांतिया हुई।

राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य (State is the means and individual is the end)

उदारवाद राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना ही राज्य का उद्देश्य है। लॉक (Locke) का कथन है कि राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए साधन मात्र है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

राज्य की शक्तियाँ सीमित हैं (Limited Powers of the state)

उदारवादी सिद्धान्त राज्य को शक्ति का प्रतीत नहीं मानते हैं। उदारवादी राज्य को निरकुंश और असीमित शक्तियाँ देने के पक्ष में नहीं है।

उनके मतानुसार राज्य को कानून की सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिए। ग्रीन के अनुसार ''राज्य का निर्माण केवल सर्वोच्च दण्ड शक्ति से नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी सर्वोच्च दण्ड शक्ति से होता है जिसे किसी साधन तथा उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए अर्थात जिसका प्रयोग लिखित अथवा अलिखित कानून तथा अधिकारों को बनाए रखने के लिए किया जाए।''

राज्य का आधार–प्रजातन्त्र (Democracy is the basis of the state)

आधुनिक उदारवादियों के विचारानुसार राज्यसत्ता किसी वर्ग के पास न होकर विभिन्न वर्गो में बंटी होती है। प्रजातन्त्र में चुनाव होते हैं और समाज के सभी वर्गों के सदस्य राज्यसत्ता पर अपना दबाव डालते हैं। इन समाजों में नागरिकों को व्यस्क मताधिकार, स्वतन्त्र तथा नियमित चुनाव, प्रतिनिधि संस्थाए, प्रमाणिक अधिकार – जैसे भाषण की स्वतन्त्रता, समुदाय बनाना, विरोध करने का अधिकार आदि प्राप्त होते हैं।

संवैधानिक शासन (Constitutional Government)

उदारवाद का उदय निरंकुश एवं स्वेच्छाकारी शासन की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसलिए उदारवाद निरंकुश शासन का विरोधी है। उदारवाद सीमित सरकार अर्थात सरकार की सीमित शक्तियों का समर्थन करता है।

व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणाा (Belief in the Concept of Natural Rights of Man)

उदारवाद व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यकित को जन्म से प्राप्त होते हैं। लॉक (Locke) के अनुसार, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य का कर्त्तव्य प्राकृतिक अधिकार है। राज्य का कर्तव्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रारम्भिक उदारवादी सिद्धान्तों के राज्य सम्बंधी विचार स्वीकार नहीं किए जा सकते और इनको आधुनिक उदारवादी पहले ही परिवर्तित कर चुके हैं। इसलिए आधुनिक उदारवादियों की राज्य की धारणा का महत्व अत्यधिक है।

राज्य के स्वरूप सम्बंधी गाँधीवादी विचार (Gandhi view about the nature of State)

महात्मा गाँधी राजनीतिक विचारक नहीं थे। गांधी जी का बहुधा अराजकतावादी कहा जाता है। वे अराजकतावादियों की तरह राज्य का किसी भी रूप में विरोध करते थे। वे अन्य अराजकतावादियों की तरह राज्य–विहान समाज को आदर्श समाज मानते थे, परन्तु वे वाकुनिन (Bakunin) और क्रोपटाकिन (Kroptkin) की तरह क्रान्तिकारी अराजकतावादी नहीं थे। गाँधी जी (Gandhiji) ने कभी भी हिंसा के प्रयोग का समर्थन नहीं किया। गाँधी (Gandhi) ने अपने आदर्श राज्य को 'राम राज्य' और राज्य–विहीन लोकतन्त्र कहा है। गाँधीजी (Gandhiji) ने कहा है कि ''गाँधीवाद कोई वस्तु नहीं है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने किसी नये सिद्धान्त की रचना की है। मैंने केवल अपनी विधि के अनुसार अनन्त सत्य को दैनिक जीवन और समस्याओं में लागू करने का प्रयत्न किया है। जिन विचारों का मैंने निर्माण किया है या जिन निष्कर्षों पर मैं पहुँच हैं, वे अन्तिम नहीं है। मैं उनका कल ही परिवर्तित कर सकता हूँ। ("There is no such thing as Gandhism and I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths through out daily life and problems. The things I have formed and the conclusion, have arrived at ar not final. I may change them tomarrow.")

यद्यपि गाँधीजी ने अपने विचारों को किसी विशेष वाद (Ism) का नाम देने का संकोच किया है, परन्तु फिर भी गाँधी जी की कृतियाँ और उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में राज्य सम्बंधी कुछ महत्वपूर्ण विचार अवश्य मिलते हैं। गाँधी जी के ऐसे विचारों को ही सामूहिक रूप से राज्य की गाँधीवादी विचार धारा (Gandhian Thought) कहा जाता है। इस धारणा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

एक आत्मा रहित यन्त्र है (A Soulless Machine)

गांधी (Gandhi) जो सत्य अहिंसा के मुख्य समर्थक थे। राज्य रूपी संस्था का वर्तमान रूप उनके ऐसे सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता था। इसलिए वे राज्य के विरूद्ध थे और एक दार्शनिक अराजकतावादी की तरह (Philosophical Anarchist) उन्होंने राज्य का खंडन किया था। राज्य एक 'आत्मा रहित यन्त्र' है इसकी शक्ति व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। गाँधी जी (Gandi) ने कहा था कि "राज्य संगठित और सामूहिक रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति की 'आत्मा' है, परन्तु राज्य 'आत्मा—रहित यन्त्र' है। यह हिंसा से कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका अस्तित्व हिंसा पर आधारित है। ("The state represents violence in a concentrated and organized form. The individual has a soul but state is a 'soulless machine', it can never be weaned away from violence to which it owes its very existence.")

मनव विकास का विरोधी (Against man's Development)

गँाधी जी (Gandhiji) ने राज्य को मानव विकास का विरोधी बताया है। व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुण होते हैं जिनका वह स्वतन्त्र वातावरण में विकास कर सकता है। राज्य की शक्ति मनुष्य की स्वतन्त्रता और उसकी व्यक्तित्व के लिए घातक है। गाँधी (Gandhi) ने कहा था कि, "मैं राज्य की शक्ति में किसी भी तरह की वृद्धि को अधिकतम भय की दृष्टि से देखता हूँ। यद्यपि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य कानून द्वारा शोषण कम करने में जनहित कर रहा है। राज्य मनुष्य मात्र को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तिगत विशेषता का नाश होता है जो सभी प्रकार की उन्नति की जड़ है।"

राज्य एक साधन है, साध्य नहीं (State is a mean not an end)

गाँधी जी (Gandhiji) व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे और इस कारण उन्होंने राज्य के प्रभुत्व सिद्धान्त का खंडन किया है। वे हीगल (Heagel) या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा मानें। गाँधी जी (Gandhi) ने खुद कहा था, "मेरे लिए राज्य साध्य नहीं है। यह अन्य साधनों में से एक ऐसा साधन है जो लोगों के जीवन को रहने लायक बनाता है, राज्य राजनीतिक शक्ति का एक साधन है, जो राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन को नियमित करने की एक योग्यता रखता है।" ("To me Political Power is not an end but one of the means for enabling people to better their conditions in every department of life. Political Power means capacity to regulate national life through nation representatives.")

राज्य एक आवश्यक बुराई (State is a necessary evil)

सैद्धान्तिक रूप में गांधी जी राज्य के अस्तित्व के विपक्ष में थे, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में वे राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय मे मानव—जीवन इतना पूर्ण नहीं की वह स्व—संचालित होक सकें। इसलिये समाज में राज्य और उसकी राजकीय शक्ति की आवश्यकता है। राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी (Gandhiji) ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को अधिक से अधिक कम करने का प्रयत्न किया है।

राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम (Minimum field of state activities)

गांधी जी (Gandhiji) व्यक्तिवादियों की तरह राज्य के कार्य—क्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में थे। उनका विचार था

कि यदि राज्य की शक्तियों को सीमित न किया गया, उनके कार्य क्षेत्र पर यदि प्रतिबन्ध न लगाए गये तो वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगा, जिससे व्यक्ति का विकास रूक जाएगा। इसलिए उन्होंने राज्य को कार्यक्षेत्र को सीमित करने का सुझाव दिया। राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। गांधी जी (Gandhiji) ने कहा था कि, ''स्वराज्य का अर्थ यह है कि ''व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतन्त्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो और चाहे राष्ट्रीय।''

1.5.9 गाँधी जी का आदर्श राज्य (Ideal State of Gandhiji)

गाँधी जी (Gandhiji) वर्तमान समाज तथा राज्य की भूमिका से संतुष्ट नहीं थे। वे राज्य को एक अप्राकृतिक अनैतिक और हिंसक संस्था मानते थे, जो व्यक्ति के विकास और उन्नति में बाधक थी। इसलिए वे इस स्थान पर आदर्श राज्य या समाज अथवा अहिंसक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। गाँधी जी ने जिस आदर्श राज्य अथवा समाज की कल्पना की थी, उसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

अहिंसात्मक समाज (Non-Violent Society)

गाँधी जी (Gandhiji) अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज की स्थिति मानते हैं। जिसमें राज्य की शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आदर्श राज्य (Ideal State) में प्रत्येक व्यक्ति स्वंय अपना शासक होगा। वह अपने ऊपर इस प्रकार से शासन करेगा। जिससे की वह अपने पड़ोसी के लिए बाधा न बने। आदर्श राज्य में राजनीति सत्ता नहीं होगी, फिर भी वे समाज में पुलिस, जले, सेना तथा न्यायालयों को बनाए राने के पक्ष में थे, क्योंकि समाज में कुछ असमाजिक तत्वों को दबाने व उन पर नियंत्रण करने के लिए इनकी आवश्यकता है।

शासन का रूप लोकतान्त्रिक (Democratic System)

गाँधी (Gandhi ji) के आदर्श राज्य में शासन पद्धति पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक होगी। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। आदर्श राज्य में बहुमत के द्वारा निर्णय लिये जाएंगे, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अल्पमत को दबाया जाएगा। गाँधी बहुमत को शासन करने की शक्ति देने के पक्ष में थे। परन्तु वे चाहते थे कि बहुमत अल्पसंख्यक पर अत्याचार न करे।

न्याय (Justice)

गाँधी जी (Gandhiji) राजनीतिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। वे एक केन्द्रीकृत राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का बहुत बड़ा शत्रु मानते थे। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए गाँधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन गाँधी के ऊपर जो प्रशासनिक इकाइयाँ हो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होना चाहिए। इस प्रकार देश के शासन की असली शक्ति गाँवों में केन्द्रित होगी।

धर्म निरपेक्ष समाज (Secular Society)

गाँधी (Gandhiji) के आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता होगी। धर्म का निजी मामला है, इसीलिए समाज की कोई भी संस्था व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं माना जाएगा। गाँधी जी का दृढ विश्वास था कि राज्य को कोई धर्म नहीं अपनाना चाहिए तथा राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होने चाहिए।

आर्थिक विकेन्द्रीकरण (Economic Decentralisation)

गाँधी जी को आदर्श राज्य में आर्थिक विकेन्द्रीकरण से यह तात्पर्य था कि बड़े उद्योगों के स्थान पर गृह उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। गाँधी जी का विचा था कि ऐसा करने से बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं और खींचातानी समाप्त हो सकती है। इसी कारण ही गाँधी जी ने खद्दर और दूसरी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया था। उनका विचार था कि गृह उद्योगों द्वारा लोगों में आत्म विश्वास और काम करने का सामर्थ्य बढ़ेगा।

वर्ण प्रणाली (Varna System)

गाँधी जी (Gandhiji) जाति प्रणाली के बहुत विरूद्ध थे, परन्तु वर्ण प्रणाली पर उनका पूर्ण विश्वास था। गाँधी जी के विचार में वर्ण प्रणाली के कई गुण हैं। इस प्रणाली के अधीन प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के कामों को अपनाने का यत्न करेगा। वर्ण प्रणाली के अनुसार जब व्यक्तियों को अपने कार्य के अनुसार समान रूप से पारिश्रमिक मिलेगा और किसी को भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं समझा जाएगा। व्यक्ति अपने–अपने पूर्वजों के कामों को ही ग्रहण करेंगे तथा इस तरह सामाजिक एकता को भी बल मिलेगा।

संरक्षण प्रणाली (Trusteeship System)

गाँधी जी ने आदर्श राज्य या आदर्श समाज में 'संरक्षक प्रणाली' लागू होगी। इसका तात्पर्य यह है कि धनी व्यक्तियों को ऐसे समाज में अधिक से अधिक धन कमाने और सम्पत्ति बनाने का अधिकार उन धनी व्यक्तियों को नहीं हो सकता। धनी व्यक्ति फालतू धन और सम्पत्ति के केवल संरक्षक होंगे और वह ऐसे धन का प्रयोग निजी कार्यों के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए करेंगे।

शारीरिक कार्य आवश्यक (Manual Work Essential)

गाँधी जी (Gandhiji) की विचारधारा में हाथ के कार्य का बहुत ऊँचा स्थान था। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार हाथ का कार्य अवश्य करना चाहिए। हाथ से कार्य करने के सिद्धान्त को लागू करने से श्रेणियों का अन्तर भी समाप्त हो जाएगा और धनी और निर्धन का अन्तर भी समाप्त हो जायेगा और धनी और निर्धन व्यक्तियों में समानता और परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी।

गाँधी जी (Gandhiji) के आदर्श समाज में 'रोटी के लिए श्रम' (Bread Labour) का सिद्धान्त लागू होगा। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यकित को इतना काम करना पड़ेगा जितने काम के साथ वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। पुलिस और दूसरे अधिकारी लोगों के स्वामी नहीं, अपितु सेवक होंगे। गाँधीजी का आदर्श समाज अहिंसा पर आधारित अध्यात्मिक लोकतन्त्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाँधी जी का आदर्श राज्य स्वर्गीय अवस्था की कल्पना करता है। परन्तु ऐसा राज्य वास्तव में समीव नहीं हो सकता है। यह कल्पना पर आधारित एक आदर्श राज्य है।

1.5.10 निष्कर्ष

राजनीति को सामाजिक प्रक्रियाओं के एक आयाम के रूप में समझा जाना चाहिए न कि महज राज्य और सरकारों संबंधी अध्ययन के रूप में। उदारवादी दृष्टिकोण से, राज्य महत प्रभुत्व सम्पन्न कानून–निर्मात्री शक्तियाँ, जबकि मार्क्सवाद ने राज्य की वर्ग प्रवृत्ति पर जोर दिया और दूसरी ओर, गाँधीवादी राज्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के आदर्शों के साथ, एक नैतिक व साम्यवादी सर्वसम्मति पर आधारित है।

1.5.11 मुख्य शब्दावली

1. वर्ग–संघर्ष
2. सर्वहारा–वर्ग
3. शास्त्रीय
4. ङदारवाद
5. विकेन्द्रित

1.5.12 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. राज्य सम्बंधी उदारवादी धारणा की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें।
   (Discuss in detail the Liberal views of the state.)
2. राज्य सम्बंधी मार्क्सवादी धारण की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Critically discuss the Marxian view of the state)
3. राज्य के स्वरूप सम्बंधी उदारवादी सिद्धान्त की व्याख्या करें।
   (Discuss the Liberal Theory of the Nature of State)
4. राज्य के स्वरूप सम्बंधी मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Critically discuss the Marxian theory of the Nature of Sate)
5. ''राज्य एक वर्ग संगठन है'' इस कथन को मुख्य रखते हुए राज्य के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें।
   ("State is a class Organisation." In the light of this statement discuss Marxist view of state.)
6. गाँधी जी के आदर्श राज्य की व्याख्या करो।
   (Discuss Gandhi's Ideal state)
7. आधुनिक राज्य के गाँधीवादी दृष्टिकोण पर एक निबन्ध लिखिए।
   (Write an essay on the Gandhian perspective of the Modern State.)

1.5.13 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London,

Orient Longman, 1990.

- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.6 प्रभुसत्ता (Sovereignty)

1.6.1 परिचय

गैटेल (Gettle)के शब्दों में, ''एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या सम्बन्ध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है तथा जिसे हम सम्प्रभुता कहते हैं।'' ("The relation of state, to state, of a state to its citizens, of one citizen to another can be understood only after a further discussion of the characteristic which distinguished the state from all other organizations is to sovereignty.")

जन संख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता – राज्य के इन तत्वों में 'प्रभुसत्ता' (Sovereignty) सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से अलग किया जा सकता है। राज्य के लिए ''प्रभुसत्ता'' का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः प्रभुसत्ता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

1.6.2 उद्देश्य

- संप्रभुता की अवधारणा को समझ सके और उसकी प्रकृति व लक्षणों को जान सके।
- इस सिद्धान्त की उत्पत्ति को तलाश कर सकें और इसकी स्थापना और विविधताओं को स्पष्ट कर सकें।
- सम्प्रभुता की अवधारणा के विरूद्ध अभिलक्षित तीखी आलोचनाओं का विवेचनात्मक रूप से मूल्यांकन कर सकें।
- आज के विश्व में इस अवधारणा का औचित्य जान सकें।

1.6.3 प्रभुसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Sovereignty)

प्रभुसत्ता का अंग्रेजी अनुवाद 'सावरेन्टी' (Sovereignty) लेटिन शब्द 'सुपर' (Super) और 'एनस' (Anus) से लिया गया है। जिसका अर्थ 'सर्वोच्च' (Supreme) शक्ति होता है। प्रभुसत्ता के इसी अर्थ को वर्त्तमान में भी स्वीकार किया गया है। राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''प्रभुसत्ता विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक हैं।'' प्रभुसत्ता की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से दी गई है :–

1. जीन बोंदा(Jean Bodin) के अनुसार, ''प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ("Sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law.")

2 डिग्विट (Duguit) के अनुसार ''प्रभुसत्ता राज्य को आदेश देने की शक्ति होती है; राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है, यह वह अधिकार है, जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिये जा सकते हैं।'' ("Sovereignty is the commanding power of the state, it is the will of the nations organized in the state, is the right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state.")

3. ग्रोशियस (Grotious) ने कहा कि ''प्रभसत्ता उसके व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो।'' ("Sovereignty is the superme power vester in him, whose acts are not subject to any other and whose will cannot be over ridden.")

4. बर्गेस (Bugess) के अनुसार ''यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष व असीमित शक्ति है।'' ("Sovereignty is the original, absolute, and unlimited power over the individual subjects and over all associations of subjects.")

विलोबी (Willoughby) के अनुसार, ''प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है।'' ("Sovereignty is the supreme will of the states.")

पोलोक (Pollock) के अनुसार, ''संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है, न किसी अन्य द्वारा प्रदान की हुई होती है, न किन्हीं ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी हुई होती है। जिन्हें यह स्वयं न बदल सके और न जो पृथ्वी पर अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी होती है।'' ("Sovereignty is that power which is neither temporary delegated, not subject to particular rules, which it cannot alter, not answerlable to any other power on earth.")

यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न–भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है तथापि इन सभी विद्वानों का आशय यही है कि प्रभुसत्ता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है। प्रभुसत्ता के दो पक्ष होते हैं (1) आन्तरिक प्रभुसत्ता तथा (2) बाहरी प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता के इन दोनों पक्षों में से प्रत्येक का वर्णन इस प्रकार है :–

आन्तरिक प्रभुसत्ता (Internal Sovereignty)

आन्तरिक प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। वह अपने निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है कि ''प्रभुसत्ता राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं।''

बाहरी प्रभुसत्ता (External Sovereignty)

बाहरी प्रभुसत्ता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र होगा। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों में जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापिक करे। लॉस्की (Laski) ने प्रभुसत्ता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ''आधुनिक राज्य प्रभुत्व सम्पन्न राज्य होता है। अतः वह अन्य राज्य के सम्बन्धों के विषय में स्वतन्त्र होता है। वह उसके सम्बन्ध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है।'' (The modern state is a sovereign state. It is therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with substance which need not be affected by the will of any external power.") प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है।

1.6.4 प्रभुसत्ता के लक्षण अथवा विशेषताएँ (Chatacteristics of Sovereignty)

उपर्युक्त धारणा के आधार पर प्रभुसत्ता के निम्नलिखित लक्षण है :–

निरंकुशता (Absolutness)

प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि प्रभुसत्ता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है, यह सर्वोच्च शक्ति निंकुश होती है। प्रभुसत्ता आन्तरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। आन्तरिक क्षेत्र में प्रभुसत्ता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियन्त्रण रखती है; शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। ऑस्टिन (Austing) के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''प्रभु अन्य सभी आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किन्तु स्वयं किसी के आदेश पालन का अभयस्त नहीं होता।''

मौलिकता (Originality)

मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की प्रभुसत्ता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत (Delegated) नहीं है। प्रभुसत्ता की परिभाषा के अनुसार प्रभुसत्ता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असम्भव है।

सर्वव्यापकता (All Comprehensiveness)

प्रभुसत्ता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अन्तर्गत स्थिति सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियन्त्रण रहता है औ इनमें से कोई भी प्रभु शक्ति का नियंन्त्रण रहता है और इनमें से कोई भी प्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। सर्वव्यापकता को केवल एक अपवाद कहा जा सकता है 'राज्योतर प्रभुसत्ता एक सिद्धान्त' (Principle of Extraterritarial Sovereignty) इस सिद्धान्त के अनुसा एक देश के अन्तर्गत स्थित राजदूतावास (Embassy) उस देश की सम्पत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है और दूतावास के क्षेत्र में उसी देश के कानून लागू होते हैं, जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है।

स्थायित्व (Permanency)

अनेक बार प्रभुसत्ता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन यह समझना गलत है। वस्तुतः प्रभुसत्ता स्थायी होती है और प्रभुसत्ता का अन्त करना राज्य को ही समाप्त करना हैं। ब्रिटिश संविधान में 'राजा मृत है राजा चिरायु हो' (King is dead, long live the king) की जो कहावत प्रचलित है; वह सरकार और प्रभुसत्ता के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि प्रभुसत्ता ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन, वरन् एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी प्रभुसत्ता नष्ट नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन, वरन् एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी प्रभुसत्ता नष्ट नहीं होती, वरन् विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। गार्नर (Garner) ने कहा कि, ''स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक प्रभुसत्ता कायम रहती है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदरूच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण प्रभुसत्ता का नाश नहीं होता है।''

अपृथक्करणीयता (Inalienability)

प्रभुसत्ता राज्य से अपृथक्करणीय होती है अर्थात् राज्य स्वयं को नष्ट किये बिना प्रभुसत्ता का त्याग नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। गार्नर (Garner) ने कहा

है कि ''प्रभुसत्ता मनुष्य का व्यक्तित्व और उसी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की प्रभुसत्ता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है।'' लाइबर (Lieber) ने सुन्दर ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है कि ''जिस प्रकार निज को नष्ट किये बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने–फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रभुसत्ता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है।'' ("Soverignty can no more be alienated than a tree can alienate its right to sprout or man can transfer his life and personality without self-destruction.")

अनन्यता (Exclusiveness)

इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति हो सकती हे, जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन करने का आदेश देती है। एक राज्य के अन्दर एक से अधिक प्रभुशक्तियों का अस्तित्व मान लेना 'राज्य के भीतर राज्य' की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है।

अविभाज्यता (Indivisibility)

प्रभुसत्ता का एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। प्रभुसत्ता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना। गैटिल (Gettel) के शब्दों में ''विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है।'' ("Divided sovereignty is a contradiction in term.") इस सम्बन्ध में कालहन (Calhoun) ने लिखा है ''प्रभुसत्ता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्द्ध–वर्ग (Half-Source) अथवा एक अर्द्ध–त्रिभुज (Half Tringle) की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई प्रभुसत्ता का विभाजन केवल एक 'धोखा' है।'' ("Soverignty is an entire thing. To divide is to destroy. It is the supreme power of the state and we might just as well speak of half a square or half a triangle, as half a sovereignty.") प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएँ निवास नहीं कर सकती। प्रभुसत्ता की अविभाज्यता के विचार से अनेक विचारक सहमत नहीं है। बहुलवादी (Pluralist) प्रभुसत्ता को (Sovereigntly) राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। इसके अतिरिक्त लावेल, ब्राइस फ्रीमैन आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्यों में प्रभुसत्ता विभाजित होती है। फ्रीमैन (Freeman) तो यहाँ तक कहता है कि ''संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है।'' ("The complete division of sovereignty, we may look upon as essential to the absolute perfection of the feederal ideas.") लेकिन ब्राइस, लावेल, फ्रीमैन आदि विद्वानों का दृष्टिकोण सही नहीं है। संघ राज्य में प्रभुसत्ता अविभाज्य ही होती है। यह प्रभुसत्ता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रभुसत्ता के उपर्युक्त सभी लक्षण एक–दूसरे से सम्बन्धित है। संक्षेप में प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसके बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

1.6.5 प्रभुसत्ता की सीमाएँ (Limitations of Sovereignty)

प्रभुसत्ता की मुख्य विशेषता यह है कि यह सर्वोच्च, सम्पूर्ण, निरंकुश तथा सीमित है। लॉस्की (Laski) के मतानुसार ''इसकी (राज्य की) इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है।'' ("It's (States) will is subject to no legal limiation of any kind.")

प्रभुसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य रूप से सर्वोच्च होती है। यदि इस पर किसी दूसरी शक्ति का प्रतिबन्ध हो जाता है तो वह प्रभुसत्ता स्वयं प्रभुसत्ता बन जाती है। गैटेल (Gettle) के मतानुसार, ''यदि प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं हो तो राज्य नहीं बनता।'' ("Is sovereighty not absolute, no state exists.") परन्तु यह प्रभुसत्ता का सैद्धान्तिक (Theoretical) पहलू है। व्यवहारिक रूप में प्रभुसत्ता निम्नलिखित प्रतिबन्ध है :–

1. प्राकृतिक नियम (Natural Law)
2. नैतिक नियम (Moral Principles)
3. रीति रिवाज (Custom and Traditions)
4. धर्म (Religion)
5. अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law)
6. जनमत (Public Opinion)
7. मानवीय सहनशीलता (Human Endurance)
8. राजनैतिक प्रणाली का वातावरण (Environment of Political System) तथा राज्य का संविधान (Constitution of the State)

व्यावहारिक रूप में प्रभुसत्ता पर सीमाओं का वर्णन, गिल क्राइस्ट (Gill Christ) तथा गार्नर (Garner) इत्यादि विद्वानों ने इस प्रकार किया है :–

1. गिलक्राइस्ट के मतानुसार (Gilchrist) ''प्रभुसत्ता मानवीय सहनशीलता द्वारा सीमित है। प्रभुसत्ताशाली शासन के कार्य धर्म शिक्षा चरित्र और उसके वातावरण द्वारा जरूर प्रभावित होते हैं। ("Sovereignty power is limited by human endurance religion, education, character and environment of the society must mould his action.")
2. गार्नर (Garner) ने कहा है कि ''प्रकृति के कानून, नैतिक नियम, ईश्वरीय कानून मानवता और बुद्धि के आदेश, लोकमत का भय और राज्य की प्रभुसत्ता सम्बन्धी अन्य कथित पाबन्दियों का कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। इनका प्रभाव केवल उस सीमा तक है जहाँ तक राज्य उन्हें मान्यता देता है और व्यवहार में लागू करता है।''

1.6.6 प्रभुसत्ता के रूप (Kinds of Sovereignty)

प्रभुसत्ता के रूपों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है :–

औपचारिक तथा वास्तविक प्रभुसत्ता (Nominal or titular and Real Sovereignty)

औपचारिक या नाममात्र की प्रभुसत्ता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है, जिसके पास सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण शक्ति निहित हो परन्तु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति ही करें। इंग्लैण्ड का सम्राट इस प्रकार औपचारिक प्रभु का आदर्श उदाहरण है। सैद्धान्तिक दृष्टि से इंग्लैण्ड में सम्राट ही प्रभु है किन्तु वास्तविक प्रभु पार्लियामेंट और मन्त्रीमण्डल है जो व्यवहार में सम्राट की प्रभसत्ता उपयोग करता है। इसी प्रकार भारत

में भी राष्ट्रपति को औपचारिक सम्प्रभु और संसद एवं मन्त्रिमण्डल को वास्तविक प्रभु कहा जा सकता है।

वैधानिक प्रभुसत्ता (Legal Sovereignty)

एक राज्य के अन्तर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे 'वैधानिक प्रभु'' कहते हैं। यह वह प्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। गार्नर (Garner) ने कहा है कि ''कानूनी प्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के उच्चतम आदर्शों को कानून के रूप में प्रकट कर सकें। वह सत्ता जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धान्तों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके।'' इसी प्रकार डायसी (Dicey) ने लिखा है कि ''वैध प्रभुसत्ता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है।'' इंग्लैण्ड में संसद सहित सम्राट (King in Parliament) को इसी प्रकार का एक वैधानिक प्रभु कहा जा सकता है।

वैधानिक (कानूनी) प्रभुसत्ता की निम्नलिखित विशेषतायें (Characteristics) है।

(i) निश्चित (Determinate)

यह निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करते हैं।

(ii) निहित (Human Factor)

यह किसी एक 'व्यक्ति' या 'व्यक्ति समूह' में निहित हो सकती है।

(iii) विधि द्वारा मान्य (Legitimate)

यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है।

(iv) कानूनी प्रभुसत्ता (Legal Sovereignty)

व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी प्रभुसत्ता से ही प्राप्त होते हें। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस प्रभुसत्ता के विरूद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

(v) असीमीत और सर्वोच्च (Unlimited)

यह असीमित और सर्वोच्च होती है।

राजनीतिक प्रभुसत्ता (Political Sovereignty)

स्विट्जरलैंड़ जैसे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय शासन–व्यवस्था वाले देशों में तो वैधानिक प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता में कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, उसके अन्तर्गत वैधानिक प्रभु और राजनीतिक प्रभु अलग–अलग इकाइयाँ होती हैं।

कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट (Parliament) प्रभु है किन्तु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियन्त्रण रखती है। कानूनी प्रभु की सत्ता पर नियन्त्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक प्रभु कहा जाता है। डायसी के (Dicey) के शब्दों में ''जिस प्रभु को लोग वकील मानते हैं, उनके पीछे एक दूसरा प्रभु रहता है। इस प्रभु के सामने वैधानिक प्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अन्तिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं वहीं राजनीतिक सम्प्रभु है।'' ("Behind the soveregin, which of lower recognises, there is another sovereign to whom the legal soveregin must bow.")

लेकिन यह राजनीतिक प्रभुसत्ता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती, यह तो असंगठित और अनिश्चित होती है। गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''राजनीतिक प्रभु एक राज्य के अन्तर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है जो कानूनी प्रभु के पीछे निहित रहते हैं। ("The sum total of influence in a state, which lie behind the law.")

वैध तथा यथार्थ प्रभुसत्ता (De-Jure and De-Facto Sovereignty)

एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे वैध प्रभु कहते हैं और एक देश के अन्तर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, दूसरे शब्दों में, जनता से जो व्यक्ति अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है, उसे यथार्थ प्रभु कहते हैं। यथार्थ प्रभुसत्ता की परिभाषा करते हुए ब्राइस (Brayce) ने कहा है, ''यथार्थ प्रभुसत्ता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के उस समूह में पाई जाती है, जो कानून और गैर–कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में कार्यान्वित कर सकता है।''

जनप्रभुसत्ता (Popular Sovereignty)

जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त की घोषणा रूसों (Rousseau) के द्वारा की गयी। रूसों ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि जनता की वाणी ही 'ईश्वर की वाणी है।' राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार शासन व कानून – निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। अमेरीकी (American) और फ्रांसीसी क्रान्ति (French Revolution) का आधार जनप्रभुसत्ता का यही विचार था और वर्तमान समय में यह विचार सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रेरणादायक राजनीतिक विचार है। लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) के शब्दों में, ''लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकतन्त्र का आधार तथा प्रतीक बन गयी है।'' ("Popular Sovereignty has become the basis and watch word of democracy.")

प्रभुसत्ता की विशेषताओं तथा उसके रूपों के अध्ययन के पश्चात् जान ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचारों का गहन अध्ययन करेंगे।

1.6.7 जॉन आस्टिन का एकलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धान्त (John Austin's Monoestic Theory of Sovereignty)

जॉन ऑस्टिन (John Austin) इंग्लैण्ड का विधिशास्त्री (Turist) था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'विधानशास्त्री पर व्याख्यान (Lectures on Jurisprudence) में प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन हॉब्स और वैंथम (Bentham) के विचारों से प्रभावित था। बैंथम के समान ही आस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परम्परा के बीच भेद करना और परम्परा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि ''उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है।'' ("Law is a command given by a superior to an inferior.") और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन (Austin) ने प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया। जो इस प्रकार है कि ''यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त नहीं जो किसी समाज के अधिकांश भाग में अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न होता है तथा वह समाज (उस सत्ताधिकारी सहित) एक राजनीतिक और स्वतन्त्र समाज होता है।'' ("If a determinate human sperior, nation the habit of obedience of a like superior, receives habitual obeance from the bulk of a given societ, that determinate superior is the sovereign in and the society (including the sovereign), a society political and independent.")

1.6.8 एकलवादी प्रभुसत्ता सिद्धान्त की विशेषताएँ (Cheracteristics of Austins Monistic Theory)

ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

निश्चित मनुष्य (Determinate Human Superior)

प्रत्येक राज्य में प्रभु 'निश्चित' होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिसे लोग सब अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार कर सकें। इसलिए प्रभुसत्ता ऐसी भावनाओं के प्रतीक मे नहीं हो सकती जिन्हें 'सामान्य इच्छा' अथवा 'प्राकृतिक कानून' कहते हैं, न ही यह सम्पूर्ण जनता, निर्वाचक–मंडल या लोकमत में होती है। दूसरा, प्रभु 'मनुष्य' होना चाहिए अर्थात् प्रभुसत्ता न तो ईश्वर और न देवताओं में निवास करती है और न ईश्वरीय नियम का इसके साथ कोई सम्बन्ध है। गार्नर (Garner) के शब्दों में, ''वह मानव–श्रेष्ठ न तो रूसों द्वारा दिखलाई गई सामान्य इच्छा हो सकती है न ही जनता को सकती है, न ही नैतिक भावना, सहज विवेक, दैवी इच्छा या ऐसी कोई भावना हो सकती है, परन्तु यह अवश्य ही एक निश्चित व्यक्ति या शक्ति है जो कानून द्वारा बन्धित नहीं।'' ("This superior can not be general will as Roussau taught, nor the people in the mass, nor the electorate, nor some abstraction like 'Public opinion', 'moral sentiment', 'comman reason', the 'will of God', and the like, but it must be some 'determinate', 'person' or authority which it itself subject of no legal restraint.")

असीमित और अपरिमित (Absolutate and Unlimited)

प्रभुसत्ताधारी की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता।

आज्ञाकारिता (Obedience) स्थिर (Permanent)

प्रभुसत्ताधारी के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है यदा–कदा की बात नहीं। ऑस्टिन (Austin) का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारित 'स्थिर' होनी चाहिए।

आदेश कानून है (Law is a command)

प्रभु शक्ति का आदेश कानून है और आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है।

अखंडित (Indivisible)

सर्वोच्च प्रभु की शक्ति 'अखंडित' है। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता।

1.6.9 आलोचना (Criticism)

ऑस्टिन द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार सर्वोच्च शक्ति निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक और स्थायी है। किन्तु ऑस्टिन (Austin) एक वकील था और उसने प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की व्याख्या केवल वैधानिक (Legal) दृष्टिकोण के आधार पर ही की है। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine), ब्राइस (Bryce), ए०आर० लार्ड (A.R. Lord), ब्लंन्शली (Bluntschli), जेम्स स्टीफोन (James Stephen) आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त की कटु ओलाचना की है। ऑस्टिन के सिद्धान्त की यें ओलाचनाएँ निम्नलिखित आधारों पर हुई हैं:–

प्रभु को खोज पाना कठिन (Discovery of Sovereign Difficult)

ऑस्टिन (Austin) के द्वारा जिस प्रकार के 'निश्चित प्रभु' की व्याख्या की गई है, व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यन्त कठिन है। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने अपनी पुस्तक (Early Institutions) में लिखा है कि ''इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं।'' ऐसी स्थिति में जॉन चिपमैन ग्रे (John Chipman Gray) के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता है।'' ("The real rulers of society are undiscoverable.")

लोक प्रभुता की अवहेलना (Popular Sovereighy-Ignored)

इस सिद्धान्त का यह प्रतिपादत कि प्रभु कोई निश्चित शक्ति होती है, लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा 'लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है।'

कानून आदेश मात्र नहीं (Law-not only command of Superior)

ऑस्टिन (Austin) के सिद्धान्त का यह प्रतिपादन कि प्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, गलत हैं। वस्तुतः प्रभुसत्ता ही कानून का एक मात्र, स्रोत नहीं है। एक स्थान पर कौटिल्य (Kautila) ने कहा है कि , ''धर्म औचित्य, न्याय पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परम्परागत नियम और प्रथाएँ तथा राजा के आदेश कानून के स्त्रोत होते हैं।'' आधुनिक विचारधारा के अनुसार भी परम्परागत प्रथाओं न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक क्रियाओं पर आधारित राजकीय विधानमण्डल को कानून का स्त्रोत माना जाता है। कोई सत्ताधारी प्रभु चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मनमाने कानून नहीं बना सकता। इस सम्बन्ध में डिग्विट (Duguit) ने तो यहाँ तक लिखा है कि ''राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन् कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है।'' ("It is not the state which creates law, but it is the law, which creates the state, laws are merely the expressions of social necessity.")

अविभाज्य नहीं (Non Indivisible)

ऑस्टिन (Austin) प्रभुसत्ता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता की अविभाज्यता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में संघात्मक राज्यों के अन्तर्गत तो प्रभुसत्ता आवश्यक रूप से विभाजित होती है।

शक्ति को अत्यधिक महत्व (Excessive Importance of Force)

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। ऑस्टिन (Austin) की धारणा से प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धान्तों का पालन 'शक्ति' के आधार पर ही करवाती है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय के कारण नहीं वरन् इस कारण करती है कि कानून जनता की इच्छा को प्रकट करता है और उनके पालन में जनता का ही कल्याण निहित होता है। हर्नश (Hearnshaw) ने कहा है ''ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है।''

असीमित नहीं (Not Unlimited)

ऑस्टिन (Austin) द्वारा प्रभुसत्ता के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार प्रभुसत्ता लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता है, किन्तु आलोचक प्रभुसत्ता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्लंटशली

(Bluntschli) लिखता है कि ''राज्य अपने समस्त स्वरूप में, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामले में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आन्तरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है।''

आलोचकों के अनुसार व्यवहार में प्रभुसत्ता की असीमितता पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध होते हैं:–

1. नैतिक प्रतिबन्ध
2. रीति–रिवाज तथा परम्पराएँ
3. धर्म
4. अन्तर्राष्ट्रीय कानून
5. अन्य समुदाय, आदि

अन्तर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं (Against Internationalism)

ऑस्टिन (Austin) का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीयता की धारणा का भी स्पष्ट उल्लंघन करता है। विज्ञान की प्रगति ने विश्व के विभिन्न देशों को एक–दूसरे के बहुत अधिक समीप ला दिया है और वर्तमान समय में एक राज्य की प्रभुसत्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित होती है।

महत्व
(Importance)

यद्यपि ऑस्टिन (Austin) ने प्रभुसत्ता सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गई हैं लेकिन इनमें से अधिकांश ओलाचनाएँ ऑस्टिन (Austin) के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने के कारण की गयी हैं। ऑस्टिन (Austin) ने उस सिद्धान्त का प्रतिपादन कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धान्त सही है। यह सिद्धान्त स्पष्ट और तर्कसंगत है। इस सिद्धान्त की अवहेलना नहीं की जा सकती।

1.6.10 प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धान्त या बहुलवाद (Pluralistic Theory of Sovereignty or Pluralism)

प्रभुसत्ता की एकलवादिता की इस धारणा के विरूद्ध जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। जिसमें मैटलैण्ड (Maitland), फिलगिस (Figgs), डिग्विट (Dugvit), क्रेव (Krabb), लिंडसे (Lindsay), डरखैम (Durkam), मिस फॉलेट (Miss Follet), बार्कर (Barker), कोल (Cole), लॉस्की (Laski) का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस प्रकार बहुलवाद को प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा के विरूद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाये रखना चाहती है, किन्तु राज्य की प्रभुसत्ता का अन्त भी करना चाहती है।

हेसियो (Hasio) ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ''बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है, जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए।'' ("The pluralistic state is simplyu a state in which it is divisible into parts and should be divided.") बहुलवाद को समझने के लिए कुछ विचारकों के कथनों का उल्लेख निम्न प्रकार से है :–

लिण्डसे (Lindsay) ने लिखा है कि ''यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुसत्ता

के सिद्धान्त का अन्त हो चुका है। ("If we look at the facts, it is clear enough that theory of sovereign. State has broken down.") लॉस्की (Laski) के शब्दों में ''समाज के ढाँचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए।'' ("The structure of social organization, if it wants to be adequate, must be federal in character.") क्रेब (Krabb) के अनुसार ''प्रभुसत्ता के इस सिद्धान्त को सब लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इसे राजनीति शास्त्र से निकाल दिया गया है।'' ("The nation of sovereighty is no longer recognised among civilized people and should be expaned from political Theory.")

बार्कर (Barker) का कहना है ''राज्य को जीवन की समान योजना को रूप में समुदायों को अपने साथ, अन्य समुदायों के साथ, अपने सदस्यों के साथ सम्बन्धों को नियमित करने चाहिए। अपने साथ सम्बन्ध इसलिए नियमित करने चाहिए, ताकि उसकी अपनी योजनाओं में एकता रहे। अन्य समुदायों के साथ सम्बन्ध इसलिए स्थापित करने पड़ते हैं, ताकि कानून के सामने सब समुदाय समान रहें और अपने सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध इसलिए स्थापित करने पड़ते हैं ताकि कोई समुदाय अपने सदस्यों पर अत्याचार न कर सकें।'' ("The state is general and embracing scheme of life, must necessarity adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own member to itself in order to maintain the integrity of its own scheme, to other associations and to their own member to itself in order to maintain the integrity of its own scheme, to other associations in order to preserve the quality of association before law and to their own members in order to preserve the individual form the possible tyranny of the group.")

फिगिस (Figgs) ने लिखा है, ''राज्य ने न तो परिवारों को और न ही चर्च को बनाया है, और न ही यथार्थ में यह कहा जा सकता है कि उसने क्लब तथा मजदूर संघों का निर्माण किया है और न ही मध्य युग में वर्णित समाज अथवा धार्मिक संघ की रचना की है। विश्वविद्यालय का निर्माण तक भी नहीं किया। ये संस्थाएँ मनुष्य जाति की प्राकृतिक तथा सामूहिक प्रकृति का फल है। सर्वोच्च सत्ता द्वारा इसके साथ किये जाने वाला व्यवहार ऐसा हो कि इनका मौलिक अस्तित्व बना रहे। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाये कि इनका नियंत्रण और निर्देशन व्यक्तियों के समान होगा तथा उन्हें नाममात्र नहीं समझा जाएगा।'' ("The state did not create the Family; nor did it create the churches, nor even in any real sense can it be said to have created the clubs or trade unions, nor in the middle ages the guilds or the religious orders, hardly even the universities, or the colleges within the universities. They have all arisen ouot of the netural associative instincts of mankind and should all the treated by the supreme authority as having a life, original and gauranteed to be controlled and directed like persons, but not regarded in their corporate capacity as mere names.")

लॉस्की का मत है, ''राज्य का सर्वशक्तिमान होने का दावा पूर्णतः 'अवास्तविक है' वास्तव में व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर न तो वह नियंत्रण कर सकता है और न ही उसकी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस प्रकार राज्य उन अनेक समुदायों में से एक है जो मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनके प्रति व्यक्ति की पूर्ण वफादारी होती है। ''ये समुदाय राज्य से किसी भी प्रकार से कम प्रभुसम्पन्न नहीं है। ("These associations no less sovereign than state itself.")

इस प्रकार, ''जब समाज का संगठन संघीय है तो सत्ता की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए।'' ("Because society is federal, the authority must be federal also".) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लॉस्की (Laski) राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता को नहीं मानता। लास्की (Laski) ने स्पष्ट कहा है, ''अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राज्य

का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है।'' ("The nation of an independent sovereign state is on international side, fatal to the well-being of the humanity.") इसे समाज के स्थाई लाभ के लिए छोड़ देना चाहिए।

गैटल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की है। गैटल (Gettel) के अनुसार, ''बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे की राज्य।''

1.6.11 बहुलवाद की विशेषताएँ (Characteristics of Pluralism)

अन्य विचारधाराओं की तरह बहुलवाद की भी कई विशेषताएँ हैं जो कि इस प्रकार हैं:—

राज्य केवल एक समुदाय (State is only an Association)

परिवार, क्लब तथा चर्च की भान्ति राज्य का कार्य मुख्यतः व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक पहलू का विकास करना है। इस प्रकार राज्य एक राजनीतिक समुदाय है और इसे अपना कार्यक्षेत्र व्यक्ति की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखना चाहिए। लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकार नहीं रखता है।'' मेटलैण्ड (Maitland) के अनुसार ''राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है।'' ("State is the species of same genius.")

सभी जरूरतें पूरी नहीं (Can-not fulfill all the needs)

मनुष्य का जीवन बहुमुखी है। उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ महसूस होती है। राज्य अकेला उनकी पूर्ति के लिए अनेकों समुदायों का निर्माण करता है। उदाहरणातः सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन आदि। इस समुदायों का राज्य से किसी भी प्रकार कम महत्व नहीं है। गैटेल (Gattell) के अनुसार, ''बहुलवादी नहीं मानते कि राज्य एक अद्वितीय संगठन है। उनका विचार है कि अन्य समुदाय समान रूप से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक है। ये जितना कि राज्य अपने ही प्रभुसत्ता सम्पन्न है जितना कि राज्य अपने कार्यों में है। ("The pluralists deny that the state is a unique organization. They hold that other associations are equally important and natural. They argue that such associations for their purpose are as sovereign as the State is for its purpose.") फिगिस (Figgs) का कहना है ''राज्य ने न तो परिवार बनाए हैं और न ही चर्च।'' ("The State did not create the family nor did it create churches.")

कानून राज्य आदेश नहीं (Law is not a comman of the state)

बहुलवादी ऑस्टिन के इस मत का खण्ड करते हैं कि कानून राज्य के प्रभु का अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को दिया गया आदेश है। ये रीति रिवाजों नैतिकता, जनता की जरूरतों तथा समाज की न्यायिक भावना को कानून का स्रोत मानते हैं। क्रेब (Krabb) के अनुसार, ''समाज की न्यायिक भावना ही कानून का स्रोत है। ("The spring of law is in the community's sense of Justice.")

''यह हमारे अच्छाई और बुराई के ज्ञान का परिश्रम है।'' ("Law is the product of our sense of righteousnes wrong.") लॉस्की (Laski) के अनुसार ''व्यक्ति की नैतिक भावना ही कानून का एकमात्र स्रोत है।'' ("Individual conscience is the only true source of law.")

ड्र्यूगी (Duguit) के मतानुसार, ''कानून सामाजिक जीवन की उत्पत्ति है।''

केवल शक्ति नहीं (Force is not the only sanction)

ऑस्टिन (Austin) प्रत्येक कानून के पीछे शासक का दण्डनीय शक्ति मानते हैं। बहुलवादी लेखक ऑस्टिन के इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं। प्रत्येक समाज में अधिकांश व्यक्ति कानून की उपयोगिता के कारण ही उनका पालन करते हैं। लोग कानून का पालन स्वेच्छा से करते हैं, न कि दण्ड के भय से। लॉस्की (Laski) का कहना है कि, ''कानून में आदेश का भाव अप्रत्यक्ष है, इसमें दंड का विचार विशेष रूप से अनुपस्थित है।'' ("The nation of command in law is confingent and indirect, and the idea of penalty is again, save in the most circutious way, notably absent.")

कानून राज्य से स्वतन्त्र व उच्च (Independent and above state)

बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतन्त्र व उच्च मानते हैं। डयुगी (Duguit) के अनुसार कानून राजनीतिक संगठन से स्वतन्त्र, श्रेष्ठ तथा पूर्व कालिक (Prior) होते हैं। कानून राज्य को सीमित करता है। क्रेब (Krabb) के शब्दों में, ''राज्य कानून का नहीं बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं।'' ("It is not the state which creates the law, but on the other hand, it is the law which creates the state.")

न तो निरंकुश है, न ही असीमित (Neither absolute nor unlimited)

ऑस्टिन (Austin) के अनुसार प्रभुसत्ता निरंकुश, असीमित व स्वतन्त्र है। लेकिन लॉस्की (Laski), मैकाइवर (Maciver) तथा ब्लंशली (Bluntschli) जैसे बहुलवादी लेखक ऑस्टिन के इन विचारों से सहमत नहीं है। वे इस पर अनेकों प्रतिबन्ध व सीमाएँ मानते हैं। कोई भी राज्य चाहे कितना भी निंरकुश व स्वतन्त्र क्यों न हो अन्तर्राष्ट्रीय कानून सन्धियों व समझौतों की अवहेलना नहीं कर सकता और न ही यह संविधान द्वारा दिये गये नागरिकों के अधिकारों, जनमत, नैतिकता व धर्म का ही उल्लंघन कर सकता है। लॉस्की (Laski) कहते हैं, ''कहीं भी किसी भी प्रभु को कभी भी असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं रही और ऐसे प्रयत्नों का परिणाम हमेशा ही कुछ नए संरक्षणों की स्थापना से हुआ है। ("No sovereign has any where possesed unlimited power and the attempt to exert, it has always resulted in the establishment of safeguards.") मैकाइवर (Macive) के विचार में, ''राज्य की निश्चित सीमाएँ हैं, निश्चित शक्तियाँ व निश्चित जिम्मेदारियाँ हैं।'' ("State has definite limits, definite powers, and definite responsibibilites.") ब्लंशली (Bluntschli) लिखते हैं ''राज्य की प्रभुसत्ता बाह्य रूप में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है, और आन्तरिक रूप से अपनी प्राकृतिक तथा नागरिकों के अधिकारों से सीमित है।'' ("The state as a whole is not almighty, for it is limited extermely by the rights of the other states and internally by the right of its individual members.")

विकेन्द्रीकरण में विश्वास (Faith in decentralisation)

बहुलवाद विकेन्द्रीकरण को राज्य का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार, ''स्थानीय समस्याएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केन्द्रीयकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता है। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केन्द्रीय सत्ता को विकेन्द्रीत करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक (Federal) सामाजिक संगठन की स्थापना की जाये।

राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है (Not against State)

बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किन्तु अराजकतावाद या साम्यवाद की भान्ति वे उसकी समूलता नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। राज्य का अन्त करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धान्त 'कोरी मूर्खता' के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। राज्य के संबंध में इस बहुलवादी दृष्टिकोण के कारण ही कहा जाता है कि 'बहुलवादि एक ओर अराजकता तथा दूसरी ओर एकलवादी इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है।'

एक लोकतन्त्रीय विचारधारा है (Favours Democracy)

बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोध होने पर भी लोकतन्त्रीय प्रणाली का विरोधी नहीं है। आरम्भ से लेकर अन्त तक बहुलवाद का विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे लोकतन्त्रीय राज्य की स्थापना करना है, जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो।

1.6.12 बहुलवाद की आलोचना (Criticism of Pluralism)

आलोचकों द्वारा बहुलवाद की कई दृष्टिकोणों से आलोचना की गयी है, जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है :–

अराजकता को पैदा करता है (Pluralism leads to anarchy and chaos)

बहुलवाद के विरूद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाये और उन्हें प्रभुसत्ता का थोड़ा सा अधिकार दिया जाए तो समाज में कानूनविहिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गिलक्राइस्ट (Gilchrist) का कथन है कि ''यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाये, तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शान्ति एवं व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायों द्वारा अपनी–अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष।''

सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है (All Associations are not Equal)

बहुलवादी विचारधारा के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया गया है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक भारी भूल है। वास्तव में, राज्स संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है।'' गार्नर (Garner) के शब्दों में ''विभिन्न श्रेणियों व वर्गों को और एक दूसरे से प्रतियोगिता करने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है।'' ("State renders important service of keeping within proper limits classes and struggles between completing groups and performing the role of a reference or umprire and adjusting or reconciling their conflicting interests.")

काल्पनिक एकलवाद पर आक्रमण (Attack on Imaginary Monoistic Theory)

बहुलवादी आलोचना का एक आधार यह भी है कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है, उसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर राज्य सत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा नहीं किया गया है। बोदिन (Bobin), हॉब्स

(Hobbes), रूसों (Rousseau), ऑस्टिन (Austin) आदि सभी विचारक राज्य की प्रभुसत्ता पर प्राकृतिक, नैतिक या व्यावहारिक कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही स्वीकार करते हैं। कोकर (Coker) के अनुसार, ''इनमें से किसी भी लेखक का यह दावा नहीं था कि प्रभुसत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना अथवा विरोण करना, अश्वमेघ अनैतिक, तर्कहीन, असामाजिक तथा अव्यावहारिक है।'' ("None of these writers claimed that no criticise or change, to disobey or resist the state authority is necessarity inmoral, irrational, anti-social or even impractical.") इस प्रसंग में आर्शीवादम् (Ashiravatham) ने लिखा है कि ''बहुलवाद जिस एकलवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं, बहुत कुछ कल्पना तक यह एक कल्पनात्मक जीव ही है।'' ("The monistic theory whom the pluralist attack is to a large extent an imaginary figure.")

अन्तर्विरोधों से भरा (Full of Contradictions)

बहुलवाद के विरूद्ध एक गम्भीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अन्तरविरोधों से भरी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धान्तिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं किन्तु जब ये व्यवहार पर आते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को प्रभु बनाये बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिगिस (Figgs) का कथन है कि राज्य 'समाजों का समाज' (Society of Societies) है। उसे समन्वय तथा एकीकरण की एजेन्सी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त है।'' लॉस्की (Laski) ने कहा है ''कानूनी दृष्टि से कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता है जिसकी सत्ता असीमित होती है और विभिन्न संस्थाओं में सरकार सबसे महत्वपूर्ण है।'' इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा अन्तर्विरोधियों से पूर्ण है और बहुलवादियों की यह कहकर आलोचना की जाती है कि ''वे प्रभुसत्ता को सामने के द्वार से बाहर निकालकर पीछे के द्वार से वापस ले आते हैं।'' इस सम्बन्ध में कोकर (Coker) लिखते हैं ''यह बड़ा मनोरंजक अन्तर्विरोध है।'' (It is an interesting contradiction.) बहुलवादी राज्यों में व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं होगा (No guarntee for individual liberty in Pluralistic state) बहुलवादियों की यह धारणा है कि समुदायों पर से राज्य का नियंत्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतन्त्रतापूर्वक वातावरण उपलब्ध होगा, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में जिर्मथ (Zimmerth) हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ''आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरूद्ध आवाज उठा रहे हैं। वे साधारणतः यह भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकते। समुदाय जितना छोटा होगा आपके जीवन और कार्यों पर उसका उतना ही कठोर नियन्त्रण होगा।'' ("Those who talk of state absolution are ignority the simple truth that there is no tyranny like the tyranny of near neighbours. The smaller the group the tighter the strangle hold over you life and activities.")

राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता (State is not an association of association)

आलोकों द्वारा लिंडसे (Lindsay), बार्कर (Barker) और अन्य बहुलवादियों के इस कथन की कटु आलोचना की गयी है कि राज्य 'समुदायों का एक समुदाय' है। राज्य और अन्य समुदायों की स्थिति में आधारभूत अन्तर है। जबकि अन्य समुदायों का सम्बन्ध मनुष्य के किसी विशेष हित के साथ होता है, राज्य का सम्बन्ध उनके सर्वमान्य या व्यापक हितों के साथ होता है। इस सम्बन्ध में बहुलवादी विचारक मिस फॉलेट (Miss Follett) ने भी लिखा है कि ''राज्य एक निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है।''

("The state cannot be composed of groups, because no group, nor any member of groups contain the whole of me, my citizenship is something bigger than my membership, of any vocational group, we want the whole man in politics. The home of my soul is in the state.")

कानून सम्बन्धी विचार गलत (Pluralist view on law is wrong)

बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती है कि डिग्विट (Diguit) और क्रैब (Krabb) जैसे बहुलवादी दार्शनिकों का कानून सम्बन्धी विचार असत्य है। ये दार्शनिक कानून को राजकीय सत्ता से स्वतन्त्र, उच्चतर तथा अधिक प्राचीन मानते हैं, किन्तु कानून को राज्य के व्यक्तित्व से उच्च मानना सही नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून के रूप में मान्य नहीं होता, किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में चाहे कितना भी मान्य क्यों न हो, राजकीय स्वीकृति के अभाव में उसे कानूनी मान्यता नहीं है।

बहुलवाद का महत्व

(Importance of Pluralism)

गैटल (Gattell) के शब्दों में, ''बहुलवाद कठोर और सैद्धान्तिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त के विरूद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है।'' ("A welcome and timely protest against the rigid and domestic legalism and the Austinian theory of sovereignty.") बहुलवाद अराजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है, इन समुदायों के उचित कार्यक्षत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल उन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वरन् इन समुदायों को अपने कार्य–क्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी वरन् राज्य की कार्य क्षमता में आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फॉलेट (Miss Follett) ने बहुलवाद के गुणों के सम्बन्ध में लिखा है कि ''बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करते व अपने कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में स्वायत्ता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुर्नस्थापित करने के पक्ष में है।'' (The pluralists prick the bubble of the present state's right to supremacy, point out the necessity of recognizing them and giving them autonomy in their work. They stand for the restoration of local life.")

बहुलवादियों के इस कथन में सच्चाई है कि कोई भी राज्य ऐसी नहीं जिसे पूर्ण स्वतन्त्र (Autonomous) माना जा सके। सत्रहवीं या अठारहवीं शताब्दी में जो परिस्थितियाँ विद्यमान थी। अब वे बदल चुकी हैं। किसी भी देश की संसद मनमाने तरीके से कानून का निर्माण नहीं कर सकती। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यवसायिक संघों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। लॉस्की (Laski) का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है कि ''समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राजसत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए।'' ("Society is federal, therefore authroity too ought to be federal.") विश्व शान्ति अथवा ''अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था'' की दृष्टि से राज्य को अपनी प्रभुसत्ता का त्याग करना ही पड़ेगा। कई ऐसे विषय हैं जिनका प्रबंध आसानी से हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सौंप सकते हैं, जैसे पर्यावरण का मामला, नयी संचार–व्यवस्था (New Forms of Communication) तथा मुद्रा का प्रबंध (Monetary management) आदि।

1.6.13 निष्कर्ष

प्रभुसत्ता राज्य के विरूद्ध एक सामयिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैरियम और बार्न्स (Merriam and Bornes) ने अपनी पुस्तक (History of Political thought in Recent Times) में लिखा है कि ''बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है, परन्तु इस सबके बावजूद राज्य को अन्य समुदायों के समक्ष मानने को तैयार नहीं है। फॉलेट (Fallet) कहती हैं, ''कोई एक समुदाय या कई समुदाय मिलकर भी व्यक्ति के समूचे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परन्तु राज्य जीवन के हर क्षेत्र पर छाया हुआ है।'' ("No group, nor any number of groups, can contain the whole of me and the ideal state demands the whole of me.")

किसी भी संगठन या समुदाय को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपने कार्यों से राज्य के जीवन को खतरे में डाल दे। उदाहरण के लिए 'हड़ताल का अधिकार' (Right to Strike) का यह अर्थ नहीं कि हड़ताली कर्मचारी कारखानों या सार्वजनिक सम्पत्ति का ही विनाश करने लगे या उन कर्मचारियों के साथ मारपीट करें जो हड़ताल में शामिल नहीं है। यह स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य भी एक समुदाय है, परन्तु अपने संगठन उद्देश्य और शक्तियों की दृष्टि से वह अन्य समुदायों से सर्वथा भिन्न है। बार्कर (Barker) ने ठीक ही कहा है, ''राज्य का एक अनूठा लक्ष्य है (Unique purpose), उसका कार्यक्षेत्र भी अपूर्ण है (Unique Scope) और शक्तियाँ भी अनुपम हैं। (Unique Power) जार्ज सेवाईन (George Sabine) के इन शब्दों का प्रयोग ही उचित है कि ''मैं यथासम्भव एकलवादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ किन्तु जहाँ आवश्यक हो, बहुलवादी बनने को तैयार हूँ।'' ("I reserve the right to be a monoist when I can, annd a pluralist when I must.")

1.6.14 मुख्य शब्दावली

- प्रभुसत्ता
- मौलिकता
- एकलवादी
- बहुलवाद
- अराजकता

1.6.15 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. प्रभुसत्ता की परिभाषा दें। उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
   (Define Sovereignty. Discuss its main Characteristics.)
2. प्रभुसत्ता के विधि सिद्धान्त का निरीक्षण करें और इस पर प्रतिबन्धों की व्याख्या करें।
   (Examine the legal theory of sovereignty and discuss its limitations.)
3. प्रभुसत्ता की परिभाषा करें और इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। प्रभुसत्ता की सीमाएँ यदि कोई हैं तो उसका वर्णन करें।
   (Define sovereignty and explain its main characteristics. What, if any are the limitations of sovereignty?)
4. ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता को परिभाषिक करें। उनके अनुसार प्रभुसत्ता की कौन–सी विशेषताएँ हैं?

(Give Austin's definition of sovereignty. What are the cheif characteristics of sovereignty according to him?)

5. ऑस्टिन की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

(Critically examine Austin's Theory of Sovereignty.)

6. बहुलवाद से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें।

(What do you understand by the term 'Pluralism'? Critically examine it.)

7. बहुलवाद पर एक निबन्ध लिखें।

(Write an essay on pluralism.)

8. राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्रमण की व्याख्या करें।

(Discuss pluralistic attack on State Sovereignty.)

9. प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धान्त का आलोचनात्मक निरीक्षण करें।

(Critically examine the Pluralistic Theory of Sovereignty.)

1.6.15 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

इकाई –2

लोकतन्त्र व कल्याणकारी राज्य का स्वरूप

2.0 इकाई का परिचय

विभिन्न दार्शनिकों ने लोकतंत्र शब्द की अलग–अलग ढंग से व्याख की है। यह सरकार का एक रूप और आदर्श, अकांक्षा, मापदण्ड दोनों ही हैं। लोकतंत्र का मूल तत्व आत्म–शासन हैं। वृहद अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा शासन होता है, तथापि समय के साथ–साथ इसके विभिन्न अर्थ माने जाते रहे हैं। लोकतंत्र की प्रकृति के सम्बन्ध में वाद–विवादों ने तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। सर्वप्रथम कि सीमा तक राजनीतिक शक्ति का विभाजन होना चाहिए। दूसरा, क्या लोगों की स्वयं शासन में भाग लेना चाहिए? तीसरा, क्या प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग करके सामूहिक निर्णय लेना उपयुक्त है? प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न और कार्यरत प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं प्रतिनिधि संस्थाओं के बगैर निर्णय लेते थे। यह विश्लेषण सार्वजनिक चर्चा के महत्व पर जोर देता है। सहभागियों और निर्णय की गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से लोकतंत्र के इस ढांचे की सख्त सीमायें थी। अतः आधुनिक काल में यह सरकार का लोकप्रिय रूप नहीं हैं।

विकास और कल्याणकारी राज्य के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना। सभी अवधारणाओं की भांति विकास से भी कुछ अर्थ उस तरीके में अभिव्यक्त होते हैं। जिसमें उक्त अवधारणा को समझा गया हो साथ ही एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के प्रभावी अथवा प्रचलित रिको में भी हैं। प्रस्तुत इकाई में हम विकास वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि वह समय के साथ गर्म विकसित हुआ और विभिन्न तरीकों को भीजिनमें वह समसामयिक विषयों में समझा जाता है।

इसके बाद आपकी समझ बढ़ाने के लिए इकाई के अंत में पाठ्य सामग्री की एक संक्षिप्त सूची दी गई है।

2.1 इकाई के उद्देश्य

1. लोकतंत्र के अर्थ को समझें पाएंगे।
2. उसके विभिन्न रूपों जैसे प्रत्यक्ष और भागीदारी लोकतंत्र में अंतर स्थापित कर लेंगे।
3. लोकतंत्र के विभक्ति रूपों की खूबियों और कमियों का प्रशिक्षण कर पाएंगे।
4. विकास व कल्याणकारी राज्य के कार्य को समझ पाएंगे।
5. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ उसके कार्य से हाथों को जानना।

2.2 लोकतंत्र (Democracy)

2.2.1 परिचय

आधुनिक युग में सरकार के विभिन्न रूपों में लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। इसी कारण से वर्तमान युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है। आज के युग के सभी विद्वान भले ही वे संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस की तरह कनाडा आदि उदारवादी लोकतंत्र संसार के हुए रूस चीन आदि समाजवादी राज्य की हो अथवा वे एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्यों जैसे तीसरे संसार के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं। और प्रत्येक राज्य अपने को अधिक अथवा वास्तविक लोकतंत्र बताया है।

2.2.2 उद्देश्य

- लोकतंत्र की परिभाषा गुण व उस के बारे में जानना
- लोकतंत्र के प्रमुख से हाथों को समझना
- उदार लोकतंत्र का बहुलवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर को समझना
- लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संस्थाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानना

2.2.3 लोकतंत्र का अर्थ

लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी (Democracy) कहते हैं यूनानी भाषा के शब्दों दिनों से था कि 'क्रेटिया'(Cratia)से मिलकर बना है। 'डिमोस' का अर्थ है जनता अथवा रोग तथा क्रेटीया का अर्थ है सत्ता अथवा शक्ति इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थवह शासन व्यवस्था है जिसमें तार लोगों के हाथों में होती है। इस प्रणाली में सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके प्रति उत्तर दाई होती है। विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र के भिन्न–भिन्न प्रकार से परिभाषाएं की है इनमें से कुछ परिभाषा निम्नलिखित है–

1. अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। (Democracy is a Government of the people, by the people and for the people.)
2. सीले (Seeley) के विचार अनुसार प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। (Democracy is a government in which everyone has a share.)
3. डायसी (Dicey) का कहना है कि प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो। (Democracy is a from of government in which the governing body is complaratively a large fraction of the entire nation.)
4. गिड्डिंग्स (Giddings) के शब्दों में प्रजातंत्र केवल एक शासनकाल नाम नहीं है वरन राज्य का भी एक रूप है तथा समाज के रूप का भी नाम है या फिर तीनों का सम मिश्रण है।
5. गेटेल (Gettell) के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिससे साधारण जनता को प्रभुसत्ता में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। (Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power.)

6. हाल (Hall) के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक संगठन है जिसका लोकमत का नियंत्रण हो। (Democracy is the form of political organisation in which public opinion has control.)

7. हेरोडोटस (Herodotus) का कहना है प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमे सर्वोच्च सत्ता समस्त जाती को प्राप्त हो। (Democracy is that form of government in which of the supreme power of the state is in the hands of the community as a whole.)

8. हर्नशा (Hearnshsaw) ने लिखा है ''संक्षिप्त लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुसत्ता जनता के हाथों में रहती है जिसमें जनता का शासन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय होता है तथा जनता ही यह निश्चित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही विधि नहीं है बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने उसका नियंत्रण करने तथा उसे हटाने की भी विधि है।'' (A democreatic state, in short, is simply one in which the community as a whole posses sovereign authority, maintains, ultimate control over affairs and determines what sort of government machinery shall by step by step. Democracy as a form of state is not merely a mode of government but is merely a made of appointing, controlling and dismissing goverment.)

9. महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के शब्दों में सारांश में लोकतंत्र सभी की भलाई के लिए लोगों के सभी प्रकार के वर्गों के शारीरिक आर्थिक और अध्यात्मिक साधना को संगठित करने की कला और विज्ञान है। (Democracy must in essence means the art and science of mobilicing the entire physical economic and spiritual resources of all various sections of people in the service of common good of all.)

10. स्ट्रांग (Strong) के अनुसार ''लोकतंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से हैं जो शासितो की सक्रिय अनुमति पर आधारित हों।'' (Democracy implies that Government shall rest on the active constent of shall rest on the active consent of the governed.)

11. लार्ड प्राइस (Lord Bryce) के अनुसार ''लोकतंत्र शासक का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति किसी एक वर्ग विशेष अथवा वर्ग में नहीं पाई जाती बल्कि संपूर्ण समुदायों के हाथ में रहती है।'' (Democracy is that form of government in which the ruling power of a state is legally vested, not in any particular class or classes but in the members of the community as a whole.)

लोकतंत्र के ऊपर लिखित फ्री भाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली है जिसमें देश का शासन जनता तो भरतपुर आ जाता है तथा जिसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदाई होती हैं।

2.2.4 लोकतंत्र के गुण (Merits of Democracy)

प्रजातंत्र के मुख्य गुण निम्नलिखित हैंः–

उत्तरदायी शासन (Responsible Government)

प्रजातंत्रीय प्रणाली में शासन जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाता है। लोगों की इच्छा पर आधारित होने के कारण सरकार में स्थिरता उत्पन्न होती है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदाई होते हैं।

लोगों का शासन (Rule of the Masses)

प्रजातंत्र लोगों द्वारा लोगों का और लोगों के लिए शासन ने प्रजातंत्र में प्रभुसत्ता जनता के अपने हाथ में होती है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयंशासक होती है और प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य समस्त जनता की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति है।

अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा (Protection of the Rights and Liberty)

प्रजातंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है। प्रजातंत्र इस प्रणाली में लोगों को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। विचार व्यक्त करने का अधिकार समुदाय बनाना सरकार की आलोचना करना मत देना चुनाव लड़ना आदि जैसे प्रभावशाली अधिकार केवल प्रजातंत्र प्रणाली में ही संभव है।

क्रांति की संभावना नहीं (No Possibility of Revolution)

प्रजातंत्र एक ऐसा साधन है जिसमें अयोग्य सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्यवाही या नहीं की जाती अपितु जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से बड़े शांति में ढंग से सरकार का वजन सकती है। इस संबंध में गिलक्रिस्ट ने कहा है ''प्रजातंत्र सार्वजनिक सहमति का शासन है इसलिए है क्रांति का नहीं हो सकता।'' (Popular government is a government by common consent, from its very nature, therefore, it is not likely to be revolutionary.)

समानता (Equality)

समानता से अभिप्राय केवल राजनीतिक समानता से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी इसमें शामिल है। प्रजातंत्र में जाति संपत्ति धर्म में रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

मानवीय विकास (Human Development)

प्रजातंत्र का मुख्य स्तम्भ स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का पूर्ण रूप में विकास संभव नहीं है। व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता प्रजातंत्र में प्राप्त हो सकती है इतनी किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं होती।

राजनीतिक शिक्षा (Political Education)

प्रजातंत्र प्रणाली में चुनाव होते हैं। भिन्न–भिन्न राजनीतिक दल चुनाव अभियान चलाते हैं और अपने दिल की नीतियों की घोषणा करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती हैं और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इन सभी कार्यों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है।

कानूनों का अधिक परिपालन (More Obedience of Laws)

प्रजातंत्र में लोगों के निर्वाचित सदस्य कारण का निर्माण करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जनता की इच्छा अनुसार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कारणों का पालन भी अधिक होगा।

देशभक्ति की भावना का विकास (Development of Spirit of Patriotism)

प्रजातंत्र में लोगों की अपनी सरकार होती है। लोगों का अपने देश के साथ प्यार बढ़ता है और लोग राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझते हैं। जी०एस० मिल (J.S. Mill) के अनुसार,''प्रजातंत्र लोगों के देश प्रेम को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक गिराया अनुभव करते हैं कि सरकार उनकी ही बनाई हुई है और मजिस्ट्रेट उनके स्वामी नहीं अपितु सेवक हैं।'' (Democracy strengthens the love of ones country because citizens feels that the government is their own

creation and the magistrates are their servants rather than masters.)

राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण (It builds National Character)

किसी शासन की श्रेष्ठता केवल शासन प्रबंध आर्थिक उन्नति और निष्पक्ष न्याय पर ही नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र पर निर्भर है। जो उस शासन का निर्माण करते हैं और शासन की रक्षा करते हैं। प्रजातंत्र राष्ट्रीय स्तर के गुण नागरिक में उत्पन्न करता है। जे०एस० मिल (J.S. Mill) के कथन अनुसार ''प्रजातंत्र शासन अन्य किसी शासन प्रणाली से राष्ट्रीय चरित्र का अधिक और उत्तम विकास करता है।'' (Democracy promotes a better and higher from of national character than any other policy what so ever.)

2.2.5 प्रजातंत्र के दोष (Demerits of Democracy)

प्रजातंत्र में जहां एक और अनेक गुण पाए जाते हैं वहीं दूसरी ओर दोष भी पाए जाते है। प्रजातंत्र में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं–

1. **अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन (It is the Government of Ignorant, Incapable and Fools)**:– प्रजातन्त्र को अयोग्यता की पूजा (Cult of Incompetence) बताया गया है। इसका कारण यह है कि जनता में अधिकतर व्यक्ति अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) का कहना है ''प्रजातन्त्र बुद्धिहीन व्यक्तियों का शासन है।'' लैकी (Lecky) ने प्रजातन्त्र को सबसे अधिक गरीबों, सबसे अधिक अज्ञानियों तथा सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा है।

2. **संख्या को अधिक महत्व (Importancce to Quantity rather than Qualities)** :–प्रजातंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रजातंत्र में प्रत्येक निर्णय बहुमत से किया जाता है। यदि किसी विषय को 50 मूर्ख ठीक कहें और उन्हें 49 बुद्धिमान गलत कहते है तो मूर्खों की बात मानी जाएगी। जनता के प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर चुने जाते चुनाव में प्रत्येक नागरिक चाहे वह मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान एक ही वोट डालने अधिकार प्राप्त होता है एक गणितज्ञ और ईंट ढोने वाले का बराबर मत है।

3. **उत्तरदायी शासन नहीं (Not a Responsible Government)** :–प्रजातंत्र सैद्धांतिक तौर पर उत्तरदायी शासन है परंतु वह वार में यह अनु उत्तरदायी है। चुनाव से पहले बड़े–बड़े नेता साधारण नागरिक के पास वोट मांगने आते हैं, परंतु चुनाव के पश्चात वे जनता की इच्छाओं की परवाह नहीं करते।

4. **अमीरों का शासन(It is a Government of the Rich)** :–प्रजातंत्र कहने में प्रजा का शासन है परंतु वास्तव में यह अमीरों का शासन है। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेज दी है जो देश का शासन चलाते हैं। परंतु चुनाव लड़ने के बाद भी है अत्यधिक धन की आवश्यकता होती हैं। कोई अच्छा व्यक्ति धन के बिना चुनाव नहीं लड़ सकता चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं।

5. **बहुत खर्चीला (Highly Expensive)** :–प्रजातंत्र शासन प्रणाली बहुत खर्चीली है। इसका शासन संगठन बहुत जटिल है और इसको संविधान के अनुसार चलाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रजातंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। आम चुनाव के प्रबंध पर बहुत धन खर्च होता है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर जनता का बहुत सा धन खर्च होता रहता है। मंत्री देश के धन को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। संघात्मक राज्य में यह खर्चा और अधिक हो जाता है। क्योंकि संघात्मक सरकार में

केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त एक इकाई में विधानमंडल मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल तथा गवर्नर होता है अतः यह है शासन प्रणाली बहुत खर्चीली है।

6. **शासन एक कला** (Governance is an Art) :–शासन करना एक कला है और यह प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं मिल सकती। कानून बनाना विशेषज्ञों का काम है और काफी अनुभव और ज्ञान के पश्चात ही रखती। इसमें निपुण हो सकता है परंतु प्रजातंत्र में लिपिक (Clerk) के पद के लिए शिक्षा की योग्यता निश्चित है परंतु मंत्री के पद के लिए यह भी आवश्यक नहीं एक अनपढ़ मंत्री शिक्षा विभाग कैसे संभाल सकता है।

7. **बहुमत की तानाशाही** (Dictatorship of Majority) :–प्रजातंत्र में प्रत्येक निर्णय बहुमत से किया जाता है। जिस कारण प्रजातंत्र में बहुमत की तानाशाही की स्थापना की जाती है। मंत्रिमंडल उसी दल का बनता है जिस दिल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपने शासन व्यवस्था में अपनी मनमानी करता है।

8. बहुमत का शासन नहीं है (Not a Rule of Majority) :– आलोचकों का मानना है कि प्रजातन्त्र वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है। यह देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति शासन में कोई रूचि नहीं लेते और न ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो दल सरकार बनाता है उस के समर्थन में डाले गए वोट कुल वोटों का बहुमत भी नहीं होता है।

9. **सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति को रोकता है (It checks the cultural and scientific development of the nation)** :– प्रजातंत्र शासन में कला साहित्य विज्ञान सभ्यता संस्कृति आदि की उन्नति रुक जाती है। प्रजातंत्र में राजनीति पर बहुत जोर दिया जाता है पर साहित्य कला विज्ञान आदि की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

10. **अस्थाई तथा कमजोर शासन(Unstable and weak Government)** :–प्रजातंत्र में सरकार अस्थाई तथा कमजोर होती है। जिन देशों में बहुदलीय प्रणाली होती है। वहां पर सरकारें जल्दी–जल्दी बदलती है बहुत लिए प्रणाली के अंतर्गत किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण मिली जुली सरकार बनाई जाती है जो किसी भी समय टूट सकती है।

11. **संकट काल का मुकाबला करने में कमजोर (It is week at the time of Emergency)** :–किसी भी संकट का सामना करने के लिए एकता और शक्ति की जरूरत होती है। संकट काल के समय निर्णय शीघ्र लेने होते हैं और इन्हें दृढ़ता पूर्वक लागू करना होता है परंतु प्रजातंत्र में निर्णय शीघ्र नहीं लिए जाते और ना ही दृढ़ता पूर्वक लागू किए जाते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रजातंत्र के लाभ भी हैं और दोष भी हैं। परंतु दोषों के होते हुए भी इस प्रणाली को आजकल सर्वोत्तम माना जाता है। यही एक शासन प्रणाली है। जिसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता राजनीतिक अधिकार समानता शासन की आलोचना करने और उसे प्रभावित करने का अवसर तथा अपने जीवन का विकास करने का अवसर सबसे अधिक मिलता है।मैजिनी (Mazzinee) का कथन है कि प्रजातंत्र में सबसे अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्तियों के नेतृत्व में सर्वसाधारण की प्रकृति सर्वसाधारण के द्वारा होती हैं। (The progress of all through all under the leadership the best and wisest.) लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) चुनौती देते हैं कि प्रजातंत्र में भले ही कोई दोष है परन्तु कोई विद्वान

भी इसकी अपेक्षा अच्छी शासन प्रणाली का सुझाव नहीं दे सका है।मिल (Mill) का कहना है ''प्रजातंत्र के विरोध में दिए जाने वाले तर्क में मुझे जो सार प्रतीत हुआ है। उस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात मैंने बिना संकोच इसके पक्ष में निर्णय किया।'' (After giving full weight to all that appeared to me well ground in the arguments against democracy. I unheritatingly decided in its favour.) इस प्रकार बर्न (Burn) का विचार है कि ''इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाएं दोषपूर्ण है। यदि कोई कार अच्छी प्रकार से नहीं चलती है बैलगाड़ी से चलना चाहे कितना रोमांचकारी क्यों ना हो मूर्खता है।'' (No one denies that existing representative assemblies are defecting but even if an automobile does not work well, it is foolish to go back into cart, however romantic.)

2.2.6 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct and Indirect Democracy)

प्रजातंत्र जनता का शासन है अर्थात् ऐसा शासन जिसमें शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना होकर समस्त लोगों के पास हो।सैली (Seeley) का कहना है कि प्रजातंत्र शासन वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने कहा है ''प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। '' इस प्रजातंत्र के दो रूप हैं

(i) प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (ii) अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct Democracy)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रजातंत्र का शुद्ध या वास्तविक रूप है। जब जनता स्वयं कानून बनाए राजनीति को निश्चित करें तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें,उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्राचीन समय में ऐसेप्रजातंत्र विशेष रूप से यूनान और रोम में विद्यमान थे परंतु आधुनिक युग में बड़े–बड़े राज्य हैं जिनके जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है और भू–भाग लंबा चौड़ा नागरिकों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है।

अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र (Indirect or Representative Democracy)

आजकल जनता अपने प्रतिनिधि चुन लेती है और वह प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाते जा शासन करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है भारत में यह प्रतिनिधि साधारणतया 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

2.2.7 प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की संस्थाएँ (Institutions of Direct Democracy)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कुछ संस्थाएं अपनाई गई है। इसके लिए स्विट्जरलैंड बड़ा प्रसिद्ध है।स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। (Home of Direct Democracy) इन संस्थाओं द्वारा नागरिकों को कानून बनवाने और संसद के बनाए कानूनों को लागू होने से रोकने का अधिकार दिया जाता है। इन संस्थाओं में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में आ जाती है। स्विट्जरलैंड के कुछ केंट नो मैन समस्त मतदाता एक स्थान पर एकत्रित होकर कानून बनाते हैं तथा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं परंतु समस्त देशों में ऐसा होना संभव नहीं है।प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आधुनिक संस्थाएं केवल थोड़े से देशों में मिलती है जैसे (1) प्रस्तावाधिकार (Initiative), (2) जनमत संग्रह

(Referendum), (3) प्रत्यावर्तन या वापसी (Recall) तथा (4) लोकमत संग्रह (Plebiscite)। इस का सविस्तार वर्णन नीचे दिया गया है।

प्रस्तावाधिकार (Initiative)

मतदाताओं का अपनी इच्छा के अनुसार कानून का अधिकार होता है। यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या किसी कानून को बनवाने की मांग करें तो संसद उस प्रार्थना के अनुसार कानून बना दे तो अच्छी बात है। यदि उस संसद उस मांग से सहमत ना हो तो वह समस्त जनता की राय लेती है और यदि मतदाता बहुमत से उस मांग का समर्थन करते तो संसद को वह कानून अवश्य ही बनाना पड़ता है।

जनमत संग्रह (Referendum)

जनमत संग्रह द्वारा संसद के बनाए गए कानून लोगों के सामने रखे जाते हैं। वह कानून तभी पास हुए समझे जाते हैं यदि मतदाताओं का बहुमत उनके पक्ष में हो अन्यथा नहीं तो वह कानून रद्द हो जाता है। इस प्रकार यदि सांसद कोई ऐसा कानून बना भी तेजी से जनता अच्छा नहीं समझती हो तो जनता उसे लागू होने से रोकती है। स्विजरलैंड में यह नियम है कि कानूनों को लागू करने से पहले जनता की राय ली जाती है।

वापसी (Recall)

इस नियम के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधि को अवधि समाप्त होने से पहले भी वापस बुलाने और दूसरा प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार द्वारा मतदाताओं की एक निश्चित संख्या अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकती है इससे प्रतिनिधियों पूरे मतदाताओं का स्थाई प्रभाव बना रहता है और वे कभी भी उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। स्विजरलैंड में यह नियम लागू है।

लोकमत संग्रह (Plebscite)

कानून पर जनता की राय जानना जनमत संग्रह कहलाती है। पाकिस्तान कई वर्षों से यह मांग कर रहा है कि कश्मीर में लोकमत संग्रह करवाया जाए कि वहां के लोग भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लोकमत संग्रह का एक अन्य रूप भी है जिसे मतसंख्या (Opinion Pool) कहते हैं ।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं देखने में बहुत अच्छी प्रतीत होती है परंतु सभी देशों में इन संस्थाओं का संचालन ठीक नहीं हो सकता। इसका सफलतापूर्वक प्रयोग से राज्यों में हो सकता है जो छोटे हो और जहां के लोग पढ़े लिखे हो।

2.2.8 प्रजातंत्र के मार्ग में बाधाएं

(Hindrances in the Path of emocracy)

वर्तमान युग प्रजातंत्र का योग है। प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है यही कारण है कि संसार के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन सभी देशों में प्रजातंत्र को एक समान सफलता प्राप्त नहीं हो सकी प्रजातंत्र के बाधाएं (Hindrances) हैं तो इसका प्रमुख कारण बनती है इस प्रकार है–

सामाजिक असमानता (Social Inequality)

सामाजिक असमानता प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता का

होना अत्यावश्यक है। यदि किसी समाज में सभी व्यक्तियों को समान नहीं समझा जाता तो वह उसमें जाति, धर्म, वंश, भाषा, वर्ण, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

आर्थिक समानता (Economic Inequality)

सामाजिक असमानता के साथ–साथ आर्थिक असमानता भी प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। आर्थिक समानता प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। कोल (Cole) ने उचित ही कहा है कि ''आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है।''(Political democracy is meaningless without economic democracy.)

आर्थिक असमानता के कारण समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है –गरीब और अमीर इन दोनों और को में संघर्ष चलता रहता है।

निर्धनता (Poverty)

गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात भी नहीं सोच सकता। एक इंसान के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता उसके लिए वोट से अधिक महत्व रोटी का है। मेडीसन (Medison) ने उचित ही कहा है कि जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है।

बेकारी (Unemployment)

बेकार व्यक्ति बेकार की बातें सोचता है। वह देश तथा समाज के हित की बात सोच ही नहीं सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का उच्च नैतिक चरित्र का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बेरोजगारी के कारण नागरिकों के चरित्र का पतन हुआ है। भारत में निरंतर बढ़ रही हिंसा, अपराध,जनसंहारो व निजी सेनाओं के गठन का मुख्य कारण बेरोजगारी है।

एक दल का प्रभाव (Dominance of One Party)

एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता की इच्छाओं के दमन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सत्ताधारी दल अनुशासन की सभी सीमाओं को लाने का प्रयास करता है। ऐसी व्यवस्था में सत्ताधारी दल का व्यवहार तानाशाही पूर्ण हो जाता है। जिसे प्रजातन्त्र में बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता। एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातंत्र का स्वभाव व्यवस्था में प्रजातंत्र का विकास संभव नहीं हो पाता।

निरक्षरता (Illteracy)

शिक्षा एक अच्छे जीवन का आधार है शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकार में और पशु तुला हो जाता है। व्यापक स्तर पर निर्भरता के कारण ही भारत में जातिवाद, भाषा, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि को बढ़ावा मिलता है जो भारतीय प्रजातंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है।

बहुदलीय प्रणाली (Multiparty System)

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। प्रजातंत्र और राजनीतिक दलों का परस्पर इतना गणित संबंध है कि एक के अभाव में दूसरा मात्र पर आए हैं। राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र शासन चलाना संभव नहीं होता।लार्ड ब्राइस (Lord Bryce)का कहना है कि इसके बिना कोई देश कार्य नहीं कर सकता कोई भी आज तक नहीं दिखा सका कि लोकतंत्र सरकारें इसके बिना कैसे कार्य कर सकती है। लेकिन यह बात निश्चित है कि राजनीतिक दलों की अधिक संख्या प्रणाली के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा सकती है।

संगठित विरोधी दल का अभाव (Lack of Organised Opposition)

संगठित विरोधी दल भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। वास्तव में जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठित विरोधी दल नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र की सफलता खतरे में रहती है। विरोधी दल सरकार की नीतियों पर पैनी नजर रखती है और सरकार की अनुचित नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटता। विपक्षी दल सरकार को निंरकुश होने से बचाता है। इतना ही नहीं सरकार गिरने की स्थिति में विरोधी दल सरकार बनाने में तत्पर रहता है। इसी कारण विरोधी दल को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां पर सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता।

जनता के साथ कम संपर्क (Less contact with masses)

प्रजातंत्र की सफलता के लिए विधायकों तथा जनता का परस्पर संपर्क होना अति आवश्यक है। परंतु प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रायः विधायकों का जनता से संपर्क नहीं रहता। अधिकतर विधायक चुनाव के समय में ही दिखाई पड़ते हैं और चुनाव के बाद तो वह लुप्त हो जाते हैं। जनता से कम संपर्क प्रजातंत्र के मार्ग में एक रूकावट बन जाता है।भारतीय प्रजातंत्र का एक दोष यह है कि विधायक जनता के साथ संपर्क बनाए नहीं रखते।

प्रादेशिक दल (Regional Parties)

प्रजातंत्र की सफलता के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा प्रादेशिक दलों का होना भी है। यद्यपि क्षेत्रीय दलों का होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र विशेष से प्रेम करने की संकीर्ण प्रवृत्ति होती है। ये दल राष्ट्रीय महत्व के विषय में नहीं सोचते। प्रादेशिक दलों के राष्ट्रीय दलों का महत्व कम हो जाता है।

विधायकों में अनुशासन की कमी (Lack of Discipline Among the Legislators)

प्रजातंत्र में अनुशासनात्मक एक आदर्श माना जाता है। लेकिन अनुशासन की कमी के कारण प्रजातंत्र एक भीड़ तंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। अनुशासनहीन विधायक प्रजातंत्र शासन को अपनी मर्जी से प्रयोग करते हैं। विधायकों की अनुशासनहीनता और उद्दंडता का अनुसरण जनता भी करने लगती है। भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या विधायकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है। विधानसभा में और संसद में हाथापाई तथा मारपीट की वारदातें बढ़ती जा रही है।

दलबदल (Defection)

दलबदल भी प्रजातंत्र में बहुत हानिकारक है क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिरता आती है और छोटे–छोटे दलों की स्थापना होती है। इससे जनता का अपने प्रतिनिधियों और नेताओं पर से विश्वास उठ जाता है। जनता को यह शंका रहती है कि उन्होंने जिस दल के विशेष नेता को सुना है कहीं वह दल बदल कर अन्य दल में शामिल न हो जाए।

स्वतंत्र निष्पक्ष और ईमानदार प्रेस की कमी (Lack of Free, Impartial and Honest Press)

प्रजातंत्र में प्रेस (Press) की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रेस को प्रजातंत्र का पहरेदार कहा जाता है। प्रेस द्वारा ही जनता को सरकार की नीतियों और समस्याओं का पता चलता है। परंतु प्रेस का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना तथा ईमानदार होना आवश्यक है। भारत में प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र तथा ईमानदार नहीं है। प्रेस लोगों को देश की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की सूचना नहीं देती, जिसके कारण स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता।

जातिवाद की राजनीति (Politics of Castism)

जातिवाद एक ऐसा तत्व है जो भावनात्मक उन्माद भड़का सकता है।जाति के आधार पर प्रत्याशियों (Candidates) का चयन, जाति के आधार पर वोट मांगना,जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाना, जाति विशेष को अपना वोट बैंक समझना इत्यादि ये नकारात्मक तत्वों प्रजातंत्र के मार्ग में बाधाएं बनते हैं।

चुनाव बहुत खर्चीली है (Elections are Very Costly)

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव लड़ना सरल कार्य नहीं है। चुनाव अत्यंत खर्चीले हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। एक निर्धन व्यक्ति लड़ने की बात भी नहीं सोच सकता। केवल धनी व्यक्ति ही चुनाव लड़ने का साहस करते हैं। यही कारण है कि शासन धनी व्यक्तियों में चली जाती है। प्रजातंत्र की सफलता के खर्चीली चुनाव बहुत बड़ी बाधा है।

दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Defective Electrol System)

प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन प्रणाली दोष रहित होनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को जनता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। लेकिन दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली में उम्मीदवार कई बार थोड़े से मत प्राप्त करके भी विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। प्रायः एक सदस्यीय निर्वाचन अब क्षेत्र में जहां अनेक सदस्य चुनाव लड़ते हैं, वहीं सदस्य विजयी घोषित किया जाता है जो अपने प्रतिद्वंदी में सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है। ऐसी व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि मतदाताओं का अधिकांश भाग ऐसा रह जाता है जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता।

उदार प्रजातंत्र अथवा प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक अवस्थाएं (Conditions Necessary for the Success of Liberal Democracy or Democracy)

उद्धार प्रजातंत्र अथवा प्रजातंत्र शासन सबसे अच्छी विधि मानी गई है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं (Conditions) आवश्यक है।

सचेत नागरिकता (Enlightened Citizenship)

लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने लगातार सचेतता को स्वतंत्रता का मूल्य बताया है। (Constant vigilance is the prices of liberty)। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक शासक भी है और शासित भी। सचेत नागरिकता नागरिकों को वास्तविक अर्थों में शिक्षित और शासक बना सकती है। नागरिक के कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। सचेत नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने अधिकारों और देश की समस्याओं के प्रति सचेत रहें और अपनी बुद्धि द्वारा देश की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण सहयोग दें।

शिक्षित जनता (Educated Citizens)

जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने कहा है कि ''सार्वभौमिक मताधिकार होने से पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।''(Universal education should precede universal franchise.) प्रजातंत्र की सफलता नागरिकों की उचित शिक्षा पर निर्भर है। अशिक्षित व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों उचित रूप से समझना और कर्तव्य का उचित रूप से पालन करना कठिन है।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

कोल (Cole) ने कहा है ''आर्थिक प्रजातंत्र के बिना राजनीति अर्थहीन है।'' (Political democracy is meaningless without economic democracy.)। इस कथन में बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि जिस राज्य में आर्थिक समानता अधिक होती है। वहां धनी लोगों के हाथ में ही राजनीतिक शक्ति आ जाती है। जिस समाज में निर्धन लोगों में अधिक मतभेद है वहां प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकती।

सामाजिक समानता (Social Equality)

समाज में जाति रंग धर्म के आधार पर भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि समाज में ऐसा भेदभाव हो तो सामाजिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि सब व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सब अधिकार प्राप्त हो और किसी भी व्यक्ति या श्रेणी को किसी प्रकार के विशेष अधिकारियों सुविधाएं न प्राप्त हो।

स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)

लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ''प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम स्कूल और गारंटी बताता है।'' (Local self-government is the best school and best guarantee for the success of democracy.) प्रजातंत्र की सफलता स्थानीय सरकारों पर बहुत निर्भर है। वास्तव में स्थानीय सरकारें नागरिकों को प्रजातंत्र की प्रारंभिक शिक्षा देती है। डी०टाक्विल (De-Tocquelville) के शब्दों में ''एक राष्ट्र यद्यपि स्वतंत्र सरकार की प्रणाली स्थापित करने परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना इसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती।'' (A nation may establish system of free government but without municipal institution it can not have spirit of liberty.)

लोगों का उच्च नैतिक स्तर (High Moral Standard)

हर्नशा (Hearnshow) के कथनानुसार ''प्रजातंत्रीय सिद्धांत स्वभाव से अवश्य धार्मिक है। (The democractic principle is essentially a religious in character.) प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक चरित्र का ऊंचा होना आवश्यक है। प्रजातंत्रीय शासन सफलतापूर्वक तभी चल सकता है यदि नागरिक निःस्वार्थ, ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित होंगे।

स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका (Independent and Impartial Judiciary)

लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) का कथन है ''किसी देश की सरकार की उत्तम तथा न्यायपालिका की योग्यता से अच्छी कोई अन्य खुश होती नहीं है।''(There is no better test of the excellence of the government than the efficiency of its judicial system.) ब्राईस के इस कथन में पूर्ण सत्यता है। लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रजातंत्र कादिल और आत्मा होते हैं, परंतु इन अधिकारों की योग्य सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में न्यायपालिका का केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है अपितु इसका निष्पक्ष होना अधिकांश आवश्यक है।

लिखित संविधान (Written Constitution)

सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) के शब्दों में ''अच्छा सविधान हलचल वाले प्रजातंत्र पर एक वाधा है और इसके साथ इसको तालाब के पानी की तरह शांत किया जा सकता है।'' (With a wise constitution the turbulance of democracy may be restricted and made as calm as water in a reservoir.) कुछ विचारकों का यह मत है कि लिखित संविधान प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्योंकि लिखित संविधान में ही लोगों के मौलिक अधिकार और उनकी सुरक्षा है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए लिखित संविधान का अस्तित्व आवश्यक है।

योग्य नेताओं का चुनाव (Election of able leaders)

''प्रजातंत्र में नेता ऐसे होने चाहिए तो दर्द निर्णय ले सके और वास्तविक योग्यता,असाधारण कार्य क्षमता वाले और महान चरित्रवान हो।'' (Leaders in a democracy should be men of sound, judgement, genuine ability, outstanding initiative and unimpeachable character.)

स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस (Free and Honest Press)

प्रेस को प्रजातंत्र का रक्षक माना गया है। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है। जनमत को बनाने और व्यक्त करने के लिए समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ईमानदार और निष्पक्ष प्रेस का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है।

अच्छे संगठित राजनीतिक दल (Well organised Political Parties)

राजनीतिक दलों के बिना सफल प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।हालांकि राजनीतिक दलों में अनेक दोष भी हैं। राजनीतिक दल जाति धर्म भाषा प्रांत आदि पर आधारित नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके वह उदल प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए बल्कि दो–दलीय प्रणाली की प्रथा अपनानी चाहिए।

निष्कर्ष(Conclusion)

हम लॉवेल (Lowell) के इस कथन से सहमत हैं कि यदि कोई राज्य ये सब ऊपरलिखित कार्य करता है तो प्रचंड वायु के झोंके भी उसकी नींव को हिला नहीं सकेंगे। दूसरे स्थानों पर यद्यपि तूफान धराव मचाते रहे, परंतु वह बिना हिले जुले खड़ा रह सकेगा।

अब हम लोकतंत्र के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे यह सिद्धांत है।

2.2.9 लोकतंत्र का प्रतिष्ठित अथवा उदारवादी सिद्धांत (Classical or Liberal Theory of Democracy)

उदारवाद (Liberalism) एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा है। इस विचारधारा ने जिन प्रजातंत्रीय सिद्धांतों पर बल दिया है उन्हें सामूहिक रूप में उदारवादी प्रजातंत्र (Liberal Democracy) कहा जाता है। इस प्रकार के प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Indirect Democracy) और प्रतिनिधि–प्रजातंत्र (Representative Democracy) की संज्ञा भी दी जाती है। प्रजातंत्र के इस रूप को प्रजातंत्र का उदारवादी सिद्धांत (Liberal Theory of Democracy) कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत (Classical Theory of Democracy) भी कहा जाता है।

उदारवाद ने एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा सुरक्षित रह सके। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक काल उदारवाद के प्रचार–प्रसार का काल था। जब में सिर्फ आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं में भी महान परिवर्तन हुआ। जान लॉक (John Locke) ने धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप नीतिऔर सामाजिक क्षेत्र में समानता व व्यक्तिगत अधिकारों पर बल दिया था। बाद में बैंथम (Bentham) और जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने भी राज्य के दबाव रूढ़िवाद का विरोध किया। इन सभी ने यह बता कि सब मनुष्य समान है और उनके अधिकार भी बराबर है। इन अधिकारों में राजनीतिक स्वतंत्रता मताधिकार और संपत्ति की सुरक्षा मुख्य हैं और हर राज्य का कर्तव्य

है कि व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करे। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद 'संवैधानिक लोकतंत्र' (Constitutional Democracy) का समर्थक हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत विभिन्न तरह की स्वतंत्रता है। संभव है सभी नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने सरकार का गठन करने उसकी आलोचना करने और यहां तक की आवश्यकता हो जाने पर वर्तमान शासक को को हटाने उनके स्थान पर नए शासकों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उदारवाद का सिद्धांत 'लौकिक प्रभुसत्ता' (Popular sovereignty) की ओर ले जाता है।

लक्षण (Characteristics)

एलेन बॉल (Alan Ball)ने उदार लोकतंत्र की सरकारों के निम्नलिखित लक्षण गिनाए हैं:–

1. **अधिक राजनीतिक दल (Multi-Party System)** :–एक से राजनीतिक दल होते हैं यह सभी दल राजनीतिक सत्ता के लिए खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं।

2. **प्रतियोगिता (Open Competition)** :– ''सत्ता के लिए प्रतियोगिता खुलकर होती है।''

3 **बालिग मताधिकार (Adult Franchise)** :– बालिग मताधिकार पर आधारित चुनाव समय–समय पर होते रहते हैं

4. **दबाव गुट (Pressure Group)** :–सरकारी निर्णय को प्रभावित करने के लिए दबाव गुटों को कार्य करने का अवसर मिलता है।

5. **स्वतंत्रता (Freedoe of Speech and Expression)** :–अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने की स्वतंत्रता सरकार द्वारा मान्य होती है।

6. **न्यायपालिका स्वाधीन (Independent Judiciary)** :–न्यायपालिका स्वाधीन तथा निष्पक्ष होती है।

7. **एकाधिकार (No Monopoly of Government)** :–टेलीविजन रेडियो और अखबार जैसे माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता।

2.2.10 उदार लोकतंत्र के गुण (Mertis of Liberal Democracy)

जे०एस० मिल (J.S. Mill), जैफरसन (Jefferson) और लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने लोकतन्त्रीय शासन के निम्नलिखित गुण बतलाये हैं:–

जनता स्वयं अपने भाग्य विधाता (People are Masters of their Destiny)

लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन (Government of the people, by the people, for the people) देखने को मिलता है। कानूनों का निर्माण जनता के प्रतिनिधिकरते हैं तथा उन्हें लागू करने वाली संस्था अर्थात कार्यपालिका (Executive) भी स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती। न्यायपालिका स्वाधीन (Independent) तथा निष्पक्ष होती है।

अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा (Protection of Rights and Liberty)

एक लोकतांत्रिक राज्य लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता। लोकतंत्र में नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। जैसे –धार्मिक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत देने का

अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार।

शासन का आधार विवेक (Government Based on Reason or Logic)

उदार लोकतन्त्र में सत्ता के ऊपर जनप्रतिनिधियों का नियन्त्रण होता है। लोकतंत्र की मान्यता यह है कि सभी निर्णय उचित वाद विवाद के द्वारा लिए जाए, नकि हिंसा व शक्ति प्रशासन द्वारा। लोकतंत्र में ''राजसत्ता'' के लिए खुलकर प्रतियोगिता होती है। यदि कोई पार्टी ठीक तरह से शासन ना करें तो जनता उस पार्टी को ठुकरा सकती है। लोकतंत्र में सरकारी शांतिपूर्ण ढंग से बदलती रहती है। उदार लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन मत (Ballet) द्वारा होता है, न कि बंदूक की गोली (Bullet) द्वारा। (In liberal Democracy Government is Changed by Ballet not Bullet.)

राजनीतिक शिक्षण (Educational Value)

लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। एक लोकतंत्र इस देश के नागरिकों को विस्तार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन्हें विभिन्न दलों की नीतियों और कार्यक्रमों को जानने का अवसर मिलता है और वे जनमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक शिक्षण खूब होता है। इससे उनके चरित्र का भी विकास होता है ए० अप्पादुरैई (A. Appadorai) ने कहा है ''लोकतंत्र में शासन की पूरी जिम्मेवारी नागरिकों पर पड़ती है। इससे उन्हें बुद्धिमता और आत्मनिर्भरता के गुण आते हैं तथा नए–नए प्रयोगों की प्रवृत्ति का उदय होता है।'' (Democracy encourages the intelligence, self reliance, initiative and social sense of freedom by placing the ultimate responsibility for governance on the citizens themselves.)

2.2.11 उदार लोकतंत्र के दोष (Demerits of Liberal Democracy)

उदार लोकतंत्र की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है:–

1. **अयोग्यता (Incapability)** :–लोकतंत्र में अयोग्य की पूजा होती है। क्योंकि सर्वसाधारण इस योग्य नहीं होता कि वह शासन का कार्यभार संभाल सके।

2. **दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Defective Electoral System)** :– उदार लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन है ही नहीं, क्योंकि अधिकांश देशों (भारत, ब्रिटेन) में जो निर्वाचन प्रणाली प्रचलित है वह दोषपूर्ण हैं। उसमें इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो उम्मीदवार चुना गया है वह वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

3. **धन हावी (Wealth Reigns)** :–राजनीतिक शक्ति पर धन हावी हो गया है।

4. **सरकारे बदलती रहती हैं (Unstable Governments)** :– आए दिन सरकारे बदलती रहती है और जब तक चुनाव होते रहते हैं। अस्थिर सरकारों की वजह से कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि नेताओं का अधिकांश समय गुटबंदी ने ही दिखता है।

5. **समय और धन की बर्बादी(Wastage of time and Money)** :–संसद में छोटे–छोटे विषयों को लेकर काफी समय तक अनावश्यक वाद–विवाद चलता रहता है। इससे समय और धन की बर्बादी होती है।

6. **बहुत अधिक वेतन और भत्ते (Highly Salary and Allowances for M.P.s and M.L.A.s):**–विधानमंडल और मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत अधिक वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

2.2.12 उधार लोकतंत्र की सफलता
(Success of Liberal Democracy)

लोकतंत्र एक श्रेष्ठ प्रणाली है पर उसके मार्ग में कई बाधाएं हैं जैसेः–

(1) अशिक्षा (Illiteracy)

(2) उच्च चरित्र वाले नेताओं का अभाव (Lack of leaders with High moral character.)

(3) सामाजिक आर्थिक आधार पर गठित स्वस्थ राजनीतिक दलों का नया होना। (Lack of good organised political Parties.)

(4) सामाजिक असमानताएँ अर्थात् व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव एवं अनुसूचित जातियों व महिलाओं पर होने वाले अत्याचार (Cruelty on weaker sections and women.)

(5) गरीबी और बेकारी (Poverty and unemployment) आदि।

उदार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत आवश्यक है (Condition Necessary for Success of Liberal Democracy) :–

सहमति (Agreement)

लोकतंत्र की सफलता के लिए है जरूरी है कि सभी राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। दलों के इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए तथा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले।

नागरिकों का उच्च चरित्र (High Moral Character)

लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जनता में उदारता और सहनशीलता की भावना हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि लोग वोट देने के अधिकार का ईमानदारी से प्रयोग करें। उन्हें पैसे के लोग तथा जातीय और धार्मिक भावना से ऊपर उठना चाहिए। लोगों में इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वह सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर सकें।

नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberty)

यह जरूरी है कि न्यायपालिका स्वाधीन हो तथा लोगों को मनमाने ढंग से बंन्दी न बनाया जाए। उन्हें विचार भाषण और धर्म की आजादी मिलनी चाहिए। रेडियो समाचार पत्र और टेलीविजन आदि जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक दल (Political Parties)

लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों पर ही निर्भर है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि दलों की संख्या अधिक ना होने पाए ब्रिटेन और अमेरिका अपने द्विदलीय पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश दल पद्धति की एक और विशेषता है – दलीय अनुशासन (Party Dicipline) भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप आज भी बहुत अस्पष्ट है।

शक्तिशाली विरोधी दल (Strong Opposition)

लोकतंत्र में विरोधी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है तथा विरोधी दल 'लोकतंत्र के पहरी' (Watchdog of Democracy) की भूमिका अदा करता है। वह शासन दल को निरंकुश

बनने से रोकता है। विरोधी दल का यह कर्तव्य है वह गैर जिम्मेदारी के कार्यों से बचें।

सामाजिक आर्थिक सुरक्षा (Social Economic Security)

लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय (Social Justice) की स्थापना आवश्यक है। यह जरूरी है कि जाति, धर्म, रंग, या लिंग भेद के आधार पर व्यक्ति–व्यक्ति के बीच ऊंच–नीच की दीवारेंन हों। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ यह है कि बीमारी बेरोजगारी या विकलांगता के कारण जिन लोगों की सहायता की आवश्यकता हो, उनके लिए राज्य की ओर से इस तरह की सहायता की व्यवस्था की जाए।

2.2.13 लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत

(Pluralist Theory of Democracy)

फिग्गीस (Figgis) मेटलैंड (Maitland) जी० डी० एच० कोल (G.D.H. Cole), बार्कर (Barker) तथा लास्की (Laski) आदि विद्वानों का यह मत है कि अन्य संगठन चर्च, विश्वविद्यालय, परिवार तथा अन्य आर्थिक संगठनों जैसे अनेक समुदाय हैं जिनका महत्व राज्य से कम नहीं है और वे भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैन्टले (Bentley) डहल (Dahl), वेबर (Weber) तथा मेडिसन (Madison) आदि ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि उदार लोकतंत्र राज्यों में मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, उपभोक्ता तथा पेशेवर व्यक्तियों (Professionals) के अपने संघ होते हैं, जो अपने सदस्यों को अनेक उचित अधिकार दिलाने के लिए काम करते रहते हैं।प्रैस्थस (Presthus) ने लिखा है ''बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राजसत्ता अनेक निजी समूह संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बंटी होती है। (Pluralist democracy is a socio political system in which the power of the state is shared with a large number of private groups, interested organisation and individuals represented by such organisations.) साधारण शब्दों में, बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें नीतियों व कानूनों का निर्माण पारस्परिक वार्ता (Discussion and Debate) तथा विभिन्न समुदायों के बीच विचारों के आदान–प्रदान द्वारा होता है। इसकी मूल धारणा यह है कि शक्ति के उपयोग में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए और सभी संगठित समूह का नीतिमें भाग होना चाहिए।

2.2.14 बहुलवादी लोकतन्त्र की विशेषताएँ

(Characterisitcs of Pluralist Democracy)

बहुलवादी लोकतंत्र की विशेषताएं बहुलवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

प्रभाव के विभिन्न केंद्र (Different Centres of Power)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा इस व्यवस्था को ''सत्ता तथा प्रभाव के विभिन्न गलियारों'' (Different corridors of Power and influence) के रूप में परिभाषित किया गया है। विभिन्न गलियारों से अभिप्राय हैं :– संसद (Parliament), कार्यपालिका (Executive), विधान पालिका (Legistature), राजनीतिक दल (Political Parties), संचार माध्यम (Communications) तथा अनेक धार्मिक (Religious) सामाजिक (Social) व आर्थिक समुदायों (EconomicAssociation) को कई बार इन संगठनों को अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यता है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समुदायों में विभाजित हो। दूसरे शब्दों में शासन शक्ति के उपयोग में राज्य के साथ इन समुदायों का भी भाग होना चाहिए।

संगठनों की अनिवार्यता (Associations are Compulsory)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों का कहना है कि यदि व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनकी आवाज का कोई मूल्य हो तो, उन्हें अपने आपको समुदायों में संगठित करना होगा। अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है और एक ही रखने वाले लोग सुविधाओं में संगठित में हो जाते हैं तो वह शक्ति संपन्न बन जाते हैं। हंटर (Hunter) लिखते हैं,''व्यक्तियों को स्वयं को प्रभावकारी बनाने के लिए समुदायों, गुटों या अन्य संस्था के रूप में संगठित होना पड़ेगा।

संतुलन (Balance)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों का कहना है कि सभी समुदाय राजनीतिक व्यवस्था के अंग है और उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन रही है वह इस बात की सर्वोत्तम गारंटी है। कि राजस्व इच्छा चारी नहीं बनेगा बहुलवादी लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं इससे एक प्रकार का संतुलन हो जाता है।

दूरी कम की जाए (The Distance should be Reduced)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थक इस बात से सहमत है कि शासन तथा जनता के बीच की दूरी कम की जाए। प्रेस्थस(Presthus) ने लिखा है कि,''ऐसे समूह अपने नेताओं के माध्यम से शक्ति के सभी संगठित स्वरूपों तथा व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार शासन को जनता के निकट रखा जा सकता है और ऐसे समूह के हितों व कौशल निर्णय लिए जाने में सहायता मिलती है।'' (Through their leaders such groups mediate between indidividuals and all organised forms of power. In this way, government is kept close to the people and decisions benefit from the still and interest which such groups provide.)

राज्य का स्वरूप (Nature of the State)

बहुलवादी एक निष्पक्ष राज्य का समर्थन करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र ऐसी सरकार की कल्पना करता है जो निष्पक्ष रूप से एक निर्णायक की भांति विभिन्न समूह के टकराव पर नियंत्रण रखें।

मूल्यांकन
(Evaluation)

प्रजातांत्रिक सिद्धांत में कुछ त्रुटियां हैं, जो इस प्रकार है :–

प्रभावशाली समूह का लोकतंत्र (Democracy of Powerful Association)

बहुलवादी लोकतंत्र समुदायों (समूहों) पर आधारित है। यहां शक्ति का कुछ इस प्रकार प्रयोग हो सकता है कि कोई समूह इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह राजनीति की सारी कार्य–सूची का निर्धारण करने लगे। ऐसी अवस्था में बहुलवादी लोकतंत्र प्रभावशाली समूहों का लोकतंत्र बनकर रह जाएगा।

धन की शक्ति (Money Power)

समाज में कमजोर वर्गों के लिए अपनी मांगे मनमाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि केवल वही संघ अपनी बात मनवा सकते हैं, जिनके पास धन की शक्ति है। व्यवहार में एक और राज्य की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर समाज में प्रभावशाली व्यवसाय के समूहों दबदबा बढ़ रहा है। जैसे–जैसे राजा अपनी शक्तियाँ ग्रहण कर रहा है, वह नौकरशाह अधिक और लोकतांत्रिक कम बनता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त समूह राजा पर इस प्रकार

हावी हो जाते हैं कि राज्य और उसका साधन मात्र बनकर रह जाता है।

तोड़ने फोड़ने (Destruction)

ऐसे भी समुदाय होते हैं जो अपने कार्यों से सरकारी प्रक्रिया को अपनाने के लिए तोड़फोड़ करने में लगे रहते हैं।

एक ऐसी व्यवस्था जहां स्पर्धा (Competition) के माध्यम से शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें विजय होने वाला समूह अपना अधिकार बनाए रखने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार एक छोट–से समूह के हाथों में शक्ति केन्द्रिय रहती है, जिससे समस्त राजनीति अल्पतांत्रिक बनकर रह जाती है।

2.2.15 लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग वादी सिद्धांत (Elitist Theory of Democracy)

उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) के समर्थकों के अनुसार, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता के तथा जनता द्वारा (By the people, for the people and of the people) शासन है। जिसमें देश के शासन के में सभी लोग भाग लेते हैं। ब्राईस (Bryce) ने लिखा है लोकतंत्र है वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन संस्था किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों में निहित होती है। सीले (Seeley) के अनुसार लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। नागरिक अनिश्चितकाल के लिए प्रतिनिधियों (Representatives) का चुनाव करते हैं। जो उस काल में शासन करते हैं।

20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इटली के दो प्रसिद्ध विद्वानों – विल्फ्रेडो पेरेशे (Vilfredo Pareto) तथा जी० मोस्का (G. Mosca) ने लोकतंत्र की विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में शासन की शक्ति कुछ 'विशिष्ट व्यक्तियों' अथवा एक 'विशिष्ट वर्ग'(Elite) के हाथों में केंद्रीय होती है। बाद में कई अन्य विद्वानोंरार्बट भिशेल्श (Robert Michals), बर्नहम (Burnham), लास्वैल (Lasswell) तथा सी० राईट मिल्य(C. Wright Mills) द्वारा भी इस विचारधारा का समर्थन किया गया है।

''विशिष्ट वर्ग का अर्थ (Meaning of Elite) साधारणतः विशिष्ट वर्ग (Elite) का अर्थ है आबादी का एक चुनिंदा अर्थात् विशिष्ट भाग (The chosen element in the population) इस प्रकार ''श्रेष्ठजन अथवा विशिष्ट वर्ग उन्हें कहेंगे जो अल्प संख्या (Minority) में होते हैं तथा अपने किसी खास उत्कृष्टता के कारण समाज के शेष वर्गों से एकदम अलग और उनके ऊपर दिखाई देते हैं। इस उत्कृष्टता का आधार धन–दौलत (Money or Wealth) भी हो सकती है अथवा सैनिक (Military) अथवा असैनिक (Civilian or non-military)ऊँचा ओहदा (Status or Position) भी चर्च (Church) अथवा धर्म विषयक(Related & Religion) अधिकार, नेतागिरी (Leadership) का गुण या अन्य कोई विशिष्टता कुछ व्यक्तियों को समाज के आम लोगों से एकदम पृथक–सा कर देती है। ये वे व्यक्ति हैं जो अपन–अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थानों (Top Positions) पर स्थित है और इसलिए वे राजनीतिक गतिविधियों (Activities) का भी संचालन करने लगे हैं। राजसत्ता पर अधिकार जमा लेने के कारण उन्हें कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि शासक वर्ग (Ruling Class) सशक्त श्रेष्ठजन (Power Elite) तथा उच्च वर्ग (Superior Class) आदि।

2.2.16 विशिष्टवर्गवादी सिद्धांत का विकास (Development of Elitist Theory)

विल्फ्रैडो परेटो (Vilfredo Pareto) ने विशिष्ट वर्ग को दो श्रेणियों में रखा है :–

1. **'सामाजिक श्रेष्ठजन' (Social Elite)** :–'सामाजिक श्रेष्ठजन' में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया

है जो सफल व्यापारी, बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक, उच्च कोटि के विद्वान, और अन्य किसी प्रकार के व्यक्ति। ये लोग वास्तव में शासन नहीं करते, पर मस्तिष्क और श्रेष्ठता के कारण समाज में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। शासकगण उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते।

2. **अधिकारी श्रेष्ठजन (Governing Elite)** :–'अधिवासी श्रेष्ठजन' के अंतर्गत वे सभी राजनेता, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी शामिल हैं जो वास्तव में शासन तंत्र का संचालन करते हैं।

अधिशासी अभिजन वर्ग के भी दो प्रकार हैं–

(a) 'शेर के गुण' (Qualities of a Lion) वे जो 'शेर के गुण' रखते हैं और चालाकी की बजाय 'बल'(Power) द्वारा शासन करते हैं तथा

(b) 'लोमड़ी की भांति' (Qualities of a Fox) वे जो'लोमड़ी' (Fox) की भांती छल–कपट में कुशल होते हैं और अवसरों के अनुसार अपने को डाल सकते हैं।

जी० मोस्का (G. Mosca) ने हर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है :–

1 शासक वर्ग (Class that Rules):–शासक वर्ग एक छोटा सा वर्क होता है पर ये व्यक्ति पूर्णतया संगठित (Organised) होते हैं। जी० मोस्का (G.Mosca) के शब्दों में ''...शासक वर्ग सदैव एक छोटा सा वर्ग होता है, पर यही वर्ग सभी राजनीतिक क्रियाओं का संपादन करता है और राजसत्ता पर एकाधिकार कायम कर लेता है।फलस्वरूप यही वर्ग सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करता है।'' ("....a class that rules, always the less numerous, performs all political functions monopolizes power and enjoys the adventages that power brings ....")

2 शोषित वर्ग (Cass that is rurled) बहुसंख्या (Majority)'शासित वर्ग' (Class that is ruled) के अंतर्गत आती है। बहुसंख्यक होते हुए भी ये लोग एक 'असंगठित भीड़' (Unorganized Group) के समान है और इसलिए राजसत्ता में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती। जी० मोस्का (G. Mosca) के अनुसार ''... वे जिन पर शासन किया जाता है। 'शासित वर्ग' यद्यपि संख्या में बहुत बड़ा होता है पर उनकी नियति यह है कि उन पर शासन किया जाए।'' ("The domination of an organised minority over the unorganised majority is invitable.")

रॉबर्ट मिशेल्स (Robert Michels) ने ''अल्पतंत्र कालौह नियम'' (Iron law of Oligarchy) का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार अधिकांश मनुष्य स्वभाव के 'निष्क्रिय' (Inactive or lazy) होते हैं, जो स्वयं शासन चलाने का न तो सामर्थ्य रखते हो और ना ही इच्छा की शक्ति। ऐसी स्थिति में यह बड़ा स्वाभाविक है कि नेतागण राजसत्ता पर एकाधिकार जमा लें। चाहे जो भी शासन प्रणाली हो, राजनीतिकशक्ति पर एक छोटे से वर्ग का ही अधिकार होता है। (The domination of an organised minority over the unorganised majority is inevitable.) प्रेस्थस (Presthus) का लिखा है कि ''हम विशिष्ट वर्ग को विशिष्ट नेताओं की ऐसी अल्पसंख्यक वर्ग मानते हैं जो सामाजिक कार्यों में असमान शक्ति का उपयोग करती है।'' (We conceptualise elite as minorities of specialised leaders who enjoy disproportionate amounts of power in community affairs.)

सी० राइट मिल्स (C. Wright Mills) ने कहा है कि ''शक्ति विशिष्ट वर्ग को हम शक्ति के माध्यम के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात् इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो आदेश देने वाले स्थानों पर अधिकार कर लेते हैं।''

(We define political elite in terms of means of power as those who occupy the command posts.)

लासवेल (Lasswell) के शब्दों में ''किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पर अधिकार रखने वाला वर्ग राजनीतिक विशिष्ट वर्ग होता है। इन शक्तिरखने वालों में नेतृत्व तथा वे सभी सामाजिक समूह शामिल होते हैं, जिनसें नेता आते हैं तथा जिनके प्रति एक निश्चित काल के अंदर नेता उत्तरदायी होते हैं। (The political elite comprises the power holders of a body polite. The power holders include the leadership and social foundations from which leaders typically come and to which accountability is maintained during a given period.)

2.2.17 'विशिष्ट वर्ग' की विशेषताएं (Characterisitcs of Elite)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विशिष्ट वर्ग की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता हैः–

एक छोटा सा विशिष्ट वर्ग (Elite a small groups)

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में एक छोटा सा 'विशिष्ट वर्ग' होता है जो अपनी योग्यता, धन प्रतिष्ठा तथा प्रभाव के कारण सभी प्रमुख राजनीतिक पद हथिया लेता है। सामान्यतः इस वर्ग में इस प्रकार के जो लोग शामिल होते हैं जैसे उच्च प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी, उद्योगपति, धर्माधिकारी, बड़े जमींदार तथा राजनीतिक नेता। यह वर्ग राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखता है।

राजसत्ता पर एकाधिकार (Control over Political Power)

विशिष्ट वर्ग का राजसत्ता पर एकाधिकार होता है।जे०ए० शुम्पीटर (J.A. Schumpeter) के अनुसार,''चुनावों के माध्यम से लोगों को केवल यह अवसर मिलता है कि वे कुछ विशिष्ट लोगों को हटाकर उनके स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों को राजसिंहासन पर बिठा दे।'' इसे विशिष्ट लोगों की संरचना का सिद्धांत (Theory of Circulation of Elites) कहते हैं।

अपना हित(Self-Interest)

लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग के पास निंरकुश शक्तियां नहीं होती। वे भावी चुनावों को ध्यान में रखकर जनभावनाओं के अनुसार ही शासन चलाने का दिखावा करते हैं। यद्यपि व्यवहार में उनमें से अधिकतर जनसाधारण के हितों की चिंता नहीं करते और अपने हित में ही कार्य करते हैं।

2.2.18 'विशिष्ट वर्ग' सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Elitist Theory)

लोकतंत्र विरोधी (Against Democracy)

आलोचकों द्वारा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का विरोधी कहा गया है। यह जनता का शासन न होकर कुछ व्यक्तियों का शासन है। जी० सारटोरी (G. Sartori) के अनुसार ''आत्मशाही जनता की कल्पना एक भ्रामक कथा है या जनता में उत्तेजना पैदा करने की कोई चाल।'' (The image of a self governing demos is either a decaptive myth or a demagogic device.) विशिष्ट वर्गवादी इस बात का दावा करते हैं कि कुछ सामर्थ्य योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों शासन देने में कोई बुराई नहीं है। आलोचकों का कहना है कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के समर्थक यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि विशिष्ट जनों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए।

लासवैल (Lasswell) तथा कार्ल मेनहम (Karl Mainheim) जैसे विद्वान इस सिद्धान्त को अलोकतांत्रिक नहीं मानते। लासवैल (LAsswell) के अनुसार, यह राजनीतिक सत्य है कि देश की समस्त जनता शासन में भाग नहीं ले सकती, लासवेल (Lasswell) ने कहा है "सरकार सदैव कुछ लोगों की होती है, परंतु यह तथ्य लोकतंत्र की धारणा को निश्चित नहीं करता। नेताओं की संरचना को लोकतंत्र का मानदंड मान लेना एक मौलिक भूल है। क्योंकि समाज थोड़े से नेताओं के नेतृत्व में काम करता हुआ भी लोकतन्त्रीय रह सकता है। मौलिक प्रश्न तो उत्तरदायित्व का है।" इस प्रकार उत्तरदायित्व लोकतंत्र का एक आवश्यक तत्व है। इसके अतिरिक्त जनमत के दबाव से भी स्वेच्छाचारिता को रोका जा सकता है। कार्ल मेनहम (Karl Mainheim) के अनुसार है "वास्तविक नीति का निर्धारण कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि समाज लोकतंत्रीयहै ही नहीं। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जनता चुनाव के माध्यम से थोड़ी–थोड़ी अवधि के बाद अपनी इच्छा या आकांक्षा का परिचय दे सके। उसका यह अर्थ नहीं कि शासन कार्य पर हर समय जनता की सीधी भागीदारी हो।(The actual shaping of policy is in the hands of the Elites, but this does not mean to say that the society is not democrative for it is sufficient for democracy that the individual citizens, though prevented from taking a direct part in government all the time have at least the possibility of mabing their aspipirations felt at certain intervals.) मेनहेम (Mainheim) ने कहा है कि "लोकतंत्र में शासित वर्ग सदा अपने नेताओं को अपदस्थ करने का कार्य कर सकता है अथवा उन्हें अधिक लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है।

2.2.19 लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxian Theory of Democracy)

लोकतंत्र के विषय में मार्क्सवादी विचारधारा का विश्लेषण हम तीन भागों में कर सकते हैं–

1. मार्क्सवादियों द्वारा पूंजीवादी लोकतंत्र अथवा बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन
2. सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अथवा समाजवादी लोकतंत्र
3. आदर्श साम्यवादी समाजः विशुद्ध लोकतंत्र

मार्क्सवादियों का कहना है कि पूंजीवादी समाज आर्थिक अन्याय पर आधारित है। सर्वहारा तंग आकर क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का तख्त पलट देता है तथा सर्वहारा वर्ग ही तानाशाही की स्थापना करता है। इस नई व्यवस्था के द्वारा समाजवाद की स्थापना की जाती है। वर्ग भेद समाप्त किए जाते हैं और फिर अंत में एक आदर्श साम्यवादी समाज (Communist Society) की स्थापना की जाती है। जिसमें समाज के विकास के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास से होता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीवादी लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ लोकतंत्र व्यवस्था है परंतु साम्यवादी समाज में लोकतंत्र आदर्श रूप धारण कर लेता है तो उसे भी विशुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है।

1 **मार्क्सवादी द्वारा पूंजीवादी लोकतंत्र अथवा बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन (Marxist Denial to Capitalist or Bourgeoise Democracy)** :अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस आदि पूंजीवादी देशों की उदार लोकतन्त्रीय व्यवस्था को मार्क्सवादी शब्दावली में बुर्जुआ लोकतंत्र (Boureoisie Democracy) का नाम दिया जाता है।मार्क्सवादियों के मतानुसार सभी पूंजीवादी देशों में समस्त आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति एक छोटे से वर्ग पूंजीपति वर्ग अथवा बुर्जुआ वर्ग के हाथों में रहती है। आर्थिक शक्ति के आधार पर यह वर्ग जनसाधारण का आर्थिक शोषण करता है और इसके द्वारा राजसत्ता का प्रयोग अपनी आर्थिक शक्ति की सुरक्षा तथा जनसाधारण के दमन और उत्पीड़न के लिए किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक और राजनीतिक

स्वतंत्रता कल्पना मात्र रहती है। अतः प्रतिनिधि संस्थाओं के होते हुए भी पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र जनसाधारण के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। महान मार्क्सवादी विचारक लेनिन (Lenin) का कहना है ''पूंजीवादी देशों का लोकतंत्र अधूरा, नीच तथा झूठा है वह केवल धनिकों तथा अल्पसंख्यकों के लिए लोकतंत्र है।''

2. **सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अथवा समाजवादी लोकतंत्र (Dictatoship of the Prolefariat or Socialist Democracy)** :– मार्क्सवादियों के अनुसार, राज्य का स्वरूप समाज के आर्थिक ढांचे पर निर्भर करता है। जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता उलट देगा तो उसके पश्चात अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होगा। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों और जमीदारों से छीनकर मजदूरों और किसानों के हाथों में सौंप दिया जाता है तथा राजनीतिक सत्ता पर भी सर्वहारा वर्ग का कब्जा हो जाता है सेना, पुलिस, न्यायालय तथा प्रशासन पर सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मानव विकास का अंतिम चरण नहीं है। यहएक अस्थाई अवस्था(Transitional State) है। अंतिम चरण तो एक आदर्श से साम्यवादी समाज है जिसकी स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही निरंतर प्रयास करेगी। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक और पूंजीवाद के बचे हुए अंशों का दमन करेगी ताकि वे एक प्रति (उल्टी) क्रांति (Counter Revolution) न ला सके। दूसरी और वह समाजवाद की स्थापना करके वर्ग शोषण को समाप्त करके एक वर्गहीन (Classless) समाज की स्थापना करेगी। मार्क्सवादी यह समझते हैं कि जब समाज में वर्ग भेद नहीं रहेंगे तो अंत में राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तो एक वर्ग शोषण का यंत्र है। अतः राज्य भी विलुप्त हो जाएगा और एक आदर्श समाज की स्थापना हो जाएगी, जो कि वर्गहीन भी होगी और राज्य हीन भी। (Statless and classless society.)

3 **आदर्श साम्यवादी समाजः विशुद्ध लोकतंत्र (Ideal Communist Society : Pure Democracy)** :–मार्क्स (Marx) और एंजेल्स (Engles) के अनुसार समाजवादी व्यवस्था के पश्चात साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। यह एक आदर्श व्यवस्था है, जोमार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य है। समाजवाद में राज्य रहता है। सेना, पुलिस आदि के दमन के उपकरण रहते हैं, जिनका प्रयोग पूंजीवाद के अवशोषण के विरुद्ध किया जाता है।अतः समाजवादी व्यवस्था में पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। परंतु समाजवादी व्यवस्था धीरे–धीरे वर्ग वेदों को समाप्त कर देती है और फिर अंत में साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। इसमें न वर्ग होते हैं, न ही राज्य। जब पूंजीपतियों का पूर्ण विनाश हो जाएगा तो अपराध भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी और फिर सेना, पुलिस, जेल या न्यायालयों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः राज्य संस्था फालतू हो जाएगी(Super flows) हो जाएगी और अन्ततः विलुप्त (State will perish)हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य में स्वार्थपरता की बजाय सामाजिक भावना का इस सीमा तक विकास हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति समाज की हित की दृष्टि से कार्य करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार वेतन दिया जाएगा जबकि समाजवादी व्यवस्था में वेतन काम के अनुसार दिया जाता, आवश्यकतानुसार नहीं। एंजेल्स ने साम्यवादी व्यवस्था को संपूर्ण लोकतंत्र की अवस्था माना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए है और समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए।

2.2.20 मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना

(Criticism of Marxian Theory of Democracy)

लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है :–

मार्क्सवादी लोकतंत्र का एक तरफा (Marxist View of Democracy is one Sided)

लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक सत्ता जनसाधारण के पास है तथा उसका प्रयोग सभी वर्गों के हितों के लिए किया जाता है।मार्क्सवादी पूंजीवादी लोकतंत्र को झूठा लोकतंत्र मांगते हैं क्योंकि इसमें शक्ति का प्रयोग पूंजीपति वर्ग के द्वारा केवल अपने हित पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें मजदूरों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है तथा उनके हितों की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था को अधूरा लोकतंत्र माना जाता है।

विरोधी विचारधारा को दबाया जाता है (Suppression of Opposition)

आलोचकों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वास्तव में लोकतंत्र में होने की बजाय अधिनायकतंत्रीय व्यवस्था का है। क्योंकि इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं सरकार की आलोचना करने वालों की सख्ती से कुचल दिया जाता है।

वर्गहीन समाज संभव नहीं (Classless Society is not Possible)

मार्क्सवादियों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाज की स्थापना करके वर्ग–विहीन समाज की स्थापना करेगी, परंतु सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी राज्यों में यदि आर्थिक विषमताएँ काफी कम हुई है परंतु जो राजनीतिक क्षेत्र में विषमताएँ बढ़ी हैं। इन देशों में एक नया शासक वर्ग उभर कर सामने आया है, जिसमें साम्यवादी दल के प्रमुख नेता, उच्च सैनिक अधिकारी आदि हैं।

2.2.21 निष्कर्ष

2.2.22 मुख्य शब्दावली

- लोकतन्त्र
- उदारवादी
- बहुलवाद
- विशिष्ट वर्ग
- मार्क्सवाद

2.2.23 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. उदारवादी सिद्धांत अनुसार प्रजातंत्र की परिभाषा बताएं इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन–कौन सी हैं।

   (Explain, according to the liberal theory, the definition of Democracy. What, according to this theory, are the main characteristics of Democracy?)

2. उदारवादी सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र के गुणों और अवगुणों का वर्णन करो

   (Explain the merits and demerits of Democracy according to the liberal theory.)

3. प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों गुणों एवं गुणों की व्याख्या करें।

   (What are the various types of Democracy? Explain the devices, Mertis and Demerits of Democracy.)

4. प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक अनिवार्य शर्तों की व्याख्या करें।

(Discuss the conditions essential for the success of Democracy.)

5. प्रजातंत्र के विशिष्ट सिद्धांत का क्या अर्थ है इस प्रकार के प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

(What is the meaning of Elitist Theory of Democracy? Explain the main characteristics of this theory.)

6. प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

(Critically examine Elitist Theory of Democracy.)

7. प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का क्या अर्थ है इस सिद्धांत अनुसार प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें।

(What is meant by Marxian Theory of Democracy? Explain the main features.)

8. प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

(Discuss critically the Marxist Theory of Democracy.)

2.2.24 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.3 विकास व कल्याणकारी राज्य (Development and Welfare State)

2.3.1 परिचय

परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्तिगत स्थानीय, राष्ट्रीय (National) व अंतरराष्ट्रीय (International) आधार पर होता है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास भी हो सकता है। अतः विकास राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। देश में विकास हो रहा है या हो चुका है। यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, उन देशों को विकसित (Developed) देश कहा जाता है और जिन देशों में अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है या जो देश अभी भी विकास के मार्ग पर अग्रसर है उन देशों को विकासशील (Developing) देश है या उभरते हुए राष्ट्र (Emerging Countries) कहा जाता है।

2.3.2 उद्देश्य

- विकास की प्रक्रिया के बारे में समझना।
- विकास से संबंधित विचारधाराओं को जानना।
- कल्याणकारी राज्य के अर्थ व उसके कार्यों को समझना।
- कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के बारे में जानना।
- विकास के बारे गाँधी जी के मॉडल का मूल्यांकन करना।

2.3.3. विकास क्या है? (What is Development?)

विकास की अवधारणा का संबंध परिवर्तन से बताया जाता है वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास की धारणा का अर्थ है आर्थिक विकास से ही लिया जाता है भौतिकवाद से संबंधित है दो मुख्य विचारधाराएं हैं – (1) पूंजीवाद (2) साम्यवाद। इस समय साम्यवादी विचारधारा अपने अंतर्विरोधों के कारणों से नष्ट होती जा रही है और पूंजीवादी विचारधारा अपने ही बोझ में दबकर समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा का तात्पर्य भौतिक (meterialistic) विकास के साथ–साथ आध्यात्मिक (Spiritual) विकास भी है।

2.3.4 विकास की परिभाषा (Definition of Development)

विकास की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने–अपने दृष्टिकोण से दी है। कुछ विद्वान विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुँचा सके। कुछ लोग इसका संबंध परिवर्तन से बताते हैं– राजनैतिक (Political), सामाजिक (Social) तथा आर्थिक (Economic) परिवर्तन। कुछ विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीतिक रूप में विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लेखक राजनीति विकास को आधुनिकीकरण (Modernisation) का सूचक मानते हैं। कुछ विद्वान विकास का अर्थ प्रशासनीय और वैधानिक विकास से लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति में अधिक से अधिक लोगों का भाग लेना भी विकास में शामिल है। विद्वानों द्वारा दी गई विकास की कुछ मुख्य परिभाषा इस प्रकार से है :–

1. विलियम चैंबर्स (William Chambers) के अनुसार ''विकास को एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता हो, जिसका उसे सामना करना पड़ता है, उसमें संरचनाओं का निवेदन और कार्यों की विशिष्टता होती है।'' (Political development may be understood as a movement towards political system by which it is capable of handling the loads it confronts, characteritics by significant differenciation of strcutures and specificiation of functions increasingly centralized and able to maintain itself.)

2. मैकेंजी (Mackenzie) का कहना है,''विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।'' (The capacity of adopt to a higher level of adaptibility.)

3. राल फ्रांड डायमेंड (Rawl Frand Diamond)का कथन है कि ''विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।''

4. लुसियन पाई (Lucian Pye) के अनुसार,''राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण (Diffusion) और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।''

5. आमंड और पावेल (Almond and Powell) के अनुसार ''विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि,विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।''

6. मिटलमैन (Mitalman)का कहना है कि ''विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की अक्षमता को बढ़ाना है।''

विकास मानव अथवा मनुष्य से संबंधित है जिसकी कुछ समस्याएं हैं।

मनुष्य जाति की समस्याएं
(Problems of Mankind)

कहावत है 'नानक दुखिया सब संसार' अर्थात गुरु नानक ने कहा है कि संसार में सब दुखी है। मनुष्य जाति की विभिन्न समस्याएं निम्नलिखित है :–

भूख, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की समस्याएं (Problems of Hunger, Housing, Education, Health etc.)

भारत की आबादी में हर साल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर वृद्धि हो जाती है। एशिया और अफ्रीका के सभी देशों की जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रोटी दिन–प्रतिदिन और महंगी होती जा रही है, पर खाने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ विभिन्न आवश्यकताएँ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, घरेलू चीजें, सुविधा और शोक की चीजें, सिनेमा, थियेटर शिक्षा व परिवहन सुविधाएं आदि।

जातीय सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं (Ethnic, Cultural and Religious Problems)

जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं पिछले कुछ वर्षों में अधिक भीषण बन गई है। इन समस्याओं ने कुछ सीमा तक विभिन्न देशों की राजनीति एकता और शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। भारत में जातीय बंधन बहुत

मजबूत हो रहे हैं। अंग्रेजों ने न केवल हिंदुओं के प्राचीन वर्णभेद –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिको उभारा, बल्कि अन्य सांप्रदायिक शक्तियों के गठन को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सीमा पार आतंकवाद का निर्यात, लोगों में डर फैलाने की दृष्टि से सार्वजनिक शांति में विघ्न–बाधा पैदा करना तथा मजहबी कट्टरवाद (यह सब कुछ पहले से ही विद्यमान था) परंतु अब बढ़ रहा है।

पर्यावरण का प्रश्न (Problem of Clean Environment)

पर्यावरण का प्रश्न बड़ा जटिल बनता जा रहा है, जिससे सारी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के 7 बड़े औद्योगिक देशों (G-7) में संसार की करीब उपयोग 12 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, पर विश्व के अलावा 70 प्रतिशत संसाधनों (Resources) का कार्य देश कर रहे हैं। ये लोग विकासशील देशों के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि इनके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर यह बात गलत है।

परमाणु शस्त्रों का प्रसार (Proliferation of Nuclear Weapons)

परमाणु शास्त्रों की होड़ को समाप्त किया जाए, इसे सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई, पर वह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी इस दृष्टि में बहुत कोशिश किया जाना शेष है। अरबों–खरबों रुपया शस्त्रों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। इस विपुल धनराशि का उपयोग यदि खान–पान, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के स्तर को उठाने के लिए किया जाता, तो मनुष्य जाति का कितना लाभ होता? परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर भी रोक लगाना आवश्यक है।

मानव अधिकारों की रक्षा (Protection of Human Rights)

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बाधा उत्पन्न करना, श्रमिक यूनियनों पर पाबंदी लगाना, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का उत्पीड़न, दासता, बिना उचित कारण के बंदी बनाना, कैदियों के साथ निर्दयता का व्यवहार, विरोधियों का सफाया, आदि बातें मानव अधिकारों के विरुद्ध है। सभी राज्यों का दायित्व है कि वह वर्ण, धर्म, जाति या लिंग का चयन किए बिना सभी नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करें संसार के कई देशों में मानवीय अधिकारों के लिए खतरा पैदा हो गया है और वह है आतंकवादियों की गोलियां। कोई भी सरकार इस उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती कि अपने नागरिकों का आतंकवाद से रक्षा करे।

2.3.5 विकास के लक्ष्य (Goals of Development)

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीकी और औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटना मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है, परंतु पुरानी समस्याओं से निपटना मनुष्य जाति के लिए अभी बाकी है जैसे कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या (Population)(आबादी) के लिए भोजन,ईंधन, निवास स्थान, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जुटाना। गालब्रेथ (Galbraith) ने तो यहां तक कहा है कि अब ''विलास की वस्तुओं'' (Luxury) और ''आवश्यक वस्तुओं''(Necessity) का अंतर समाप्त हो गया है। इसका कारण है कि जनसाधारण अब उन चीजों का भी उपयोग करने लगा है जो कभी विलास की वस्तुएं मानी जाती थी। विकासशील देशों के संदर्भ में मुख्य रूप से हमारे चार लक्ष्य (Goals) होने चाहिए :–

भौतिक लाभ (Material Benefit)

भौतिक लाभ का एक ऐसा स्तरकि व्यक्ति को जीविका–उपार्जन के साथ–साथ वे सभी चीजें भी मिल सकें जो उसकी

प्रतिभा के रचनात्मक विकास के लिए जरूरी है। सभी की न केवल मूलभूत आवश्यकताएं (Basic Needs) ही पूरी हो सकें, बल्कि उन्हें वे वस्तुएं भी मिले जो कार्यकुशलता बढ़ाने और अवकाश के क्षणों के सही इस्तेमाल के लिए आवश्यक है।

प्रकृति का दोहन (Exploitation of Nature)

प्रकृति का दोहन सिर्फ एक ऐसी सीमा तक किया जाए कि जिन प्राकृतिक पदार्थों का नाश हो रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हो सके।

निचले वर्गों तक लाभ भी पहुंचे (Benefit to percolate downwards)

समाज कल्याण के उपायों द्वारा आर्थिक प्रगति का लाभ निचले वर्ग तक भी पहुंचे। गरीब वर्गों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्र की प्रगति में सहज रूप से भागीदार बनाना ही आर्थिक विकास का मूल मंत्र है। कुछ विकसित देशों में इस समस्या का यह समाधान निकाल लिया गया है कि बेरोजगारों को 'बेकारी भत्ता' (Unemployment Benefit) दे दिया जाए। पर इस तरह की कोई सुविधा ''रोजगार'' (Employment) का विकल्प (Alternative) नहीं बन सकती है।यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को यथासंभव उसकी रुचि व पसंद का काम उपलब्ध कराया जाए।

लोकतंत्र विकास का विरोधी नहीं (Democracy is not inimical to development)

लोकतांत्रिक प्रणाली सामाजिक–आर्थिक चुनौतियां शांति के बावजूद जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। प्रणाली की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है। शांति, सुरक्षा, पर्यावरण और विकास ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। 21वीं शताब्दी में यह सिद्ध होना है कि ''जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, तभी विकास सर्वाधिक सुनिश्चित होगा।''

विकास के वैकल्पिक मार्ग (Alternative Paths of Development)

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं ने विकास के अलग–अलग मार्गों का प्रतिपादन किया है विकास के लिए निम्नलिखित मार्गों का अध्ययन करना जरूरी है :–

1. बाजार अर्थव्यवस्था का मार्ग (The course of Market Development)
2. कल्याणकारी राज्य प्रतिरूप (Model of Welfare State)
3. विकास का समाजवादी दृष्टिकोण (Socialist view of Development)
4. विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian View Regarding Developments)

अब इन दृष्टिकोण ओ का अध्ययन विस्तार से करेंगे :–

बाजार अर्थव्यवस्था का मार्ग (The course of Market Development)

बाजार अर्थव्यवस्था (Market) का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को प्रतियोगिता (Competition),अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire)तथा मांग व पूर्ति की शक्तियों (Forces of Demand and Supply) की सामान्य प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यापार और प्रौद्योगिकी (Technology) के क्षेत्र में राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें विश्व बाजार की शक्तियों के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाजार व्यवस्था में मुख्यतः निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :–

मुक्त उद्यम (Free Enterprise)

मुक्त उद्यम का अर्थ है कि उद्योगपतियों में पूंजीपतियों को उद्योगों की स्थापना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ निश्चित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए सरकार से किसी प्रकार का लाइसेंस (Licence) लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वर्तमान उद्योगों को अपना विस्तार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

विदेश पूंजी निवेश (Foreign Investment)

बाजार अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाता है ताकि देश औद्योगिक विकास कर सके। निर्धन देश अपना विकास करने के लिए बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies) का स्वागत करते हैं। भारत में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी निवेश (Foreign Investment) की अनुमति दी गई है।

विदेशी तकनीक (Foreign Technology)

विकासशील देश अपने उद्योगों का उचित विकास करने के लिए न केवल विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर करते हैं,अपितु विदेशी तकनीक का भी आयात किया जाता है। आजकल विपणन (Marketing) के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाओं और आधुनिक प्रबंध तकनीक का आदान–प्रदान हो रहा है।

मुक्त व्यापार (Free Trade)

बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार समस्त विश्वल को एक बाजार समझा जाए और विश्व के सभी देशों को बिना किसी रोक–टोक व प्रतिबंधों के व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो अर्थात् सरकारों द्वारा आयात व निर्यात पर प्रतिबंद नहीं होने चाहिए।

आर्थिक उदारीकरण की प्रतिक्रिया (Process of Economic Liberalisation)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाया गया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। विकासशील देशों को अपना विकास करने के लिए आधुनिकतम तकनीक की आवश्यकता है जो विदेशों में उदारीकरण की नीति अपनाकर ही प्राप्त की जा सकती है।

2.3.6 कल्याणकारी राज्य (Welfare State)

आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य का युग है, वर्तमान युग में अधिकांश विचारकों तथा विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है।

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा (Definition of Welfare State)

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने अपने–अपने विचारानुसार दी है :–

1 हाबमैन (Hobman) के अनुसार ''कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और स्वेच्छावादी व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। कल्याणकारी राज्य जीवन का न्यूनतम स्तर देने का दायित्व लेता है, जिसके कारण व्यक्तिगत उद्यमों के उत्साह को ठेस नहीं पहुंचती। यह नागरिकों में आर्थिक समानता स्थापित नहीं करता, अपितु अधिक

आय वालों पर अधिक कर लगाकर सीमित रूप से आय का विवरण करता है। इसके अतिरिक्त रोगावस्था, वृद्धावस्था और बेरोजगारी की अवस्था में वित्तीय सहायता देता है।'' (Welfare state is a compromise between communism on the oneside and unbridled individualism on the other ... the welfare state set a pattern for any human and progressive society ... the welfare state gurantees a minimum standard of subsistence without removing incentive of private enterprise and it brings about a limited redistribution of income by means of graudated high taxation. Yet it does not pretend to establish economic equality among its citizens. All are assured adequate help in case of need, whether the need is due to illness, old age unemployment or any other cause.")

2 काण्ट (Kant) के अनुसार ''कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है।'' (Welfare state is a state that provides a wide range of social services.)

3 अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के विचारानुसार,''वह समाज जहां राज्य शक्ति का प्रयोग निष्ठापूर्वक साधारण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बदलने के लिए किया जाए, कि प्रत्येक नागरिक के लिए संपत्ति का उचित वितरण हो सके।'' (A community where state power is deliberately used to modify the normal plan of economic force to obtain a more distribution of income for every citizen.)

4 डी०एच० कोल (D.H. Cole) के अनुसार,''कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है, जिसमें एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य दिया जाता है।'' (Welfare state is a society in which an assured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen.)

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य, वह राज्य है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, जो स्वयं को जनता का प्रभु नहीं समझता, अपितु मानव जाति का सेवक समझता है। मानव कल्याण राज्य की मुख्य विशेषता है।

2.3.7 राज्य के लोककल्याणकारी कार्य (Welfare Activities of State)

विभिन्न विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित कार्यों का वर्णन किया है :–

आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)

इसका अभिप्राय यह है कि सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। 'बीमारी, बेकारी और बुढ़ापे' की स्थिति में सरकार नागरिकों को पेंशन दे। पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों जैसे इंग्लैंड, स्वीडन और डेनमार्क में नागरिकों को बेकारी और बुढ़ापे की स्थिति में राजकीय सहायता मिलती है। अमेरिका में भी मजदूरों को बेकारी की स्थिति में राज्य की ओर से मुआवजा (Unemployment Compensation) दिया जाता है।

शिक्षा की सुविधाएं (Educational Facilities)

आजकल सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पश्चिमी यूरोप के देशों में उदार शिक्षा प्रणाली पाई जाती है। सरकार विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देती है।

मुफ्त इलाज की व्यवस्था (Provision for Medical Care)

स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी राज्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। बीमार पड़ने पर राज्य द्वारा चिकित्सा का प्रबंधन किया जाता है।

बुनियादी जरूरत (Basic Needs)

लोगों की बुनियादी जरूरतों में भोजन, कपड़े और चिकित्सा के साथ–साथ आवास (Housing) का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे गरीब देशों में आवास सुविधाओं की बड़ी कमी है। इसलिए भारत में आवास के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

अनैतिक व्यापार का दमन (Suppression of Immoral Activities)

आधुनिक राज्य बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाते हैं। उन्हें कड़ी मेहनत व मजदूरी के कामों में लगाने पर रोक लगाई जाती है।

अन्य विकासात्मक कार्य (Other Development Activities)

भारत जैसे विकासशील देशों में विकासात्मक कार्यों की एक लंबी सूची बनेगी। मोटे तौर पर विकास के संबंध में तीन बातें कही जा सकती है जो कि इस प्रकार हैं :–

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)
2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in Percapital Incomes)
3. जीवन स्तर में सुधार (Improvement in quality of life)

उपरोक्त तीनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य को बहुत से विकास कार्य अपने हाथ में लेने होंगे जैसे भूमि–विकास औरभू–संरक्षण (Land Improvement and Social Conservation), जलापूर्ति कार्यक्रम, सड़कों, जहाजरानी और जल वाहन के साधनों का विकास (Development of Roads, Shipping and Water Transport), औद्योगिक नियमन और छोटे छोटे उद्योगों का विकास (Regulation of Industry and Development of small scale industries), तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था (Provision of Technical Training and Vocational Education), आवास योजनाएं लागू करना (Operation of Housing Schemes) तथा उद्योग और कृषि के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (Supply of Energy for Industrial and Agricultural Sectors), विकास के लिए ''पूंजी निर्माण'' (Capital Formation) जरूरी है। पूंजी निर्माण के विभिन्न साधन इस प्रकार हैं :– बचत कर–नीति (Taxation Policy), सार्वजनिक ऋण (Public Debt), विदेशी सहायता और संसाधनों का उचित निवेश (Proper investment of resources)। इन सभी मामलों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।

नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties)

एक सच्चा लोक हितकारी राज्य वह है जो नागरिकों को रोटी के साथ–साथ स्वतंत्रता (Bread with liberty) भी प्रदान करता हो।

मूल्यांकन

(An Evaluation)

आर्थिक–राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए चरित्र बल भी आवश्यक है। जिसके तीन प्रमुख तत्व हैं – उत्पादन–विस्तार की भावना से प्रेरित होना (Motivation), आत्मनियंत्रण (Self restraint) तथा अनुशासन (Discipline)।

2.3.8 कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की आलोचना (Critism of the Theory of Welfare State)

लोक–कल्याणकारी राज्य के कार्यों के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का राज्य मानव समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी है फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, जो निम्नलिखित है।

खर्चीली व्यवस्था (An Expensive Affair)

कल्याणकारी राज्य के आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा अनेकों तरह के कार्य करने से राज्य पर होने वाला व्यय–भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस व्यवस्था का उपयोग भारत जैसे गरीब देश में नहीं है। यदि यहां इस व्यवस्था का सहारा लिया गया तो सरकार को जनता पर और अधिक टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे जनता का जीवन और अधिक कष्ट पूर्ण हो जाएगा।

अस्पष्ट अवधारणा (Ambigous Concept)

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अस्पष्ट अवधारणा है। यह कहना तो अच्छा है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, परंतु लोक कल्याण से तात्पर्य क्या है?, इसकी सुनिश्चित व सर्वमान्य व्याख्या किसी ने नहीं की।

विरोधाभासी अवधारणा (Contradictory Concept)

कल्याणकारी राज्य में केवल गरीबों का स्तरऊंचा उठाने की बात कही जाती है, परंतु जिस समाज में आर्थिक विषमता बहुत अधिक हो, वहां अक्सर समानता हो ही नहीं सकती।

नागरिक स्वतंत्रता में कमी (A curbon civil liberty)

भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में राज्य का कार्य बढ़ाने से नागरिकों की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। नागरिकों को राज्य द्वारा लागू नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इससे उनका नैतिक विकास भी रुक जाता है। राज्य निर्भरता बढ़ने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह जाता।

पूंजीपतियों का विरोध (Opposition by Capitalists)

लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का सबसे अधिक विरोध पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में उनके द्वारा संचालित उद्योगों में मनमाना मुनाफा कमाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाकर उन पर भारी कर भी लगाए जाते हैं पूंजी पतियों का कहना है कि इससे उत्पादन घट जाएगा और राष्ट्रीय आय को हानि होगी।

नौकरशाही का अनुचित महत्व (Undue Importance of Bureaucracy)

इस व्यवस्था में राज्य के कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाने से शासन में नौकरशाही का प्रभाव और महत्व

अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। विशेषज्ञ होने के कारण आमतौर पर नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण सरकारी अधिकारियों द्वारा ही होता है और मंत्रीगण उन पर केवल हस्ताक्षर करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि आलोचकों ने लोक–कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध अनेक तर्क दिए हैं लेकिन यह तर्क उचित नहीं है। उदाहरण के लिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस व्यवस्था का सहारा भारत जैसे गरीब देश में नहीं लिया जा सकता। आजादी मिलने के बाद भारत देश में भी लोक कल्याण के अनेक कार्य शासन द्वारा पूरे किए गए हैं और उससे सर्वसाधारण को भी लाभ हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही के कार्यों में बढ़ोतरी होती है। इसमें संदेह नहीं कि कोई भी समझदार व्यक्ति लोक कल्याण की आलोचना विरोध के लिए तैयार नहीं है।

2.3.9 विकास के संबंध में सामाजिक विचारधाराएं (Socialist Views Regarding Development)

समाज का उदय 'पूंजीवाद' के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यूरोप के औद्योगिक विकास ने आम लोगों विशेषकर श्रमिकों के जीवन को नरक (Hell) किया बना दिया गया था। पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे थे। मजदूरों के रहने के लिए न तो उपयुक्त मकान थे और न ही सफाई व्यवस्था का प्रबंध। अहस्तक्षेप–नीति (Saissez-faire) के कारण मजदूरों की शारीरिक व नैतिक दशा बिगड़ने लगी। कुछ विचारशील लोगों का ध्यान उनकी दुर्दशा और विपत्ति की ओर गया। समाजवादी विचारक 'व्यक्ति' की अपेक्षा 'समाज' को अधिक महत्व देते हैं और मानव–समानता को अपना लक्ष्य मानते हैं। समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। समाजवाद की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके विचारकोंद्वारा इसे अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। एक लेखक ने तो समाजवाद की तुलना एक टोपी से की है, जिसका आधार बिगड़ चुका है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे अपने तरीके से पहना। रैम्जेम्योर (Ramasy Muir) ने समाजवाद के बारे में कहा है कि "यह एक गिरगिट के समान है जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है।" (It is chameleon like creed, it changes its colour according to its enviornment.) समाजवाद एक व्यापक मानवीय आंदोलन है। अतः व्यक्तियों विचार को तथा परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है। यह केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं बल्कि आर्थिक आंदोलन की है। समाजवाद की अवधारणा को साधारण दो भागों में विभाजित किया गया है :–

मार्क्सवाद (Marxism)

समाजवाद का सबसे प्रभावशाली समर्थक कार्ल मार्क्स था। उसने दीन दुःखी व शोषित, श्रमिक वर्ग के विकास के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया। वह जानता था कि श्रमिक वर्ग की दयनीय हालत में सुधार केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। मार्क्स समाज को दो वर्गों में बांटता है :–

1. शोषक वर्ग (Exploiter)
2. शोषित वर्ग (Exploited)

पहले सोशल वर्क का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। वह साधनों का स्वामी होता है और दूसरा वर्ग शासित अपने श्रम पर जीने वाला होता है। पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस कारण में मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है दूसरी और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतःहितों के इस विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यह वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है।मार्क्स का विचार था कि मजदूरों में असंतोष, चेतना तथा संगठन बढेगा। वह विश्व के मजदूरों

को संगठित होने के लिए कहता है। मार्क्स (Marx) ने कहा है कि 'विश्व के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ' और पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कर दो। इस क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग राज्य की शक्ति पर काबू पा लेगा पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर देगा सारी संपत्ति पर मजदूरों का ही नियंत्रण हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही (Dictotarship of proletariat) की स्थापना हो जाएगी और ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी, जिसमें अन्याय शोषण व अत्याचार नहीं होगा। वर्ग विहीन (Class less) व राज्य विहीन (State less) व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य और उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। (From each according to his ability to each according to his need.) इस तरह मार्क्स एक नवीन समाज का विकास करता है।

2.3.10 विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद (Evolutionary or Democractic Socialism)

लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद का वह रूप है जो जन–सहमति के आधार पर धीरे–धीरे स्थापित किया जाता है। समाजवाद (मार्क्सवाद) व लोकतांत्रिक समाजवाद में मुख्य अंतर दोनों द्वारा अपनाए के साधनों से है। दोनों का उद्देश्य तो एक ही है – पूंजीवाद को समाप्त करना, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के पक्ष में है। परंतु जहां मार्क्सवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति रक्तिम क्रांति (Blody Revolution) द्वारा करना चाहते हैं, वहां लोकतांत्रिक समाजवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति संवैधानिक तरीके (Constitutional Means) से करने के पक्ष में हैं। वे वर्ग सहयोग व शांतिपूर्ण उपायों से सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं।

आलोचना
(Criticism)

आलोचकों का कहना है कि समाजवादी मॉडल रूस और चीन में अपनाया गया। रूस में सन 1917 तथा चीन में सन 1949 में समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों देशों में क्रांतिकारी ढंग से समाजवाद की स्थापना की गई है। लेकिन वहां पर अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई।

व्यक्ति मात्र एक पुर्जा

इस मॉडल में व्यक्ति मशीन का मात्र एक पुर्जा बनकर रह गया है। साम्यवादी समाज में व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। साम्यवादी व्यवस्था में शक्तियों का बहुत अधिक केंद्रीयकरण देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई स्थान नहीं है।

वास्तविकता यह है कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था पर न तो पूर्ण राज्य का नियंत्रण है और न ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, बल्कि सभी देशों में 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) को अपनाया गया है। फलस्वरूप राज्य का सीमित हस्तक्षेप होता है।

2.3.11 विकास का गांधीवादी मॉडल
(Gandhian Model of Development)

महात्मा गांधी अर्थशास्त्री नहीं थे तथा न ही उन्होंने कोई विकास का औपचारिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि व उद्योग से संबंधित कुछ नीतियों का अवश्य ही प्रतिपादन किया है। गांधी मॉडल का मुख्य उद्देश्य देश की जनता का भौतिक व सांस्कृतिक विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 5.5 लाखगाँवों के आर्थिक बल, कृषि विकास व ग्रामीण विकास पर दिया गया है। गांधीजी ने विकास की बात की भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही है। उनका उद्देश्य था 'सर्वे भवन्तु सुखिन' अर्थात् उन्होंने सम्पूर्ण मानव के विकास एवं सुख की बात की है।

गांधीवादी मॉडल की विशेषताएं (Characteristics of Gandhian Model)

गांधी जी ने समाज के विकास की जो योजनाएं प्रस्तुत की, उनका आर्थिक संबंध भारत से है। उनका विचार था कि विकास मात्र भौतिकी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का आत्मिक विकास सर्वोपरि है गांधीजी के मॉडल के मुख्य रूप से तीन पक्ष है :–

1. विकास का आर्थिक पक्ष (Economic Aspect of Development)
2. विकास का सामाजिक पक्ष (Social Aspect of Development)
3. विकास का राजनीतिक पक्ष (Political Aspect of Development)

विकास का आर्थिक पक्ष (Economic Aspect of Development)

गांधी मॉडल में विकास के आर्थिक पक्ष पर गांधी (Gandhi) के विचार निम्नलिखित है:–

1. **कृषि का महत्व (Importance of Agriculture)** :–भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए कृषि का विकास अनिवार्य है। गांधी (Gandhi) ने कृषि विकास पर बल दिया है

2. **कुटीर व ग्रामीण उद्योग (Small Scale and Village Industries)** :–गांधियन (Gandhian) मॉडल में कुटीर ग्रामीण उद्योग धंधों पर बल दिया गया है। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है। उनका विचार था कि भारत की जनसंख्या का अधिक भाग गाँवों में रहता है। इसलिए गांवों का विकास अनिवार्य है। गांधी ने खादी पहनने व बनाने पर बल दिया।

3. **श्रम के लिए सम्मान (Respect for Labour)** :–गांधी (Gandhi) ने विकास योजना के अंतर्गत श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण–पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई रखने का प्रयत्न नहीं करेगा।

4. **न्यासी (Trusteeship)** :–गांधी मॉडल के अनुसार समाज में विकास आर्थिक विषमताओं को दूर करने के बाद हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि इन विषमताओं को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए गांधी ने दंगों के हृदय परिवर्तन का सुझाव दिया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए गांधी जी के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार अपने समाज की धरोहर और उसे अपने ऊपर निर्भर करते हुए समाज के हित कार्यों में लगाएं

5. **औद्योगीकरण का विरोध (Opposition to Industrialisation) :–**गांधीयन मॉडल औद्योगिकरण के विरुद्ध है। बड़े उद्योगों में अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चा माल वह बड़े बाजारों की खोज में यह परिवर्तित साम्राज्यवाद (Imperialism) को जन्म देती है। गांधी (Gandhi) उद्योगों के मशीनीकरण के विरुद्ध थे। उनका सिद्धान्त था की जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती है, उनका प्रयोग उचित है और जो मशीनें मनुष्य के शोषण को प्रोत्साहित करती है, उनका विरोध करना चाहिए।

इस प्रकार गांधीजी ने न तो 'पूंजीवाद' का समर्थन किया है और न'साम्यवाद' को सराहा। गांधीवादी समाजवाद एक तीसरा और बिल्कुल नया मार्ग है, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुण तो सम्मिलित हैं, पर जो दोनों

के दोषों को नकारता है। गांधीजी के समाजवाद में राजा और रंक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।वास्तव में गांधीजी उतना आर्थिक व्यवस्था का बदलाव नहीं चाहते थे, जितना की मनुष्य का। उन्होंने यह कहा है कि ''एक राजा भी समाजवादी हो सकता है, बशर्ते कि वह अपने को जनता का सेवक समझे।'' (Even a king can be a socialist be becoming a servant of people.)

विकास का सामाजिक पक्ष (Social Aspect of Development)

गांधीयन मॉडल केवल आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि इसमें मनुष्य के सामाजिक पक्ष के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। गांधी जी के सामाजिक विचार निम्नलिखित है :–

1. **अस्पृश्यता का अंत (End of Untouchability)** : गांधी के अनुसार अस्पृश्यता मानव–जाति के प्रति एक अपराध है। यह भारतीय समाज के लिए एक कलंक है और उनका कथन था कि यह एक ऐसा घातक रोग है, जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा।वे अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार दिलवाने के पक्ष में थे।

2. **स्त्री–सुधार (Reform in Position of Women)** :– गाँधी जीने सती प्रथा, बाल विवाह और देशदासी–प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि कानून तथा व्यवहार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

3. **बुनियादी शिक्षा (Basic Education) :–**गांधीयन मॉडल में बुनियादी शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी पर बल दिया गया है। इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। यह शिक्षा–प्रणाली भारतीयों को स्वावलंबी बनाएगी और उन्हें विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगी।

4. **सांप्रदायिक एकता (Communal Harmony)** :–गांधीजी मानते थे कि जब तक समाज सांप्रदायिक भावना के आधार पर बैठा हुआ है, तब तक विकास हो ही नहीं सकता।

5. **वर्ण व्यवस्था (Caste System)** :–गांधी जी का विचार है कि समाज में समानता लाने के लिए वर्ण–व्यवस्था को दूर करना चाहिए। उन्होंने कार्य की दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा।

6. **विकास का राजनीतिक पक्ष (Political Aspect of Development)** :–गांधीजी का विकास मॉडल एक 'राम–राज्य' की स्थापना करने के पक्ष में है। यह आदर्श राज्य लोकतंत्र पर आधारित होगा। राज्य के प्रबंध के मामलों में अहिंसक ढंगों को प्रयोग किया जाएगा। राज्य को साधन माना जाएगा अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए।अपने इस आदर्श राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधीजी ने ग्राम पंचायत (Gram Panchyat) को महत्व दिया है। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। केंद्र के पास तो कुछ निश्चित अधिकार होंगे।जबकि बाकी सभी शक्तियां पंचायतों के पास होंगी। गांधीयनमॉडल के विकास के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था पर बल दिया गया है।

गांधी जी का 'सर्वोदय' का आदर्श (Gandhi's Ideal of *Sarvodaya*)

जॉन रस्किन (John Ruskin) के ग्रंथ 'ऑनटू दिस लास्ट' (Unto This Last) का गांधीजी ने गुजराती भाषा में 'सर्वोदय' के नाम से रूपान्तरण किया। 'सर्वोदय' (Sarvodays) का सिद्धांत तीन बातों पर बल देता है :–

1. सभी की भलाई :हर व्यक्ति की भलाई सभी लोगों की भलाई में निहित है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि

सभी के हितों की पूर्ति हो। किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हित साधन से काम नहीं चलेगा।

2. श्रम का महत्व : एक वकील के श्रम का जितना महत्व है, उतना ही एक नाई के श्रम का चंकि दोनों ही अपने श्रम से अपना भरण–पोषण करते हैं।

3. श्रम–प्रधान जीवन ही एक सच्चा जीवन है, जैसा कि किसान और दस्तकार का जीवन। गांधीजी के अनुसार आधुनिक जीवन की सभी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का समाधान 'सर्वोदय' में निहित है, क्योंकि उयसे 'स्वार्थ'(Egosim) की सिद्धि होती है और परहित (Alturism) भी सधता है।

2.3.12 गांधीजी के मॉडल की आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Assessment)

गांधी जी का 'सर्वोदय' का आदर्श एक अनूठा आदर्श था। उनके मतानुसार राजनीतिक सत्ता अपने में कोई 'साध्य' नहीं है, वह तो लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक साधन है। आर्थिक शक्ति की ही तरह गांधीजी राज सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। उन्होंने ग्राम गणराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गांधी जी का यह सुझाव भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान श्रम–प्रधान उद्योगों के बिना कठिन है। गांधीजी ने 'स्वदेशी' (Swadeshi) की भावना जगाई। धार्मिक क्षेत्र में उनका अर्थ है कि व्यक्ति को पूर्वजों से प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का अर्थ है –स्थानीय संस्थाओं (ग्राम गणराज्य) की स्थापना और उन्हीं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान।आर्थिक क्षेत्र में 'स्वदेशी' का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने पड़ोसियों तथा देशवासियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। गांधीजी एक श्रेष्ठ समाज सुधारक थे। वे वर्णाश्रम धर्म के समर्थक होते हुए भी छुआछूत के घोर विरोधी थे। वह दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। 'अहिंसा' के माध्यम से उन्होंने आत्मत्याग का आदर्श जनसाधारण के समक्ष रखा। उन्होंने यह कहा कि 'सत्याग्रह और उसकी शाखाएं असहयोग और सविनय कानून भंग, तपस्या के ही दूसरे नाम हैं।''हिंसा और नफरत से जर्जर दुनिया के लिए उनके अहिंसा के संदेश ने संजीवनी का काम किया।

2.3.13 निष्कर्ष

2.3.14 मुख्य शब्दावली

- पूंजीवाद
- साम्यवाद
- कल्याणकारी
- अवधारणा
- शोषक
- विकासवादी

2.3.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. विकास की अवधारणा का अर्थ है विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।
   (What is meant by concept of Development? What are its various aspects?)

2. विकास के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
   (Discuss the various objects or purposes of Development.)

3. विकास के कल्याणकारी राज्य मॉडल का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए।
(Critically examine the welfare state as model of Development.)

4. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
(Explain the Welfare State. Discuss its sphere of activities.)

5. विकास के गांधीवादी मॉडल का आलोचनात्मक अध्ययन करो।
(Examine critically the Gandhian Model of Development.)

6. विकास के सम्बन्ध में गाँधीवादी विचारधारा का परीक्षण करो।
(Examine Gandhi views regarding Development.)

7. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(Critically examine the concept of Welfare State.)

2.3.16 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.4 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त (Theories of Social Change)

2.4.1 परिचय

परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है परिवर्तन के अभाव में जीवन नीरस बनकर रह जाता है। परिवर्तन के अभाव में ठहराव आ जाता है तथा उन्नति और विकास रुक जाता है। किसी तरह परिवर्तन समाज के लिए आवश्यक है। परिवर्तन प्रत्येक समाज में आया और आएगा। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के विभिन्न कारण हो सकते हैं।

मार्क्सवादियों (Marxist) के अनुसार समाज में परिवर्तन क्रांति (Revolution) के द्वारा ही लाया जा सकता है उनके अनुसार क्रांति का रूप हिंसात्मक (Bloody) होगा तथा वह सारे समाज को बदलेगी। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू उससे प्रभावित होगा मार्क्सवादियों (Marxist) का कहना है कि क्रांति का अर्थ वर्तमान समाज को पूरी तरह से बदलना है। परंतु जो लोग वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं, इसमें परिवर्तन का विरोध करेंगे। इसी कारण क्रांति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है परंतु कुछ ऐसे समाजवादी विचारक भी है, जो वर्ग संघर्ष तथा हिंसा रहित समाजवाद की स्थापना करने का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त उदारवादी विचारक (Liberal Thinkerrs) जिसमें कार्ल पॉपर (Karl Popper) विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण तथा धीमें परिवर्तन (Slow Change) का समर्थन करते हैं।

2.4.2 उद्देश्य

- सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को जानना।
- सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जाँचना।
- सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में समझना।
- सामजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की जानकारी हासिल करना।

2.4.3 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जानने से पहले परिवर्तन का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। साधारण शब्दों में परिवर्तन का अर्थ किसी क्रिया या वस्तु की पहले से स्थिति में बदलाव से है। इसी संदर्भ में फिचर (Fichter)ने लिखा है,''परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं।'' (Change is defined breifly as a variation from a previous state of mode of existence.) परिवर्तन के लिए तीन बातों की आवश्यकता है :–

1. **वस्तु (Material):**–परिवर्तन किसी न किसी वस्तु से संबंधित होता है
2. **समय (Time)** :–समय में परिवर्तन के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन का ज्ञान होता है
3. **भिन्नता (Change)** :– वस्तु के रंग, रूप, आकार–प्रकार, संरचना, कार्य अथवा पक्षों की भिन्नता होने से ही परिवर्तन होता है

इस प्रकार परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया (Universal Process) है जो सभी कालों और स्थानों पर हुई और होती रहती है। परिवर्तन संपूर्ण (Complete) या पाक्षिक (Partial) हो सकता है। परिवर्तन एक दिशा (Direction) या कई दिशाओं में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः (Sudden) या योजनाबद्ध (Planned) हो सकता है। परिवर्तन धीमा (Slow) या तीव्र (Fast) हो सकता है। परिवर्तन अच्छा या बुरा (Good or Band or unplanned) भी हो सकता है।

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं
(Definition of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन व्यापक है जिसको परिभाषित करना कठिन कार्य है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने इससे संबंधित अलग–अलग विचार प्रकट किए हैं। सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैं :–

1. मैकाइबर (Maciver) के अनुसार ''समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रूचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।'' (Our direct concern as sociologist is with social relationship. It is the change in these relationship which alone we shall regard as a social change.)

2. गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के विचारानुसार ''सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुआ हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसारण से अथवा समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हो।'' (Social changes are variations from the accepted modes of life, whether due to alterations in geographical condition in cultural equipment, composition of population or ideologies and whether brought about by deffusion or inventins within the group.")

3. मैरिल तथा एल्ड्रिज (Merrel and Aldriz) का मत है, ''जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है, तब हम उनको दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।'' (When human behaviour is in the process of modification, this is only other-way of indicating that social change is occuring.)

4. किंग्सवे डेविस (Kingslay Davis) के शब्दों में ''सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं, जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और पर कार्यों में घटित होते हैं।'' (By social change is meant only such after in nations as occur in social organisation, that is the structure and functions of society.)

5. जॉन्सन (Johnson) के शब्दों में ''अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है।'' (In its original meaning of social change is a change in social structure.)

6. जॉन्स (Jones) के अनुसार,''सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक के अंतः क्रियाओं या सामाजिक संगठनों के किसी भी पहलू से अंतर या परिवर्तन वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।'' (Social change is a term used to describe variations in or modifications of only aspect of social process, social interactions or social organisation.)

   सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों,

कार्य–विधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्यों में होते हैं।

सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है :–

1. सामाजिक ढांचे में परिवर्तन (Change in social structure)
2. व्यक्ति एवं व्यक्तियों अथवा समूहों में विश्वासों मूल्यों में परिवर्तन (Change in value system of individual or groups)
3. सामाजिक संबंधों में परिवर्तन (Change in social relations)

2.4.4 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ

(Characteristics of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है

1. **जटिल (Complex)**: सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का माप–तोल (Measurement) असंभव है।

2. **एक सार्वभौमिक घटना (Universal Phenomenon)** : सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी, सर्वकालिक घटना है। मानव समाज के आरंभ से लेकर आज तक अनेक परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में होते रहेंगे। समय के साथ–साथ परिवर्तन भी अनिवार्य हो जाता है।

3. **अवश्वम्भावी एवं स्वभाविक (Inevitable and Natural)** : परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतः समय–समय पर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समाज भी प्रकृति का ही एक प्रमुखतम अंग होने के कारण परिवर्तन से बच नहीं पाता है। परिवर्तन की गति को रोकना असंभव हो जाता है। समाज में परिवर्तन कभी बलपूर्वक नियोजित किए जाते हैं तो कभी स्वाभाविक गति से।

4. **गति असमान (Change is Unequal)** : सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति सर्वथा असमान होती है। समाज में परिवर्तन की गति के कारण भिन्न–भिन्न हैं। एक कारण से सभी प्रकार के परिवर्तन असंभव हैं। सामाजिक परिवर्तन का गहरा संबंध देश एवं काल तथा परिस्थितियों से होता है। एक देश की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति सर्वथा भिन्न होती है।

5. **सामाजिक परिवर्तन (Social Change)** : सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज में होने वाले विशेष परिवर्तन से है। अतः सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति संपूर्ण समाज की प्रकृति होती है ना की व्यक्तिगत।

6. **परिवर्तन नियोजित, अनियोजित दोनों (Planned or Unplanned both)** : सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाता है जैसे शिक्षा का प्रसार। कई सामाजिक परिवर्तन स्वयं हो जाते हैं।प्रकृति ऐसे परिवर्तनों को प्रभावित करती है।

7. **सामाजिक परिवर्तन का आधार (Basis of Social Changes)** : सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष कारण से नहीं होता, बल्कि इसके लिए कई कारण उत्तरदाई होते हैं। उदाहरणतः जाति–प्रथा,धर्म, रूढ़िवादिता, संप्रदायिकता आदि सामाजिक परिवर्तन के कारण बनते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा व विशेषताओं की चर्चा करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन मनुष्य में रीति–रिवाजों, मूल्यों (Values) आदि में परिवर्तन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

2.4.5 सामाजिक परिवर्तन के कारक (तत्व) (कारण) (Factors of Social Change)

समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के प्रति विविध कारकों (कारणों) को उत्तरदायी माना है। 'सामाजिक परिवर्तन' के प्रमुख कारक निम्नलिखित है :–

आर्थिक कारक (Economic Factors)

सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारक है। इस संबंध में बीरस्टीड (Beirstead) का मत है "इसमें संदेह नहीं है कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।"कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। कार्लमार्क्स की दृष्टि में आर्थिक ढांचा ही समाज का प्रमुख ढाँचा है। मार्क्स (Marx) कहते हैं, कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की तरफ से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं– (1) पूंजीपति वर्ग (Capitalist), (2) श्रमिक वर्ग (Proletariat)। यह दोनों सदैव संघर्षरत रहते हैं। परिणामस्वरूप एक सामाजिक व्यवस्था नष्ट होती है और उसके स्थान पर दूसरी जन्म लेती है।

जनसंख्यात्मक कारक (Demographic Factors)

सामाजिक परिवर्तन लाने में जनसंख्यात्मक कारक का महत्वपूर्ण योगदान है। जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म–मृत्यु दर, देशांतर गमन, इत्यादि जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। किसी देश में जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा मृत्युदर अधिक जनसंख्या घटेगी। जनसंख्या की प्रत्याशी वृद्धि अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। जैसे भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी व महामारी की समस्या। डार्विन (Darwin) का मत है कि जनसंख्या बढ़ने पर लोगों में अस्तित्व के लिए संघर्ष पड़ता है। संघर्ष में लोग मारे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि युद्धों को जन्म देती है। जनसंख्यात्मक कारण सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारक (Biological Factors)

डार्विन (Darwin) के मत में सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारक महत्वपूर्ण है। जैविकीय कारकों से अभिप्राय ऐसे कारकों से है जो माता–पिता द्वारा वंशानुगत (Hereditary) में प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता तथा योग्यता, प्रजन्न दर, विवाह, आयु आदि सभी वंशानु संक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होती है। सामान्यतः माना जाता है कि अंतरजातीय विवाह (Inter Caste) से प्रतिभाशाली संतान जन्म लेती है जो आविष्कारों द्वारा परिवर्तन लाने में में सशक्त होती है।

प्रौद्योगिक कारक (Technological Factors)

आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के कारकों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्टि कारक है। विविध प्रकार के यन्त्रों का आविष्कार हमारे सामाजिक जीवन को परोक्ष–अपरोक्ष रूप से प्रभावित अवश्य करता है। स्पाइसर (Spicer)

का मत है कि, ''छोटे यन्त्रो के प्रयोग से मानवीय सम्बन्धों में विस्तृत एवं अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। कई सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं। स्त्रियों का कार चलाना, क्लब जाना तथा स्त्रियों की गतिविधियों में तेजी आने से पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ है।'' नित नए कल–कारखानों के खुलने से भारत में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ। मैकाइवर (Maciver) का कहना है कि भाप के इंजन (Steam Engine) के आविष्कार ने हमारे सामाजिक, राजनीतिक जीवन को आशातीत रूप से प्रभावित किया है। यन्त्रीकरण ने मानव की जीवन शैली एवं विचार प्रणाली को पूर्ण रूपेण प्रभावित किया है।

सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors)

सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन प्रथाओं, पुराने कानूनों, नैतिकता आदि के अर्थहीन हो जाने पर उनका स्थान, नई प्रथाएं, नए कानून ले लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में जाति–प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा–विवाह जैसी प्रथाएँ क्षीणतर होती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप कई परिवर्तन हो गए हैं। अब विवाह केवल एक सामाजिक प्रथा बनकर रह गया है।

मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors)

सामाजिक परिवर्तन मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। मानसिक असंतोष एवं संघर्ष सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं।अतएव परिवार के सदस्यों का तथा पति–पत्नी का मानसिक धरातल पर एक न हो पाना, सदैव प्रतिकूल मानसिकता बनाए रखना, पारिवारिक विघटन एवं विवाह विच्छेद का कारण बन जाता है। यदि मनुष्य की मानसिकता में बदलाव आ जाता है तो परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है।

प्राकृतिक या भौगोलिक कारक (Natural or Geographical Factors)

सभी प्राकृतिक या भौगोलिक वस्तुओं जैसे वन, पर्वत, ऋतुएँ, नक्षत्र, झरने, समुंदर, भूकंप आदी भौगोलिक कारक है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया है, फिर भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से नहीं बच पाया। प्राकृतिक शक्तियों की लीला विनाशक एवं भयंकर होती है। परिणामस्वरूप अनेक परिवार उजड़ जाते हैं, लोग आश्रयहीनया निराश्रित हो जाते हैं। जहां प्रकृति का भीषण, विनाशक रूप दृष्टिगोचर होता है वहां मनुष्य प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांव व शहर उजड़ जाते हैं। लोग अन्य स्थानों पर बसने लगते हैं। वहां की सभ्यता, संस्कृति, रीति–रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों को अपनाने लगते हैं, जिससे सामाजिक संरचना तथा मूल सिद्धांत में परिवर्तन आ जाता है।

महान लोगों की भूमिका (The Role of Great Man)

सामाजिक परिवर्तन लाने में महान पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज को परिवर्तित करने में अनेक महापुरुषों ने योगदान दिया है जिनमें हिटलर (Hitler), मुसोलिनी (Mussolini),चर्चिल (Churchill), गांधी (Gandhi) के नाम शीर्षस्थ हैं। भारतीय समाज में सुधार के लिए राजा राममोहन राय (Raja Ram Mohan Roy), स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekanand), स्वामी दयानंद सरस्वती (Swami Dayand Saraswati) आदि महापुरुषों के प्रयास प्रशंसनीय हैं।'बीस सूत्रीय कार्यक्रम'(Twenty Point Programme) तथा 'गरीबी हटाओ कार्यक्रमों' के माध्यम से इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने भारतीय समाज में परिवर्तन एवं सुधार के अथक प्रयास किए जो अभूतपूर्व है।

राजनीतिक तथा सैनिक कारक (Political and Military Factors)

राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इतिहास अतीतकालीन राजनीति है

(History is past politics and politics is present history) और राजनीति वर्तमान कालीन इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि सत्ता के परिवर्तन होने पर समाज में अनेक परिवर्तन से सहसा ही हो जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी स्वतंत्र नीति होती है। एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे दल के सत्ता में आने पर सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो जाता है। बीरस्टीड (Birsteid) का कथन है कि ''कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छिटपुट लड़ाईयों, विजय और पराजय तथा वंशों और महायुद्धों की कहानी है।'' युद्धों की कहानियां भी सामाजिक परिवर्तन की कहानियां बन जाती है युद्धों के कारण के कारण समाज में अनेक परिवर्तन आते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसका संपूर्ण विवेचन किसी एक कारक पर आधारित नहीं है।

2.4.6 सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं

(Hindrances in the Way of Social Change)

ए०डब्ल्यू० ग्रीन (A.W. Green) लिखता है कि,''सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि सभी समाजों में असंतुलन की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है।'' (Social change occurs because all societies are in constant state of diseguilibrium.) समाज में कोई भी परिवर्तन चाहेवह अल्पकालीन है अथवा दीर्घकालीन; लोगों द्वारा सहज ही स्वीकार नहीं किया जाता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया तो लोगों ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। निम्नलिखित तत्त्व सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा खड़ी करते हैं।

यथास्थिति की इच्छा (Desire of Status quo)

समाज का रूढ़िवादी स्वरूप यथास्थिति (Status quo) की इच्छा को प्रबल करता है। यथास्थिति से अभिप्राय है,''जो स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन ने किया जाए।'' समाज में जो लोग रूढ़िवाद, परंपरावाद इत्यादि का समर्थन करते हैं,वे यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उनका सोचना है कि यदि समाज में कोई भी परिवर्तन किया गया तो इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा।

अज्ञानता (Ignorance)

अज्ञानता भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में अज्ञानता अंधकार के समान है, जिसमें प्रगति के लिए किए गए प्रयास लुप्त हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी, भाग्यवादी, निष्क्रिय और प्रथाओं का दास होता है। अज्ञानी व्यक्तियों वाला समाज ने तो नवीन परिवर्तनों को समझ सकता है और न ही उन्हें शायद स्वीकार करने को तैयार होता है।

रूढ़िवादी स्वरूप (Conservative Character)

सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समाज की रूढ़िवादी अथवा परंपरावादी स्वरूप (Conventional or Traditional) है। समाज में लोग प्रायः परंपरावादी होते हैं। लोग पुरानी परंपराओं और दूरियों से विशेष लगाव रखते हैं। ऐसा समाज किसी भी परिवर्तन का तीव्र विरोध करता है।

आलस्य (Indolence)

एक आलसी व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर बोझ होता है। वह न तो स्वयं कुछ करता है और ना ही अन्य को कुछ

करने देता है। एक सुस्त और आलसी व्यक्ति 'कोल्हू के बैल' की तरह जैसा जीवन चल रहा है, उसी में व्यस्त रहता है। वह किसी नए मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता।

निहित सवार्थ (Vested Interest)

निहित स्वार्थ भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में रुकावट है। प्रायः जब–जब भी सामाजिक परिवर्तन होता है, तब–तब इसका उन लोगों द्वारा तीव्र विरोध किया जाता है, जिसके निहित स्वार्थी हित प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए भारत में 'जमींदारी प्रथा' को समाप्त किया गया, तो इसका जमींदारों ने कड़ा विरोध किया।

धार्मिक रूढ़िवाद (Religious Fundamentalisms)

धार्मिक रूढ़िवादिता व्यक्ति को आत्म केन्द्रित, संकीर्ण, अन्धविश्वासी, भीरू, भाग्यवादी तथा निष्क्रिय बना देती है। मार्क्स (Marx) के अनुसार, ''धर्म लोगों के लिए अफीम (Opium) का कार्य करती है। धार्मिक रूढ़िवादिता व्यक्ति की विवेकशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पर्दा डाल देती है। इससे व्यक्ति परम्परावाद का भक्त हो जाता है और सामाजिक परिवतर्न का विरोध करता है।

जाति प्रथा (Caste System)

सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में जाति–प्रथा भी बाधा उत्पन्न करती है। जाति–प्रथा वास्तव में यथास्थिति (Status quo) की ही पोषक है। उच्च जातियां समाज में सदैव अपना प्रभुत्व एवं वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। ऐसी जातियां सामाजिक परिवर्तन का विरोध करती है।

ऊंची कीमत (High Cost)

कई बार किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए समाज इतनी ऊंची कीमत पर प्राप्त किए गए सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए कई बार लोगों का बलिदान देकर सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणतः रूसी क्रांति के लिए वहां की जनता को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कोई भी रक्तपात अथवा भारी कीमत पर होने वाला परिवर्तन समाज में सरलता से स्वीकार नहीं किया जाता

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त तत्व सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएँ हैं। तीन बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है कि लोगों का दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन की क्षमता रखती हो।

2.4.7 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत (Theories of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन एक स्वभाविक क्रिया है, क्योंकि समाज स्थिरन होकर गतिशील है। अतः समाज में समय बदलने के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन में कुछ या अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह परिवर्तन क्यों होते हैं? परिवर्तन होने के क्या कारण हैं? इन कारणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सामाजिक परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करने वाले इन विचारों को हम ''सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत'' कहते हैं। सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं :–

पतन का सिद्धांत (Theory of Deterioration)

कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तनों को पतन (Deterioration) के समान माना है। इन विद्वानों के मतानुसार आरंभ में मनुष्य बहुत ही शांति में अवस्था में रहता था। यह अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी, परंतु धीरे–धीरे की स्थिति का पतन होने लगा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य के चार युग से होकर गुजरा है :–

1. **सत्ययुग (Satya Yug) :**'सत्ययुग' सबसे बढ़िया था क्योंकि इस युग में मनुष्य ईमानदार, सच्चा और पूर्ण रूप से सुखी था।
2. **त्रेता युग (Treta Yug**) : सतयुग का धीरे–धीरे ह्रास होने लगा और त्रेता युग आया।
3. द्वापर युग (Dwapar Yug) : त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया
4. **कलयुग (Kal Yug)** : अब जो युग चल रहा है, उसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग में मानव बेईमान,स्वार्थी,झूठा, कपटी, विश्वासघाती इत्यादि बन गया है, जिस कारण आज मनुष्य दुखी है।

चक्रीय सिद्धांत (Cyclic Theory)

चक्रीय सिद्धांत (Cyclic) सामाजिक परिवर्तन का बहुत पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज में निरंतर दिन–रात,ऋतु तथा जलवायु संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। स्पेंग्लर (Sperngler) ने अपनी पुस्तक (Decline of the west) में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। स्पेंग्लर ने अपने पर्यवेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशाल शरीर की भांति निम्न तीन अवस्थाओं से गुजरा है।

(1) जन्म (Birth)

(2) बाल्यावस्था (Childhood)

(3) प्रौढ़ता(Maturity)

या

(1) उन्नति,

(2) विनाश,

(3) विघटन

स्पेंग्लर (Sprengler) का कहना है कि समाज जन्म–मृत्यु के समान चक्रवत घूमता रहता है। इस चक्र को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आज का समाज अपनी वृद्धावस्था में है। इसका पूर्णतया पतन होने के बाद, फिर जन्म, विकास, प्रौढ़ावस्था तथा मृत्यु का चक्र शुरू होगा।

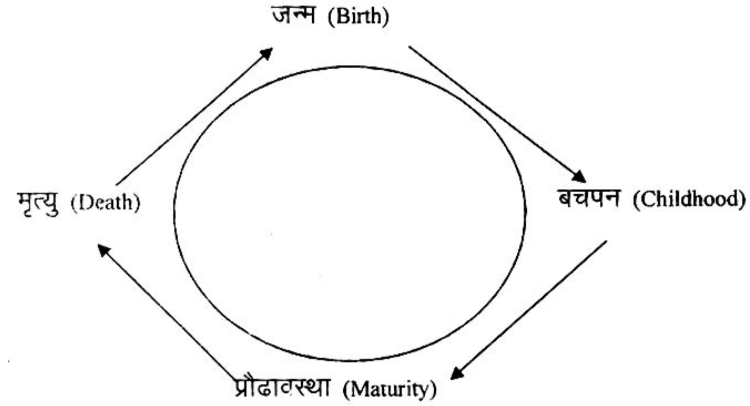

परेटो (Pareto) ने चक्रीय परिवर्तन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। उनका विचार है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में दो वर्ग पाए जाते हैं

(1) उच्च वर्ग, (2) निम्न वर्ग

टायनबी (Toynbee) ने अपनी पुस्तक (A Study of History) में चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके मतानुसार सामाजिक जीवन में युवावस्था (Youth), प्रौढ़ावस्था (Maturity), पतोन्मुख अवस्था (Decline) आती है। पतन की अवस्था में सामाजिक कार्यों का पतन हो जाता है। सोरोकिन (Sorokin) ने अपनी पुस्तक (Social Cultural Dynamics) में सक्रिय सिद्धांत को अपनाया। बार्न्स (Borns) के शब्दों में ''सोरोकिन इस सिद्धांत पर पहुंचा की ऐतिहासिक दृष्टि सेन तो प्रगति हुई है और ना ही कोई चक्रवतगति हुई है। ("Sarokin's comes to the conclusion that, view in historical perspective there has not been any progress, nor has these been any cyclical movement.")

विकासवादी सिद्धांत (Evolutionary Theory)

इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सदैव विकास की ओर धीरे–धीरे होता है। अगस्त कामटे (August Comte)इस सिद्धांत का महान समर्थक हुआ है। काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है–

1. **ईश्वरीय परक विचारधारा की अवस्था (Theological Stage)** : इस पहली अवस्था में मनुष्य ईश्वरीय सत्ता को ही सब कुछ मानता है।
2. **आत्मविद्या अवस्था (Metaphysical Stage)** : दूसरी अवस्था में मनुष्य ने सामाजिक तत्वों की अमूर्त व्यवस्था कर दी।
3. **साकारात्मक अवस्था (Positive Stage)** : तीसरी अवस्था में मनुष्य ने वास्तविक कारणों की खोज की।

हरबर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उसका कहना है कि मानव समाज उच्च अवस्था की ओर निरंतर प्रगति कर रहा है। स्पेंसर (Spencer) ने सामाजिक अवस्था को तीन भागों में बांटा है

1. आक्रमण युद्धावस्था (Offencive Warfare)
2. रक्षात्मक युद्धावस्था (Defensive Warfare)

3. औद्योगिक अवस्था (Industrial Stage)

मैकाइवर (Maciver) का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन कभी भी इतना सीधा नहीं हो सकता जितना की इस सिद्धांत के समर्थक समझते हैं।

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत (Structural Functional Theory)

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन आधुनिक समाजशास्त्रियों जैसे कि पार्सन (Persons) और मार्टन (Morton) आदि ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसारप्रत्येक सामाजिक अवस्था (Social System) के दो पहलू हैं, संरचनात्मक पहलू में सभी के सभी विभिन्न अंग आ जाते हैं और जब भाग में परिवर्तन होता है तो इसका अन्य अंगों या भागों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी अंग की कार्य–प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका समस्त सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और समाज के परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए भी हम विवाह (Marriage) संबंधी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करें तो इसका परिवार, जाति–प्रथा आदि पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

आलोचना
(Criticism)

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अधीन सामाजिक परिवर्तन के सभी तत्वों के विश्लेषण को उचित स्थान नहीं दिया गया।

सचेतक सिद्धांत (Teleological Theory)

अनेक समाज शास्त्रियों का यह विचार है कि सचिव तथा क्रमबद्ध प्रयत्नों से सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वार्ड (Ward) इस सिद्धांत का महान समर्थक है। वार्ड सामाजिक परिवर्तन को न तो विकासवादी और ना ही स्वाभाविक मानता है, बल्कि उसका मत यह है कि उद्देश्य प्रयत्नों (Purposive efforts) तथा सुचेत योजनाओं (Consious Planning) द्वारा ही अधिक प्रगति हो सकती है। हॉब हाउस (Hobhouse) का कहना है कि विवेक (Reason) पर नियंत्रण करने से पर्याप्त प्रगति हो सकती है। मनुष्य के स्वभाव में विवेक (Reason) का विकास होना अनिवार्य है, ताकि विवेक का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जा सके।

आलोचना (Criticism)

सचेतक सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन पूर्णतः नियोजित (Planned) न तो होता है और न ही हो सकता है।

निश्चयात्मक सिद्धांत (Deterministic Theories)

कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की एक तत्व के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनमें से हीगल (Hegal) तथा कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का सिद्धांत मुख्य है। हीगल (Hegal) का द्वंदात्मक आदर्शवाद (Dialectical Idealism) तथा कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का आर्थिक निश्चियात्मकता (Economic Determinism) सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है।

हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत (Theory of Dialectical Idealism of Hegal)

हीगल (Hegal) के मतानुसार विश्व के निर्माण तथा परिवर्तन में विचार (Idea) की मुख्य भूमिका है, विचारों में परिवर्तन आने से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। विचारों के विकास से ही विश्व की सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अतः हीगल के मतानुसार सामाजिक परिवर्तन की जड़ विचार का विकास है और सभी परिवर्तन इसी कारण होते हैं।

आलोचना (Criticism)

हीगल (Hegal) का यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी एक तत्वों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना ठीक नहीं है।

मार्क्स का आर्थिक निश्चयात्मक सिद्धांत (Maraxian Theory of Economic Determinism)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने सामाजिक परिवर्तनों का आधार आर्थिक तत्वों को माना है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx)ने अपनी पुस्तक (A Contribution of the critique of political Economy) में निश्चयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने कहा है ''मनुष्य सामाजिक उत्पादन में कुछ निश्चित संबंध कायम करते हैं जोकि अनिवार्य होते हैं और उनकी इच्छाओं से स्वतंत्र होते हैं। भौतिक अविष्कारों से पहले मालिक तथा मजदूरों दोनों की आर्थिक दशा में विशेष अंतर नहीं था। परंतु ज्यों–ज्यों यांत्रिक आविष्कारों में वृद्धि होती गई, त्यों–त्यों समाज में तीव्रता से परिवर्तन होने लगे। अमीर अधिक अमीर होने लगे तथा निर्धन अधिक निर्धन होने लगे। इस प्रकार दो विरोधी वर्ग अमीर (Haves) तथा गरीब (Havenots) पैदा हो गए। ये वर्ग भेद वर्ग युद्ध (Class War) को जन्म देते हैं। वर्ग युद्ध में गरीब की जीत होती है तथा इसके पश्चात वर्गहीन समाज (Classless Society) का जन्म होता है।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने यह कहा था कि यह आर्थिक प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है। मार्क्स (Marx) सामाजिक परिवर्तनों को ुख्य पांच भागों में बांटा है :–

1. पूर्वदेशीय अवस्था (Oriental)
2. प्राचीन अवस्था (Ancient)
3. सामंतवादी अवस्था (Feudal)
4. पूंजीवाद अवस्था (Capitalistic)
5. समाजवादी अवस्था (Communistic)

आलोचना (Criticism)

आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक जोर

इसमें आर्थिक पक्ष पर अधिक जोर डाला जाता है। इसमें धार्मिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, तथा अन्य कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है।

2.4.13 निष्कर्ष

2.4.14 मुख्य शब्दावली

-
-

2.4.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

2.4.16 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

इकाई–3

लघु उतरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न

राज्य तथा राज्य का विकास
(State and Development of State)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: राज्य (State) की परिभाषा दीजिए।

उत्तर : 'राज्य' शब्द जिसे अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है, की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'स्टेटस से हुई। स्टेट्स शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति का समााजिक स्तर। धीरे–धीरे इसका प्रयोग समाज के लिए किया जाने लगा। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम मैक्यावली द्वारा किया गया।विभिन्न लेखकों द्वारा 'राज्य की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं इनमें से कुछ निम्नलिखित हैंः–

1. **बोडिन** (Bodin) के शब्दों में 'राज्य परिवारों तथा उनकी' सांझी सम्पत्ति का एक समुदाय है जो एक सर्वोच्च सत्ता तथा तर्क बुद्धि द्वारा शासित है।
2. **वुडरोविल्सन** (Woodrow wilson) के अनुसार 'एक निश्चित भू–भाग पर कानून के लिए संगठित जनता का नाम राज्य है।'
3. **अरस्तू** (Aristotle) के अनुसार, 'राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्म–निर्भर जीवन की स्थापना है, जिससे हमारा अभिप्राय एक सुखी और उदारपूर्ण जीवन से है।'

प्रश्न 2: राज्य के अनिवार्य तत्व (Elements) बताइए।

उत्तर : राज्य के निर्माण में निम्नलिखित चार अनिवार्य तत्व हैं–

1. **जनसंख्या :** राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या अनिवार्य है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य की जनसंख्या के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।
2. **निश्चित भू–भाग :** राज्य के निर्माण का दूसरा अनिवार्य तत्व निश्चित भू–भाग है। राज्य की स्थापना के लिए भू–भाग की सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती। राज्य छोटे या बड़े आकार के हो सकते हैं।
3. **सरकार :** राज्य के निर्माण के लिए एक संगठित सरकार का होना अनिवार्य है जो कानूनों का निर्माण करे तथा उन्हें तोड़ने वालों को दण्ड दे।
4. **प्रभुसत्ता :** राज्य के निर्माण का चौथा अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती हैः–आन्तरिक प्रभुसत्ता व बाहरी प्रभुसत्ता

   1. आन्तरिक प्रभुसत्ता : आन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के अपनी सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है।

2. बाहरी प्रभुसत्ता : बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य की सीमा से बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है जो राज्य को आदेश दे सके तथा उनका पालन करवा सके।

प्रश्न 3: राज्य की क्या आवश्यकता है?

उत्तरः हमें राज्य की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हैः–

1. **शांति** : देश में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
2. **आक्रमणों से रक्षा** : बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए।
3. **लोक कल्याणकारी कार्य** : लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए। इनमें शिक्षा का प्रबंध, स्वास्थ्य, गरीबी दूर करना, सफाई तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध शामिल है।
4. **अधिकारों की सुरक्षा** : नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा ही ऐसी परिस्थितियों की स्थापना की जाती है। जिसमें नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार मिल सके।
5. **अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना** : अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना के लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है। आज के युग में सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की जाती है।

प्रश्न 4: क्या निम्नलिखित राज्य है?

1. पाकिस्तान, 2. बांग्लादेश, 3. संयुक्त राज्य अमेरिका, 4. उत्तर प्रदेश 5. हरियाणा।

उत्तरः 1. पाकिस्तान एक राज्य है क्योंकि इसके पास राज्य के निर्माण के चारों आवश्यक तत्व – जनसंख्या, भू–भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता मौजूद है।

2. बांग्लादेश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को भी राज्य कहा जा सकता है क्योंकि इसके पास भी राज्य के निर्माण के चारों आवश्यक तत्व मौजूद हैं।
3. उत्तरप्रदेश तथा हरियाणा को हम राज्य नहीं कह सकते क्योंकि यद्यपिइ न दोनों के पास अपनी जनसंख्या, निश्चित भू–भाग तथा सरकार है परंतु इसके पास प्रभुसत्ता नहीं है। ये दोनों ही केन्द्रीय सरकार के अधरीन हैं अतः इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 5: क्या संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्र मण्डल राज्य हैं?

उत्तर : 1. संयुक्त राष्ट्र संघ : संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करने के लिए की गई थी इसकी न तो अपनी जनसंख्या है और न ही अपना भू–भाग इसके पास प्रभुसत्ता का भी अभाव है। अतः हम संयुक्त राष्ट्र संघ को 'राज्य' नहीं कह सकते।

2. राष्ट्र मण्डल : राष्ट्र मण्डल भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भांति कुछ स्वतंत्र राज्यों का एक ऐच्छिक संगठन है। राष्ट्र मंडल की न तो अपनी जनसंख्या है, न ही भू–भाग और न ही इसके पास प्रभुसत्ता है। इस कारण से इसे राज्य नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 6: राज्य तथा सरकार में कोई चार भेद बताईए।

उत्तरः राज्य तथा सरकार में भेद की चार बातें निम्नलिखित हैं :–

1. सरकार राज्य का एक अंग है–राज्य का निर्माण चार तत्वों

   क. जनसंख्या (Population)

   ख. निश्चित भू–भाग (Fixed Territory)

   ग. सरकार (Government)

   घ. प्रभुसत्ता (Sovereignty)

   सरकार इनमें से केवल एक तत्व है।

2. निश्चित भू–भाग (Fixed Territory) : राज्य के लिए निश्चित भू–भाग आवश्यक है, सरकार के लिए नहीं।

3. सदस्यता (Membership) : राज्य की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिएए अनिवार्य है परंतु सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती यह ऐच्छिक होती है।

4. राज्य एक समान होते हैं, सरकारें विभिन्न प्रकार की होती हैं। सभी राज्य एक समान होते हैं अर्थात् सभी राज्यों का निर्माण उपरोक्त चार तत्वों के मिलने से होता है। इसके विपरीत सरकारें भिन्न–भिन्न प्रकार की होती है–लोकतंत्र, तानाशाही, संसदीय, अध्यक्षात्मक एकात्मक तथा संघात्मक इत्यादि।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple-Choice)

प्रश्न 1: 'राज्य' शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया?

क) अरस्तू ख) हॉब्स

ग) मैक्यावली घ) बोडिन

प्रश्न 2: "एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राजय हैं।" राज्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?

क) हॉलैण्ड ख) लॉस्की

ग) ब्लशंली घ) गार्नर

प्रश्न 3: "लोगों के किसी विशेष भू–भाग में कानून के लिए संगठित होने को ही राज्य कहा जाता है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) लॉस्की ख) अरस्तु

ग) वुडरो विल्सन घ) बोडिन

प्रश्न 4: प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए –

क) 5040 ख) 10000

ग) 20000 घ) 15000

प्रश्न 5: रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए?

क) 10000 ख) 50000

ग) 5040 घ) 20000

प्रश्न 6: राज्य की भूमि में निम्नलिखित में से कौन–सा शामिल नहीं है?

क) उस राज्य में बहने वाली नदियां ख) उस राज्य की भूमि के ऊपर का वायुमंडल

ग) राज्य में स्थित पहाड़ घ) पड़ोसी राज्य की भूमि

प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन–सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है।

क) जनसंख्या ख) सरकार

ग) मान्यता घ) प्रभुसत्ता

प्रश्न 8: "जब किसी देश में रहने वाले लोग अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता–सम्पन्न सरकार के अधीन रहते हैं तो वहां राज्य की स्थापना हो जाती है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) गार्नर ख) ओपनहेम

ग) ब्लंशली घ) गिलक्राइस्ट

प्रश्न 9: प्रभुसत्ता किसका अनिवार्य तत्व है?

क) राज्य ख) समाज

ग) सरकार घ) समुदाय

उत्तर : 1. ग, 2. ग, 3. ग, 4. क, 5. क, 6. घ, 7. ग 8. ख, 9. क।

राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धान्त – दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, पैतृक सिद्धान्त एवं मातृक सिद्धान्त (Major Theories of Origin of State-Divine Theory, Force Theory, Patriarchal and Matriarchal Theory)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त (Divine Theory) की व्याख्या करो।

उत्तर: राज्य की दैवी, उत्पत्ति के सिद्धान्त के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर (God) द्वारा किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर स्वयं शासन करता है अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को शासन करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। राजा अथवा शासन ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वह अपनी समस्त शक्तियां ईश्वर से प्राप्त करता है और वह अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए जनता को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना है, जो पाप है।

प्रश्न 2: दैवी–उत्पत्ति (Divine Theory) के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism) की कोई चार आधार बताओ।

उत्तर : दैवी–उत्पत्ति के सिद्धान्त की आलोचना के चार आधार निम्नलिखित हैं :–

1. नास्तिक (Aethist) : नास्तिक (जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते) लोग इस सिद्धान्त को कोई महत्व नहीं देते।
2. अनऐतिहासिक (Unhistorical) : यह सिद्धान्त अनऐतिहासिक है, इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता।
3. मानवीय संस्था (Human Creation) : राज्य एक मानवीय संस्था है दैवी नहीं।
4. खतरनाक (Dangerous) : यह सिद्धान्त खतरनाक है क्योंकि यह निरंकुशत (Despotism) का समर्थन करता है।

प्रश्न 3: राज्य की उत्पत्ति के संबंध पर 'शक्ति सिद्धान्त (Force Theory) पर संक्षिप्त नोट लिखो।

उत्तरः राज्य की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 'शक्ति सिद्धान्त' है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में जेंक्स (Jenks), ओपेन हाइमर (Oppen Reimer) आदि विद्वानों के नाम लिए जाते हैं। इस सिद्धान्त का मानना यह है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार 'शक्ति' है। युद्ध ने राजा को जन्म दिया। वाल्टेयर का कहना है, "पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था।" लीकॉक (Leacock) का कहना है, "राज्य की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा मनुष्य को पकड़कर दास बनाने और कमजोर कबीलों पर ताकतवर की विजय से हुई है।" इस वाक्य का मतलब यही है कि शुरू में किसी एक वीर पुरूष ने कुछ व्यक्तियों को हराकर उन्हें अपनी अधीन किया और फिर उनकी सहायता से और लोगों को गुलाम बनाकर राज्य कायम किया गया तथा स्वयं राजा बन बैठा।

प्रश्न 4: शक्ति सिद्धान्त की किन आधारों पर आलोचना की गई है?

उत्तरः शक्ति के सिद्धान्त की निम्नलिखित के आधारों पर आलोचना की गई है

1. **केवल शक्ति नहीं** (Not force alone) : राज्य केवल शक्ति से ही उत्पन्न नहीं हुआ। राज्य की उत्पत्ति में कोई अन्य तत्वों की रक्त–संबंध, धर्म, आर्थिक सहयोग तथा राजनीतिक चेतना आदि ने भी भाग लिया है, शक्ति उनमें केवल एक तत्व है।
2. **इच्छा** (Will of the People) : शक्ति की इच्छा राज्य का आधार है, शक्ति नहीं। राज्य एक नैतिक संस्था है जिसे जनता की इच्छा तथा सहमति से संगठित किया जा सकता है। परन्तु शक्ति न तो राज्य का आधार है और न ही अधिक समय तक उसे स्थायी रूप से बनाए रख सकती है।
3. **अनैतिकतापूर्ण** (Immoral) : यह सिद्धान्त अनैतिकतापूर्ण है, क्योंकि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is Right) का सिद्धान्त लागू होगा और केवल शक्तिशाली को ही जीवित रहने का (Survival of the fittest) अधिकार होगा, कमजोर को नहीं।
4. **खतरनाक** (Dangerous) : यह सिद्धान्त विश्व–शांति के लिए बड़ा खतरनाक है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि शक्तिशाली राज्यों को अपने से कमजोर राज्यों को अपना गुलाम बनाने तथा उन पर अधिकार करने की छूट देना।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: "राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है।" यह कथन किसने लिखा है?

क) मार्क्स ख) हीगल

ग) हॉब्स घ) लॉक

प्रश्न 2: राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धान्त के समर्थकों का मुख्य विश्वास क्या है?

क) राज्य ईश्वर का बनाया गया है।

ख) राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है।

ग) राज्य बल प्रयोग का परिणाम है।

घ) राज्य परिवार का विस्तृत रूप है।

प्रश्न 3: दैवी उत्पत्ति के समर्थकों के अनुसार

क) राज्य शक्ति प्रयोग का परिणाम है।

ख) राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है।

ग) राज्य ईश्वर की देन है।

घ) राज्य का धीरे–धीरे विकास हुआ है।

प्रश्न 4: "राजा ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवीय सरकार का प्रकाशन है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) हॉब्स ख) ब्लंशली

ग) गिल क्राईस्ट घ) प्लूटार्क

प्रश्न 5: राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन–सा सिद्धान्त सबसे प्राचीन माना जाता है?

क) शक्ति सिद्धान्त ख) विकासवादी सिद्धान्त

ग) दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त घ) पितृ–प्रधान सिद्धान्त

प्रश्न 6: राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धान्त कौन–सा है?

क) दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त ख) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त

ग) शक्ति सिद्धान्त घ) विकासवादी सिद्धान्त

प्रश्न 7: "ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का मूल सफल युद्ध में है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) लीकॉक ख) जैक्स

ग) वुडरो विल्सन घ) रूसो

प्रश्न 8: "राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं" यह कथन निम्नलिखित का है।

क) हॉब्स ख) टी॰एच॰ग्रीन॰

ग) मार्क्स घ) लीकॉक

प्रश्न 9: प्रथम सम्राट एक भाग्यशाली योद्धा था? यह कथन निम्नलिखित का है–

क) मैक्यावली ख) वॉल्टेयर

ग) रूसो घ) लीकॉक

प्रश्न10: निम्नलिखित में से पितृ प्रधान परिवार का समर्थक कौन था?

क) मैकाइवर ख) सर हैनरी मैन

ग) हॉब्स घ) लीकॉक

उत्तर : 1. ख, 2. ग, 3. ग, 4. ख, 5. ग, 6. घ, 7. ख, 8. ख, 9. ख, 10. ख।

राज्य की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धान्त : सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त (Origin of State : Social Contract Theory, Historical or Evolutionary Theory, Marxist Theory)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 5: राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (Social contract theory) क्या है?

उत्तर : राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का समर्थन हॉब्स (Hobbes), लॉक (Locke) तथा रूसो (Russeau) द्वारा किया गया है। सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था न होकर मानवीय संस्था है। उनका कहना है कि राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य प्रकृतिक अवस्था (State of nature) में रहता था परन्तु किंही कारणों से इस अवस्था में उसका जीवन असहनीय हो गया। अतः प्रकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एक सामाजिक समझौता किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई।

प्रश्न 6: प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) के संबंध में हॉब्स (Hobbes) क्या कहता है?

उत्तरः हॉब्स (Hobbes) के अनुसार प्रकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन अन्धकारमय था। लोग आपस में लड़ते–झगड़ते रहते थे और उनकी हालत बहुत बुरी थी। हॉब्स (Hobbes) के अनुसार, "प्रकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक तथा क्षणिक होता था।

प्रश्न 7: लॉक (Locke) के अनुसार प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में व्यक्ति की दशा कैसी थी?

उत्तरः लॉक (Locke) के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति तथा परस्पर सहयोग से रहते थे। इस अवस्था में लोगों को जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे, जो उन्हें प्रकृति द्वारा गिले हुए थे। परंतु

चूंकि वहां उन नियमों को लागू करने तथा उन्हें तोड़ने वालों को दण्ड देने के लिए कोई शक्ति मौजूद नहीं थी। अतः लोगों में आपसी झगड़े होने लगे। ऐसी स्थिति में छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया और राज्य की स्थापना की।

प्रश्न 8: रूसो (Rousseau) के अनुसार 'प्राकृतिक अवस्था' (State of Nature) में मनुष्य की क्या स्थिति थी?

उत्तरः रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य के जीवन की एक आदर्श अवस्था थी, जिसमें मनुष्य पूरी तरह से सुखी था। उसका जीवन आत्मनिर्भर, सुखी तथा सम्पन्न था। परन्तु जनसंख्या में वृद्धि, खेती के आरम्भ होने तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के विकास होने के कारण असमानता पैदा हो गई और लोगों में आपसी झगड़े होने लगे।

प्रश्न 9: लॉक (Locke) के सामाजिक समझौते (Social contract) की कोई दो विशेषताएं बताओ।

उत्तर : 1. लॉक (Locke) के अनुसार दो समझौते हुए एक सामाजिक समझौता तथा दूसरा राजनीतिक समझौता। पहले समझौते द्वारा समाज की स्थापना हुई तथा दूसरे राज्य तथा सरकार की स्थापना हुई।

2. लोगों का राजा के साथ समझौता कुछ शर्तों के आधार पर हुआ। यदि शासक जनता के जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो जनता को उसे हटाने तथा उसके स्थान पर दूसरा राजा बनाने का अधिकार था।

प्रश्न 10:राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धान्त अनऐतिहासिक (Unhistorical) है व्याख्या करो।

उत्तरः इतिहास में इस बात का कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि राज्य की उत्पत्ति प्रकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के समझौते के परिणामस्वरूप हुई है। इतिहास इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य प्रकृतिक अवस्था में रहते थे। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी है और वह सदा से ही समाज में रहता आया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का यह कहना कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था से एक दम राज्य के संगठन में रहने लगा, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। राज्य वास्तव में एक विकासवादी संस्था है, जिसका धीरे–धीरे विकास हुआ है और इसके निर्माण में कई तत्वों में भाग लिया है।

प्रश्न 11:सामाजिक समझौते का सिद्धान्त कानून (Legally) की दृष्टि से गलत (Wrong) है, व्याख्या करो।

उत्तरः सामाजिक समझौते का सिद्धान्त कानूनी दृष्टि से निम्नलिखित आधार पर गलत है :–

1. किसी भी समझौते को लागू करने के लिए कानून का होना आवश्यक है जो केवल राज्य में ही संभव है। परन्तु सामाजिक समझौता करने वालों में जो समझौता किया वह प्राकृतिक अवस्था में किया जहां न राज्य था न कानून और न ही सरकार, अतः यह समझौता गैर–कानूनी है।
2. समझौता केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनके द्वारा वह (समझौता) किया जाता है। परंतु सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के अनुसार समझौता आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू होता है। यह बात कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

3. प्रायः जो भी समझौता किया जाता है, उसे कुछ शर्तों पर तोड़ा भी जा सकता है। परंतु इस सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के अनुसार जो समझौता किया गया, वह तोड़ा नहीं जा सकता था। जो कानूनी दृष्टिकोण से गलत है।

4. सामाजिक समझौते को कानूनी दृष्टि से इसलिए भी गलत माना जाता है क्योंकि इनके अनुसार समझौता पहले हुआ और राज्य की स्थापना बाद में हुई। वास्तव में राज्य पहले बना और समझौता उसके बाद में हुआ।

प्रश्न 12:राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धान्त दार्शनिक (Philosophical) दृष्टि से गलत है, व्याख्या करो।

उत्तर : सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है :–

1. सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य, प्रकृतिक अवस्था में रहता था। हॉब्स (Hobbes) के अनुसार उस अवस्था में मनुष्य एक दूसरे के साथ लड़ते–झगड़ते रहते थे। मनुष्य स्वार्थी, गंवार तथा जंगली थे। ऐसे मनुष्यों द्वारा अचानक समझौता करना दार्शनिक दृष्टिकोण से संभव नहीं लगता।

2. लॉक (Locke) का कहना है कि मनुष्य को प्रकृतिक अवस्था में कुछ अधिकार प्राप्त थे, यह गलत है। उस समय जब न कोई समाज था और न ही राज्य, अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। जिसका धीरे–धीरे विकास हुआ है। इस विकास में अनेक तत्वों ने भाग लिया है।

4. राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती।

प्रश्न 13:राज्य एक विकसित संस्था है, कृत्रिम (बनावटी) नहीं स्पष्ट कीजिए।

उत्तरः राज्य एक कृत्रिम (Artificial) बनावटी संस्था नहीं है, बल्कि इसका विकास (Evolution or Development) हुआ है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों द्वारा उसी प्रकार हुआ है, जैसे मनुष्यों द्वारा मेज, कुर्सी तथा मकान आदि का निर्माण हुआ है, परंतु यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। आधुनिक लेखक राज्य को एक विकसित (Ecolutionary) संस्था मानते हैं। जिसके विकास में अनेक तत्वों को भाग लिया है। लीकॉक (Leacock) ने लिखा है, "राज्य की उत्पत्ति विकास के आधार पर हुई है जिसका इतिहास मनुष्यों के ज्ञात और अज्ञात काल तक फैला हुआ है।"

प्रश्न 14:रूसो की 'सामान्य इच्छा' (General Will) पर विचार प्रकट कीजिए।

उत्तरः रूसो (Rousseau) के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य प्रकृतिक अवस्था में रहता था और वह अवस्था बहुत ही शांतिपूर्ण तथा सुखमय थी। परंतु जनसंख्या की वृद्धि सभ्यता का आरंभ तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के विकास के साथ–साथ प्राकृतिक अवस्था की आदर्श परिस्थितियां समाप्त हो गई और अराजकता और अल्पवस्था फैल गई। इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों में अपने सारे अधिकार सारे समाज को सौंप दिए। यह कार्य सामान्य इच्छा (General Will) के निर्देश द्वारा हुआ जो प्रभुसत्ता के रूप में बदल गई।

रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :–

1. सभी लोगों का कल्याण : सामान्य इच्छा समाज में कम अथवा अधिक व्यक्तियों की वह इच्छा है, जो समाज के सभी लोगों के कल्याण तथा भलाई के लिए होती है।
2. सर्वश्रेष्ठ : सामान्य इच्छा सर्वश्रेष्ठ होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, संस्था और सरकार भी उसके अधीन होती है।
3. प्रभुसत्ता : प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में पाई जाती है।
4. स्थायी : सामान्य इच्छा स्थायी होती है। यह भावनाओं पर आधारित न होकर मनुष्यों की विवेकपूर्ण इच्छा है।
5. न्यायपूर्ण : सामान्य इच्छा सदा न्यायपूर्ण होती है।

प्रश्न 15:सामाजिक समझौते के सिद्धान्त उपयोगिता (Utility) लिखो।

उत्तर : सामाजिक समझौते की उपयोगिता निम्नलिखित है :–

1. राजा अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है तथा राजा को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है।
2. हॉब्स (Locke) के पूर्ण प्रभुसत्ता ने कानूनी प्रभुसत्ता को जन्म दिया जिसका पूर्ण विकास आगे चलकर इंग्लैंड के विद्वान आस्टिन (Austin) ने किया।
3. लॉक (Locke) ने राज्य तथा सरकार में भेद (Difference) करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया।
4. रूसो (Rousseau) के सामान्य इच्छा के सिद्धान्त ने लोकतंत्रीय शासन प्रणाली (Democracy) को जन्म दिया।

प्रश्न 16:राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी सिद्धान्त के मुख्य तत्व (Element) लिखें।

उत्तर: राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मार्क्सवादी सिद्धान्त के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :–

1. वर्ण संघर्ष (Class struggle) : राज्य वर्ग–संघर्ष की उत्पत्ति है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज में मौजूद परस्पर विरोधी वर्गों के बीच संघर्ष के कारण राज्य का जन्म हुआ है।
2. पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण (Exploitation of Proleteriat) : राज्य सदैव शोषक (Exploiter) पक्ष का समर्थक रहा है। राज्य की सत्ता का प्रयोग शोषक वर्ग–पूंजीपतियों द्वारा–मजदूरों का शोषण करने के लिए किया जाता है।
3. शक्ति (Force) : राज्य का आधार इच्छा न होकर शक्ति है।
4. पूंजीपतियों के हितों की रक्षा (State protects capitalist and exploits proletariat) : राज्य कानून, सेना तथा पुलिस द्वारा जनता के हितों के स्थान पर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। राज्य तो गरीबों मजदूरों तथा अन्य असहाय लोगों को कष्ट देने का साधन है।
5. राज्य–विहीन समाज (Stteless Society) : मार्क्सवादी सिद्धान्त राज्य की समाप्ति तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्य विहिन समाज की कल्पना करता है।

प्रश्न 17ःराज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism) के चार आधार लिखिए।

उत्तर : राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धान्त की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई हैः–

1. निर्माण, नहीं विकास (Development not creation) : राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है।
2. आर्थिक तत्व पर बल (Emphasis on economic factor) : मार्क्सवादी सिद्धान्त में आर्थिक तत्व पर बल दिया गया है।
3. आधार मानवीय इच्छा (Human will) : राज्य का आधार शक्ति नहीं, मानवीय इच्छा है।
4. सार्वजनिक कल्याण (General Welfare) : राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है।
5. काल्पनिक (Imaginary) : राज्य के लोप होने का विचार (Withering of state) काल्पनिक है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1ः "राज्य पूंजीपतियों के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिससे वे जनता के बहुमत पर शासन करता है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) लीकॉक ख) ब्लंशली

ग) लेनिन घ) सर हेनरी मैन

प्रश्न 2ः मार्क्स के द्वारा 'वर्ग संघर्ष' का वर्णन निम्नलिखित पुस्तक में किया गया–

क) लेवाथां ख) दास कैपिटल

ग) सोशल कान्ट्रैक्ट घ) समाजशास्त्र के सिद्धान्त

प्रश्न 3ः "राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने का साधन है।" यह कथन निम्न का है :–

क) मार्क्स ख) हीगल

ग) हाब्स घ) लॉक

प्रश्न 4ः वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त का प्रतिपादन निम्नलिखित द्वारा किया गया–

क) हॉब्स ख) लॉक

ग) मार्क्स घ) रूसो

प्रश्न 5ः निम्नलिखित सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का समर्थक था–

क) रूसो ख) आस्टिन

ग) मार्क्स घ) लीकॉक

प्रश्न 6ः विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में निम्नलिखित का योगदान नहीं है–

क) रक्त संबंध ख) राजनीतिक चेतना

ग) शक्ति घ) ईश्वरीय इच्छा

प्रश्न 7: "पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ–प्रधान परिवार, फिर समाज गोत्र के पुरूषों का एक कबीला और अन्त में एक राष्ट्र बना।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) सर हेनरी मैन   ख) लीकॉक

ग) हॉब्स   घ) लॉक

उत्तरः 1. ग, 2. घ, 3. क, 4. ग, 5. क, 6. घ, 7. ख।

राज्य के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण
(State-Its Perspectives)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: राज्य के उदार–व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तरः राज्य के संबंध में उदार व्यक्तिवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति साध्य (End) है तथा राज्य साधन (Means)। इस दृष्टिकोण के अनुसार :–

1. साध्य व्यक्ति (Man is an end) : राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है।
2. विवेकशील (Rational) : व्यक्ति विवेकशील है और अपने हित को स्वयं सर्वोत्तम रूप से जानता है।
3. स्वतंत्रता (Freedom) : व्यक्ति को अपने कार्यों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
4. कार्य कम–से–कम (Minimum Sunctions) : राज्य के कार्य कम–से–कम हों।
5. अधिकार और स्वतंत्रताएं (Rights and Freedom) : व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए।
6. सीमित लोकतंत्रीय (Limited Democracy) : संवैधानिक सीमित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली उचित है।

प्रश्न 2: राज्य के संबंध में मार्क्सवादी (Marxist) दृष्टिकोण पर एक नोट लिखें।

उत्तर : राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स (Karl Marks) के विचारों पर आधारित है, वह वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति :–

1. कोई नैतिक नहीं (Not Struggle) : राज्य कोई नैतिक संस्था नहीं।
2. वर्ग संघर्ष नहीं (Class Struggle) : राज्य समाज में विद्यमान वर्ग संघर्ष की उपज है।
3. एक उपकरण (A Tool) : समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग (Dominant Class) का एक उपकरण है।
4. शोषण का साधन (Exploitation) : राज्य शोषण का साधन है।
5. सामाजिक क्रान्ति (Social Revolution) : सामाजिक क्रान्ति अवश्यम्भावी है।

6. श्रमिक वर्ग की तानाशाही (Dictartorship of Proletariat) : श्रमिक वर्ग की तानाशाही में तथा शोषक वर्ग की समाप्ति।
7. वर्ग विहिन समाज तथा राज्य का लोप (Classless and Stateless Society) : वर्ग–विहीन समाज में राज्य का लोप।

मार्क्सवादी के कार्य (Functions of a Marxist State) : मार्क्सवादी राज्य के कार्य निम्नलिखित हैं:–

1. राजनीतिक कार्य (Political Functions) : राज्य का लक्षण समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ करना है।
2. आर्थिक कार्य (Economic Function) : अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण, निजी सम्पत्ति की समाप्ति।
3. लोक–कल्याणकारी कार्य (Welfare Functions) : श्रमिकों की दशा में सुधार।
4. सांस्कृतिक कार्य (Cultural Functions) : शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यों पर सरकारी नियंत्रण।
5. न्यायिक कार्य (Judicial Functions) : न्याय–व्यवस्था का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को पुष्ट करना।
6. अंतर्राष्ट्रीय कार्य (International Functions) : श्रमिक आन्दोलनों को बढ़ावा देना।

आलोचना (Criticism)

1. वर्ग संघर्ष की उपज नहीं : राज्य वर्ग संघर्ष की उपज नहीं।
2. लाभ : राज्य के कानूनों से सबको लाभ मिलेगा यह सन्देह है।
3. आर्थिक पक्ष पर जोर उचित नहीं : केवल आर्थिक पक्ष पर जोर उचित नहीं।
4. कल्याणकारी : राज्य द्वारा कल्याणकारी कार्य करना।
5. विशिष्ट वर्गों : नए विशिष्ट वर्गों का उद्य।
6. समाप्त होना संभव नहीं : राज्य का समाप्त होना संभव नहीं।

प्रश्न 3: राज्य के गांधीवाद सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

उत्तर : गांधीजी (Gandhiji) के अनुसार राज्य संगठित हिंसा का स्वरूप है जिस कारण से वे अराजकतावादियों की भांति राज्य के किसी भी रूप का विरोध करते थे। उनके अनुसार, व्यक्ति एक आत्मा है जबकि राज्य एक मशीन है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तियों के विरोध में करता है। राज्य की पुलिस, सेना तथा जेल इत्यादि उनकी हिंसा के प्रतीक हैं। इसलिए गांधीजी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानकर उसका अन्त करने का समर्थन करते थे। परन्तु वे इस बात को भी समझते थे कि राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना असम्भव नहीं है। अतः वे उसे कम–से–कम कार्य देने का समर्थन करते थे। गांधीजी राज्य को साध्य न मानकर एक साधन मानते थे जिसका उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना है। गांधीजी राज्य की शक्ति को बहुत सीमित करने के पक्षपाती थे।

प्रश्न 4: कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों का वर्णन करो।

उत्तर: कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य : कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं :–

1. व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) : व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। जब तक नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, उनका विकास नहीं हो सकता।

2. राजनीतिक सुरक्षा (Political Security) : प्रतयेक नागरिक कीी राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कार्यों में भाग ले सकें। नागरिक को देश की समस्याओं के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता हो।

3. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) : कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। इनके अनुसार राज्य उन सब भेदों को दूर करने का प्रयत्न करेगा जो जाति, वंश, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य किसी आधार पर आधारित है।

4. शांति स्थापना (To maintain peace) : कल्याणकारी राज्य के अन्य उद्देश्य संसार में शांति करना भी है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Questions)

प्रश्न 1: 'ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स' नामक पुस्तक निम्नलिखित विद्वान ने लिखी है :–

क) कार्ल मार्क्स
ख) लास्की
ग) रूसो
घ) हरबर्ट स्पैन्सर

प्रश्न 2: निम्नलिखित लेखक ने राज्य को 'सामाजिक समझौता' का परिणाम माना है–

क) लास्की
ख) टॉलस्टाय
ग) मार्क्स
घ) जॉन लॉक

प्रश्न 3: 'टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेन्ट' के लेखक थे–

क) जॉन लॉक
ख) लास्की
ग) कार्ल मार्क्स
घ) गांधी

प्रश्न 4: 'कम्यूनिस्ट मेनी फेस्टो' नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई–

क) हरबर्ट स्पैन्सर
ख) एडम स्मिथ
ग) लास्की
घ) कार्ल मार्क्स

प्रश्न 5: जॉन लॉक राज्य के निम्नलिखित दृष्टिकोण का समर्थक था–

क) सामाजिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण
ख) उदार–व्यक्तिवादी दृष्टिकोण
ग) मार्क्सवादी दृष्टिकोण
घ) गांधीवादी दृष्टिकोण

प्रश्न 6: निम्नलिखित बहुलवाद का समर्थक था–

क) आस्टिन
ख) महात्मा गांधी
ग) लास्की
घ) जॉन लॉक

प्रश्न 7: वर्तमान काल में राज्य के संबंध में सबसे अधिक लोकप्रिय आधुनिक दृष्टिकोण कौन–सा है–

क) मार्क्सवादी
ख) गांधीवादी
ग) उदार–व्यक्तिवादी
घ) कल्याणकारी राज्य

उत्तर : (1) ख, (2) घ, (3) क, (4) घ, (5) ख, (6) ग, (7) घ।

प्रभुसत्ता
(Sovereignty)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है?

उत्तरः प्रभुसत्ता शब्द जिसे अंग्रेजी में सॉवरेनटि कहते हैं की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'सुपरोहनेस' (Superanus) से हुई है। लैटिन में इस शब्द का अर्थ है (Supreme) सर्वोच्च। राज्य की प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की उस शक्ति से है, जिसके कारण अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर असीमित रूप से अपना नियंत्रण रखता है, तथा बाहरी रूप से वह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता।

प्रभुसत्ता की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है :–

1. बोदिन (Bodin) के अनुसार, "प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजा के ऊपर राज्य की वह उच्चतम सत्ता है जो कानूनों तथा अन्य प्रतिबन्धों से मुक्त हो।"
2. बर्गेस (Bugress) के अनुसार, "प्रभुसत्ता प्रत्येक प्रजाजन व उसके समुदाय पर राज्य की मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है।"
3. डयूगी (Duguit) के अनुसार, "प्रभुसत्ता राज्य को आदेश देने वाली शक्ति है, यह राज्य के रूप में संगठित राज्य की इच्छा है, इसे राज्य की भूमि पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को बिना शर्त आज्ञा देने का अधिकार है।"
4. ग्रोशियस के अनुसार, "प्रभुसत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके।"
5. जेलिनक (Jelinek) के अनुसार, "प्रभुसत्ता राज्य की वह विशेषता है जिसके अनुसार उसकी अपनी इच्छा के अतिरिक्त उस पर कोई कानूनी बंधन नहीं हो सकता और उसकी अपनी शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति द्वारा उसे सीमित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 2: प्रभुसत्ता के दो रूपों (Kinds) की व्याख्या कीजिए।

उत्तरः प्रभुसत्ता के दो रूप हैं :–

1. आन्तरिक प्रभुसत्ता (Internal Sovereignty) : आन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति तथा समुदाय राज्य के अधीन हैं और उनके लिए राज्य की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है।
2. बाहरी प्रभुसत्ता (External Sovereignty) : बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि एक राज्य किसी अन्य राज्य अथवा बाहरी संस्था के अधीन नहीं है। राज्य बाहरी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति को राज्य को आदेश देने का तथा उसका पालन करवाने की शक्ति नहीं है।

प्रश्न 3: प्रभुसत्ता के कोई चार लक्षण बताओ।

उत्तरः प्रभुसत्ता के चार लक्षण निम्नलिखित हैं :–

1. स्थायित्व (Permanance) : जब तक राज्य बना रहता है, प्रभुसत्ता भी स्थायी रूप से बनी रहती है। राजा की मृत्यु होने पर अथवा सरकार के बदलने पर प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता।
2. सर्वव्यापकता (Comprehensive) : इसका अर्थ यह है कि प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, व्यक्ति–समुदायों तथा संस्थाओं पर लागू होती है।
3. अविच्छेदता (Indivisible) : इसका अर्थ है कि राज्य की प्रभुसत्ता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। यदि इसे राज्य से अलग कर दिया जाए, तो राज्य ही समाप्त हो जाएगा।
4. अपवर्जिता (Inalieanability) : अपवर्जिता का अर्थ है कि एक राज्य में दो प्रभु नहीं हो सकते। एक राज्य में केवल एक ही प्रभुसत्ताधारी हो सकता है।

प्रश्न 4: कानूनी प्रभुसत्ता (Legal Sovereignty) का क्या अर्थ है?

उत्तर: कानूनी प्रभुसत्ता उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के पास होती है। जिसके पास कानून बनाने अथवा कानून द्वारा अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार होता है। न्यायालय द्वारा उन्हीं कानूनों के अनुसार न्याय किया जाता है, जो कानूनी प्रभुसत्ता द्वारा बनाए जाते हैं। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड दिया जाता है।

प्रश्न 5: राजनीतिक प्रभुसत्ता (Political Sovereignty) का क्या अर्थ है?

उत्तर: गिलक्रइस्ट (Gilchrist) के मतानुसार, "राजनीतिक प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक सरकार में हम मोटे तौर पर इसे लोगों की इच्छा कह सकते हैं।" इंग्लैंड में संसद सैद्धान्तिक रूप से सभी कानून बना सकती है परन्तु व्यवहार में संसद को मतदाताओं की इच्छा के सामने झुकना पड़ता है। इस प्रकार कानून के निर्माण को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों, मतदाता, राजनीतिक दल तथा प्रैस आदि को राजनीतिक प्रभुसत्ता में शामिल किया जाता है।

प्रश्न 6: आस्टिन के प्रभुसत्ता पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर: जॉन आस्टिन (John Austin) का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त है, जिसका वर्णन उसने सन् (1832) में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Lecture on Juris prudence" में किया है। आस्टिन द्वारा प्रभुसत्ता की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है:–

"यदि एक निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जो अपने ही समान किसी अन्य श्रेष्ठ की आज्ञा पालन का अभ्यस्त न हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन उस समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो, तो वह मानव श्रेष्ठ उस समाज में प्रभु है तथा वह समाज (उस प्रभु–सहित) एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है।"

आस्टिन की परिभाषा की मुख्य विशेषताएं (Characteristics) निम्नलिखित है :–

1. निश्चित (Determinate) : आस्टिन (Austin) के द्वारा प्रत्येक समाज में एक निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है।
2. आज्ञा पालन (Obedience) : समाज की जनता का अधिकांश भाग उस प्रभु की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करता है।

3. निरंकुश (Dictator) : वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपने जैसे किसी अन्य प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता और इस प्रकार वह निरंकुश होता है।

4. अविभाज्य (Inivisible) : प्रभुसत्ता अविभाज्य है इसका विभाजन करने का अर्थ है इसे नष्ट करना।

5. स्त्रोत् (Source) : प्रभु ही कानून का स्त्रोत होता है।

प्रश्न 7: आस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की आलोचना के कोई चार आधार बताओ।

उत्तरः आस्टिन (Austin) के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की आलोचना के आधार निम्नलिखित है :–

1. कानूनी प्रभुसत्ता (Legal Sovereignty) : आस्टिन की प्रभुसत्ता का सिद्धान्त केवल कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धान्त है और यह राजनीतिक प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है।

2. निश्चित (Determinate) : प्रभुसत्ता सदैव निश्चित नहीं होती।

3. निरंकुश (Dictator) : आलोचकों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रभु को निरंकुश बनाता है जो कि ठीक नहीं है। राज्य की प्रभुसत्ता बाहरी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सन्धियों से तथा आंतरिक रूप से परम्पराओं, धर्म तथा जनमत आदि द्वारा सीमित होती है।

4. अविभाज्य नहीं (Not Indivisible) : आलोचकों का कहना है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है उनका कहना है कि संघात्मक राज्यों में प्रभुसत्ता केन्द्र तथा राज्यों में विभाजित होती है। इसी प्रकार प्रभुसत्ता सरकार के तीन अंगों–विधानमण्डल (Legislature), कार्य पालिका (Executive) तथा न्यायपालिका (Judiciary) में बंटी हुई होती है।

5. कानून का एकमात्र स्त्रोत नहीं (Not only source) : आस्टिन (Austin) के अनुसार कानून प्रभू का आदेश है परन्तु आलोचकों का कहना है कि प्रभु ही कानून का एकमात्र स्त्रोत् नहीं है। प्रथाएं तथा रीति–रिवाज भी कानून के स्त्रोत् हैं।

प्रश्न 8: प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धान्त पर नोट लिखें।

उत्तरः आस्टिन (Austin) के प्रभुसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार राज्य के पास प्रभुसत्ता है और यह प्रभुसत्ता असीमित तथा अविभाज्य है। यह राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थाओं पर लागू होती है और बाहर से कोई भी अन्य शक्ति राज्य को आदेश देकर उनका पालन करवाने का अधिकार नहीं रखती। परन्तु कुछ लेखक क्रेव (Krabb), कोल (Cole), लॉस्की (Laski) तथा बार्कर (Barker) आदि मुख्य है, का मत है कि प्रभुसत्ता केवल राज्य के पास ही नहीं है बल्कि यह राज्य तथा अन्य समुदायों में बंटी हुई है। उनका कहना है कि मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए अनेक समुदायों का गठन किया जाता है। राज्य भी उसके जीवन के राजनीतिक पहलू को उन्नत करने के लिए समुदाय है तथा प्रभुसत्ता केवल राज्य के ही पास न होकर सभी समुदायों में निहित होती है। इनमें से कुछ समुदाय जैसे परिवार तथा चर्च आदि तो राज्य से भी पहले बने। जिस प्रकार राज्य अपने क्षेत्र के प्रभुसत्ताधारी है, उसी प्रकार से समुदाय भी अपने सदस्यों पर प्रभुसत्ता रखते हैं।

प्रश्न 9: प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism) के कोई चार आधार लिखें।

उत्तरः प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धान्त की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है :–

1. अराजकता (Anarchy) : यह बहु–समुदायवादियों के विचारों को मानकर राज्य की प्रभुसत्ता को दूसरी संस्थाओं में बांट दे तो उससे अराजकता व दुर्व्यवस्था फैलेगी।
2. राज्य आवश्यक है (State is necessary) : यद्यपि आज कई संस्थाएं व समुदाय सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हैं, फिर भी उनका स्थान राज्य के समान नहीं है।
3. संस्थाएं स्वतंत्र (Institutions would declare independence) : यदि समुदायों की सत्ता का सिद्धांत एक बार मान लिया तो अच्छे उद्देश्य के लिए ही नहीं परंतु बुरे व अनैतिक उद्देश्यों के लिए संगठित समुदाय भी स्वतंत्र स्थिति का दावा करने लगेंगे।
4. कानून राज्य से उच्च नहीं होता (Law is not above the state) : कुछ विचारकों का मत था कि कानून राज्य से ऊपर और उच्चतर होता है। परन्तु यह उचित नहीं माना जा सकता।

प्रश्न 10:प्रभुसत्ता के बहुवादी सिद्धान्त का क्या महत्व है?

उत्तरः बहुवादी सिद्धान्त का महत्व इस बात से है कि इसने राज्य की निरंकुश शक्ति के विरूद्ध आवाज उठाई और इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति के जीवन में समुदायों का भी बहुत महत्व है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Questions)

प्रश्न 1: "Sovereignty" शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?

क) सुप्रीम ख) सुपर

ग) सुपरऐनस घ) सोवियत

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व प्रभुसत्ता का आवश्यक तत्व है?

क) कानून ख) धर्म

ग) राजनीतिक चेतना घ) सर्वव्यापकता

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन–सा प्रभुसत्ता का आवश्यक तत्व नहीं है?

क) निरंकुशता ख) स्थायित्व

ग) सर्वव्यापकता घ) लोकप्रियता

प्रश्न 4: 'लेक्चर्ज ऑन ज्यूरिस्प्रुडेन्स' नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है?

क) लॉस्की ख) माण्टेस्क्यू

ग) ऑस्टिन घ) बोदीन

प्रश्न 5: निरंकुश प्रभुसत्ता का सिद्धान्त किस विद्वान ने प्रस्तुत किया?

क) हॉब्स ख) लॉक

ग) माण्टेस्क्यू घ) रूसो

प्रश्न 6: लोक–प्रभुसत्ता का सिद्धान्त किस विद्वान द्वारा पेश किया गया?

क) हॉब्स ख) लॉस्की

ग) आस्टिन घ) रूसो

प्रश्न 7: "प्रभुसत्ता एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति में होती है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) आस्टिन ख) लॉस्की

ग) सर हेनरी मेन घ) रूसो

प्रश्न 8: "प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) डयूगी ख) लॉस्की

ग) विलोबी घ) बर्गेस

प्रश्न 9: "प्रभुसत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो, तथा जिनकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके।" प्रभुसत्ता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?

क) लॉस्की ख) ग्रोशियस

ग) पोलक घ) बर्गेस

प्रश्न 10:"प्रभुसत्ता प्रत्येक प्रजाजन व उनको समुदायों पर राज्य की मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति होती है।" प्रभुसत्ता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?

क) पोलक ख) ब्रर्गेस

ग) डयूगी घ) ग्रोशियस

प्रश्न 11:"प्रभुसत्ता एक पूर्ण तत्व है" यह कथन किस विद्वान का है?

क) लॉवेल ख) बोदीन

ग) कोलहीन घ) फ्रीमैन

प्रश्न 12:"अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य का विचार मानवता के लिए घातक है।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) लॉस्की ख) मैकाइवर

ग) गार्नर घ) सर हेनरी मेन

प्रश्न 13:निम्नलिखित में से कौन–सा विद्वान बहुलवादी है?

क) हॉब्स ख) रूसो

ग) लॉस्की घ) आस्टिन

प्रश्न 14ः"चूंकि समाज संघीय है, सत्ता भी संघीय होनी चाहिए।" यह कथन किस विद्वान का है?

क) ग्रोशियस ख) आस्टिन

ग) लॉस्की घ) मैकाइवर

प्रश्न 15ःबहुलवादियों का मुख्य दावा क्या है?

क) प्रभुसत्ता मतदाताओं में निकास करती है।

ख) प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है।

ग) प्रभुसत्ता निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति के पास होती है।

घ) प्रभुसत्ता राज्य के अतिरिक्त समुदायों के पास भी होती है।

प्रश्न 16ः"कानून उच्च के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है।" यह कथन है–

क) जॉन आस्टिन ख) हॉब्स

ग) डायसी घ) स्टालिन

प्रश्न 17ःलोक–प्रभुसत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित है?

क) जनता ख) संसद सदस्यों

ग) संविधान घ) इनमें से किसी में नहीं

प्रश्न 18ःप्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य या तो मर चुका है या मरने वाला है।" यह कथन किस विद्वान का है।

क) क्रेब ख) मैकाइवर

ग) डयूगी घ) लॉस्की

प्रश्न 19ः निम्नलिखित में से कौन–सा विद्वान बहुलवादी नहीं है?

क) बार्कर ख) डयूगी

ग) मेटलैंड घ) सर हेनरी मेन

प्रश्न 20ः भारत में प्रभुसत्ता किसके पास है?

क) राष्ट्रपति ख) प्रधानमंत्री

ग) संसद तथा राज्य विधान मंडल घ) संविधान

उत्तरः 1. ग, 2. घ, 3. घ, 4. ग, 5. क, 6. घ, 7. क, 8. ग, 9. ख, 10. ख, 11. ग, 12. क, 13. ग, 14. ग, 15. घ, 16. क, 17. क, 18. ग, 19. घ, 20. घ।

लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र
(Democracy)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: लोकतंत्र (Democracy) का अर्थ बताइए।

उत्तरः आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों 'डिमोस (Demos) और 'क्रेटिया' (Cratia) से मिलकर बना है। 'डिमोस' का अर्थ है, 'लोक' और 'क्रेटिया' का अर्थ है 'शासन' अथवा शक्ति। इसी प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ वह शासन है जिसमें शक्ति या सत्ता लोगों के हाथें में हो। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र सरकार का अर्थ है प्रजा का शासन (Rule of People)।

1. अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के अनुसार : "प्रजातंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है।"
2. सीले (Seeley) के अनुसार : "प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है।"
3. डायसी (Dicey) के अनुसार : "प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो।"

प्रश्न 2: लोकतंत्र की विशेषताएं (Characteristics) लिखें।

उत्तरः लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. जनता का शासन (Rule of People) : प्रजातंत्र में शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर चलाया जाता है।
2. समानता (Equality) : प्रजातंत्र में प्रत्येक मनुष्य को समान समझा जाता है। सभी मनुष्यों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं।
3. आलोचना का अधिकार (Right to Criticise) : प्रजातंत्र में शासन जनता के हित में चलाया जाता है।

प्रश्न 3: लोकतंत्र के गुण (Merits) लिखें।

उत्तरः प्रजातंत्र में निम्नलिखित गुण (Merits) पाए जाते हैं:–

1. जनमत पर आधारित (Based on Public Opinion) : प्रजातंत्र शासन जनमत पर आधारित है। अर्थात् शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है।
2. समानता पर आधारित (Based on Equality) : प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विशेष अधिकार नहीं दिए जाते।
3. राजनीतिक शिक्षा (Political Education) : लोकतंत्र (Democrary) में नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।
4. क्रांति का डर नहीं (No threat of Revolt) : लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है।
5. हितों की रक्षा करता है (Interest) : प्रजातंत्र समस्त जनता के हितों की रक्षा करता है।

प्रश्न 4: लोकतंत्र की हानियां (Drawbacks) लिखो।

उत्तर: जहां एक ओर लोकतंत्र में इतने गुण पाए जाते हैं वहीं दूसरी ओर इसमें निम्नलिखित हानियां पाई जाती है।

1. संख्या को अधिक महत्व (Quantity) : प्रजातंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में मूर्खों का शासन होता है।
2. अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन है (Rule of Fools) : प्रजातंत्र को अयोग्यता की पूजा बताया जाता है। जनता में अधिकांश व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी तथा अनपढ़ होते हैं।
3. उत्तरदायी शासन नहीं है (Not Responsible Government) : वास्तव में प्रजातंत्र अनुत्तरदायीी शासन है। चुनावों के पश्चात् नेता जानते हैं कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अतः अपनी मनमानी करते हैं।
4. अमीरों का शासन (Rule of Wealty) : लोकतंत्र कहने को तो प्रजा का शासन है परन्तु वास्तव में यह अमीरों का शासन है।
5. खर्चीला (Too Costly) : लोकतंत्र में आम चुनावों के प्रबंध पर बहुत धन खर्च हो जाता है।

प्रश्न 5: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct Democracy) किसे कहते हैं?

उत्तर: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रजातंत्र का वास्तविक रूप है। जब जनता स्वयं कानून बनाए, राजनीति को निश्चित करे तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे, उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। परन्तु आधुनिक युग में बड़े–बड़े राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या भी बहुतअधिक है और भू–भाग भी बड़ा है। अतः प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है।

प्रश्न 6: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं के नाम लिखे और किन्हीं दो का वर्णन करें।

उत्तर: प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं कुछ देशों में मिलती है जैसे प्रस्तावाधिकार (Initiative), जनमत संग्रह (Referendum), प्रत्याहान या वापसी (Recall), लोकमत संग्रह (Plebiocite) आदि।

1. प्रस्तावाधिकार (Initiative) : इसके द्वारा मतदाताओं को अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवाने का अधिकार होता है। यदि मतदाताओं की एक निश्चिक संख्या किसी कानून को बनाने की मांग करे तो संसद अपनी इच्छा से उस मांग को रद्द नहीं कर सकती।
2. जनमत संग्रह (Referendum) : जनमत संग्रह द्वारा संसद के बनाए हुए कानून लोगों के सामने रखे जाते हैं। वे कानून तभी पास हुए समझे जाते हैं, यदि मतदाताओं का बहुमत उनके पक्ष में हो, नहीं तो वह कानून रद्द हो जाता है। स्विट्जरलैंड में यह नियम है कि कानून को लागू करने से पहले जनता की राय ली जाती है।

प्रश्न 7: प्रजातंत्र (Democracy) की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों (Condition necessary for success of Democracy) का वर्णन करें।

उत्तर : लोकतंत्र के सफलतापूर्वक काम करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों (Conditions) का होना आवश्यक समझा जाता है।

1. शिक्षित नागरिक (Educational Citizens) : प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिकों का होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक प्रजातंत्र शासन की आधारशिला है। शिक्षा से ही नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान होता है।
2. जागरूक नागरिकता (Vigilant Citizenship) : जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की निरंतर देख–रेख ही स्वतंत्रता की कीमत है। नागरिक अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होने चाहिए।
3. प्रैस की स्वतंत्रता (Feedom of Press) : प्रैस की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है।
4. सामाजिक समानता (Social Equality) : प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता होना आवश्यक है।

प्रश्न 8: स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रैस का लोकतंत्र में क्या महत्व है?

उत्तर : प्रैस को 'प्रजातंत्र का पहरेदार' (Watch dog of Democracy) कहा गया है। प्रजातंत्र शासन मेंलोगों को शासन की आलोचना करने का अधिकार होता है। यह अति आवश्यक है कि समाचार–पत्र, निष्पक्ष रूप में समाचार प्रस्तुत करें तथा निष्पक्ष आलोचना करें।

प्रजातंत्र के सिद्धान्त

(Theories of Democracy)

प्रश्न 9: उदावादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) की विशेषताएं लिखो।

उत्तर: लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. प्रतिनिधियात्मक सरकार (Representative) : उदारवादी लोकतंत्र में सरकार प्रतिनिधियात्मक होती है। लोग शासन चलाने के लिए एक निश्चित अवधि के पश्चात् अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं।
2. जनता का शासन (Rule of People) : उदारवादी सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है।
3. शासन में भाग लेने का अधिकार (To participate in Government) : उदारवादी प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है।
4. बहुमत का शासन (Rule of Majority) : उदारवादी प्रजातंत्र बहुमत का शासन है। प्रजातंत्र में प्रत्येक निर्णय बहुमत से लिया जाता है।
5. जनमत पर आधारित सरकार (Based on Public Opinion) : लोकतंत्र में सरकार जनमत पर आधारित होती है।
6. जनता का हित (Interest of People) : उदारवादी प्रजातंत्र में शासन जनता के हित के लिए चलाया जाता है। लोकतंत्र सामान्य हित का साधन है।

प्रश्न 9: बहुलवादी लोकतंत्र (Pluralist Democracy) की मुख्य विशेषताएं लिखो।

उत्तरः बहुलवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. जनता शक्ति का स्त्रोत (Source of Power) : लोकतंत्र में बहुलवादी धारणा के अनुसार समस्त राजनीतिक शक्ति का स्त्रोत जनता है।
2. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) : बहुलवादी लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है।
3. प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण (Provincial Decentralisation) : बहुलवादी लोकतंत्र शक्ति के प्रादेशिक तौर पर विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। ऐसा विभाजन हमें संघात्मक शासन प्रणाली (Federal form of Government) में मिलता है।
4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) : बहुलवादी लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है।

प्रश्न 10:लोकतंत्र के विशिष्ट (Elite) वर्गीय सिद्धांत का वर्णन करो।

उत्तरः लोकतंत्र को 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए' शासन माना जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमण्डल में भेजती है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वही सरकार का निर्माण करता है। इस प्रकार परम्परागत लोकतंत्र 'बहुमत के शासन' में विश्वास करता है। परंतु पैरोटो (Perato), मोस्का (Mosca), बर्नहाम (Burnham), सी॰ राइट मिल्स (C.Wright Mills), मैनहीम (Manheim) इत्यादि विद्वानों ने परम्परागत लोकतंत्र की 'बहुमत के शासन' को चुनौती दी है और इस बात पर बल दिया है कि प्रजातंत्र में बहुमत के स्थान पर अल्पसंख्यक का शासन होता है। विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि लोगों के शासन में वास्तव में विशिष्ट वर्ग का शासन होता है। 'विशिष्ट; या 'अभिजन' अपनी बुद्धि, बल या सामाजिक स्तर के कारण हर व्यवसाय में शिखर पर पहुंचे हुए होते हैं। चुनावों में जनता वास्तव में अभिजनों का ही चयन करती है। अभिजन वर्ग अल्पसंख्यक होता है और संगठित का अभाव पाया जाता है। लोकतंत्र में आम व्यक्ति का शासन नहीं होता बल्कि उसके चुने हुए 'अभिजनों' (Elite) का ही शासन होता है।

प्रश्न 11:लोकतंत्र के विशिष्ट (Elite) वर्गीय सिद्धांत की विशेषताएं बताओ।

उत्तर : विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. समाज के दो वर्ग (Two Classes) : इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं:– विशिष्ट वर्ग तथा जन साधारण वर्ग। विशिष्ट वर्ग प्रायः समाज का अल्पसंख्यक उच्च वर्ग होता है। क्योंकि इसमें समाज के अधिक योग्य होते हैं। और वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज जनसाधारण वर्ग आम व्यक्तियों का होता है और समाज में बहुमत इसी वर्ग का होता है।
2. अल्पसंख्यक वर्ग का प्रभुत्व (Influence of Minority) शासन का रूप कैसा भी क्यों न हो, शासन पर सदा अल्पसंख्यक वर्ग का ही प्रभुत्व होता है।
3. विशिष्ट वर्ग संगठित होता है (Elite is organised)

4. साधारण वर्ग अयोग्य, सुस्त व उदासीन होता है (Majority is lazy, unfit and indolent) : समाज का साधारण वर्ग सुरत–उदासीन, अयोग्य होता है। इस वर्ग में शासन करने की योग्यता नहीं होती। विशिष्ट वर्ग सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है।

5. विशिष्ट वर्ग के सदस्य सभी महत्वपूर्ण पदों को धारण किए रहते हैं (Important positions are held by)

प्रश्न 12:लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचना (Criticism) करें।

उत्तरः आधुनिक विद्वानों डेविस (Devis), वाकर (Walker), पैटमैन (Pattman), प्लामनाटज (Plamnatz), राबर्ट डहल (Robert Dahl) आदि ने इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की है–

1. प्रजातंत्र का गलत अर्थ बताता है, प्रजातंत्र को 'जनता का शासन' कहा जाता है। जबकि यह सिद्धांत प्रजातंत्र को 'अल्पसंख्यकों का शासन' मानता है। सारटोरी (Sartori) के विचार में अभिजन (Elite) जनता का नेतृत्व करते हैं, शासन नहीं करते हैं।

2. राबर्ट डहल (Robert Dahl) के विचारानुसार विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि विशिष्ट जनों के प्रभाव को कैसे नापा जाए।

3. विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थकों का यह कहना है कि विशिष्ट जनों के हित आम जनता के हितों के विरोधी होते हैं, गलत है।

4. यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि विशिष्ट वर्ग की उच्च योग्यता का आधार क्या होना चाहिए।

प्रश्न 13:लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxist Theory) की व्याख्या करें।

उत्तर : मार्क्स ने 'साम्यवादी घोषणा–पत्र में लोकतांत्रिक समाज के विषय में कहा है "यह वह संघ है जहां प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र तथा स्वछंद विकास सम्पूर्ण समाज के विकास की शर्त है।" मार्क्स के विचार में लोकतंत्र वहां है जहां कोई वर्ग नहीं, जहां आर्थिक चिन्तांए नहीं, जहां सब नागरिक समान तथा स्वतंत्र है, जहां उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व है तथा जहां सबको अपनी आवश्यकतानुसार मिलता है। दूसरे शब्दों में साम्यवाद की स्थिति तथा लोकतंत्र की स्थिति एक समान है। मार्क्स उस समाज को ही लोकतांत्रिक मानता है जहां किसी प्रकार का शोषण न हो तथा न ही वर्ग हो।

प्रश्न 14:समाजवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखें।

उत्तर : समाजवादी लोकतंत्र को सर्वहारा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक तानाशाही (Democratic Dictatorship) भी कहा गया है। समाजवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

1. बहुमत का शासन (Rule of Majority) : बुर्जुआ लोकतंत्र में अल्पसंख्यक का शासन होता है, जबकि समाजवादी लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है, क्योंकि श्रमिकों की बहुसंख्या होती है।

2. सर्वहारा का प्रजातंत्र (Democracy of Proletariat) : समाजवादी लोकतंत्र सर्वहारा का प्रजातंत्र है क्योंकि राज्य की शासन व्यवस्था पर श्रमिकों का नियंत्रण होता है और शासन सर्वहारा के हित में ही चलाया जाता है।

3. आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना (Establishment of Economic Democracy) : समाजवादी लोकतंत्र में

आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी होती है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे अपने आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा।

4. निजी सम्पत्ति का उन्मूलन (Abolition of Private Property) : समाजवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सामाजिक हित होता है।

5. सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना (Establishment of Social Democracy) : सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं और जाति, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जाता।

6. साम्यवादी दल की तानाशाही (Dictatorship of Communist Party) : सर्वहारा की तानाशाही के दौरान शासन की बागडौर साम्यवादी दल के हाथ में रहती है। समाजवादी लोकतंत्र में एक ही दल होता है और अन्य दलों की स्थापना नहीं की जा सकती तथा साम्यवादी दल की तानाशाही होती है।

प्रश्न 15:समाजवादी लोकतंत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर :समाजवादी लोकतंत्र की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है–

1. सर्वहारा की तानाशाही (Dictatorship of Proletariat) : समाजवादी लोकतंत्र में एक वर्ग सर्वहारा की तानाशाही होती है जबकि प्रजातंत्र को समस्त जनता का शासन माना जाता है।

2. एक दल की तानाशाही (Dictatorship of one party) : आलोचकों का कहना है कि समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी देशों में एक दल की तानाशाही और अन्य दलों की स्थापना नहीं की जा सकती।

3. शक्तियों का केन्द्रीयकरण (Centralisation of Powers) : साम्यवादी देशों में शक्तियों का केन्द्रीयकरण पाया जाता है।

4. विरोध नहीं (No Opposition) : साम्यवादी राज्यों में विरोधियों को अपने विरोध प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त होता।

5. दिखावा (Elections a Formality) : साम्यवादी देशों में चुनाव एक दिखावा है क्योंकि एक ही दल के विभिन्न उम्मीद्वारों में से एक का चुनाव करना पड़ता है।

6. न्यायालय की स्वतंत्रता (No Independence of Judiciary) : साम्यवादी देशों में न्यायालय की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती।

7. स्वतंत्रताएं छीनना : साम्यवादी राज्यों में आर्थिक लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं जबकि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक लोकतंत्र का होना भी अनिवार्य है।

   अन्त में हम कह सकते हैं कि साम्यवादी देशों में आर्थिक लोकतंत्र पाया जाता है परन्तु राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव है और इसीलिए पश्चिम के विद्वानों ने साम्यवादी देशों के समाजवादी लोकतंत्र की कड़ी आलोचना की है। जहां तक मार्क्सवादियों के साम्यवादी लोकतंत्र की बात है वह एक कल्पना है क्योंकि राज्य के लोप होने की कोई संभावना नहीं है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Questions)

प्रश्न 1: आजकल कौन–सा लोकतंत्र अधिक प्रचलित है–

क) प्रत्यक्ष लोकतंत्र — ख) प्रतिनिधि लोकतंत्र

ग) समाजवादी लोकतंत्र — घ) विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र

प्रश्न 2: अंग्रेजी भाषा का 'डैमोक्रेसी' किस शब्द से लिया गया है–

क) लातीनी भाषा के शब्द सिविक्स और सिविटास से

ख) यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से

ग) लातीनी भाषा के शब्द नेशीओ से

घ) यूनानी भाषा के शब्द डीमास और क्रेटीआ से

प्रश्न 3: लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जहां राजनीतिक शक्ति होती है–

क) सब लोगों के पास — ख) राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पास

ग) राजनीतिज्ञों के पास — घ) सरकारी अधिकारियों के पास

प्रश्न 4: प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां–

क) लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं निर्वाचित करते हैं।

ख) लोग देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।

ग) सरकारी अधिकारियों को लोग स्वयं नियुक्त करते हैं।

घ) सभी कानूनों की स्वीकृति लोगों से लेनी पड़ती है।

प्रश्न 5: यह किसने कहा था, "लोकतंत्र लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है?"

क) लॉर्ड ब्राइस — ख) अब्राहम लिंकन

ग) जे॰एस॰ मिल — घ) कार्ल मार्क्स

प्रश्न 6: यह किसका कथन है, "लोकतंत्र ऐसी सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है।"

क) जॉन सीले — ख) लॉर्ड ब्राइस

ग) अब्राहम लिंकन — घ) डायसी

प्रश्न 7: प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है–

क) एक–दलीय प्रणाली — ख) बहु–दलीय प्रणाली

ग) राजनीतिज्ञ असैनिक अधिकारी — घ) अल्पसंख्यकों का योग्य प्रतिनिधित्व

प्रश्न 8: प्रजातंत्र की सफलता के लिए कौन–सा तथ्य अनावश्यक है?

क) सुचेत नागरिक — ख) दृढ़ धार्मिक विश्वास

ग) अच्छे संगठित राजनीतिक दल — घ) स्वतंत्र व ईमानदार प्रैस

प्रश्न 9: लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन–सी व्यवस्था आवश्यक नहीं है–

क) कानून का शासन — ख) स्वतंत्र न्यायपालिका

ग) अल्पसंख्यकों की संतुष्टता — घ) स्वतंत्र और ईमानदार

प्रश्न 10:कौन–सा तथ्य लोकतंत्र की विशेषता नहीं है?

क) स्वतंत्रता — ख) समानता

ग) भ्रातृ भाव — घ) राज्य धर्म

प्रश्न 11:कौन–सा कथन सत्य है?

क) लोकतंत्र में प्रैस का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अनिवार्य है।

ख) लोकतंत्र की सफलता केक लिए वचनबद्ध न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है।

ग) संचार के साधनों पर सरकारी नियंत्रण लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है।

घ) लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व नहीं होता है।

प्रश्न 12:कौन–सा साधन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं है?

क) जनमत संग्रह — ख) प्रस्ताव अधिकार

ग) लोकमत संग्रह — घ) प्रतिनिधियों का लोगों द्वारा चुनाव

प्रश्न 13:सर्वप्रथम किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में प्रजातंत्रीय सिद्धातों को प्रस्तुत किया था?

क) लॉक — ख) हॉब्स

ग) मिल — घ)रूसो

प्रश्न 14:प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किसने किया है?

क) राबर्ट डहल — ख) लिप्सेट

ग) मौरिस डुवर्जर — घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 15:प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है?

क) स्विटजरलैंड को — ख) फ्रांस को

ग) अमेरिका को — घ) इंग्लैंड को

प्रश्न 16:मार्क्सवाद का उद्देश्य है–

क) वर्गविहीन और राज्यविहिन समाज की स्थापना।

ख) पूंजीपतियों के शासन की स्थापना करना।

ग) बुद्धिजीवियों के शासन की स्थापना करना।

घ) संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करना।

प्रश्न 17:सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का समर्थन किसने किया है?

क) मोस्का ख) परेटो

ग) कार्ल मार्क्स घ) लॉस्की

प्रश्न 18:'अल्पतंत्र का लौह–नियम' किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है?

क) राबर्ट मिचल्स ख) परेटो

ग) राबर्ट डहल घ) मोस्का

प्रश्न 19:"लोग यद्यपि यह सोचे कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं परन्तु वास्तव में उनका प्रभाव मुख्यतः केवल चुनावों तक ही सीमित होता है। शक्ति के केन्द्र में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जो अत्यधिक प्रभाव रखता है।"

क) रार्बट डहल ख) बरने

ग) राबर्ट मिचल्स घ) मोस्का

प्रश्न 20:राजनीतिक विशिष्ट वर्ग पाया जाता है–

क) अधिनायकवाद ख) अल्पतंत्र

ग) लोकतंत्र में घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 21: विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं–

क) परेटो ख) लॉक

ग) लॉस्की घ) टी॰एच॰ग्रीन

प्रश्न 22:कौन–सा तथ्य प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है?

क) लिखित संविधान ख) योग्य राष्ट्रीय नेता

ग) अच्छी अर्थव्यवस्था घ) बहु–दलीय प्रणाली

प्रश्न 23:प्रजातंत्र में किस प्रकार का शासन होता है?

क) जनता का शासन ख) सैनिकों का शासन

ग) न्यायधीशों का शासन घ) सामन्तों का शासन

प्रश्न 24: प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है?

क) पैरेटो　　ख) ऐंजिल्स

ग) मोस्का　　घ) मिशेल

प्रश्न 25: सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है–

क) पक्षपातपूर्ण चुनाव प्रणाली　　ख) प्रैस पर पाबन्दी

ग) स्वस्थ दलीय प्रणाली　　घ) एक दलीय प्रणाली

प्रश्न 26: निम्नलिखित में से कौन–सी प्रजातंत्र को सफल बनाने की एक शर्त नहीं है?

क) सहयोग की भावना　　ख) सचेत नागरिकता

ग) सामाजिक एवं आर्थिक असमानता　　घ) राजनीतिक जागरूकता

प्रश्न 27: निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है?

क) मोस्का　　ख) हंटर

ग) सराटोरी　　घ) बर्नसर

प्रश्न 28: प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित कौन–सा कथन ठीक है–

क) उदारवादी प्रजातंत्र केवल एक ढोंग मात्र है।

ख) उदारवादी प्रजातंत्र पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को प्रफुल्लित करता है।

ग) उदारवादी बुर्जुआ हितों की पूर्ति करता है।

घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर : 1.ख, 2.घ, 3.क, 4.ख, 5.ख, 6.क, 7.क, 8.ख, 9.ख, 10.घ, 11.क, 12.घ, 13.घ, 14.घ, 15.क, 16.क, 17.ग, 18.क, 19.ख, 20.घ, 21.क, 22.घ, 23.क, 24.ख, 25.ग, 26.ग, 27.क, 28.घ।

अध्याय –7

विकास और कल्याणकारी राज्य
(Development and Welfare State)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: विकास की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तरः विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये एक व्यापक अवधारणा है, जिसे विभिन्न अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। विकास की अवधारणा की बहुत सी परिभाषाएं हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता

है कि विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक सम्पदा में वृद्धि, असमानताओं में कमी और निर्धनता का उन्मूलन शामिल है। आधुनिक विकसित समाज में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं।

प्रश्न 2: विकास के मुख्य लक्षणों का वर्णन करें।

उत्तर: विकास के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :–

1. गतिशील (Mobility) : विकास की धारणा गतिशील और परिवर्तनशील है।
2. बहु–पक्षीय प्रक्रिया (Multipurpose process) : विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है विकास में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी शामिल होते हैं।
3. समृद्धि और उन्नति (Progressive) : विकास का अर्थ समृद्धि और उन्नति होता है। वर्तमान समाज अतीत के समाज से भिन्न है।
4. प्रौद्योगिकी से निकट का संबंध (Closely related with Industrialisation) : विकास की प्रौद्योगिकी से समीप का संबंध होता है। एक तकनीकी रूप से उन्नत समाज विकसित समाज कहलाता है।

प्रश्न 3: अल्पविकसित तथा विकासशील (Developing) देशों की समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर: अल्पविकसित तथा विकासशील देशों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं :–

1. रोटी, कपड़ा और मकान : अल्पविकसित तथा विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसके लिए संघर्ष हो रहा है वह है रोटी, कपड़ा और मकान।
2. कृषि तथा औद्योगिक समस्याएं (Agricultural and Industrial) : अल्पविकसित तथा विकासशील देषों में कृषि पिछड़ी हुई और कृषि पुराने ढंग से की जाती है।
3. जनसंख्या (Over-Population) : अल्पविकसित तथा पिछड़े देशों में जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और अधिक जनसंख्या इन देशों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।
4. जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं (Caste, Cultural and Religious Problems) : स्थानिक समस्याओं के कारण अनेक देशों की एकता खतरे में पड़ गई है और अनेक देशों का विघटन हो गया है।
5. मानव अधिकारों की समस्या (Human Rights) : एक महत्वपूर्ण समस्या मानव अधिकारों की समस्या है।

प्रश्न 4: विकास के लक्ष्य (Aims and Objects) लिखें।

उत्तर: विकासशील देशों ने विकास के निम्नलिखित लक्ष्य रखे हैं :–

1. गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
2. लक्ष्य आर्थिक पुनर्निर्माण करके गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करना है।
3. विकासशील देशों का लक्ष्य प्राकृतिक साधनों का विकास करना है।
4. विकासशील देश लोगों के आर्थिक तथा समाज कल्याण के कार्यों को निम्न स्तर के लोगों तक पंहुचाने का लक्ष्य रखते हैं।
5. आर्थिक विकास की ऊंची दर को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

प्रश्न 5: 'बाजार अर्थव्यवस्था (Market Economy) से विकास का क्या अभिप्राय है?

उत्तरः समस्त विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि विकास का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाए। 'बाजार अर्थव्यवस्था' का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को प्रतियोगिता, अहस्तक्षेप नीति (Laissez-Faire) तथा मांग व पूर्ति की शक्तियों का सामान्य प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और विश्व बाजार की शक्तियों के अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था में मुख्यतः निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :–

1. मुक्त उद्यम, 2. विदेशी पूंजी निवेश, 3. विदेशी तकनीक, 4. मुक्त व्यापार,

5. आधुनिकीकरण 6. उदारीकरण व विश्वीकरण।

प्रश्न 6: विकास के समाजवादी मॉडल (Socialist-Model) की मुख्य विशेषताएं लिखें।

उत्तर : विकास के समाजवादी मॉडल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. उत्पादन तथा वितरण के साधनों को समस्त समाज की सम्पत्ति मानता है। अतः समाजवादी उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण करना चाहते हैं।
2. व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। समस्त समाज का विकास करना चाहिए।
3. नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही देश का विकास किया जा सकता है।
4. आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता समाप्त करके सहयोग की भावना पैदा करने के पक्ष में हैं।
5. मजदूरों का शोषण नहीं किया जाएगा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएंगे।

प्रश्न 7: विकास के गांधीवादी मॉडल (Gandhian Model) की मुख्य विशेषताएं लिखें।

उत्तरः विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. मानव सेवा (Service of Huanity) : गांधी जी के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन मानव सेवा है। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
2. विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था (Decentralised Economy) : गांधी जी का विकास का मॉडल आर्थिक विकेन्द्रीयकरण पर बल देता है।
3. न्यासिता की अवधारणा (Trustiership) : गांधी जी सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर देने के पक्ष में थे। उनका मानना था जिस मनुष्य के पास धन है वह उसे समाज की अमानत (Trustee) समझेगा और उसका प्रयोग जन–कल्याण के लिए करेगा।
4. मानव भौतिक प्राणी नहीं है (Man is not only materialistic) : गांधी जी के अनुसार मानव केवल भौतिक प्राणी नहीं है, मनुष्य को अपनी आत्मा का विकास करके जन–कल्याण के कार्य करने चाहिए।
5. रोटी के लिए श्रम (Physical Labour Necessary) : गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए।

6. सामाजिक (Social) : गांधीवादी मॉडल सामाजिक बुराइयों को विकास के मार्ग में बाधक मानता है और उन्हें दूर करने पर बल देता है।

प्रश्न 8: कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का अर्थ एवं परिभाषा लिखो।

उत्तरः साधारण शब्दों में कल्याणकारी राज्य वह है जो जनता के जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने के लिए कार्य करे।

1. कोल (Cole) के अनुसार, "कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर और समान अवसर प्राप्त होता है।"
2. कैंट (Kant) के शब्दों में, "कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत मात्रा में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है।
3. अबाह्म (Abraham) के अनुसार, "कल्याणकारी राज्य वह समाज है जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार बदलने के लिए किया जाता है कि सम्पत्ति का अधिक–से–अधिक वितरण हो।"

संक्षेप में कल्याणकारी राज्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निकास कर सके।

प्रश्न 9: कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के उद्देश्य (Aims and Objects) क्या हैं?

उत्तरः कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) : कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज में रंग, जाति, धर्म के भेदों को दूर करके सभी व्यक्तियों को सामाजिक समानता देना होता है।
2. आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) :कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों की आर्थिक दशा में सुधार करना होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और गरीबी को दूर करना होता है।
3. राजनीतिक सुरक्षा (Political Security) : कल्याणकारी राज्य में नागरिकों को शासन में भाग लेने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। कानून के सामने सब व्यक्तियों को समान माना जाता है।
4. दूसरे राज्य से मित्रता करना (To maintain friendly relations with other countries): कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दूसरे देशों से मित्रता के संबंध स्थापित करना होता है।

प्रश्न 10:कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं लिखो।

उत्तरः कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

1. व्यक्तियों की आय में विषमता का अन्त (Reduction in disparity of Income) : कल्याणकारी राज्य में जिसकी जितनी आय अधिक होती है उस पर उतने ही अधिक कर लगाये जाते हैं। इस प्रकार समानता लाने का प्रयत्न किया जाता है।

2. बूढ़ों, अपाहिजों, अनाथों इत्यादि की सहायता (To help old, handicapped and orphan) : कल्याणकारी राज्य में जरूरतमंद लोगों की सहायता का आश्वासन दिया जाता है।

3. सार्वजनिक शिक्षा (Universal Education) : कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।

4. व्यक्तियों के न्यूनतम जीवन–स्तर की व्यवस्था (Arrangement for fulfilling basic needs) : कल्याणकारी राज्य की विशेषता यह है कि सभी नागरिकों के न्यूनतम जीवन–स्तर की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न 11:राज्य के अनिवार्य (Compulsory) कार्य (Functions) कौन–से हैं?

उत्तर :1. जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना (To protect life and property) : लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना राज्य का आवश्यक कार्य है।

2. बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा (To safeguard against external dagression) : राज्य अपने नागरिकों की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है। राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सेना का प्रबंध करता है।

3. कानून तथा व्यवस्था की स्थापना करना (To maintain law and order) : देश में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना राज्य का महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है। इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती है।

4. कर लगाना (To impose taxes) : गैटेल (Gettel) के अनुसार मुद्रा निश्चित करना, कर लगाना तथा कर इकट्ठा करना राज्य का अनिवार्य कार्य है।

5. दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करना (To maintain good neighbor relations) : कोई भी राज्य आत्म निर्भर नहीं है। विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो।

प्रश्न 12:राज्य के ऐच्छिक (Voluntary) कार्य (Functions) लिखें।

उत्तर :वर्तमान राज्यों के महत्वपूर्ण ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. शिक्षा का प्रचार (Spread of Education) : वर्तमान राज्य का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का प्रसार करना है। प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है।

2. स्वास्थ्य तथा सफाई (Health and Sanitation) : देश की उन्नति के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होना अनिवार्य है। इसलिए राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करता है।

3. गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना (To remove poverty and unemployment) : वर्तमान राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। राज्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्त्तव्य समझा जाता है।

4. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) : वर्तमान राज्य बुढ़ापे, दुर्घटना, बीमारी तथा बेकारी से दुःखी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का प्रबंध करता है।

5. कृषि की उन्नति (To promote agriculture) : वर्तमान राज्य कृषि की उन्नति के अनेक कार्य करता है। सरकार कृषकों को अच्छे बीज, खाद, ट्रेक्टर तथा ऋण देने की सुविधा प्रदान करती है।

प्रश्न 13:राज्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-Economic Change) के साधन के रूप में किस तरह कार्य करता है।

उत्तर :राज्य सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है :–

1. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) : सामाजिक सुरक्षा का अर्थ बुढ़ापे, बीमारी, बेकारी और अयोग्य होने की स्थिति में राज्य की ओर से सुरक्षा व्यवस्था करना है।
2. सामाजिक बुराइयों को दूर करना (To eliminate Social evils) : राज्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून के साथ प्रचार के माध्यम को अपनाता है। आज राज्य जाति प्रथा को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
3. राज्य आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में (Vehicle for Economic Change) : आधुनिक युग में राज्य ही आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। राज्य उद्योग तथा व्यापार को नियमित करने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण करता है। राज्य आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए आयात–निर्यात (Import-Export) को नियमित करता है तथा गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है।

प्रश्न 14:आधुनिक कल्याणकारी राज्य की विकासात्मक गतिविधियों का वर्णन करो।

उत्तर :आधुनिक राज्य की प्रमुख विकासकारी गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

1. प्राकृतिक साधनों का विकास (Development of Natural Resources) : देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का विकास होना भी अनिवार्य है। इसीलिए राज्य वनों की रक्षा तथा सफाई का प्रबंध करता है। बिजली के उत्पादन की व्यवस्था करता है तथा खनिज पदार्थों की खुदाई की ओर विशेष ध्यान देता है।
2. कृषि की उन्नति (To increase agricultural production) : कृषि की उन्नति के लिए कार्य करना राज्य का कर्त्तव्य है। कृषि करना लोगों का ही कार्य है, पर राज्य को कृषकों की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। इसके लिए राज्य को किसानों को अच्छे बीज, खाद, ट्रेक्टर तथा ऋण देने चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसानों को वैज्ञानिक ढंग से जानकारी दिलवाए।
3. औद्योगिक विकास (Industrial Development) : कृषि के विकास के साथ–साथ औद्योगिक विकास के लिए भी आवश्यक कदम उठाना राज्य का विकासकारी कार्य है।
4. व्यापार, उद्योग और वाणिज्य नियमित करना (To regulate trade and commerce, import and export) : आधुनिक राज्य व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य इत्यादि को नियमित करने के लिए नियम व कानून बनाता है आयात व निर्यात को कानूनों द्वारा नियमित करता है।

प्रश्न 15:कल्याणकारी राज्य के प्रभाव (Impact) पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर :कल्याणकारी राज्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कल्याणकारी राज्य ने गरीबी को दूर करने और बेरोजगारी को दूर करने में काफी सफलता प्राप्त की है। श्रमिकों का जीवन स्तर और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। भारत में कल्याणकारी राज्य का प्रभाव काफी पड़ा है। शिक्षा का प्रसार हुआ है। और बच्चों को

प्राइमरी शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाती है। आजकल बैंक गरीब किसानों तथा पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवानों को ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। यद्यपि कल्याणकारी राज्य के कारण काफी उन्नति हुई है, तथापि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारत की अधिकांश जनता गरीब है और करोड़ों बेरोजगार हैं। आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए तेज कदम उठाने होंगे और सरकार को जाति, वर्ग, समुदाय आदि बातों से ऊपर उठकर सभी के कल्याण के लिए काम करना होगा, ताकि सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Questions)

प्रश्न 1: राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। ये शब्द किसने कहे?

क) लुसियन पाई　　ख) डायनेपट

ग) ऐंजल्स　　घ) मार्क्स

प्रश्न 2: विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूल की क्षमता है। यह कथन किसका है?

क) मैकेन्जी　　ख) ऐंजल्स

ग) राबर्ट डहल　　घ) कार्ल मार्क्स

प्रश्न 3: "अब विलास की वस्तुएं और आवश्यक वस्तुओं का अन्तर समाप्त हो गया है, क्योंकि अब आम जनता भी विलास की वस्तुओं का उपभोग करने लगी है"– यह विचार किसका है?

क) कार्ल मार्क्स　　ख) गालब्रेथ

ग) डेविड हैल्थ　　घ) लॉस्की

प्रश्न 4: विकास का लक्ष्य है–

क) न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना

ख) प्राकृतिक साधनों का विकास करना

ग) समाज कल्याण के कार्य करना

घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 5: वर्तमान राज्य है–

क) कल्याणकारी　　ख) अहितकारी

ग) अधिनायकवादी　　घ) व्यक्तिवादी

प्रश्न 6: कैनेथ और आर्गेन्सकी के अनुसार विकास की एक अवस्था सही नहीं है–

क) राजनीतिक एकीकरण　　ख) जनसंख्या में वृद्धि

ग) औद्योगीकरण　　घ) लोक कल्याण

प्रश्न 7: बाजार व्यवस्था की मुख्य विशेषता है–

क) उत्पादन के साधनों पर समस्त समाज का नियंत्रण।

ख) बड़े–बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना।

ग) मुक्त उद्यम

घ) लाईसैंस की नीति।

प्रश्न 8: अल्प विकसित तथा विकसित देशों की मुख्य समस्या है–

क) रोटी, कपड़ा और मकान | ख) जनसंख्या

ग) कृषि तथा औद्योगिक विकास | घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 9: पूंजीवाद के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में किसका उदय हुआ?

क) अराजकतावाद | ख) समाजवाद

ग) अल्पतंत्रवाद | घ) लोकतंत्र

ड़) धर्मों को सरकार द्वारा संरक्षण

प्रश्न 10:समाजवाद की मुख्य विशेषता है–

क) पूंजीवाद को प्रोत्साहित करना | ख) खुली प्रतियोगिता

ग) समानता पर विश्वास | घ) व्यक्ति को महत्ता

प्रश्न 11:लोकतंत्रीय समाजवाद की मुख्य विशेषता है–

क) हिंसा द्वारा समाजवाद की स्थापना करना।

ख) क्रांति द्वारा समाजवाद की स्थापना करना।

ग) शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना।

घ) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 12:"राज्य का उद्देश्य बाधाओं को बाधित करना है" यह कथन किसका है?

क) टी॰एच॰ ग्रीन | ख) थामस हॉब्स

ग) लीकॉक | घ) लॉस्की

प्रश्न 13:"समाजवादी एक ऐसा टोप है जो अपना आकार खो चुका है क्योंकि उसे प्रत्येक व्यक्ति पहनता है"– यह कथन किसने कहा?

क) सी॰ई॰एम॰ जोड़ | ख) टी॰एच॰ ग्रीन

ग) लॉस्की | घ) लॉक

प्रश्न 14: यह किसने कहा है कि "कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत मात्रा में सामाजिक सेवा प्रदान करता है।"

क) कैंट ख) कोल

ग) हॉबमैन घ) अब्राहम

प्रश्न 15: "कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर और समान अवसर प्राप्त होता है।" यह कथन किसका है?

क) कोल ख) ग्रीन

ग) लॉस्की घ) अब्राहम

प्रश्न 16: आधुनिक राज्य है, एक–

क) कल्याणकारी राज्य ख) पुलिस राज्य

ग) नगर राज्य घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 17: निम्नलिखित में से राज्य का कौन–सा ऐच्छिक कार्य है?

क) कानून तथा व्यवस्था की स्थापना करना

ख) देश की सुरक्षा करना

ग) शिक्षा का प्रसार करना

घ) कर लगाना

प्रश्न 18: निम्नलिखित में से राज्य का कौन–सा कार्य अनिवार्य है?

क) शिक्षा का प्रसार करना ख) कानून तथा व्यवस्था की स्थापना

ग) कृषि में सुधार करना घ) गरीबी दूर करना

प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन–सा कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है?

क) लोगों को फैशन बताना ख) सामाजिक सुरक्षा

ग) आर्थिक सुरक्षा घ) राजनीतिक सुरक्षा

प्रश्न 20: कल्याणकारी राज्य का कार्य है–

क) युद्ध करना

ख) हिंसा में विश्वास करना

ग) आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना करना

घ) निरंकुशता की स्थापना करना।

प्रश्न 21ःकल्याणकारी राज्य प्रदान करता है–

क) आर्थिक कल्याण

ख) सामाजिक कल्याण

ग) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण

घ) धार्मिक कल्याण

प्रश्न 22ःआजकल राज्य के कार्यों से संबंधित कौन–सी विचारधारा सबसे अधिक लोकप्रिय है?

क) समाजवादी ख) व्यक्तिवादी

ग) साम्यवादी घ) कल्याणकारी राज्य की विचारधारा

प्रश्न 23ःनिम्नलिखित में से कौन सा तत्व कल्याणकारी राज्य के मार्ग में बाधा बनता है?

क) जागरूक नागरिक ख) शिक्षा का प्रसार

ग) अधिक जनसंख्या घ) प्रैस की स्वतंत्रता

प्रश्न 24ःराज्य आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में क्या कार्य करता है?

क) सामाजिक बुराइयों को दूर करता है।

ख) सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है।

ग) शिक्षा का प्रसार करना।

घ) आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना।

प्रश्न 25ःनिम्नलिखित में से कौन–सा लक्ष्य आधुनिक कल्याणकारी राज्य का है

क) आर्थिक सुरक्षा ख) राजनीतिक सुरक्षा

ग) सामाजिक सुरक्षा घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 26ःनिम्नलिखित में से कौन–सा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है?

क) कानून और व्यवस्था बनाए रखना ख) देश की सुरक्षा करना

ग) शिक्षा की व्यवस्था करना घ) न्याय की व्यवस्था करना

प्रश्न 27ःकल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है–

क) सभी नागरिकों को समान वेतन देने की व्यवस्था करना

ख) पिछड़े वर्गों की आर्थिक दशा सुधारना

ग) उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना

घ) सम्पूर्ण समाज के लिए भलाई के लिए करना

उत्तरः 1.क, 2.क, 3.ख, 4.घ, 5.क, 6.ख, 7.ग, 8.ख, 9.ख, 10.ग, 11.ग, 12.क, 13.क, 14.क, 15.क, 16.क, 17.ग, 18.ख, 19.क, 20.ग, 21.ग, 22.घ, 23.ग, 24.घ, 25.ग, 26.ग, 27.घ

अध्याय –8

सामाजिक परिवर्तन
(Social Change)

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते है?

उत्तरः अर्थ : साधारण शब्दों में समाज में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं:–

1. गिलिन और गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत रीतियों में परिवर्तन हैं, चाहे वह भौगोलिक परिस्थितियों में, सांस्कृतिक साधनों में, जनसंख्या की अथवा विचारधाराओं की रचना में परिवर्तन से हुए हों या समूह के अंदर ही प्रसार अथवा आविष्कार से लाए गए हों।"
2. डेविस (Davis) के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय सामाजिक संगठन के कार्य और ढांचे में परिवर्तन से है।"
3. जॉनसन (Johnson) के अनुसार, "अपने मौलिक अर्थ से सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है।"
4. डॉसन तथा गेटिस (Danison and Gatis) ने लिखा है, "सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त सांस्कृतिक अपनी उत्पति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक है।"

प्रश्न 2:सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताए।

उत्तर : सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित प्रकार हैं–

1. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन (Change in Values) : अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों में से सामाजिक मूल्यों में होने वाला परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. संस्थात्मक परिवर्तन (Institutional Change) : सम्पति एवं पुरस्कार के वितरण में परिवर्तन संस्थात्मक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन का स्वरूप है।
3. विशिष्ट व्यक्तियों और कार्यकर्त्ताओं में परिवर्तन (Change in Elite) : समाज में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और कार्यकर्त्ताओं में परिवर्तन से संरचनात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं।
4. योग्यताओं अथवा मनोवृत्ति में परिवर्तन (Change in Qualifications or Mentality) : कार्यकर्त्ताओं की योग्यताओं अथवा मनोवृत्ति में परिवर्तन।

प्रश्न 3: सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं लिखें।

उत्तर : 1. सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापक तथ्य है (Universal Phenomena) : सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में होते हैं। कोई भी समाज पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह सकता है। जनसंख्या में परिवर्तन, औद्योगिक वृद्धि भौतिक उपकरणों, विचारधाराओं आदि में परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं के ढांचे को प्रभावित करते हैं।

2. सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न समाजों से विभिन्न होती है (Social Change is not uniform) : सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति प्रत्येक समाज में अलग–अलग होती है। राबर्ट बायर स्टैड के शब्दों में "किन्हीं दो समाजों का इतिहास एक जैसा नहीं होता, संस्कृति एक जैसी नहीं होती और कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं होता।"

3. सामाजिक परिवर्तन की गति में एकरूपता नहीं (NO uniformity in speed) : सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में होने पर भी सभी जगह एक समान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन अधिक तेजी से होता है।

4. सामाजिक परिवर्तन समुदाय परिवर्तन है (Social Change is related to social change) : उसी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है जिसका प्रभाव सारे समुदाय द्वारा महसूस किया जाए। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक है न कि व्यक्तिगत।

प्रश्न 4: सामाजिक परिवर्तन वाले भिन्न–भिन्न तत्वों का विश्लेषण करें।

उत्तर: सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:–

1. जैवीकीय तत्व (Biological Factors) : इनसे हमारा अभिप्राय उन कारणों से है जो आने वाली पीढ़ियों की संख्या, रचना तथा वंशानुगत गुणों का निश्चय करते हैं। यदि हम अपनी तुलना अपने पूर्वजों से करें तो हमें पता लगेगा कि हम उनके आकार विचारों और अन्य बातों से भिन्न हैं।

2. मनोवैज्ञानिक तत्व (Psychological Factors) : मनोवैज्ञानिक तत्वों से हमारा अभिप्रायः मनुष्य की परिवर्तनशील प्रकृति से है। मनुष्य प्रकृति से ही परिवर्तन प्रेमी है। मनुष्य में कुछ ऐसी जन्म–जात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिस कारण वह सदा नई चीजों कमी खोज करता है।

3. भौतिक अथवा भौगोलिक तत्व (Geographical Factors) : भौतिक अवस्था भौगोलिक तत्व सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऋतु परिवर्तन, बाढ़, तूफान, भूचाल, खनिज पदार्थों का होना आदि ऐसे भौतिक तत्व हैं जिसके कारण सामाजिक संगठन व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं।

4. जनसंख्या के तत्व (Population Factors) : सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की गतिशीलता तथा जनसंख्या की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। स्मिथ के अनुसार, "स्थानान्तरण का जनसंख्या, शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि समाज में मानसिक ढांचे एवं प्रक्रियाओं पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव डालता है।

5. सांस्कृतिक तत्व (Cultural Factors) : संस्कृति में परिवर्तन आने से सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। भारतीय पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ने से अनेक सामाजिक परिवर्तन आए जैसे की स्त्री–शिक्षा, बाल–विवाह का अंत, पर्दा प्रथा का अंत आदि।

प्रश्न 5: सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में कौन–कौन सी बाधाएं हैं?

उत्तरः परिवर्तन प्रकृति का नियम है फिर भी यह देखा जाता है कि परिवर्तनों को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में अनेक बाधाएं आती हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं–

1. परम्परावाद (Tradition) : सामाजिक परिवर्तनों में सबसे बड़ी बाधा परम्परावाद है। मनुष्य स्वभाव से रूढ़िवादी है और जीवन में मनुष्य प्रथाओं के अनुसार कार्य करता है।
2. धर्म (Religion) : धर्म लोगों को अन्धविश्वासी, आलसी, डरपोक, भाग्यवादी तथा निष्क्रिय बनाता है। मार्क्स के अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है।
3. जाति (Caste) : भारत में विशेषकर जाति प्रभा सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण बाधा है। जातिवाद से समाज कई खंड़ों तथा उपखण्डों में बंट जाता है और इससे ऊंच–नीच की भावना पैदान होती है।
4. अज्ञानता (Illiteracy) : अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति पढ़े–लिखे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी और अन्ध–विश्वासी होता है। अज्ञानी व्यक्ति रीति–रिवाजों, प्रथाओं के दास होते हैं।
5. आर्थिक लागत (Economic) : किसी सामाजिक कार्यक्रम को लागू करने की धन राशि भी सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधा बन सकती है। धन की कमी के कारण भी कई प्रगतिशील सुधारों को लागू नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 6: सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

उत्तरः सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक हैं। कॉम्टे, हर्बट स्पैन्सर, हॉबहाऊस, (Comte, Herbert Spenscer, Hobhouse) इस सिद्धांत के अनुसार समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक विकास करता है। इसलिए इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार समाज धीरे–धीरे सभ्यता की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। सामाजिक परिवर्तन रेखीय ढंग से निरंतर सुधार की ओर बढ़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है।

प्रश्न 7: सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समझाइए।

उत्तर : चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का बहुत पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज में निरंतर दिन–रात, ऋतु तथा जलवायु–संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। स्प्रैंग्लर ने अपनी पुस्तक "Deadline of the west" में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। स्प्रेंग्लर ने अपने पर्यवेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक का जीवन एक विशाल शरीर की भांति तन अवस्थाओं से गुजरा है– 1. जन्म, 2. बाल्यावस्था और प्रौढता या उन्नति, विनाश और विघटन। स्प्रैंग्लर का कहना है कि समाज जन्म–मृत्यु के समान चक्रवत् घूमता रहता है। इस चक्र को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आज का समाज अपनी वृद्धावस्था में है। इसका पूर्णतया ह्रास होने के बाद फिर जन्म, विकास, प्रौढावस्था तथा मृत्यू का चक्रक शुरू होगा।

पैरेटो ने वर्ग व्यव्थ्स्था मे होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। उनका विचार है कि प्रत्येक समााजिक संरचना 1 उच्च वर्ग, 2. निम्न वर्ग। इस दोनों में स्थिरता नहीं पाई जाती बल्कि इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। समाज इन दोनों वर्गों में ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर होता रहता है। यह प्रक्रिया इसी ढंग से चलती रहती है और इस चक्रीय गति के परिणामस्वरूप केवल सामाजिक ढांचे में पविर्तन होता रहता है। आर्नाल्ड जे॰टायनबी, सोरोकिन, बर्न्स आदि ने भी इस सिद्धाांत का समर्थन किया है।

दोष – परंतु चक्रीय सिद्धांत का महत्वपूर्ण दोष यह है कि यह सिद्धांत न तो वैज्ञानिक है और न ही तथ्यों पर आधारित है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: यह किसने कहा है "इस परिवर्तन को केवल सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इन में हों?"–

क) मैकाइवर तथा पेज | ख) डॉसन तथा ग्रटिन मिलिन

ग) डेविस | घ) गिलिन और गिलिन

प्रश्न 2: यह किसने कहा है, "सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय सामाजिक संगठन के कार्य और ढ़ाचें में परिवर्तनों से है?:–

क) डेविस | ख) लेविस

ग) गिलिन और गिलिप | घ) जोन्स

प्रश्न 3: सामाजिक परिवर्तन–

क) कभी नहीं होते | ख) केवल भारत में होते हैं।

ग) सर्वव्यापी तथ्य हैं | घ) यूरोप में होते रहते हैं।

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन–सा कथन सामाजिक पविर्तन के संबंध में ठीक नहीं है?

क) सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापक तथ्य है।

ख) सामाजिक परिवर्तन की गति में एकरूपता नहीं होती।

ग) सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है।

घ) सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न समाजों में भिन्न होती है।

प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन–सा कथन सामाजिक परिवर्तन के संबंध में ठीक नहीं है?

क) सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक परिवर्तन निहित होते हैं।

ख) सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों का परिवर्तन निहित है।

ग) सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन निहित होता है।

घ) सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक परिवर्तन निहित होता है।

प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है?

क) जैविकीय तत्व | ख) जनसंख्या के तत्व

ग) मनौवज्ञानिक तत्व | घ) जाति प्रथा

प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न नहीं करता?

क) धर्म | ख) परम्परावाद

ग) स्वार्थहित | घ) शिक्षा

उत्तर : 1.क, 2.क, 3.ग, 4.ग, 5.क, 6.घ, 7.घ